लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1991/7 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
67	नीचे से 7	"कश्बीर" के स्थान पर "कश्मीर" पढ़िये ।
135	15	"मोरेश्रवर" के स्थान पर "मोरेश्वर" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खंड 6 — दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 6 — गुरूवार, 28 नवम्बर, 1991/7 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्नों प्रश्न संख्या : 1ह2 से 105	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—188
तारांकित प्रश्न संख्या : 101 और 106 से 120	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1115 से 1136. 1138 से 1164. 1166 से 1168- 1150 से 1224. 1226 से 1250, 1252 से 1294, 1296 से 1319 और 1321 से 1346	
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	189—212
लोक सभा की कार्यवाहो को दूरदर्शन पर दिखाये जाने के बारे में	
समिति के लिए निर्वाचन	212
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	
कार्य मंत्रणा समिति	213—214
आठवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	215—217
(एक) बंगलौर-तुमकुर रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता	
श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा	214
(दो) उड़ीसा में सम्बलपुर में पूर्ण रूप से सुसज्जित दूरदर्शन केन्द्र तथा देवगढ़ और पल्लाहारा में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही	214—215

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली में नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलें लगाने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार गंगवार	218
(चार) दिल्ली तथा बिहार के झंझारपुर और मधुबनी जिलों के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की समुचित सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की कोड संख्या 062731 कम्प्यूटर में भरे जाने की आवश्यकता	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	218
(पांच) झारखंड समस्या के शीघ्र समाधान की आवश्यकता	
श्री सूरज मण्डल	218—216
(छः) मुम्बई में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्थानीय रेलगाड़ियों को महाराष्ट्र में दहानु रोड तक चलाने की आवश्यकता	
श्री मोरेश्वर सावे	216
(सात) 1921 मालाबार विद्रोह को स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने और उस आंदोलन में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने की आवश्यकता	
श्री ई. अहमद	216
(आठ) उड़ीसा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री के. पी सिंह देव	216—217
(नौ) रक्षा उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने संबंधी निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता	
जगत वीर सिंह द्रोण	
जल (प्रदूषण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक—जारी	218—237
विचार करने के लिए पत्र	
श्री कमल नाथ	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री कमल नाथ	218—234
श्री मोहन सिंह	235—236
श्री राम नाईक	236—237
चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक (जारी)	237—261

पर विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सलमान खुर्शीद	237
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	237—240
श्री विजय कृष्ण हान्डिक	240—242
श्री जितेन्द्र नाथ दास	242—244
श्री मुमताज अन्सारी	244—245
श्री सुधीर सावन्त	245—248
श्री बसुदेव आचार्य	248—251
श्री राजगोपाल नायडू रामासामी	251—252
श्री अमर राय प्रधान	252—254
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	254—259
श्री द्वारका नाथ दास	259—261
श्री पीयूष तीरकी	261

लोक सभा

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1991/7 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोकसभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

फलदार वृक्षों को लगाने के लिए धनराशि

*102. श्री मदन लाल खुराना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क] वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार वृक्षों को लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वास्तव में कितनी धनराशि दी गयी है ?

कृषि मंत्री (डा. बलराम जाखड़) :

(क) भारत सरकार फलों के वृक्षों के विकास के लिए दो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :

(1) ग्रामीण इलाकों में पौधणिक बागानों की स्थापना;

(2) उष्णकटिबन्धी और शुष्क अंचल के फलों के समेकित विकास सम्बन्धी केन्द्र क्षेत्रक योजना;

1990-91 और 1991-92 के दौरान, इन दोनों योजनाओं के तहत 132.41 लाख रुपए और 369.34 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई।

(ख) 1990-91 के दौरान राज्यवार निर्मुक्त की गई धनराशि और 1991-92 के दौरान धनराशियों के आबंटन को दर्शाने वाले विवरण-पत्र-एक और दो सदन के सभा-पटल पर रख दिए गए हैं।

विवरण-पत्र -I

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में फल-वृक्षों के विकास के लिए 1990-91 के दौरान धनराशि की राज्यवार निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपयों में)**
1.	आंध्र प्रदेश	7.110
2.	बिहार	4.030
3.	गोवा	0.298
4.	गुजरात	4.030
5.	हरियाणा	1.910
6.	कर्नाटक	5 200
7.	केरल	0.298
8.	मध्य प्रदेश	4.030
9.	महाराष्ट्र	9.810
10.	उड़ीसा	5.110
11.	तमिलनाडू	11.030
12.	उत्तर प्रदेश	22.435
13.	पश्चिम बंगाल	1.920
14.	पंजाब	2.134
15.	जम्मू व कशमीर	1.125
16.	राजस्थान	2.388
17.	अरूणाचल प्रदेश	0.513
18.	असम	0.513
19.	मेघालय	0.513
20.	मणिपुर	0.513
21.	मिजोरम	0.513
22.	नागालैण्ड	1.026
23.	सिक्किम	0.513
24.	त्रिपुरा	1.026
25.	भारतीय कृषि अनुसंधान, संस्थान, नई दिल्ली	2.201*

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपए में)**
26.	भारतीय कृषि अनुसंधान, संस्थान, करनाल, हरियाणा	2.201*
27.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, महाराष्ट्र	4.402*
	कुल	96,792

* फल वृक्षों की कलमों के संवर्धन हेतु।

विवरण-पत्र-II

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में फलों के वृक्षों के विकास के लिए 1991-92 के दौरान धनराशि के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित राशि (लाख रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	32.361
2.	बिहार	35.391
3.	गोवा	1.441
4.	गुजरात	18.810
5.	हरियाणा	8.460
6.	कर्नाटक	20.310
7.	केरल	10.691
8.	मध्य प्रदेश	27.560
9.	महाराष्ट्र	30.111
10.	उड़ीसा	15.960
11.	तमिलनाडू	26.810
12.	उत्तर प्रदेश	52.611
13.	पश्चिमी बंगाल	26.426
14.	पंजाब	8.519
15.	जम्मू व कश्मीर	2.000
16.	राजस्थान	15.519
17.	अरूणाचल प्रदेश	2.301

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित राशि (लाख रुपए में)
18.	असम	10.551
19.	मेघालय	2.551
20.	मिजोरम	2.201
21.	नागालैण्ड	2.301
22.	सिक्किम	2.151
23.	त्रिपुरा	4.852
24.	मणिपुर	2.551
25.	हिमाचल प्रदेश	1.750
26.	अण्डमान व निकोबार	0.100
27.	चण्डीगढ़	0.100
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.100
29.	दिल्ली	0.150
30.	दमन और दीव	0.100
31.	लक्षद्वीप	0.100
32.	पांडिचेरी	0.100
33.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र	4.405*
	कुल	369.344

* फल वृक्षों की कलमों की आपूर्ति हेतु

** 1991-92 के दौरान निर्मुक्ति राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपयोग पर निर्भर करेगी।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न दिया गया है, उसके साथ जुड़े हुए दूसरे सवाल भी हैं। पेड़ों में भी अन्तर होता है, एक फलदार पेड़ और दूसरी तरह के पेड़ होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय देश में पेड़ लगाने के बारे में किस तरह का फ्राड हो रहा है। क्या सरकार इस बारे में कोई जांच कराने के बारे में विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, पेड़ लगाने में बजट में कितना व्यय होता है और 3-4 साल तक उन पेड़ों को मेंटेन करने में कितना व्यय होता है ? सरकार किसी राज्य को टैस्ट केस मानकर जांच करवा ले कि गत 8-10 वर्षों में उस राज्य में कितने पेड़ लगाए गए हैं, इनमें से 50-60 फीसदी पेड़ मरे हुए भी मान लिए जायें, तब भी वर्तमान संख्या की जांच करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1496-1500 स्क्वायर किलोमीटर है। पिछले 10 वर्षों में यहां पर जितने पेड़ कागजों पर लगे हुए दिखाए

गए हैं, यदि उनमें से 50-60 फीसदी मरे हुए मान लिए जाएं, तब भी दिल्ली की एक-एक इंच जमीन पर इस समय पेड़ लगे हुए होने चाहिए। आज हम यहां पर बैठे हैं, यहां पर कुर्सियां नहीं, उस हिसाब से यहां पर छत के नीचे पेड़ लगे हुए होने चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम डाल-डाल पर बैठे हुए होते ?

श्री मदन लाल खुराना : हम डाल-डाल, तुम पात-पात।

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार किसी एक प्रदेश को टैस्ट मानकर कोई सर्वे या जांच कराने का विचार रखती है ? सबसे बड़ा प्रश्न है सरवाइवल कितनी है, जितने पेड़ लगाए उसमें। यह लो क्यों है, स्टाफ का पूरा प्रयोग होता है या नहीं। क्या कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी कितने परसेंट सरवाइवल होनी चाहिए। वह लो है तो क्यों है। क्या इन सब चीजों के बारे में मंत्री महोदय जानकारी देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, खुराना जी मेरे परम मित्र हैं। इसलिए मैंने इन्हें नहीं टोका और टोकना उचित भी नहीं लगा। प्रश्न करते समय आप इस बारे में कहते कि कौन से वृक्षों की बात की है। आपने फलों के वृक्षों की बात की, फारेस्टेशन की बात नहीं की। उसके लिए आप दूसरा प्रश्न करिए। मेरे पास, फलों के लिए अनुदान दिया जाता है, सारा प्रश्न उसी पर आधारित है। मैं उसी के हिसाब से आपको जवाब दे देता। दूसरे के लिए मुझे बता दीजिए। मैं उसके लिए भी पूरा निराकरण कर दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपने कोई सर्वे किया है कि गत चार-पांच वर्षों में फल वाले पेड़ों पर कितना प्रति पेड़ खर्चा आया ? उससे जो आमदनी हो रही है वह कितनी हो रही है, क्या कोई ऐसा सर्वे किया है ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम जो लागू की है यह 1990-91 में शुरू हुई है। यह शुरू इसलिए की गयी थी कि आम आदमी, जिसके पास फलों को खरीदने की सामर्थ्य नहीं है और यह भी जरूरी है कि फल दिए जाएं, जिससे न्यूट्रिशयन, स्वास्थ्यवर्धक चीजें मिल सकें। क्योंकि अपने देश में 40 ग्राम की औसत है, पर-कैपिटा है। पर-कैपिटा का मतलब आप समझते हैं। अर्थात प्रति व्यक्ति। दूसरे देशों में या स्वास्थ्य के हिसाब से कम से कम 140 चाहिए। उसके लिए काम करने के लिए यह स्कीम पिछले दो वर्षों से लागू की गई है। जिससे आम आदमीं, जिसके पास ज्यादा जमीन भी न हो, घर में आमदनी नहीं है, यह शहरों के लिए नहीं है, गांव वालों के लिए है, क्योंकि शहर में पक्के मकान, फ्लेट्स होते हैं, इसलिए शहरों को इसमें नहीं रखा। इसके लिए रखा कि 5 रुपये का अनुदान 10 पेड़ों के लिए दिया जाए, जिससे गांव वालों को पेड़ों से प्रेम हो जाए। यह उस हिसाब से नहीं है, वह दूसरा हिसाब है। हमने एक और स्कीम बनायी थी कि जो पुराने बाग हो गए हैं उनका पुनरूत्थान किया जाए। उसके लिए प्रति हेक्टेयर कुछ और अनुदान देंगे, जैसे मैंगों के लिए 1200, सिटरस के लिए 2200 और अमरूद के लिए कुछ और है। वह स्कीम और है। इसमें आमदनी और खर्चे का हिसाब है। जो फल उगाएगा या हार्टीकल्चर में जो इंट्रेस्ट रखता है वही दे पाएगा। उसी के हिसाब से हम सोचना चाहते हैं। हमें पता है कि यह स्कीम खेती से ज्यादा पैसा दे सकती है, अगर इसका ठीक ध्यान रखा जाए। इसलिए उद्यान विभाग की ओर ज्यादा ध्यान देने की मेरी इच्छा है।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, राज्यों में अधिकतर यह देखा जाता है कि सड़कों के किनारे लगी जमीन में फलदार वृक्ष लगाए जाते थे, अब तो यह कंसेप्ट खत्म हो गया, लगते भी हैं

तो ओरनामेंटल वृक्ष लगाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के साथ, आपकी जो योजना है, उसको लिंक करके प्रोत्साहन देने का काम करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इनका विचार अच्छा है। पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट को मैं आपकी तरफ से लिख दूंगा, आप भी लिखें। वे इस बात को ले सकते हैं।

प्रो. प्रेम धुमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, मैंने जब प्रश्न देखा तो मैं सोचता था कि हिमाचल का नाम सबसे ऊपर होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह पूरे हिन्दुस्तान का प्रश्न है।

प्रो. प्रेम धुमल : मैं उसी के लिए ध्यान दिला रहा हूं। 1990-91 में हिमाचल प्रदेश का जिक्र ही नहीं है, उस पर कोई पैसा नहीं दिया गया। 1991-92 के वर्ष में भी मात्र 1.750 लाख दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब के लिए आपसे जो सबसिडी मांगी थी, उसमें आपने कितना धन देने का प्रस्ताव रखा था। वहां पर कुल उत्पादन कितना है और आपने कितना क्रय करने के लिए इजाज़त दी है।

श्री बलराम जाखड़ : आपका प्रश्न उठता नहीं है। हमने जो पहले···दिया था वह आधा-आधा था। अगर होगा तो मैं पूरा विवरण दे दूंगा। ······(**व्यवधान**)···जम्मू-काश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी फलों में सेब का उत्पादन बहुत अच्छा होता हैं और किसी के साथ डिस्क्रीमिनेट नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चक्को : महोदय, फलदार पेड़ों के लिए मंत्री जी ने दो योजनाओं को स्पष्ट किया है और प्रत्येक राज्य के लिए राशि निर्धारित कर दी गई है। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित की गई राशि बहुत कम है और निर्धारित राशि के आधार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए क्या सरकार राज्य सरकारों और वन विभागों को अपने वन-रोपण कार्यक्रम में फलदार वृक्षों को लगाने की अनुमति देगी ? महोदय, मैं वनरोपण के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। सामाजिक वानिकी योजना जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, उसके अन्तर्गत युकिलिप्ट्स प्रजाति के पौधों को लगाने की ही प्रथा है। यह अत्यधिक जल सोखता है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। इस दृष्टि से क्या सरकार सामाजिक वानिकी और वनरोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत युक्लिप्ट्स के वृक्षों के बदले फलदार वृक्षों को लगाने का विचार रखती है।

श्री बलराम जाखड़ : विगत वर्ष 132 लाख रुपए आवंटित किए गए थे जबकि मात्र 96 लाख रुपए व्यय किए गए और इस वर्ष 369 लाख रुपए के लगभग आवंटित किए गए हैं। यदि वे हमें व्यय के सारे आंकड़े देंगे तो हम बता सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है और हम यह चाहते है कि अधिक से अधिक प्रगति की जाए। इस पर कोई रोक नहीं है। अन्य योजनाओं के बारे में भी हमारे पास वही तथ्य है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को अतिरिक्त रोजगार के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जैसाकि खुराना जी ने आपका ध्यान इस ओर

आकर्षित करते हुए बताया था कि 50 प्रतिशत भी फलदार वृक्षों को जीवित नहीं रखा जा रहा है। यदि एक-एक व्यक्ति को ग्रामीण सड़कों के किनारे लगे कुछ फलदार वृक्षों की देखरेख करने उसके फलों का लाभ प्राप्त करने का काम दे दिया जाए तो इससे अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे और आय भी बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि गांवों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह परियोजनाएं और विशेषकर पश्चिम बंगाल में जहां पंचायती व्यवस्था मजबूत है चल रही है। यदि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा या स्वतंत्र रूप से पंचायतों के माध्यम से इन योजनाओं को चलाया जाए तो आय के साथ-साथ कुछ रोजगार भी पैदा किए जा सकेंगे। क्या इस तरह की योजना पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही जवाहर रोजगार योजना में शामिल किया हुआ है।

श्री बलराम जाखड़ : इस पर सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा विचार किया जाना है पर यह एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

"आम के आम—गुठली के दाम"

[अनुवाद]

मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैंने दूसरे देशों में भी देखा है। वे ऐसे वृक्षों को लगाते हैं। हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? ऐसा किया जाएगा। उनके साथ मैं इस योजना को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि यह सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत भी किया जा सकता है और उसके लिए हमारे पास एक योजना भी है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ करूंगा और देखूंगा कि इसमें लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं या नहीं। इतने वृक्ष, इतने वेतन, इतना ब्याज और लाभ इत्यादि का पांच वर्षों की अवधि का हिसाब लगाया जा सकता है और यह कार्य किया जा सकता है। इस देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में जो आबंटित राशि का उल्लेख किया है, उसके हिसाब से लगता है कि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों के लिए आबंटित राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है जिसको बुन्देलखण्ड कहते हैं। दोनों प्रदेशों के छह-छह जिले 12 जिले बनाकर बुन्देलखण्ड बना है। झांसी जिले का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश में मेरे क्षेत्र टीकमगढ़ जिले का कुछ हिस्सा···वहां की जमीन ऐसी है कि वहां अधिकतम फलदार वृक्ष उगाए जा सकते हैं। किन्तु अभी तक किसी प्रकार का प्रोत्साहन दोनों क्षेत्रों में नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र में जो हर तरह से पिछड़ा है और वहां की जमीन फलदार वृक्ष को उगाने में सक्षम है, क्या आप विशेष रूप से राशि आबंटित करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : पिछले साल जो दिया गया उसका इस्तेमाल ही पूरा नहीं हुआ। पिछले साल चार लाख दिया इस साल 27 लाख दिया, अगर आप और चेष्टा करवा सकती हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और पैसा दिलाऊंगा।

श्री अंकुशराव टोपे : महाराष्ट्र शासन ने 100 करोड़ की इसी योजना को हाथ में लिया है

और मार्जिनल फारमर्स के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार भी ऐसी योजना अपने हाथ में लेगी जिससे ज्यादा फलदार पेड़ लगाए जा सकें ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं महाराष्ट्र के लोगों और सरकार को बहुत बधाई दे चुका हूं कि उन्होंने रास्ता दिखाया है। 50 प्रतिशत वे इरीगेशन स्कीम में भी ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन में देते हैं, उसमें मेरा अनुदान सबसे ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय, उस समय मैं आपकी जगह बैठा था और मेरा दिल वहीं लगा रहता था। मेरा भी योगदान है, उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम सबका योगदान रहे। मैं पूर्णरूपेण चेष्टा कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो फलदार वृक्ष लगाने की योजना है, आपके विभाग का जो सर्वेक्षण करने का कार्य है इतना कमजोर है कि जहां पर फलदार वृक्ष नहीं लग सकते हैं उनके लिए आप योजना बनाते हैं इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य में मण्डल स्तर पर फलदार वृक्षों के पोषण के लिए और किस क्षेत्र में कैसे फलदार वृक्ष लगाने हैं इसके लिए प्रत्येक राज्य में मण्डल स्तर पर केन्द्र खोलने का काम करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : मेरे पास जो साधन हैं वह प्रदेश की सरकार है। उन्हीं के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। यह उन पर निर्धारित है कि वह कितना काम लेते हैं अपने कृषि विभाग से और मण्डल में भी अपने लोगों को लगायें। यहां से जो हम दे सकते हैं उसके लिए हम तत्पर हैं।

गैर-सिंचित भूमि का पता लगाने की योजना

*103. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में गैर-सिंचित भूमि का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग वर्षवार भूमि उपयोग सांख्यिकी प्रकाशित कर रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ सिंचित भूमि, कुल फसली क्षेत्र, कुल कृषि योग्य क्षेत्र का राज्यवार विवरण शामिल होता है। वर्ष 1987-88 के लिए भूमि उपयोग के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल बोए गए 172.881 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में से कुल सिंचित क्षेत्र 52216 हजार हेक्टेयर क्षेत्र हैं, जो बोए गए कुछ क्षेत्र का लगभग 33 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र असिंचित हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में यह कहा है कि उनका जो मंत्रालय है कृषि और सहकारिता विभाग वर्षवार उमे इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध कराता हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा हैं कि जो आंकड़े मंत्री जी ने यहां दिए हैं वे वर्ष 1987-88 के दिये हैं। कायदे से 1990-91 के देने चाहिए थे, अगर वे नहीं थे तो 1989-90 के होने चाहिए थे। मंत्री जी ने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि देश में 33 प्रतिशत सिंचित भूमि है। मैंने जो प्रश्न किया है प्रश्न यह हैं कि गैर सिंचित भूमि पूरे देश में कितनीं है मंत्रीं महोदय ने जवाब दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी ने जो बताया वही आप बता रहे हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 22214 हेक्टेयर भूमि में से मात्र तीन हजार हेक्टेयर सिंचित एरिया हैं और इस प्रकार पूरे देश का भी हिसाब है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जो असिंचित एरिया है,उसको सिंचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास विभिन्न राज्यों से आयी हुई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कार्रवाई कर रही हैं और विशेषकर मध्यप्रदेश की योजना के लिए क्या कर रही हैं जिससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो और देश हरित क्रान्ति के माध्यम से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया, उसे स्पष्ट कर देता हूं कि जो 33 परसेंट क्षेत्र है, वह बोया हुआ क्षेत्र है यानि 33 परसेंट सिंचित है और बाकी जो क्षेत्र है, वह असिंचित है। इसमें मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, वह मैं नहीं बता सकता हूं। मैं तो यह कह सकता हूं कि मध्यप्रदेश शासन से जो सिंचाई योजनाएं आयीं है, उनमें से अधिकांश ऐसी थीं जिनमें पूरे आंकड़े नहीं थे और उसे प्रदेश शासन को वापिस भेजना पड़ा या सूचना सही नहीं थीं या उसमें पर्यावरण के ऊपर और लोगों को पुनर्वास करने के लिए जो कार्यवाही करनी थीं वह नहीं थी, उसे भेज कर वापिस पूर्ण करने के लिए कहा गया ताकि आगे कार्यवाही कर सकें।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि, जब उ० प्र० में 22 लाख, महाराष्ट्र में 10 लाख, बिहार में 9 लाख और मध्यप्रदेश में छः लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है, यदि इनमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाती तो 200 लाख टन खाद्यान्न की और उपलब्धि होती और तीन हजार करोड़ रुपया इस देश को मिल जाता लेकिन जो डिपार्टमेंट से आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिये जाते है यह ठीक नहीं है। इसको अधिक करके बतलाया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आपके डिपार्टमेंट आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं, जब वास्तविकता के धरातल पर आते हैं, तो उत्पादन बहुत कम नजर आता है। इस सारी विकृति को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : आंकड़ों में जो गलती है, उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, हम लोग बहुत सावधानी से उन आंकड़ों पर ध्यान देकर फिर निश्चित करते हैं। ये आंकड़े किसी एक एजेंसी द्वारा नहीं आते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यदि इन आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई कमी है तो वह बिल्कुल अपटूडेट नहीं है और यह केवल 1987-88 की है क्योंकि विभिन्न राज्यों से ये आंकड़े इकट्ठे होते है तो उनको ध्यान से देखकर और चैक करके ही निश्चित किये जाते हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : आपने तो ये आंकड़े 1987 के बतलाये हैं जबकि अब 1991 खत्म हो रहा है मेरा यही कहना है कि उसके आधार पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि कई राज्य छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और उनकी योजनाएं लघु या बड़ी हैं, तो आप कैसे तय करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, हमने ये जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं, वे राज्य शासन से आने के बाद ही निश्चित किये हैं। उसी के आधार पर हम लोग अंदाज जरूर लगा सकते हैं कि किस प्रकार की आगे कोई योजना बनानी है। हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये आंकड़े जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक मिलें ताकि उसके उपरांत योजना को असली रूप दिया जा सके। परन्तु हमें बहुत सी एजेन्सियों पर निर्भर रहना पड़ता है इस कारण इसमें कुछ देर हो जाती है। फिर भी प्रति-

वर्ष के आंकड़ों के आधार पर जो योजना बनाने का काम होता है, या आंकड़ों में वृद्धि होती है, हम योजना ठीक प्रकार से बना लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजशेखर रेड्डी : महोदय, हम जानते हैं कि देश में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 90 इंच से भी कम वर्षा होती हैं। हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि जहां अधिक वर्षा होती है वहां बिना सिंचाई के भी अधिक फसल पैदा हो सकती है। जबकि इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किए जा सके कि उन्हें कम से कम ऐसे क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर सिंचाई सुविधा मिलनी चाहिए। यही मेरा प्रश्न था।

क्या सरकार इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई सांविधिक निकाय बनाने का विचार रखती है जिनमें सरकार द्वारा कुछ विशेष धनराशि उपलब्ध कराए जाएं ताकि उन्हें बड़ी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सच यह है कि देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी नीति है। लेकिन इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं है।

नीतिगत तौर पर यह किया जा सकता है और किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा माननीय मंत्री जी ने साफ कहा है कि जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में बढ़ा-चढ़ाकर नहीं लिखा जाता है क्योंकि हम आंकड़े भिन्न एजेन्सियों से लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सिंचित जमीन है 35 प्रतिशत और 68 प्रतिशत असिंचित जमीन है, इसमें जो परसेंटेज फिक्स किया जाता है सिंचाई के लिए, उसी को कमाण्ड एरिया फिक्स किया जाता है। उसमें 20 प्रतिशत जमीन असिंचित रह जाती है लेकिन कमाण्ड एरिया में उसको ले लिया जाता है कि ये सिंचित जमीन है। तो आंकड़ों में निश्चित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है, यह मेरा दावा है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कमांड एरिया को अलग रखकर 20 प्रतिशत में जिसमें पटवन नहीं होता है, उसको अलग करके रिपोर्ट आई हो, ऐसी कोई एजेन्सी है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो टंक में कितना पानी है ऐसी बात हो गई।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि जब भी हम इस तरह के सिंचाई के आंकड़े देते हैं तो उसमें 75 प्रतिशत डिपेन्डेबल इरीगेशन का अनुमान लेते हैं और 20 प्रतिशत से भी कम करके इसके, 25 प्रतिशत कम करके ऊपर निर्भर किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं, इसलिए इसमें गलती होने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शंकर राव काले : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर सिंचाई 33 प्रतिशत है। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, यह प्रतिशत बहुत कम है।

क्या माननीय मंत्री महाराष्ट्र को इसकी सिंचित भूमि के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि देने की कृपा करेंगे ताकि यह राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष हो जाए ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह चाहते हैं कि केन्द्र सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में रखे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : विभिन्न राज्यों को उनकी परियोजनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं और विभिन्न राज्यों द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें अनुदान देते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र भी है।

माननीय सदस्य ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने संबंध में बहुत कार्य किए हैं इससे मैं सहमत हूं। इस संबंध में हम अवश्य उनकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना में सिंचाई विभाग की सारी योजनाएं छोटा नागपुर और संथाल परगना में हैं, 1980 और 1991 से जिन योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। पहले छोटा नागपुर और संथाल परगना में 10% सिंचाई होती थी और जब से इन योजनाओं का काम शुरू किया गया है, तब से वहां सिंचाई का जो परसेंटेज है, घटकर 6% हो गया है। बिहार में जो असिंचित भूमि है, राज्य सरकार की तरफ से जवाब आया है कि उसका तीन हिस्सा छोटा नागपुर और संथाल परगना में है और इसका मूल कारण यह है कि राज्य सरकार का कहना है कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए और यह सारे देश का प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रश्न नहीं है।

श्री सूरज मंडल : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना में, असिंचित जगहों पर, सिंचाई की योजनाएं काफी लम्बे समय से निर्मित की जा रही हैं, इसके बावजूद सिंचाई बढ़ने की बजाए सिंचाई की परसेंटेज घटती जा रही है, उसके क्या कारण हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का कहना है कि हमें पूरा पैसा भारत सरकार से नहीं मिलता है, जिसके कारण हम योजनाओं को बना नहीं पाते हैं। राज्य सरकार को योजना के आधार पर पैसे का एलाटमेंट नहीं किया जाता है, इसके क्या कारण हैं, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, छोटा नागपुर में इरीगेशन कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : बिहार का मामला, अध्यक्ष जी, पूरे देश में एक अनूठा मामला है, इसलिए मैं अवश्य पता लगाने की कोशिश करूंगा कि नई योजनाएं शुरू होने के बावजूद भी, वहां जो सिंचाई का रकबा है, वह क्यों कम हो रहा है। दूसरी बात; माननीय सदस्य ने कही है कि राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि केन्द्र सरकार से पैसे का अनुदान कम मिलता है, जिसके कारण योजनाओं के काम में कठिनाई आ रही है, यह बात सही नहीं है।

श्री वृषिण पटेल : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के जवाब में, सरकार की ओर से यह कहा गया कि सिंचित एरियाज में, कमाण्ड एरिया में हम 25 प्रतिशत कम करके आंकड़े निकालते हैं। इसका मतलब है कि सरकार खुद यह मानती है कि कमाण्ड एरिया में 25 प्रतिशत के करीब जमीन में

सिंचाई नहीं होती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कमाण्ड एरिया में जिन 25 प्रतिशत जमीन की सिंचाई नहीं होती है वैसी जमीन पर सरकार की ओर से जो पटवन सैस या राजस्व कर लगाया जाता है, क्या उसे माफ करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है, विचार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिंचाई उपकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : वे साधारण नीति के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

हम लोगों को इसके बारे में कुछ कहना इसलिए नहीं है क्योंकि सैस निर्धारण का काम राज्य सरकारों को करना होता है। कमाण्ड एरिया में जो किसानों से या खेती करने वालों के साथ समझौता किया जाता है, उस समझौते में कुछ प्रावधान रहते हैं, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। मैं समझता हूं कि जहां भी ऐसे समझौते किए जाते हैं, वहां पर सिंचाई पंचायतें बनी रहती हैं और उन समझौतों के अनुसार ही सब काम किए जाते हैं। कर लेना या न लेना, यह राज्य सरकार का विषय है, इसके बारे में, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : अध्यक्ष जी, हमारे महाराष्ट्र में सिंचित एरिया बहुत ही कम है, 20 प्रतिशत भी नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में तो 2 प्रतिशत भी नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार वहां कोई स्पेशल सर्वे कराये जाने का विचार रखती है। क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय : वहां इरीगेशन बहुत कम है, इसलिए क्या आप महाराष्ट्र में कोई स्पेशल सर्वे करा रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसके आधार पर मैं पता लगाऊंगा। यदि स्पेशल सर्वे की जरूरत होगी तो जरूर कराया जाएगा।

श्री नितिश कुमार : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हम 75 प्रतिशत कमाण्ड एरिया को ही डिपेन्डेबल इरीगेशन का क्षेत्र मानते हैं। एक दूसरे पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उसमें राजस्व की माफी का जहां तक प्रश्न है, वहां राज्य सरकार जो इरीगेशन प्रोवाइड करती है, राज्य सरकार और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें केन्द्र सरकार बीच में कहीं नहीं आती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि इरीगेशन कन्करेंट लिस्ट का विषय है, क्या वहां के किसानों को, कृषकों को लाभ दिलाने के लिए, कमाण्ड एरिया में जितनी जमीन शामिल है उसमें से जिस भूभाग में पटवन नहीं हो पाती है, उस हिस्से के किसानों को राहत देने के लिए, कमाण्ड एरिया के कृषकों को राहत देने के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से क्या राज्य सरकार को कोई डायरेक्टिव दिए जायेंगे, केन्द्र सरकार कोई मार्गदर्शक देना चाहेगी ताकि कमाण्ड एरिया के किसानों को राहत मिल सके और जिनकी जमीन में पटवन होती है, केवल उन्हीं से राजस्व कर की वसूली हो सके, इसी आधार पर एग्रीमेंट हो, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई का मामला कनकरेंट लिस्ट में नहीं है। यदि

हमारे माननीय सदस्य उसको कनकरेंट लिस्ट में लाने का प्रयास करें तो जो भी वे चाहेंगे मैं करने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटिल : एक ओर तो हम तीन राज्यों में कावेरी जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर वह जल उपलब्ध ही नहीं है। ताप्ती नदी के जल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और प्रायः जहां से नदी निकलती है वहां राज्य के समीप बांध बना दिया जाता है। ताप्ती नदी के मामले में स्थिति विपरीत है। कुछ राजनीतिक कारणों से जो बांध ताप्ती नदी पर बनाया वह ककरापाड़ा के नजदीक बनवाया गया जबकि खंजागुटी और नवाथा में जिस बांध को बनाने का प्रस्ताव किया गया था उस पर निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह पूरे देश में असिंचित भूमि के बारे में है किसी विशेष बांध के बारे में नहीं।

श्री विजय नवल पाटिल : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन बांधों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है जिनसे अन्तर्राज्यीय वित्तीय मामला जुड़ा है। खंजामुठी और नवाथा बांधों में अन्तर्राज्यीय वित्तीय सहायता का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति क्या है ?

श्री विजय नवल पाटिल : मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना है कि उक्त बांध का निर्माण सात राज्यों की सीमाओं से सटा है और इसलिए खंजागुटी और नवाथा के परियोजनाओं के निर्माण के लिए यह अपना योगदान नहीं दे पा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं पर कार्य सम्बन्धित राज्यों के साथ समझौता होने के बाद शुरू किया जाता है और यदि समझौता हो जाता है तो हम ऐसी उपयोगी परियोजनाओं पर कार्य शुरू करते हैं और उसे समय पर पूरा करते हैं।

राजस्थान में बिसालपुर परियोजना

[हिन्दी] :

*104. **श्री राम बदन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में निर्माणाधीन बिसालपुर परियोजना (टोंक) को केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना का पर्यावरणीय सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि के प्रयोग हेतु केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(च) क्या सरकार को परियोजना के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, नहीं। बिसालपुर परियोजना की 328 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की संशोधित रिपोर्ट में जल आपूर्ति और सिंचाई घटक शामिल हैं और यह केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए नवम्बर, 1991 में ही प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने पर्यावर्णीय और पारिस्थितिकी के लिए स्थिति रिपोर्ट तथा कार्रवाई योजना तैयार करने का कार्य लोक प्रशासन के प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र हरीशचन्द माथुर राजस्थान संस्थान को सौंपा गया है।

(ङ) चूंकि यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जानी है, अतः भूमि के अधिग्रहण के प्रस्तावों की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम बदन : मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस परियोजना को जून 1991 में पांच साल में बनाने की योजना थी। इसकी आज की स्थिति यह है कि 52 करोड़ रुपए में यह बनती थी। अब तक 55 करोड़ 8 लाख रुपए लग चुके हैं लेकिन अभी तक चौथाई भी पूरी नहीं हुई है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह परियोजना जून 1995 तक 450 करोड़ रुपए में पूरी होगी। अगर उसी आंकड़े को आधार मान लिया जाए तो होने वाली देरी से राज्य सरकार को 400 करोड़ रुपए का चूना अतिरिक्त लगेगा। यदि समय से परियोजना तैयार हो गई होती तो सिंचाई से 200 करोड़ की आमदनी होती। कुल मिलाकर राज्य सरकार को 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट मांगी गई थी क्या उसकी कोई सूचना है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने जो रिपोर्ट मांगी थी वह जब तक संतोषजनक रिपोर्ट न हो और सन्तोषजनक कार्रवाई न हो तब तक हम उससे सम्बन्धित कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

श्री राम बदन : अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट आई है उसके विषय में मंत्री महोदय का कहना है कि 15 लाख रुपए खर्च किए गए लेकिन पर्यावरणीय रिपोर्ट अभी तक न आने के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यह संतोषजनक नहीं है। इसलिए, इसमें देरी हो गई थी। जब तक इसे संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता, हम कोई कार्य नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में पानी का बहुत भारी संकट है। इतने काबिल मंत्री के होते हुए हमें पूरी आशा है कि जल की आपूर्ति में

राजस्थान को आपका पूरा सहयोग मिल सकेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में सावा स्कीम से इन्दिरा गांधी केनाल का पानी झुंझुनू और सीकर को मिलने जा रहा है...... (**व्यवधान**)......

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राजस्थान के बिसालपुर प्रोजेक्ट के बारे में है। ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अय्यूब खां : लेकिन पानी तो एक ही है(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न संगत प्रश्न होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि संशोधित है बिसलपुर योजना की रिपोर्ट नवम्बर, 1991 में प्राप्त हुई। परन्तु क्या यह सही नहीं है कि वास्तव में प्रारम्भिक रिपोर्ट कई वर्षों पूर्व भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की थी और तभी से यह योजना अधर में पड़ी हुई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, ओरिजनल रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई प्रारम्भ हो गई 1980 दशक के प्रारम्भ में और लगभग 50 परसेंट उसका कार्य पूरा हो चुका था लेकिन उसमें कुछ खामियां पाई गयीं। इसलिए रिवाइज्ड एस्टिमेट और रिवाइज्ड रिपोर्ट मांगी गई जो अभी इसी महीने हमको प्राप्त हुई है। उस पर जो भी कार्रवाई की गई है उससे शहरों की जल आपूर्ति और खेतों की सिंचाई दोनों का काम किया जा सकेगा। इसी महीने राजस्थान सरकार से जो संशोधित रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है, उसके ऊपर हम ध्यान देकर जल्दी कराने का प्रयास करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मूलतः बिसालपुर परियोजना अजमेर नगर, बयावर, नसीराबाद, विजय नगर और केकड़ी की पेयजल की समस्या की आपूर्ति के लिए है। जैसा कि केन्द्र सरकार स्वयं चाहती है कि राजस्थान के अन्दर पेय जल की समस्या का निवारण किया जाए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार क्या सहानुभूतिपूर्वक विचार करके रिपोर्ट जल्दी ही राजस्थान सरकार को भेज देगी और साथ ही पर्यावरण के नाम पर इसको जल्दी ग्रीन सिगनल दे देगी ताकि यह कार्य तेजी से सम्पन्न हो सके और पेय जल की समस्या का निवारण हो सके। क्या आप आर्थिक सहायता भी प्रदान करायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करेंगे।

हरारे में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच हुई वार्ता

[अनुवाद]

*105. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

श्री मोहन सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हरारे में हुई राष्ट्रमण्डलों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने परस्पर विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर अनौपचारिक बातचीत की थी जिसमें जम्मू और कश्मीर एवं पंजाब में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को हथियार दिए जाने एवं उन्हें प्रोत्साहित किए जाने का मसला भी शामिल था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलोरी) : (क) जी हां।

(ख) इस बात पर सहमति हुई थी कि तनाव कम किया जाना चाहिए और अनसुलझे सभी मसलों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाने चाहिए। बाद में 30 और 31 अक्तूबर, 1991 को दोनों देशों के विदेश सचिवों की जो बैठक हुई थी उसमें वे परस्पर विश्वास विकसित करने और द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कई उपायों पर सहमत हुए थे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हमें मंत्री जी से प्रश्न (ख) के उत्तर को सुनकर प्रसन्नता हुई है कि दोनों देशों के विदेश सचिव 30 और 31 अक्टूबर को मिलेंगे यद्यपि मैं नहीं जानती कि क्या यह विश्वास निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। 27 नवम्बर को पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने इस्लामाबाद में वक्तव्य दिया बताया गया है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को आत्म निश्चय के अधिकार की मांग के लिए पूर्ण नैतिक और राजनैतिक समर्थन दे रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है। इस प्रकार के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए विदेश सचिवों ने किन विशिष्ट उपायों पर चर्चा की है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर के राज्यपाल ने एक वक्तव्य दिया है कि लगभग 2500 उग्रवादी कश्मीर की सीमा में घुसने का इन्तजार कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप कश्मीर में सेना की चुने हुए स्थानों पर पुनः तैनाती की आवश्यकता है अब सावधानी के रूप में जहां तक सेना की पुनः तैनाती किये जाने का प्रश्न है ऐसी सैनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत के लोग आपस में शत्रुता तथा अमित्रता का भाव रखने के हित में नहीं है। क्या मैं जान सकती हूं कि सैनिक उपायों के अलावा सरकार अन्य किन उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री एडुआर्डो फंलोरो : यह सच है कि पाकिस्तानी नेता यदाकदा और हमेशा ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं और उनकी स्थिति यह है कि वे कश्मीर में आत्मनिश्चय के लिए संघर्ष को राजनैतिक और राजनयिक समर्थन देते रहेंगे। दुर्भाग्य से यह बात यहीं समाप्त नहीं होती। इसके आगे और भी बहुत कुछ होता है। जैसा कि अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग में स्पष्ट किया गया है कि साक्ष्य से पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन तथा प्रोत्साहन दे रहा है जबकि पाकिस्तान इस बात से इन्कार करता है। दूसरे देश में आतंकवाद और विध्वंस को बढ़ावा देना अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता के विरुद्ध है। यह शिमला समझौते की भावनाओं के भी खिलाफ है। इसलिए हम

आतंकवादियों, जिनको सीमा पार से समर्थन मिल रहा है, द्वारा पैदा किए गए खतरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं परन्तु साथ ही हम राजनयिक और राजनीतिक पहल भी कर रहे हैं।

श्री मालिनी भट्टाचार्य : वे पहल कौन सी हैं ?

श्री एडुआर्डो फलेरो : पाकिस्तान के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाने में पहल की जा रही है। हम इस बात को ऊंचे स्तर के पाकिस्तानी नेताओं के ध्यान में लाये हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने हरारे में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था विदेश सचिवों की बैठक में इसका अनुसरण किया गया। जब हमारे विदेश मन्त्री जनरल एसेम्बली को सम्बोधित करने के लिए न्यूयार्क गये तो उन्होंने विदेशी मामले के पाकिस्तानी राज्यमन्त्री का इस बारे में ध्यान आकर्षित किया। विश्व के विभिन्न देशों और पाकिस्तान के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण रहा है। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इन प्रयासों के फलस्वरुप वे देश जिन्हें इस विदेश मुद्दे पर संदेह थे अब शिमला समझौते का समर्थन करने लगे हैं। वे महसूस करते है कि इस मामले को द्विपक्षीय, शान्तिपूर्ण और बातचीत के द्वारा हल किया जाना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : दूसरा अनुपूरक प्रश्न विशेष रूप से उन देशों से संबंधित है जिन का दृष्टिकोण संदिग्ध रहा है जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप साकारात्मक उत्तर में विश्वास करते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह सच है कि ऐसे कई देशों ने यह स्वीकार किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और पंजाब से संबंधित मामलों के द्विपक्षीय आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहती हूं परमाणु अप्रसार संधि के बारे में पाकिस्कान के प्रधान मन्त्रों के प्रस्ताव की भारत को सिफारिश करते हुए क्या अमरीकी सरकार द्विपक्षीय समझौते की बात पर प्रभाव डालने का प्रयास नहीं कर रही है। यदि ऐसा है तो हम इस प्रकार के हस्ताक्षेप का सामना कैसे करेंगे।

श्री एडुआर्डो फलीरो : सदन को इस बारे में हमारी स्थिति की अच्छी जानकारी है हम विश्वव्यापी शान्ति के लिए हैं, इस संदर्भ में हम वह सब कुछ करेंगे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है।

जहां तक किसी परमाणु मुक्त क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रवन्धों का संबंध हैं हमारे विचार सभी को ज्ञात हैं। परमाणु अस्त्रों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण विश्वव्यापी होना चाहिए। क्षेत्रीय दृष्टिकोण सहायक नहीं होगा।

जब आप अमरीका प्रशासन प्रतिनिधियों के हाल ही के दौरे की बात कर रहे हैं और जब आप अमरीका प्रशासन के विचारों के बारे में बोल रहे हैं हमारा विचार यह है कि वे इस क्षेत्र में तनावों को कम करने का समर्थन करते है। वह परमाणु क्षेत्र में विश्वास निर्माण के उपायो सहित भारत और पाकिस्तान के बीच सभी प्रकार के विश्वास निर्माण के उपायो का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह प्रश्न मूल रूप से हरारे में हुए सम्मेलन के सम्बन्ध में है, भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों और खास तौर से

जम्मू-कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली नैतिक और हथियारी मदद के सम्बन्ध में है, मैं ठोस रूप से जानना चाहता हूं कि जब हरारे में दोनों देशों के प्रधान मंत्री मिले तो क्या भारत के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट तौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों को जो हथियारी मदद मिल रही है, उसको समाप्त करने के बारे में कोई ठोस आश्वासन और अण्डरटेकिंग भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार द्वारा देनी चाहिए, यदि नहीं, तो क्यों ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : श्रीमान्, इसका उत्तर है "हां"। प्रधान मंत्री जी हरारे में जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जी से मिले तब उन्होंने इस मामले को उठाया था और बताया था कि पाकिस्तान से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने में यही भारी अड़चन है। इसके बाद की सभी बैठकों में इसी को दोहराया गया और यही दोहराया जा रहा है। सही माने में यह एक भारी अड़चन है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्य मंत्री से समाधान एवं स्पष्टीकरण चाहता हूं। हरारे सम्मेलन के बाद, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ से हुई अपनी बातचीत को संतोषजनक बताया था। उन्हीं दिनों रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा निरन्तर दी जा रही शस्त्र सहायता पर अपनी भारी चिन्ता व्यक्त की। अतः क्या सरकार अपने दृष्टिकोण में तालमेल बिठायेगी। सरकार का दृष्टिकोण क्या है—प्रधानमंत्री जी का हरारे में मियां नवाज शरीफ से हुई बातचीत पर संतोष प्रकट करना अथवा पाकिस्तान द्वारा निरन्तर सहायता देते रहने पर रक्षा मंत्री का चिन्ता प्रकट करना ? सरकार एक तो इसमें तालमेल बिठाये।

मैं जो दूसरा स्पष्टीकरण चाहता हूं, वह यह है—स्वयं माननीय मंत्री जी ने अक्तूबर के अन्त में विदेश सचिव स्तर पर वार्तालाप की बात का जिक्र किया था। ऐसे किन उपायों पर चर्चा हुई थी जिनसे परस्पर विश्वास पैदा हो सके और क्या इन विश्वास बढ़ाने वाले उपायों में कोई प्रगति हुई है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, माननीय सदस्य प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री के बयानों में तालमेल चाहते हैं। वस्तुतः माननीय सदस्य पाकिस्तानी नेताओं के कथनों और उनके कारनामों के बीच तालमेल चाहते हैं। यही तो मुख्य समस्या है। राजनैतिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर वे इस बात की रट लगाते रहते हैं कि हमें सहयोग की एक नई शुरूआत करनी चाहिए और वे आतंकवाद को सहायता नहीं देंगे लेकिन यथार्थ कुछ अलग है और प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि आतंकवाद को पाकिस्तान का सहयोग जारी है।

श्री जसवन्त सिंह : वह मेरा प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दक्षतापूर्वक उत्तर दिया है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : माननीय सदस्य जो दूसरी बात जानना चाहते हैं वह यह है कि विश्वास निर्माण के उपायों का स्वरूप क्या है ? विश्वास निर्माण उपायों पर हुई चर्चा का परिणाम निम्नलिखित है : "सैनिक अभ्यास तथा सैनिक विमानों द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने संबंधी अधिसूचना जारी करने के संबंध में समझौतों का मसौदा तैयार कर लिया गया है।"

1 जनवरी, 1991 से दोनों देशों के सैनिक संचालन के महानिदेशकों ने नियमित साप्ताहिक सम्पर्क की व्यवस्था कीं है। 27 फरवरी 1991 को आणविक प्रतिष्ठानों व सुविधाओं पर आक्रमण न करने के अनुसमर्थन-अभिलेखों का आदान-प्रदान किया गया। पाकिस्तान की सीमा पर संयुक्त गश्त के बारे में अब भी कुछ आशंकाएं हैं। 24 सितम्बर से 27 सितम्बर तक भारत के एक सैनिक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, यदि आप चाहें तो मैं इसे सदन के सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कई अन्य सदस्य भी इस विषय पर प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री आनन्दगजपति राजू पूसापति : महोदय, हम देख रहे हैं कि "प्रैस्लर संशोधन" के कारण और अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा यह प्रमाणित न किये जाने पर कि पाकिस्तान के पास अणूबम नहीं है, पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया है। अतः वह एक ओर तो दक्षिण एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र की मांग करते हुए और दूसरी ओर परमाणु अप्रसार सधि पर हस्ताक्षर करने को कह कर भारत को मुश्किल में डालना चाहता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कौन से कदम उठायेगी जिससे कि भारत को नवाज शरीफ के दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव तथा परमाणु अप्रसार सन्धि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए अमरीकी प्रयास के कारण हम मुश्किल में न पड़े और हम पर कोई बाध्यता न आये।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, हमारी स्थिति हमेशा यही थी और है कि हम निरस्त्रीकरण और विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं और हमें विश्वास भी है और यह सच है कि परमाणु शस्त्रों का प्रभाव विश्वव्यापी होगा। इस संदर्भ में, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सम्मेलन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के लिए विशेष प्रस्ताव रखा था, जो की यथार्थ भी है और उचित भी। हमने सभी सम्बद्ध लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वह पाकिस्तानी प्रस्तव हो या अन्य किसी देश का प्रस्ताव हो, ऐसे प्रस्तावों पर अमल नहीं होगा क्योंकि प्रस्ताव क्षेत्रीय है जबकि परमाणु शस्त्रों का प्रभाव विश्वव्यापी है।

श्री हरिकिशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री जी "सार्क" सम्मेलन से अभी हाल में लौटे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा की गई राजनैतिक, राजनयिक तथा आर्थिक पहलों के क्या परिणाम निकले हैं क्योंकि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में तीन मत प्राप्त हुए और हमारे पारंपरिक मित्र सोवियत संघ, यूक्रेन तथा बेलोरशिया ने भी हमारे विरोध में मत दिया और पाकिस्तान की पहल पर जो प्रस्ताव रखा गया था वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 के मुकाबले 103 मतों से पारित किया गया। क्या ये सरकार इसे एक उपलब्धि मानती है और क्या यह सरकार मानती है कि पाकिस्तान, पंजाब व काश्मीर के आतंकवादियों को शस्त्रों की सप्लाई नहीं करेगा व उन्हें अन्य सुविधायें नहीं देगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अमरीका सरकार के विदेश मंत्रालय से प्रधान मंत्री व विदेश मंत्री की क्या बातचीत हुई है ?

श्री एडुआर्डो फंलीरो : महोदय, मेरे विद्वान पूर्व वक्ता प्रत्यक्षतः सोवियत मत, विशेषकर पाकिस्तानी प्रस्ताव पर दिए गए मत के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री हरिकिशोर सिंह : यह 103 : 3 है।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : हां वे मेरे सहयोगी के समय थे और अन्य समय भी। जब श्रीमान जी, इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं और वे क्षेत्रीय व्यवस्था को ठीक समझते हैं। (**व्यवधान**)

श्री जसवन्तसिंह : महोदय, हमें ऐसे विचित्र शब्दों के चुनाव से कोई प्रेम नहीं है। भारत सरकार ने अपना आक्रोश प्रकट किया। विदेशी राष्ट्र पर अपना असंतोष प्रकट करने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : फिर भी महोदय, सोवियत संघ, जहां तक कश्मीर का सवाल है, वह परमाणु निरस्त्रीकरण से अलग प्रश्न है, शिमला समझौते से बद्ध है और यह महसूस करता है कि इसका समाधान उभय पक्षीय और शांतिपूर्ण ढंग द्वारा होना चाहिए। इसे ही तो मैं राजनयिक प्रयासों की उपलब्धि बता रहा था। अधिक से अधिक देश इस बात को मानने लगे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। मेरे विचार में चीन भी, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मेरा माननीय मंत्री से सीधा सा सवाल है कि क्या सरकार चीन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा का लाभ उठाएगी और इस विषय को उभय पक्षीय रूप में लेगी जिससे कि पाकिस्तान पर कुछ नैतिक और राजनयिक दबाव डाला जा सके।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : हमने कारंवाई करने के लिए आपके सुझाव नोट कर लिए हैं और उस पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना

*101. **श्री अनादि चरण दास**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तेल शोधक कारखाने को कहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छठे दक्षेस शिखर सम्मेलन को स्थगित करना

*106. **श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलोम्बो में होने वाले छठे दक्षेस शिखर सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) शिखर सम्मेलन के लिए अन्य कौन सी तिथि निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या सम्मेलन को स्थगित करने से पहले भारत से परामर्श किया गया था:

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस शिखर सम्मेलन के स्थगन के लिए श्रीलंका ने भारत को जिम्मेंदार ठहराया है;

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है: और

(ज) क्या इस सम्मेलन के स्थगन से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संतुलन के प्रभावित होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ज) छठा सार्क सम्मेलन कोलम्बों में 7 से 9 नवम्बर, 91 तक होने वाला था । लेकिन 1 नवम्बर को सदस्य राज्यों को यह सूचना दी गई कि भूटान नरेश किन्हीं अप्रत्याशित समस्याओं के कारण इस शिखर सम्मेलन में भाग नही ले सकेंगे ।

2. सार्क के अध्यक्ष की हैसियत से मालदीव के राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन के बारे में अन्य राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ विचार विमर्श किया। राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा व्यक्त विचारों पर अच्छी तरह सोच-विचार कर लेने के बाद 6 नवम्बर को इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि छठा शिखर सम्मेलन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भूटान का प्रतिनिधित्व राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष के स्तर पर नहीं हो पाएगा । लेकिन साथ ही उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की कि निकट भविष्य में और सलाह-मशविरा करने के बाद सार्क के सदस्य राज्यों के राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष छठे सार्क सम्मेलन की नई तारीखों पर संभवत: सहमत हो जाएंगे ।

3. इसी मशविरे के अनुरूप राष्ट्रपति गय्यूम ने, अगर मुमकिन हो तो इसी कैलेण्डर वर्ष में, एक अल्पकालिक कार्यात्मक शिखर सम्मेलन कोलम्बो में बुलाने की संभावनाओं पर राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों से बातचीत शुरू करनी कर दी है । इसी काम के लिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री श्री फातुल्ला जमील को अपने विशेष दूत के रूप में हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए 19 से 21 नवम्बर तक भारत की यात्रा पर भेजा था । हमने उनके समक्ष यह आशा व्यक्त की थी कि इस तरह की एक शिखर बैठक चालू साल में···ही कर पाना मुमकिन होगा ।

4. सार्क के अध्यक्ष राष्ट्रपति गय्यूम को अपने विचारों से अवगत कराते हुए हमने कहा था कि

किसी राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति में शिखर सम्मेलन का आयोजन न तो औचित्यपूर्ण होगा और न सिद्धान्त के अनुरूप ही।

5. श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री हेराल्ड हेरात ने 12 नवम्बर को जो वक्तव्य दिया था वह सरकार ने देखा है। इस पर हम विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्योंकि हम नहीं चाहते कि सार्क के मामलों में अनावश्यक तौर पर जो रूखापन आ गया है वह और बढ़े। हम तो यही मुनासिब समझते हैं कि तथ्य खुद बोलें।

6. इस शिखर सम्मेलन के स्थगन से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संतुलन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार

*107. **श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार के मधुबनी, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए क्या योजना बनाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द)। (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार के विभिन्न भागों में हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण-कार्य चल रहे हैं।

[अनुवाद]

मुर्गी के अण्डों का मूल्य

*108. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुर्गी के अण्डों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इनका मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

*109. श्री मृत्युंजय नायक ः

श्री श्रीकांत जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों की देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटित किये गये हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को किया गया आबंटन उनके आरक्षण-कोटे के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिनांक 1-10-1991 की स्थिति के अनुसार, देश में 15077 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और 3999 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं जिनमें से 280 खुदरा बिक्री केन्द्र और 651 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से संबंधित थीं।

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बिपणन योजना तैयार करते समय अनुसूचित जन जाति सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत का अनुपालन तेल उद्योग द्वारा रोलिंग आधार पर अपनाए गए 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए किया जाता है।

प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

विवरण

राज्य	कुल एल पी जी	अनु.जाति अनु.ज. जाति	जोड़ खुदरा बिक्री केन्द्र	अनु. जाति/ अनु. ज. जाति
1. आंध्र प्रदेश	337	47	1192	74
2. अरुणाचल प्रदेश	12	5	26	20
3. असम	108	17	321	25
4. बिहार	143	28	912	55
5. गोआ	29	3	65	4

राज्य	कुल एल पी जी	अनु.जाति अनु.ज. जाति	जोड़ खुदरा बिक्री केन्द्र	अनु. जाति/ अनु.ज. जाति
6. गुजरात	292	42	965	59
7. हरियाणा	119	23	491	35
8. हिमाचल प्रदेश	39	7	76	8
9. जम्मू और कश्मीर	55	5	115	3
10. कर्नाटक	238	41	925	48
11. केरल	171	37	698	29
12. मध्य प्रदेश	217	34	868	34
13. महाराष्ट्र	550	70	1521	64
14. मणिपुर	9	3	28	10
15. मेघालय	14	5	48	22
16. मिजोरम	10	3	12	8
17. नागालैंड	14	6	28	9
18. उड़ीसा	82	16	325	31
19. पंजाब	165	28	947	56
20. राजस्थान	161	30	893	83
21. सिक्किम	2	—	9	1
22. तमिलनाडु	305	57	1402	110
23: त्रिपुरा	11	4	29	3
24. उत्तर प्रदेश	443	59	1891	112
25. पश्चिमी बंगाल	222	37	1001	67
संघ राज्य क्षेत्र				
26. अ. तथा नि. द्वीपसमूह	1	—	3	1
27. चंडीगढ़	26	6	19	1
28. दादर तथा नागर हवेली	1	—	3	1
29. दिल्ली	215	27	237	1
30. दमन और द्वीयू	2	—	4	2
31. लक्षद्वीप	1	—	—	—
32. पांडिचेरी	5	1	25	4
कुल योग :	3999	651	15077	980

(आकड़े दिनांक 1-10-1991 की स्थिति के अनुसार हैं)

[अनुवाद]

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम करना

*110. **श्री कड़िया मुण्डा :**

श्री बलराज पासी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी युद्ध के दौरान डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ाये गए मूल्यों को कम करने का है; और

(ख) यदि नहीं) तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] :

बिहार में पानी भर जाने की समस्या के निराकरण के लिए केन्द्रीय निधि

*111. **श्री छेदी पासवान :**

श्री राम टहल चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बिहार में पानी भर जाने की समस्या के निराकरण के लिए 1987 के कृतिक बल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की;

(ख) क्या पूरी धनराशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रयोजनार्थ वस्तुतः कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) क्या सरकार का इस राज्य में पानी भर जाने की इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए केन्द्रीय अनुदान-राशि एवं ऋण-राशि में वृद्धि करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बिहार में कार्यबल द्वारा अभिज्ञात जल जमाव को नियंत्रित करने के लिए संघ सरकार द्वारा कोई अलग निधियां स्वीकृत नहीं की गई हैं। यह कार्य इस राज्य द्वारा अपनी योजना निधियों से किया जाना है। राज्यों को सहायता ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह बाढ़ क्षेत्र सहित किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

वीजा शुल्क में वृद्धि

*112. **श्री वी.एस. विजयराघवन :**

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वीजा शुल्क में वृद्धि करने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे हमारे पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का पर्यटकों के सम्बन्ध में इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सिंगापुर और मलेशिया स्थित भारतीय दूतावासों को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 1991 से पहले विभिन्न राष्ट्रिकताओं के लिए वीजा शुल्क अलग-अलग था और एक बार/दो बार/तीन बार/बार-बार प्रवेश के लिए अलग-अलग था, जिसे अब युक्तियुक्त बना दिया है। अब शुल्क राशि उसकी वैधता की अवधि पर निर्भर करती है :

1. 1990 में वीजा नियमों को उदार बनाया गया था तथा वीजा की अवधि बढ़ाकर पांच वर्षों तक कर दी गई थी परन्तु वीजा शुल्क में तदनुरूप वृद्धि नहीं की गई थी।

2. भारतीय रुपए का हाल ही में जो अवमूल्यन किया गया था उसके कारण वीजा शुल्क राशि में वृद्धि अनिवार्य हो गई थी।

3. यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, इटली और नीदरलैंन्डस के राष्ट्रिकों के लिए भारतीय वीजा शुल्क में एकतरफा तौर पर कमी कर दी गई थी लेकिन इन देशों ने हमारी इस कार्रवाई के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

4. विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में कोंसली और वीजा सेवाएं मुहैया कराने की स्थानीय लागत बढ़ रही है।

5. और अच्छी सेवा मुहैया कराने के लिए विदेश स्थित मिशनों के कोंसली अनुभागों में कर्मचारियों को समुचित व्यवस्था करने और उनके आधुनिकीकरण के लिए धन संग्रह करना।

(ग) किसी पर्यटक को पर्यटन में जो खर्च करना पड़ता है वीजा शुल्क उसका एक अत्यन्त लघु अंश होता है। इसलिए वीजा शुल्क बढ़ा देने से पर्यटन उद्योग पर वस्तुत: कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कम वीजा शुल्क पर्यटकों के लिए उतना बड़ा आकर्षण नहीं होता है जितनी की आंतरिक शांति, किसी देश का पर्यटन का दृष्टि से मूल्य, पर्यटक आधारिक संरचना,पर्यटकों को तीव्र गति से मुहैया कराई जाने वाली सेवाएं होती हैं।

(घ) सरकार की नीतियों की समय-समय पर समीक्षा होती रहती है।

(ङ) और (च) जी हां। सिंगापुर और मलेशिया स्थित भारतीय राजदूतावासों में कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है।

महाराष्ट्र में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए धन

*113. **श्री सुधीर सावन्त : क्या जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से धनराशि प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यह राशि निर्धारित प्रयोजनार्थ ही खर्च की जाए ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फसलों के विविधीकरण के लिए जल नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु 15 मिलियन ई.सी.यू. (22 करोड़ रुपए) की सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ अक्तूबर, 1988 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी गई है कि वह एक निर्धारित समय सूची के अनुसार अतिरिक्त नई स्कीमें तैयार करें और अतिरिक्त स्टाफ तथा अतिरिक्त धन प्रदान करें।

प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए विदेशी सहयोग

*114. **श्री शंकर सिंह बघेला :**

डा. ए.के. पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/गैस अथारिटी आफ इण्डिया का फ्रांस के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूकम्प से हुई क्षति

*115. **श्री साईमन मरान्डी :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 अक्तूबर, 1991 का भूकम्प और उसके बाद के झटके महसूस किए गए थे;

(ख) भूकम्प से अनुमानतः कितनी सम्पत्ति, फसलों और पशुधन का विनाश हुआ;

(ग) प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने लोग मारे गए, घायल हुए और बेघर हुए;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और उन्हें वास्तव में कितनी राशि दी गई;

(ङ) केन्द्रीय दलों ने इस बारे में किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है;

(च) केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट पर संघ सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(छ) भूकम्प पीड़ितों को राहत देने हेतु विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ज) विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और सरकार द्वारा क्या राहत उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (बलराम जाखड़) (क) : 20 अक्तूबर, 1991 को बहुत तड़के ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूकम्प आया। इस भूकम्प का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बहुत अधिक महसूस किया गया। इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर राज्यों तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में भी महसूस किया गया। भारत के मौसम विज्ञान विभाग की भूकम्प विज्ञानीय प्रयोगशाला वे 17 नवम्बर, 1991 तक भूकम्प के 56 झटके रिकार्ड किए।

(ख) और (ग) यद्यपि भूकम्प का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यों और दिल्ली संघ शासित प्रदेश में भी महसूस किया गया, किन्तु इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में किसी भी क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने एक व्यक्ति की मृत्यु होने, छह व्यक्तियों के घायल होने तथा तीन मकानों की क्षति होने की सूचना दी है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प द्वारा हुई हानि के वास्तविक ब्यौरे का राज्य सरकार द्वारा अभी भी निर्धारण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अब तक सूचित क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(घ) : उत्तर प्रदेश राज्य, जहां भूकम्प द्वारा व्यापक क्षति हुई है, द्वारा 1991-92 के लिए राज्य विपदा कोष में उपलब्ध राशि के अलावा केन्द्रीय सहायता की मांग से संबद्ध ज्ञापन अभी भी प्रस्तुत किया जाना है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सहायता मांगने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यों तथा दिल्ली संघ शासित प्रदेश में कोई क्षति नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कोई सहायता नहीं मांगी है, क्योंकि वहां भूकम्प से हुई क्षति नगण्य है।

(ङ) ओर (च) : राहत व्यय के वित्त पोषण की वर्तमान योजना के तहत, प्राकृतिक विपदा की स्थिति में राज्यों में केन्द्रीय दल भेजने की पूर्व पद्धति। 1.4.90 से समाप्त कर दी गई है। केन्द्रीय दल की तभी प्रतिनियुक्ति की जाती है जब राज्य सरकार किसी खास विपदा को विरल प्रचंडता की विपदा मानते हुए विपदा राहत कोष के तहत उपलब्ध राशि के अतिरिक्त सहायता की मांग करती है। हाल के भूकम्प की स्थिति में, भूकम्प के प्रभाव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय तथा उनके द्वारा अपेक्षित त्वरित सहायता के बारे में प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने के लिए

केवल केन्द्रीय टोही दल ने गढ़वाल क्षेत्र के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। टोही दल द्वारा प्रस्तुत डिपोर्ट का स्वरूप प्राथमिक है।

(छ) और (ज) गैर-सरकारी एजेन्सियां, इन्डियन रैड क्रास सोसाइटी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा अपनी अन्य सारणियों के माध्यम से राहत सामग्रियां भेज रही हैं। अतः भूकम्प ग्रसितों की राहत के लिए विभिन्न स्रोतों द्वारा की जा रही सहायता के ब्यौरे एक स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक की सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण 3 में दिया है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश में भूकम्प के कारण हुई क्षति की मात्रा (अनन्तिम)

ज़िला	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत गोपशुओं की संख्या (छोटे और बड़े)
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरकाशी	175	1.35	24,000 (24,000—पूर्णत:) (10,000—आंशिक)	703	4.678	3,000
टिहरी गढ़वाल	605	1.00	10,278 (4,000—पूर्णत:) (6,278—आंशिक)	63	367	71
चमोली	413	0.72	7,184 (573—पूर्णत:) (6,611—आंशिक)	2	18	11
देहरादून	101	लागू नहीं	458 (64—पूर्णत:) (394—आंशिक)	—	—	9

1	2	3	4	5	6	7
पौडी गढ़वाल	—	लागू नहीं	474 (34—पूर्णत:) (440—आंशिक)	—	3	5
नैनीताल	—	लागू नहीं	6 (2—पूर्णत:) (4—आंशिक)	—	—	लागू नहीं
कुल	1,294	3.07	42,400 (18,673—पूर्णत:) (23,727—आंशिक)	768	5,066	3,096

विवरण-2

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा

1. खाद्य मंत्रालय ने 5,000 मी. टन अतिरिक्त गेहूं और 5,000 मी. टन अतिरिक्त चावल का आवंटन किया है।

2. वायु सेना ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए 6 चेतक और 2 एम. आई. टी. हेलिकोप्टर मुहैया कराये हैं।

3. सीमा सड़क संगठन ने अपने प्रभारान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की हैं तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वाहन चलने योग्य बना दिया है।

4. संचार मंत्रालय ने आपातकालीन आधार पर उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जिलों में एस. टी. डी. सुविधाएं दी हैं। उन्होंने 9 क्षतिग्रस्त एक्सचेंजों की मरम्मत की है तथा 2 नवम्बर, 1991 तक उन्हें प्रचालन योग्य बना दिया है।

5. स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से निकट संपर्क बनाए रखा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, अन्य स्रोतों तथा समिति की सहायता से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के माध्यम से 67.05 लाख रुपये के कम्बल, ऊनी वस्त्र, दुग्ध चूर्ण अधिक प्रोटीन वाले बिस्कुट, छत डालने के लिए पालिथिन शीट तथा सी. आई. शीट जैसी राहत की वस्तुएं भिजवाई हैं।

6. राज्य के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से 80.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है।

7. राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 25 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

8. राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार को दिए जाने वाले प्रस्तावित 30 करोड़ रुपए की सहायता के भाग के रूप में "उ. प्र. भूमि विकास बैंक" को 10 करोड़ रुपये तथा "हुडको" को 10 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर काशी, टिहरी और चमोली के तीन प्रभावित जिलों के लिए जवाहर रोजगार योजना के तहत 6.51 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं। इसके अलावा, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में घरों के निर्माण/मरम्मत के लिए इन्दिरा आवास योजना के तहत अतिरिक्त सहायता के रूप में 5.80 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए हैं।

10. ऊर्जा मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त संचार लाइनों की मरम्मत का कार्य शुरू कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम बना दिया है।

11. भारतीय लोगों के प्राकृतिक विपदा ट्रस्ट से राज्य सरकार के लिए 8.00 लाख रुपये की रकम की स्वीकृति दी गयी।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

विवरण-3

भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों का ब्यौरा

— आयुक्त, मेरठ और जिलाधीश, देहरादून को अन्य विभागों और एजेन्सियों के साथ राहत उपायों का समन्वयन के लिए अग्रणी "नीडल" अधिकारियों के रूप में नामांकित किया गया है।

— राज्य के मुख्यालय और देहरादून उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और चमोली जिलों में नियंत्रण कक्ष दिन-रात कार्य कर रहे हैं।

— संबंधित जिलाधीशों को सरकारी कोष से राहत कार्य के लिए आवश्यक धनराशि निकालने का अधिकार दिया गया है।

— राज्य सरकार ने तत्काल राहत के लिए उत्तराकाशी को 332.70 लाख रुपये, टिहरी को 162.17 लाख रुपए, चमोली को 92.60 लाख रुपये देहरादून को 7.70 लाख रुपये और पौड़ी गढ़वाल को 4.60 लाख रुपये आबंटित किए हैं।

— क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न विभागों को 747.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई।

— विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक जिलों के चलते-फिरते संचार वाहन भेजे गए हैं।

— इन क्षेत्रों में 232 चिकित्सा दल कार्य कर रहे हैं।

— उत्तरकाशी में 15, टिहरी में चार और चमोली में पांच राहत शिविर खोले गए हैं।

— प्रत्येक प्रभावित परिवार को 20 किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क वितरित किया गया।

— प्रत्येक मृतक के मामले में 20,000/- रुपये, गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5,000/- रुपये और प्रत्येक मामूली चोटग्रस्त व्यक्ति को 2,000/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान।

— मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 20,000/- रुपये और आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 5,000/- रुपये की सहायता। 20,000/- रुपये की सहायता में 10,000/- रुपये नकद, टिनशेड के लिए 3,000/- रुपए और इमारती लकड़ी के लिए 7,000/- रुपये शामिल हैं।

— राज्य वन विभाग ने घरों के निर्माण में उपयोग के लिए उत्तरकाशी के लिए 534 वर्ग मीटर, टिहरी के लिए 471 वर्गमीटर और चमोली के लिए 22 वर्ग मीटर लकड़ियां वितरित की हैं।

— घरों के लिए राजसहायता, उपदान, राहत और अनुग्रह राशि के भुगतान के तौर पर उत्तर-काशी में 269.16 लाख रुपये, टिहरी में 107.03 लाख रुपए और चमोली में 94.15 लाख रुपये धनराशि के समतुल्य सहायता दी गई हैं।

— मिट्टी का तेल, आटा, चावल चीनी और नमक का भी वितरण किया जा रहा है।

— प्रभावित जिलों को 33,605 तिरपालों की आपूर्ति की गई है।

— प्रभावित जिलों को 67.354 कम्बलों की आपूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

हरारे में हुई राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक

*116. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हरारे में हुई राष्ट्रमण्डल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी;

(ख) उसमें क्या निर्णय लिए गए थे;

(ग) उसमें भारतीय शिष्टमण्डल की क्या भूमिका रही;

(घ) क्या बैठक में आर्थिक सहायता को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सुधारों से जोड़ने जैसे मुद्दे भी उठाए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो भारत ने इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाया था और राष्ट्रमण्डल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में क्या सिफारिशें की गई थीं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ङ) राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) हरारे में 16-22 अक्तूबर तक हुई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से "1990 की दशाब्द और उसके बाद राष्ट्र मंडल की भूमिका" के विषय पर विचार किया गया था। जिन अन्य प्रमुख विषयों पर विचार हुआ, वे हैं : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हाल के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौम राजनीतिक प्रवृत्तियां, दक्षिण अफ्रीका, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद, आर्थिक विकास सम्बन्धी मसले, व्यापार और उरुग्वे दौर, पर्यावरण तथा राष्ट्रमण्डल कार्यात्मक सहयोग।

हरारे घोषणा में जातीय पृथग्वासन के विरुद्ध संघर्ष तथा विकास के लिए सहयोग जैसे मसलों पर अपनी परम्परा के अनुरूप बल दिया गया है; इसके साथ ही इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं, मानवाधिकार तथा कानून की सत्ता के महत्व पर भी बल दिया गया है।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सम्बन्ध है राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की बैठक में राष्ट्रमण्डल विदेश मन्त्री समिति की नई दिल्ली बैठक की इन सिफारिशों को स्वीकार किया कि इसके लिए एक योजनाबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रतिबन्धों को धीरे-धीरे उठाया जाना चाहिए।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधान मन्त्री ने किया और जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल थे, एक रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभाई। सार्वभौम राजनीतिक समीक्षा के विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रधान मन्त्री ने परिवर्तनशील विश्व की चुनौतियों के संदर्भ में विकासशील देशों की भावी तस्वीर प्रस्तुत की। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रमण्डल की भावी प्राथमिकताओं पर हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप एक सन्तुलित घोषणा करवाने में योगदान दिया।

कुछ देशों ने आर्थिक सहायता को मानवाधिकारों से जोड़ने जैसे कुछ विषय उठाए थे। बहुत से देश जिनमें भारत भी शामिल है, इस तरह विषयों को जोड़ना उचित नहीं मानते। "चोगम" की विज्ञप्ति में इस तरह से विषयों को जोड़ने की बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इस्पात के मूल्यों में संशोधन

*117. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस्पात के मूल्य में संशोधन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने इस्पात की कीमतों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय को भेजा है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव अध्यक्ष, संयुक्त संयंत्र समिति को भेजा है।

(ख) ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति प्रस्तावों की जांच कर रही है।

महाराष्ट्र और गुजरात में सूखा

*118. **श्री शरद दिघे :**

श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात को इस समय अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि 19 जिलों में 12607 गांव, 141.47 लाख जनसंख्या और 58.6 लाख हैक्टेयर सस्य क्षेत्र बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हुए हैं।

गुजरात सरकार ने बताया है कि 16 जिलों में लगभग 10,000 गांव सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 1991-92 के लिए 576.58 करोड़ रुपए और 1992-93 के लिए 212.83 करोड़ रुपए के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है, ताकि सूखे के प्रबन्ध पर होने वाले व्यय की पूर्ति की जा सके। राहत व्यय की द्वितीय व्यवस्था के लिए वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार करके यह महसूस किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए अभी कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी गई है कि वह आपदा राहत निधि में से ही सूखे के प्रबन्ध पर होने वाले व्यय की पूर्ति करें। वित्त मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह 8.25 करोड़ रुपये की आपदा राहत निधि की राशि के केन्द्रीय शेयर की चौथी किस्त अग्रिम रूप से निर्मुक्त कर दे जो कि सामान्यतः जनवरी 1992 में निर्मुक्त की जानी होगी।

गुजरात सरकार ने 23.11.1991 को इस मन्त्रालय को लिखा है जिसमें सूखा राहत कार्यों के लिए लगभग 600.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है। गुजरात सरकार के अनुरोध को राहत व्यय की द्वितीय व्यवस्था को वर्तमान नीति के प्रकाश में जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारूप

*119. श्री अब्बा पलनिस्वामी :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और कृषि विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रारूप के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नीति को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) अभी तक, चौदह राज्यों/संघीय क्षेत्रों तथा नौ कृषि विश्वविद्यालयों ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। वे सामान्यतः नीति के मूल ढांचे से सहमत हैं तथा उन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं जो अधिकांशतः भौगोलिक तथा कार्यात्मक क्षेत्रों से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रमों के रूप में है।

(ग) राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों को पुनः याद दिलाया गया है कि वे तत्काल, नवम्बर के अन्त तक अपनी टिप्पणियां भेज दें। राज्य सरकारों को टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद कृषि नीति संकल्प मसौदे पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं तथा बांध

*120. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं तथा बांधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनमें से कुछ प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों से सम्बन्धित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के कारण क्या हैं तथा उन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं में से कुछ अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(छ) विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (छ) विवरण 1 और 2 सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

विवरण-1

प्रश्न के भाग (क) से (ख) के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

(लागत लाख रुपए में/लाभ हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अनुमानित लागत	3/91 तक आया व्यय	लाभ	प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
बृहद परियोजनाएं							
1.	बेवर फीडर परि.	एटा	2537.00	2384.00	9.80	9/88	1/90 में परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार की गई। राज्य सरकार द्वारा जल उपलब्धता, डिजाइन बाढ़ जल आवश्यकता तथा कार्य तालिकाओं को अन्तिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।
2.	राजघाट नहर परियोजना	झांसी ललितपुर	7828.25	3837.00	189.05	9/88	सिंचाई आयोजना, नहर डिजाइन, संयुक्त उपयोग और लागत अनुमान जैसे मूल पहलुओं पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।
3.	बाणसागर नहर परियोजना	इलाहाबाद मिर्जापुर	19027.00	591.00	150.132	6/89	7/90 में परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार की गई। राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन

1	2	3	4	5	6	7	8
							मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करना तथा बिहार सरकार की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है।
4.	उत्तर प्रदेश संयुक्त सिंचाई परियोजना अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण	अलीगढ़ बुलन्दशहर, एटा, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ	48500.00	21913.00	35.00	3/91	48500.00 लाख रुपए की लागत पर 9/90 में तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया। 3/91 में प्राप्त परियोजना के अद्यतन अनुमान पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	ज्ञानपुर पम्प नहर	इलाहाबाद	11051.00	5299.00	65.41	4/89	3/91 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत। राज्य सरकार को नवीनतम अनुमानित लागत के लिए राज्य वित्त विभाग की सहमति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
6.	मौदाहा बांध परियोजना	हमीरपुर	6682.00	5079.00	27.70	3/90	राज्य सरकार को सिंचाई पहलुओं, लागत अनुमानों तथा पर्यावर्णिक मुद्दों पर टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।
7.	मेजा बांध को ऊंचा करना	इलाहाबाद मिर्जापुर	4032.00	3766.00	47.96	11/90	कुछ टिप्पणियों के साथ 3/86 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत। अद्यतन रिपोर्ट के रूप में राज्य

1	2	3	4	5	6	7	8
							सरकार की अनुपालना नवम्बर, 1990 में प्राप्त हुई।
8.	हिंडन कृष्ण दोआब	मेरठ मुजफ्फरनगर	1644.15	316.00	8.50	4/86	राज्य सरकार की सिंचाई आयोजना, वित्तीय और लागत पहलुओं तथा सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना भेजना अपेक्षित है।
मध्यम परियोजनाएं							
1.	पथरई बांध परियोजना	झांसी	1254.00	337.00	2.80	12/90	परामर्शदात्री समिति के विचार के लिए तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है।

टिप्पणी 1. केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों को स्वीकार्य, अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल तथा पर्यावरण और/अथवा वन स्वीकृति की उपलब्धता के रूप में राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना पर परियोजनाओं की स्वीकृति निर्भर करती है।

2. झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिले बुंदेलखण्ड क्षेत्र में आते हैं।

विवरण-2

प्रश्न के भाग (ङ.) से (घ) के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	शुरू होने की ता० (योजना)	अनुमोदित अनुमानित लागत	पूरा होने का कार्यक्रम (योजना)	नवीनतम अनुमानित लागत (1989-90)	मार्च, 1991 तक व्यय	1991-92 के लिए प.रिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं							
1.	अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण (प्रथम समय खण्ड)	1/1	249.77	1*	397.70	219.13	76.00
बहु प्रयोजनी परियोजनाएं							
1.	टिहरी बांध	11/	197.92	1*	284.77	156.02	0.05
2.	लखवर व्यासी बांध, सिंचाई विभाग का हिस्सा	1/	147.97	1*	283.45	109.79	30.00
अन्य परियोजनाएं							
3.	गंडक परियोजना	11	50.38	1/111	140.42	127.74	6.00
4.	शारदा सहायक	11	199.87	1/111	1102.03	787.51	42.50
5.	मध्य गंगा कनाल	1/	66.01	1/111	356.55	261.00	27.00
6.	सरयू नहर परियोजना	1/	78.68	नौवी में आगे लाई गई	1010.00	317.60	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	पूर्वी गंगा नहर	1/	48.46	1/111	223.53	133.91	20.00
8.	भीम गोडा बराज का पुर्नरूपेण	1/	17.45	1/111	34.12	33.60	0.52
9.	राजघाट बांध	1/	61.60	1/111	106.83	84.80	6.00
10.	राजघाट नहर	1/	20.00	नौवी में आगे लाई गई	110.87	38.37	10.00
11.	जामरानी बांध	1/	61.25	-वही-	117.00	16.84	8.00
12.	बाणसागर बांध, उत्तर प्रदेश का हिस्सा	1/	22.82	1/111	112.00	52.35	5.00
13.	नरायण पुर पम्प नहर की बढ़ती हुई क्षमता	1/	9.96	1/111	51.65	39.33	6.25
14.	उर्मिल बांध	1/	8.56	1/111	23.23	17.06	4.00
15.	सोन पाल नहर	1/	5.67	1/111	57.22	38.24	1 12
16.	मौदाहा बांध	1/	26.75	1/111	69.54	50.79	13.50
17.	बेवर पोषक	78-79	17.48	1/111	29.74	23.84	3.50
18.	मेजा बांध को ऊंचा करना	1/	15.00	1/111	37.66	37.66	—
19.	कन्हर सिंचाई	1/	55.80	नौवी योजना से आगे लाई गई	150.21	32.93	0.50
20.	जमानिया पम्प नहर की बढ़ती हुई क्षमता	1/	15.53	1/111	38.78	31.31	7.47
21.	न्यू ओखला बराज	1/	25.37	1/111	66.84	40.33	—
22.	ज्ञानपुर पम्प नहर	76-77	17.86	1/111	99.13	52.99	8.00
23.	चम्बल लिफ्ट स्कीम	78-79	13.86	1/111	41.60	16.20	6.00
24.	पेढ़ुकी चैनल उपलब्ध करना	78-79	25.65	1/111	22.00	3.16	0.50
25.	देवकाली पम्प नहर की बढ़ती हुई क्षमता	1/	14.29	1/111	35.33	35.33	—

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्यम स्कीमें							
1.	केन नहर का पुनरूपेण	69-70	0.48	1/111	3.43	3.63	0.25
2.	चित्तौड़ मड़ जलाशय	1/	1.05	1/111	21.06	19.54	3.96
3.	किसनपुर पम्प नहर	11/	1.34	1/111	19.43	20.79	2.05
4.	यमुना पम्प नहर	1/	4.46	1/111	15.54	16.09	—
5.	संशोधित टोंस पम्प नहर	1/	1.75	1/111	17.10	21.66	2.00
6.	संशोधित किवाना पम्प नहर	1/	0.80	1/111	16.37	13.38	1.50

टिप्पण : निधियों के अपर्याप्त आबंटन, भूमि अधिग्रहण समस्या और सीमेंट, डीजल एवं स्टील जैसे दुर्लभ सामग्रियों के उपलब्ध न होने के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा भारतीय तीर्थ यात्रियों को वीजा देने से इन्कार

1115. **श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल के इन समाचारों की जानकारी है कि पाकिस्तान ने उस देश में कटसराज की यात्रा के लिए 400 स भारतीय तीर्थ यात्रियों को वीजा देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है;

(घ) क्या दोनों देशों में विभिन्न स्थानों की ऐसी यात्राओं की अनुमति दिये जाने के बारे में पाकिस्तान के साथ आपसी समक्ष के किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (**श्री एडुआर्डो फलीरो**) : (क) से (ङ) सितम्बर, 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच धर्म-स्थानों की यात्रा के संबंध में जो प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ था उस में एक दूसरे के देश में विशिष्ट धर्म-स्थानों पर तीर्थयात्रियों की यात्रा की इजाजत देने का प्रावधान है। जुलाई 1989 में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई थी कि कटासराज की वर्ष में दो बार यात्रा की जा सकेगी और प्रत्येक तीर्थयात्री दल में 200 लोग जा सकेंगे। इस प्रकार की एक यात्रा का कार्यक्रम 20-25 अक्टूबर, 1991 तक था। लेकिन 15 अक्टूबर, 91 को पाकिस्तान की सरकार ने हमें यह सूचना दी कि कटासराज की यात्रा की जो तारीखें मुकर्रर हैं उन्हीं तारीखों में भारतीय तीर्थयात्रियों का एक अन्य दल हजरत-खिलाफी की यात्रा के लिए आ रहा है और इन दोनों यात्राओं का एक साथ इन्तजाम कर पाना मुश्किल होगा। चूंकि इतनी देर से इस यात्रा को रद्द करने से यात्रियों को असुविधा हो सकती थी इसलिए सरकार के अनुरोध पर बाद में पाकिस्तान की सरकार इस यात्रा के लिए राजी हो गई। लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम रह गया था। इसलिए सिर्फ 52 यात्री ही इस यात्रा पर आ सके।

सिचाई क्षमता का उपयोग

1116. **श्री के. वी. तंग्काबालू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी, मध्यम तथा लघु सिचाई परियोजनाओं के अंतर्गत देश में सिंचाई क्षमता पैदा करने और उसके उपयोग में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी अलग-अलग उपयोग क्षमता का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (**श्री विद्याचरण शुक्ल**) : (क) जी हीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर सिंचाई क्षमता के उपयोग में संचयी अन्तर इस प्रकार रहा :—

(मिलियन हैक्टेयर में)

	1988-89	1989-90	1990-91
वृहद और मध्यम	4.75	4.10	4.09
लघु सिचाई	3.06	3.18	3.48

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा जमीन का अधिग्रहण

1117. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अधिग्रहित जमीन का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र द्वारा वर्तमान में वास्तव में कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, तथा कितनी भूमि बेकार पड़ी है;

(ग) सम्बद्ध संयंत्र का विचार अन्ततः उपयुक्त जमीन का उपयोग किस प्रयोजन से करने का, है, और

(घ) क्या अंतरिम अवधि के दौरान ये संयंत्र उपयोग में न आने वाली जमीन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी उत्पादक कार्य में उपयोग करना चाहते हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नानुसार है .—

इस्पात संयंत्र का नाम	अधिगृहित क्षेत्र (एकड़)	उपयोग किया गया वास्तविक क्षेत्र (एकड़)	अप्रयुक्त क्षेत्र (एकड़)
1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और **इनकी सहायक कम्पनियां**			
1. भिलाई इस्पात संयंत्र	22,369,76	18,933.22	3,430.54
2. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	16,424.00	10,816.00	5648.00
3. राउरकेला इस्पात संयंत्र	19,785.22	11,202.00	8,583.22
4. बोकारो इस्पात संयंत्र	31,030.47	31,030.47	—
5. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	3,092.39	2,776.31	316.08
6. एलाय स्टील प्लांट	1,154.51	1,154.51	—
7. सेलम इस्पात संयंत्र	3,962.70	2,729.00	1,233.70
8. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	2, 211 00	1,402.00	809.00
2. विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र	8,456.32	8,456.32	—
3. विजयनगर इस्पात संयंत्र	9,341.73	10.00	9,331.73
4. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	16.74	16.74	—

(ग) और (घ) सेल के अलग-अलग इस्पात संयंत्रों की अप्रयुक्त अधिगृहित भूमि को भविष्य में विस्तार कार्यक्रमों, जब भी संसाधन उपलब्ध होंगे, में प्रयोग करने की योजना है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हैं : विजयनगर इस्पात संयंत्र के संबंध में अधिगृहित भूमि अभी अप्रयुक्त पड़ी है क्योंकि इस परियोजना के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

1. **भिलाई इस्पात संयंत्र** : 3436.54 एकड़ खाली भूमि का उपयोग संयंत्र के भावी और विस्तार और बस्ती सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रस्तावित है।

2. **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र** : 5608 एकड़ खाली भूमि का उपयोग संयंत्र का विस्तार, बस्ती का विस्तार, सहायक उद्योगों, वनारोपण, पर्यावरण पार्क आदि में करने का प्रस्ताव है।

3. **राउरकेला इस्पात सयंत्र** : राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अधिग्रहित 19,785.22 एकड़ से 3788.06 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार राउरकेला इस्पात संयंत्र के पास 15,997.16 एकड़ भूमि है। इस अप्रयुक्त भूमि में से 1887.06 एकड़ भूमि लगून पहाड़ा नाले, सीवर लाइन, रेलवे लाइन के लिए बफर लौन, हवाई पट्टी के लिए हवाई सुरंग के अन्तर्गत है। इसमें नदियों द्वारा अपरदित क्षेत्र, रिंग रोड़ और हरित पट्टी के लिए आवश्यक भूमि भी शामिल हैं। इस प्रकार शेष भूमि केवल 2958.10 एकड़ है। इसमें से 1172.25 एकड़ भूमि संयंत्र क्षेत्र में उपलब्ध है और 1785.85 एकड़ भूमि बस्ती क्षेत्र में है, जो कि क्रमश: संयंत्र के भावी विस्तार तथा आधुनिकीकरण योजनाओं और बस्ती के विस्तार के लिए है।

4. **इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी** : अधिग्रहित परन्तु अप्रयुक्त 316.18 एकड़ भूमि इस्को के आधुनिकीकरण के लिए है जिसमें कोक ओवन, धमन भट्टी, सिन्टर संयंत्र, इस्पात प्रगलन शाप, रेलवे यार्ड, कच्ची सामग्री भण्डारण यार्ड, सत्ता-यार्ड आदि जैसी अतिरिक्त यूनिटों को बढ़ाना शामिल है। ये यूनिटें अधिगृहित सम्पूर्ण भूमि पर बनाई जाएंगी।

5. **सेलम इस्पात संयंत्र** : सेलम इस्पात संयंत्र के लिए अधिगृहित भूमि का उपयोग संयंत्र के प्रगामी विस्तार के अनुसार चरणों में किया जा रहा है।

6. **विश्वेश्वरैया आयरन एन्ड स्टील लिमिटेड** : विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा अधिगृहित 2211 एकड़ भूमि में से 192 एकड़ भूमि सरकारी विभागों/लघु उद्योगों आदि को बेच दी गई हैं और 466 एकड़ भूमि विवादग्रस्त है। इस प्रकार विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के कब्जे में कुल 1552 एकड़ भूमि है। अप्रयुक्त 150 एकड़ भूमि कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण करने के लिए है।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस्पात उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

1118. **श्री विजय नवल पाटील** :

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड इस्पात क्षेत्र की कोयले की मांग को पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि, नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें दिया जाने वाला कोयला भी वांछित स्तर का नहीं होता है;

(घ) इस्पात क्षेत्र/कोयले पर आधारित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान कोलले के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) कोल इण्डिया लि. द्वारा इस्पात क्षेत्र की कोयले की संपूर्ण मांग को निम्नलिखित कारणों से पूरा नहीं किया जा सका :—

(1) विद्यमान कोक्कर कोयला खानों की क्षमता घट रही है;

(2) कुल नई विनिर्दिष्ट खानों की आंग, सतही ढांचों आदि के कारण प्रभावित हैं और ये ये पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाने से पूर्व लम्बी प्रतीक्षा अवधि रखेगी।

(3) उच्च ग्रेड की सीमा का आंशिक रूप में दोहन किए जाने के कारण, वर्तमान में उत्खनन किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता समग्र रूप में गिर रही, अतः इस्पात उद्योग की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा किए जाने की स्थिति में देशीय कोक्कर कोयला समर्थ नहीं है।

(घ) इस्पात क्षेत्र को कोक्कर कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के संबंध में कुछ उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :—

(1) क्षमता उपयोगिता में वृद्धि करके विद्यमान खानों के उत्पादन में वृद्धि किया जाना।

(2) नई विनिर्दिष्ट खानों का तेजी से विकास।

(3) कोक्कर कोयला खानों में लगी भूमिगत आग पर नियंत्रण किए जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई करना।

(4) वाशरियों आदि की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि।

(ङ) इस्पात मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात उद्योगों के लिए आयात किए गए कोक्कर कोयले की अनुमानित लागत को नीचे दर्शाया गया है :

माड़ा सहित आयातित कोयले की अनुमानित लागत

	(करोड़ रुपए में)
1989-90	533.64
1990-91	705.04

कम्पूचिया के साथ द्विपक्षीय संबंध

1119. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पूचिया के साथ द्विपक्षीय संबंध को और सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हम कम्बोडिया के अनुरोध पर 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान देने पर सहमत हुए जिसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाएगा । 1.5 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक ऋण भी दिया गया है। अनुदान और ऋण के अन्तर्गत कम्बोडिया ने जिन वस्तुओं का अनुरोध किया है। वे उन्हें भेजी जा रही हैं। यह अंगकोरवाट जीर्णोद्धार परियोजना के लिए दी जा रही सहायता और कृत्रिम अंग लगाने के शिविरों सहित मानवीय सहायता के अलावा है। एक अपील के उत्तर में कम्बोडिया को बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर हमने कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र अग्रिम दल के लिए नागरिक और सैनिक कर्मी भी भेजे है। कम्बोडिया ने संयुक्त राष्ट्र संक्रान्तिकालीन प्राधिकरण में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

1120. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी क संयंत्रों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ख) मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना को गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ/घाटा हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. सी. लेंन्का) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा :—

वर्ष	मदर डेयरी	दिल्ली दुग्ध योजना
1988-89	97.98प्रतिशत	95.5 प्रतिशत
1989-90	89.75 प्रतिशत	107.1 प्रतिशत
1990-91	88.39 प्रतिशत	110.7 प्रतिशत

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ (+)/हानि (—) की स्थिति इस प्रकार रही :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मदर डेयरी	दिल्ली दुग्ध योजना
1988-89	(—) 11.71	(—) 18.88*
1989-90	(+) 0.16	(—) 16.51*
1990-91	(+) 0.31	(—) 15.38*

* अनन्तिम

[हिन्दी]

राजस्थान में भूजल स्रोतों का सर्वेक्षण

1121. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा वैज्ञानिक खोज के परिणामों के आधार पर राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों के भूजल स्रोतों का अनुमान 5·67 घन किलोमीटर लगाया गया है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भू-जल आकलन समिति के मानकों के अनुसार भू-जल स्रोत अनुमान

राज्य का नाम : राजस्थान **अनन्तिम**

क्रम सं० जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भू-जल स्रोत	पेय, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगों के लिए व्यवस्था	सिंचाई के लिए उपयोज्य भू-जल स्रोत	कुल ड्राफ्ट	समुपयोजन के लिए उपलब्ध शेष भूजल क्षमता	भू-जल विकास का स्तर वर्तमान प्रतिशत
1. अजमेर	0.544	0.102	0.442	0.261	0.181	59
2. बांसवाड़ा	0.408	0·061	0.347	0·053	0·294	15
3. डूंगरपुर	0.299	0.047	0.252	0.053	0·199	21
4. झालावाड	0.587	0·088	0.499	0.165	0.334	33
5. कोटा	1.2220	0.184	1.038	0·156	0·882	15
6. सवाईमाधोपुर	1.148	0.172	0.976	0.233	0.743	24
7. टोंक	0.513	0.077	0.436	0.141	0.295	32
8. उदयपुर	0.949	0·170	0 779	0.440	0.339	56
योग	5.67	0.901	4.769	1.502	3·267	31.875

अनुवाद

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

1122. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में बाढ़ पर विशेष रूप से मूसी नदी में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किए थे; और।

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन निर्देशों के अनुसार कार्य किया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को सितम्बर, 1981 में दिशा नर्देश और अनुदेश जारी किए हैं केन्द्रीय जल आयोग ने भीं सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश, जिनमें बाढ़ नियंत्रण और जल निकास पहलुओं के लिए भी दिशा निर्देश शामिल हैं, जारी किए हैं। मूसी नदी के सम्बन्ध में कोई बाढ़ नियंत्रण स्कीम तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग 100 लाख रुपये से कम लागत की बाढ़ नियंत्रण स्कीमें तकनीकी आर्थिक मूल्य ंकन एवं निदेश स्वीकृति के लिए केन्द्र को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित नहीं हैं।

पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान

1123. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय समस्याओं का हल ढूंढने में क्या-क्या प्रगति हुई है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे पड़ौसी देशों के साथ किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहमति हुई;

(ग) क्या इस उद्देश्यार्थ पड़ौसी देशों के साथ निकट भविष्य में कोई वार्तायें होने वाली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) हम दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के माध्यम से भी अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने को बराबर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे है।

हमने बंगलादेश में लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार की स्थापना का स्वागत किया है। बंगलादेश के विदेश मंत्री हमारे निमंत्रण पर अगस्त, 1991 में भारत की यात्रा पर आये थे। उनके साथ द्विपक्षीय मामलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था और इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष आपसी मतभेदों को बातचीत के द्वारा सुलझायेंगे।

नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र के अभ्युदय से हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों की निकटता, जो अपनी तरह की अनोखी हैं और मजबूत होगी। हम नेपाल के प्रधानमन्त्री की आगामी भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके पूर्व नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, पारगमन, औद्योगिक, जल-संसाधनों के बहुद्देशीय प्रयोग और परस्पर सहमत अन्य मामलों में पारस्परिक सहयोग को संवर्धित करने के लिए भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक होगी।

फरवरी, 1991 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री की नेपाल यात्रा के दौरान परस्पर लाभदायक द्विपक्षीय सहयोग को तेजी से बढ़ाने के अनेक उपायों पर सहमति हुई थी जिसमें द्विपक्षीय सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स भी शामिल थी जो बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

भूटान के साथ हमारे निकट सम्बन्धों और सहयोग को और सुदृढ़ तथा मजबूत किया जा रहा है। जिसका प्रमाण हमें भूटान नरेश की हाल की यात्राओं में मिलता है। उनकी इन यात्राओं के दौरान आपसी हित के सभी मसलों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था।

मालदीव के साथ हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उनके उच्चस्तरीय यात्राओं से और अधिक मजबूत हुए हैं जिनमें इस वर्ष जनवरी, जून और अगस्त में मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा भी शामिल है।

जनवरी, 1991 में तत्कालीन विदेश मंत्री की कोलम्बो यात्रा श्रीलंका की सरकार के साथ पुनः सम्प्रेषण स्थापित करने और उसके साथ कार्यकारी सम्बन्ध पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से सफल रही है। जहां तक श्रीलंका की जातीय समस्या का सवाल है हम समझते हैं कि भारत-श्रीलंका करार के इस समस्या के स्थायी और औचित्यपूर्ण समाधान का व्यावहारिक आधार मौजूद है। जातीय समस्या के सवाल पर दोनों देशों के बीच मतभेद अवश्य हैं, फिर भी हमने श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। इसके फलस्वरूप 29 जुलाई, 1991 को भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसका पहला अधिवेशन जनवरी, 92 में दिल्ली में होने की सम्भावना है। इस बीच संस्कृति सम्बन्धी उप-आयोग ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है तथा व्यापार सम्बन्धी उप-आयोग ने आपसी व्यापार को बढ़ाने और चुने हुए क्षेत्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों पर विचार विनिमय किया है।

पाकिस्तान के साथ हम तनावमुक्त, सहयोगपूर्ण और अच्छे प्रतिवेशी के से सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आचरण के सिद्धान्तों का और शिमला-समझौते के बुनियादी प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है हम फिर भी परस्पर विश्वास विकसित करने के लिए तथा द्विपक्षीय मसलों को सुलझाने के लिए उसके साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। तथापि पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों को उसका समर्थन तथा भारत के विरुद्ध उसका प्रचार आन्दोलन और शिमला समझौते का उल्लंघन करके उसके मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की उसकी कोशिशें हमारे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के रास्ते की रूकावटें हैं।

अब हमें अगले महीने चीन के प्रधानमन्त्री ली पेंग की भारत यात्रा का इन्तजार है। दिसम्बर, 1988 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद से भारत और चीन के बीच सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष के शुरू में 1991-92 के लिए एक व्यापार प्रोतोकोल पर और 1991-93 के लिए एक सांस्कृतिक आदाद-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों ने सिद्धान्त रूप में शंघाई तथा बम्बई में अपने-अपने प्रधान कोंसलावास पुनः स्थापित करना भी स्वीकार कर लिया है तथा सीमावर्ती व्यापार के सम्बन्ध में भी सहमति हो गई है। हाल ही में दोनों पक्षों

के बीच भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक भी हुई थी जो सीमा के सवाल से निपटने के लिए स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

गंगा घाटी में तेल की खोज

1124. श्री गोविन्दराव निकाम :

श्री रवि राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने गंगा घाटी में तेल की खुदाई की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तेल की खोज का कार्य किया गया;

(ग) किन-किन कुओं में तेल की खुदाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में तेल आगे खोज करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी बेसिन में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भू-कम्पयी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) आयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने/योजना बनाने के अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के कदमा नामक स्थान पर एक कूए की भी खुदाई की जा रही है, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के सात ब्लाक अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर में दिए गए हैं।

[अनुवाद]

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

1123. **श्री अशोक आनंद राव देशमुख :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : जुलाई और अगस्त, 1991 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी-कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) :

संलग्न विवरण में यथा प्रदर्शित।

विवरण

(आंकड़े टन में)

राज्य	जुलाई, 1991	अगस्त, 1991
आन्ध्र प्रदेश	46440	46440
असम	19541	19541
बिहार	39297	39297
गुजरात	60887	61277
हरियाणा	12397	12397
हिमाचल प्रदेश	3071	3071
जम्मू और कश्मीर	5061	5061
कर्नाटक	35638	35638
केरल	21529	21529
मध्य प्रदेश	29504	29504
महाराष्ट्र	122058	122058
मणिपुर	1508	1508
मेघालय	1246	1246
मिजोरम	345	345
नागालैंड	762	762
उड़ीसा	12671	12671
पंजाब	27258	27258
राजस्थान	21118	21118
सिक्किम	384	384
तमिलनाडु	53464	53464
त्रिपुरा	1436	1436
उत्तर प्रदेश	76441	76441
पश्चिमी बंगाल	57410	57410
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	312	312
अरुणाचल प्रदेश	679	679
चंडीगढ़	1697	1697
दादर और नागर हवेली	312	312
दिल्ली	18779	18799
गोवा	2337	2337

राज्य	जुलाई, 1991	अगस्त, 1991
पांडिचेरी	1068	1068
लक्षद्वीप	71	71
दमन और द्वीयू	239	239
योग :	674960	675350

कोलार स्वर्ण खानों में सोने का पता लगाने/सोना निकालने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

1126. **श्री जी. माडे गौड़ा : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क(क्या कर्नाटक स्थित कोलार स्वर्ण खानों में सोने का पता लगाने/सोना निकालने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या है जिनसे प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है; और

(ग) सोने का पता लगाने और उसे निकालने का काम कब तक शुरू होने की संभावना है ?
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में खनिज पदार्थों की खोज

1127. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनंतपुर जिले में चूने तथा लौह-अयस्क का दोहन करने के लिए योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका दोहन कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) **स्वर्ण** : प्राथमिक गवेषण से रामगिरी शिष्ट पट्टी के जुब्री तल, कोट्टापल्ली, पेनुकोन्डा प्रखण्डों में निम्न ग्रेड स्वर्ण खनिजीकरण की तथा पिनाकचेरलाकुडूर प्रखण्ड में मामूली स्वर्ण खनिजीकरण की पुष्टि हुई है।

ड्रिलिंग से भद्रमपल्ली प्रखण्ड में 80 मीटर गहराई में औसतन 3·84 ग्राम/टन ग्रेड के 23,734 टन भंडारों का संकेत मिला है तथा 0.92 ग्राम/टन ग्रेड के 10,700 टन अयस्क भंडारों

की पुष्टि हुई है। रामपुरम प्रखण्ड में 70 मीटर की गहराई पर 1.88 ग्राम/टन ग्रेड के 1.53 लाख टन भंडारों का संकेत मिला है।

हीरा : अनन्तपुर जिले की किम्बरलाइट पाइप चट्टानों में हीरा गवेषण से लताबरम पाइपों में 100 टन में 0·33 से 0·50 केरट तथा वेंकटापल्ली पाइप में 100 टन किम्बरलाइट चट्टान में 8·52 कैरट और ऊपरी भार में 48·23 कैरट हीरांश का पता चला है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़ौदा (गुजरात) के बागडिया इंडस्ट्रियल एरिया को एच. डी. एच. गैस की आपूर्ति

1128. **कुमारी दीपिका चिखलिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बड़ौदा (गुजरात) के बागड़िया इंडस्ट्रियल टाउन को एच.डी.एस. पाइप लाइन द्वारा एच. डी. एस. गैस की पूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत धान उत्पादन योजना के अन्तर्गत केरल को किया गया आबंटन

1129. **श्री टी.जे. अंजलोज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान "एकीकृत धान उत्पादन योजना" के अन्तर्गत केरल को किए गए आबंटन की राशि कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : ऐसी कोई योजना नहीं है।

तथापि, एक योजना है जिसका नाम है—"केन्द्रीय प्रवर्तित समन्वित चावल विकास कार्यक्रम"। इस योजना के अन्तर्गत केरल के लिए आबंटित धनराशि 153.33 लाख रुपये है जिसमें केन्द्र और राज्य का हिस्सा क्रमश: 115.00 लाख रुपये तथा 38.33 लाख रुपये है।

कोयला परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

1130. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 के दौरान देश में कुछ कोयला परियोजनाओं के विकास हेतु राशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से जिन परियोजनाओं का विकास किया जाएगा उनका ब्यौरा क्या है; और उन पर कितनी लागत आएगी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए संशोधित लागत अनुमान तथा नई कोयला परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

निम्नलिखित कोयला परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है :—

परियोजना	कम्पनी	विश्व बैंक ऋण की राशि (अमरीकी डालर मिलियन)
दुधीचुआ ओ.का.	ना.को.लि.	109.0
ब्लाक-II ओ.का.	भा.को.को.लि.	57.7
सोनेपुर बाजारी ओ.का.	ई.को.लि.	114.8
गेवरा ओ.का.	सा.ई.को.लि.	65.2

निम्नलिखित कोयला परियोजनाओं/योजनाओं को ऋण सहायता के विचारार्थ विश्व बैंक को भेजा गया है :

1. कोल इण्डिया लि० की 34 भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार किए जाना। इस सम्बन्ध में कुल अनुमानित निवेश 655.73 करोड़ रु० की राशि का होने की सम्भावना है।
2. एन.सी.एल. की दुधीचुआ चरण-II ओपनकास्ट परियोजना—इस परियोजना पर कुल निवेश 497.32 करोड़ रु० की राशि होने का अनुमान है।
3. के.डी. हासलांग विस्तार ओपनकास्ट परियोजना सी.सी.एल.—इस परियोजना पर कुल निवेश लगभग 1-56 करोड़ रु० की राशि का होने की सम्भावना है।
4. ई.को.लि. की जामबाद ओपनकास्ट परियोजना—इस परियोजना की स्वीकृत लागत 210.55 करोड़ रु० है।
5. झरिया की कोयला क्षेत्र की आगों के साथ निपटना—इस योजना पर कुल निवेश लगभग 250.00 करोड़ रु० की राशि का होगा।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	कम्पनी	क्षमता मि०ट० प्रतिवर्ष	पूंजीगत लागत (करोड़ रु० में)
1.	सेन्ट्रल वर्कशाप* के लिए संशोधित लागत अनुमान	ना.को.लि.	—	68.72

क्रम सं०	परियोजना	कम्पनी	क्षमता मि०ट० प्रतिवर्ष	पूंजीगत लागत (करोड़ रु० में)
2.	अमलोरी ओ.का.प. के लिए सं० ला.अनु.	ना.को.लि.	4.00	527.11
3.	कटरास भू.ग. के लिए सं. ला. अनु.	भा.को.को.लि.	0.90	91.81
4.	नाथ अमलाबाद के लिए सं. ला.अनु.	भा.को.को.लि.	0.57	69.48
5.	सतग्राम भू.ग. के लिए सं. ला. अनु.	ई.को.लि.	1.20	148.26
6.	गोलेटी लांगवाल परियोजना	सि.को.कं.लि.	0.76	102.07
7.	भरतपुर ओ.का.प. के लिए सं.ला.अनु.	सा.ई.को.लि.	3.50	158.97
8.	घनपुरी ओ.का.प. के लिए सं.ला.अनु.	सा.ई.को.लि.	1.25	54.69
9.	घुगुस ओ.का.प. के लिए सं,ला.अ.	वे.को.लि.	1.50	98.07
10.	जे.के. नगर भू.ग. के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट	ई.को.लि.	0.87	95.28
11.	लिंगराज ओ.का.प.	सा.ई.को.लि.	5.00	229.84
12.	ग्रहीत विद्युत प्लांट के लिए* सं.ला.अनु	से.को.लि.	2x10 मे.वा.	58.80

*गैर-खनन परियोजनायें

सं.ला.अ. = संशोधित लागत अनुमान

भू.ग. = भूमिगत

ओ.का.प. = ओपनकास्ट परियोजना

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

1131. **श्री के. चोक्काराव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) उक्त परियोजनायें कब से लम्बित पड़ी हैं; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मूल्यांकन के लिए प्राप्त आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति का समय राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की शीघ्र अनुपालना करने, अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करने तथा पर्यावरण और/अथवा वन स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत लाख रु० में	लाभ हजार हेक्टे. में	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) बृहद					
1.	तेलुगु गंगा परियोजना	63653 ——— 83449	199.00	5.12.83 ——— 10.1.86	यह परियोजना जांच के बाद परामर्शदात्री समिति कीं 4/88 को हुई बैठक में प्रस्तुत की गई थी। चूंकि अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल नहीं किया गया था, इसलिए परामर्शदात्री समिति ने इस पर विचार विमर्श आस्थगित कर दिया। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के तीनों मुख्य मंत्रियों ने आपस में कृष्णा जल की हिस्सेदारी से सम्बन्धित मुद्दे को हल करने का निर्णय किया है।
2.	जुराला परियोजना	7640 ——— 20475	47.835	10.9.80 ——— 31.3.83	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करने, राज्य के वित्त और योजना विभागों से स्वीकृति प्राप्त करने के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति ने अपनी 4/88 को हुई बैठक में इस परियोजना को स्वीकार्य पाया।
3.	बम्सधारा परियोजना चरण-II	7453 ——— 27574	50.958	2.3.79 ——— 26.9.88	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने तथा उड़ीसा राज्य सरकार की सहमति प्राप्त न किए जाने की वजह से

1	2	3	4	5	6
					परामर्शदात्री समिति ने अक्तूबर, 1988 में हुई अपनी बैठक में इस पर विचार विमर्श आस्थगित कर दिया।
(ख) मध्यम					
1.	मोदीकुंतावागु	3190.29	6.60	31.12.85 ——— 27.3.89	राज्य सरकार को सितम्बर, 1991 में अनुपालन हेतु टिप्पणियां भेजी गयीं। इस परियोजना के वास्ते वन स्वीकृति प्राप्त किया जाना और अद्यतन अनुमान प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
2.	पालेमवागू	2106.05	4.90	16.1.86 ——— 27.3.89	राज्य सरकार को दिसम्बर, 1990 में अनुपालना हेतु टिप्पणियां भेजी गयीं परियोजना के वास्ते वन स्वीकृति प्राप्त करना और अनुमान अद्यतन करना अपेक्षित है।
3.	भूपतिपालेम स्कीम	1660.00	4.897	4.8.89	अनेक मूल कमियों को देखते हुए, यह परियोजना दिसम्बर, 1989 में पहले लौटा दी गई थी। नवम्बर, 1999 में प्राप्त उत्तरों की जांच की गई है तथा डिजाइन, बाढ़, जलाशय की क्षमता, लाभ-लागत अनुपात, आदिवासी आबादी की पुनर्वास योजना से सम्बन्धित और टिप्पणियां अनुपालन हेतु राज्य सरकार को दिसम्बर, 1990 में भेजी गई हैं।

[हिन्दी]

लोक सभा के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन

1132. **श्री केशरी लाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दसवीं लोक सभा के उन सदस्यों को, जो नवीं लोक सभा के भी सदस्य थे, 1991 के लिए प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन के कोटे की सुविधा नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दसवीं लोक सभा के ऐसे सदस्यों की सिफारिश पर गैस कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) 9वीं लोक सभा के जो सदस्य 10वीं लोक सभा के सदस्य हैं, उन्हें 48 कनेक्शनों का लाभ मिलेगा जिसमें उतने कनेक्शन घटा दिए जायेंगे जो उन्होंने 9वीं लोक सभा के सदस्य होने के नाते ले लिया था, यह प्रति सांसद के लिए प्रति तिमाही 12 कनेक्शनों तक सीमित होगा।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का लाभ

1133. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में कमी तथा प्रचालन लागतों में वृद्धि के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादन में लाभार्जन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन और लाभ में वृद्धि करने के लिए योजना आयोग के कार्यकारी दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का वर्ष 1990-91 में कर पश्चात लाभ 1048 करोड़ रुपये का था जबकि वर्ष 1989-90 में यह 1624 करोड़ रुपये का था। लाभ में कमी होने के मुख्य कारणों में विदेशी मुद्रा की भारी हानि, खोदे गए कुंओं की लागत को बट्टे खाते डालने, मूल्य ह्रास/स्थल परित्याग और कार्यचालन खर्च आदि शामिल हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कार्य प्रणाली की समीक्षा बराबर सतत आधार पर की जाती है।

(ग) योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिए किसी कार्य दल का गठन नहीं किया है।

कोयले के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सैल

1134. **श्री पी.एम. सईद :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपभोक्ताओं को बेहतर किस्म का कोयला उपलब्ध कराने हेतु एक गुणवत्ता नियंत्रण सैल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला धोवनशालाओं की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को भी आमन्त्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० के पास पहले से ही उसकी सभी सहायक कम्पनियों के अधीन स्वतन्त्र रूप में गुणवत्ता नियंत्रण सैल कार्यरत हैं जोकि कोयले की गुणवत्ता पर निगरानी तथा निकटतम पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। इन सैलों को कोल इंडिया लि० द्वारा आगे सुदृढ़िकृत किया जा रहा है।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र में कोयले की वाशरियों को स्थापित किए जाने का आज की स्थिति के अनुसार सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

1135. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख)

वर्ष	राशि करोड़ रुपए में
1988-89	1482
1989-90	2202
1990-91	4555

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें और रसोई गैस एजेंसियां

1136. **श्री डी.डी. खनोरिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में पेट्रोल/डीजल की दुकानों और रसोई गैस की एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपयुक्त जिलों में ऐसी और एजेंसियां आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में पेट्रोल/डीजल के 20 खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. की II डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं।

(ख) से (घ) समय-समय पर तैयार विपणन योजनाओं तथा नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं।

इस्पात उद्योग में नीतिगत सुधार

1138. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग में काफी समय से नीतिगत सुधार नहीं हुआ है;

(ख) क्या संयुक्त योजना समिति इस्पात उद्योग की प्रगति में बहुत बड़ी रूकावट है;

(ग) यदि हां, तो क्या संयुक्त योजना समिति को भंग करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राष्ट्रीय आम राय प्राप्त करने का है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस्पात क्षेत्र में नीतियों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) : प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरकों की दोहरी मूल्य नीति

1139. **श्री मोरेश्वर सावें :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरकों की दोहरी मूल्य नीति की समीक्षा हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस नीति के लागू होने के बाद से प्रत्येक राज्य में लाभान्वित होने वाले छोटे और सीमांत किसानों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने 25 जुलाई, 1991 से पूर्व संशोधित दर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करने और उसका क्रियान्वयन करने के बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से मार्गनिर्देशी सिद्धांत तैयार किए हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा अभिव्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए मार्ग निर्देशी सिद्धांतों को लचीला बनाया गया है ताकि राज्य अपने मूल्यांकन के अनुसार उपलब्ध निधियों के तहत योजना को क्रियान्वित कर सके।

(ग) इस योजना के मार्ग निर्देश राज्य को 14 अगस्त, 1991 को परिचालित किए गये थे। राज्य सरकारें इस योजना को क्रियान्वित कर रही हैं। कार्यान्वियन की इस अवस्था पर, छोटे और सीमांत किसानों की संख्या, जो विभिन्न राज्यों में इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं, को निर्धारित करना संभव नहीं है।

कोल इण्डिया लिमिटेड का पुनर्गठन

1140. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोल इण्डिया लिमिटेड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एल. बी. न्यामगौड) : (क) इस संबंध में माननीय सदस्य का आशय, कोल इण्डिया लिमिटेड की एक धारक कंपनी के रूप में स्थिति में प्रस्तावित संशोधन किए जाने के संदर्भ में प्रतीत होता है। वर्तमान में कोल इण्डिया लि० की स्थिति में एक धारक कंपनी के रूप में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में गैर-सरकारी सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1141. **श्री गुरूदास कामत :** क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु स्वराज पाल तथा हिन्दुजाज् के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है तथा वहां इस्पात संयंत्रों को किस समय तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और ख) उढ़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 नवम्बर, 91 को राज्य सरकार ने उड़ीसा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कापारो ग्रुप के डा. स्वराजपाल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर पस्ताक्षर किये । इस्पात संयंत्र के प्रबन्धन बोर्ड का गठन कापारो ग्रुप द्वारा उड़ीसा सरकार के परामर्श से किया जायेगा । यह संकेत दिया गया है कि कापारो ग्रुप वित्तीय पैकेज की व्यवस्था करेगा जिसमें विदेशी व स्वदेशी मुद्रा शामिल है । इस्पात संयंत्र को पूरा करने के समय के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ; यद्यपि समझौता-ज्ञापन में बिस्तृत रूपरेखा दी गई हैं, फिर भी अभी विवरण तैयार किया जाना है और यदि आवश्यक हुआ तो समझौते ज्ञापन की शर्तों को संशोधित किया जाएगा और कालान्तर में समझौते में उसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा ।

कृषि संबंधी गोष्ठियां

1142. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में 1991 के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितनी गोष्ठियों का आयोजन किया और उन पर कितना धन खर्च हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्लो रामाचन्द्रन) : वर्ष 1991 के दौरान अब तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 25 विचारगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है तथा लगभग 14.85 लाख रुपये का व्यय वहन किया गया है ।

[हिन्दी]

दिल्ली के यमुना पार के इलाके में और अधिक रसोई गैस एजेन्सियों का खोला जाना

1143. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना-पार के इलाके में रसोई गैस की बहुत कम एजेन्सियां हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को अत्याधिक परेशानी उठानी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में और अधिक रसोई गैस एजेन्सियां खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान खोली जाने वाली एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) समय-समय पर तैयार विपणन योजनाओं और नीतियों के अनुसार, विभिन्न शहरों में एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं ।

आंवला में इण्डियन आयल डिपो का निर्माण

1144. **श्री राजवीर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंवला में स्थापना हेतु मंजूर किये गए इण्डियन आयल के डिपो के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(ख) इस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी तथा यह डिपो कब तक पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने और इण्डियन आयल कारपोरेशन को वास्तविक रूप से कब्जा दिये जाने के बाद ही ओनला डिपो का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 19.57 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार से वास्तविक रुप से भूमि का कब्जा पाने के 36 महीने बाद डिपो के पूरा होने की संभावना है।

ब्लाक स्तर पर रसोई गैस डीलरशिप का आबंटन

1145. **श्री राजवीर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्लाक स्तर पर रसोई गैस एजेन्सियां आबंटित करने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार नई एल. पी. जी एजेन्सियां 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) वाले शहरों (और नगरों) में आर्थिक और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर चरणों में स्थापित की जा रही हैं।

बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना को विश्व बैंक को सहायता

1146. **श्री रामशरण यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के लिए, प्राप्त विश्व बैंक की वित्तीय सहायता का उपयोग तत्संबंधी समझौते की शर्तों के अनुसार होने जा रहा है; और

(ख) यदि, नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) क्रियान्वयन में विलम्ब के अलावा विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग करार की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। धीमी प्रगति अधिकांशतः सिविल कार्यों, सबमरसिबल पम्पों, समर्पित पोषक लाइनों की प्रतिष्ठापना एवं बजट संबंधी संसाधनों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा क में भाषण

1147. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश राज्य मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने हाल के भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ कश्मीर के मुद्दे का भी उल्लेख किया था; और

(ख) यदि हां, तो वत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार कीं क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) 30 सितम्बर, 1991 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में पाकिस्तान के मंत्री ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संदर्भ में भारत का बहुत बार उल्लेख किया और आरोप लगाए। भारत के प्रतिनिधि ने उसी दिन उसका उत्तर दिया और सभी आरोपों का प्रभावी ढंग से प्रतिवाद किया। उन्होंने भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान के खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप और जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद को उसके द्वारा समर्थन किए जाने की बात भी कही।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां

1148. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष कितनी रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में और अधिक रसोई गैल की एजेंसियों का आबंटन करने का विचार हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और किन-किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में एल. पी. जी. की पांच डिस्ट्रीब्यूटरशिपीं का आबंटन किया गया था।

(ख) और (ग) समय-समय पर तैयार की गई विपणन योजनाओं तथा नीति के अनुसार एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती है।

कोलम्बो में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का भाषण

1149. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री अन्ना जोशी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रैस में "पाक टेक्स अप. जे. एण्ड के. इश्यू इन कोलम्बो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) इस बात पर भारत के क्षोभ और चिन्ता से श्रीलंका की सरकार को अवगत करा दिया गया है कि उसने अपने यहां भारत के खिलाफ अत्युक्तिपूर्ण टिप्पणी करने की अनुमति दी थी। श्रीलंका की सरकार ने हमें यह बताया है कि उन्होंने भारत द्वारा व्यक्त चिन्ता पर पूर्णतया गौर किया है लेकिन वे इस बात का अनुमान नहीं लगा पाये थे कि श्रीलंका की यात्रा पर आए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे।

गढ़वाल हिमालय में बांधों का निर्माण

1150. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल हिमालय तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में निर्माणीधीन तथा प्रस्तावित बड़े तथा मध्यम स्तर के बांधों के नाम क्या हैं और उनकी ऊंचाई, अनुमानित लागत, वर्तमान अवस्था, समय सारणी, डूब क्षेत्र तथा उनसे प्रभावित लोगों की संख्या का बांधवार (अलग-अलग) ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस क्षेत्र में बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध उठाई गयी आपत्तियों की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कई बड़े बांध बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में हाल के भूकम्प को देखते हुए उन बांधों के निर्माण पर पुनः समीक्षा करने का है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे भंगुर क्षेत्रों में इन बड़े बांधों के स्थान पर "रन-आफ-द-रीवर डैमास" बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गढ़वाल क्षेत्र में निर्माणाधीन दो बांधों का विवरण नीचे दिया गया है—

परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	बांध की ऊंचाई (मीटर)	विस्थापित परिवार (संख्या)	जलमग्नता (हेक्टे०)	पूरा होने की संभावित तारीख
भगीरथी नदी पर टिहरी बांध	1974	260.5	14639	5200	1996-97
अलकनन्दा नदी पर श्रीनगर बांध	372.3	85	32	340	1996-97

इसके अलावा, 428 करोड़ रुपये की लागत के 103.5 मीटर ऊंचे कोटेस्वर बांध का निर्माण शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इससे 250 हैक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होगा तथा 460 परिवार विस्थापित होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार 7 नई वृहद् तथा मध्यम भण्डारण परियोजनाओं का भी अन्वेषण कर रही है। ये अन्वेषण की प्रारम्भिक अवस्था में हैं और बांधों की ऊंचाई, भूमि की विद्यमान जल-

मग्नता तथा लोगों का विस्थापन दर्शाते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अभी तैयार की जानी हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मानसूनों के दौरान गंगा नदी के उपलब्ध अधिशेष जल के पूर्ण उपयोग के लिए मंडारण बांध आवश्यक हैं, ताकि दिल्ली जैसे शहरों सहित बड़े क्षेत्र के लिए पूरे वर्ष सिंचाई, विद्युत तथा पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(घ) परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के समय, भूकम्पीय बलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की उपयुक्तता सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाता है। केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है जो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित संगत मानकों तथा दिशानिर्देशों को पूरा करती हैं। हाल के भूकम्प की प्राप्त सूचना से अभी तक किन्हीं ऐसे लक्षणों का पता नहीं चला है, जिन पर निर्धारित मानदण्डों और कार्यपद्धति संहिता में पहले ही ध्यान न दिया गया हो और ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि इसकी समीक्षा की जाए।

(ङ) रन-आफ नदी स्कीमें वे सभी लाभ पूर्णतः प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। जो मंडारण स्कीमों से प्राप्त होते हैं। इसलिए मंडारण स्कीमों को रन-आफ नदी स्कीमों में बदलने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंडारण स्कीमों से नदी चैनल में निर्मुक्त नियमित जल का उपयोग करने के लिए ये मंडारण स्कीमों की अनुपूरक हो सकती हैं।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत का पांचवां दौर

1151. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

श्री बारेलाल जाटव :

श्री गोपनाथ गणपति :

श्री चित्त बसु :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के पांचवें दौर को बातचीत में उठाये गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कच्छ के रूप में सरक्रीक और कश्मीर में तुलबुल बांध से सम्बन्धित मुद्दे भी इस बातचीत में उठाये गये; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) इस्लामाबाद में 30 और 31 अक्तूबर, 1991 को सम्पन्न पांचवें दौर की वार्ता में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने सभी द्विपक्षीय मसलों पर विचार विमर्श किया जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ आतंकवाद

को पाकिस्तान के समर्थन का सवाल, निरस्त्रीकरण तथा द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने के उपाय भी शामिल थे ।

(ख) दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि रासायनिक अस्त्रों के विषय में एक संयुक्त घोषणा जारी करने और रासायनिक अस्त्रों के विकास, उत्पादन और उनकी स्थापना पर प्रतिबंध से सम्बद्ध एक द्विपक्षीय समझौते पर विचार-विमर्श करने के लिए किसी परस्पर सुविधाजनक तारीख को दोनों ओर के विशेषज्ञों की बैठक बुलाने पर विचार करेंगे । इस बात पर भी सहमति हुई कि सियाचीन पर बातचीत पुनः शुरू की जाए, तुलबुल नौवहन परियोजना, सरक्रीक क्षेत्र में सीमा के सम्बन्ध में और आगे बैठकें की जायें तथा एक जनवरी, 1992 से पहले अपने नाभिकीय प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्देशांकों की अदला-बदली कर लें जैसाकि दिसम्बर, 1988 में संपन्न नाभिकीय प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं के विरुद्ध आक्रमण निषेध से सम्बद्ध समझौते में अपेक्षित है ।

(ग) और (घ) इस महीने के शुरू में इन मसलों पर सचिव स्तर की बातचीत के निष्कर्ष पर संतोष व्यक्त करते हुए, इस बात पर सहमति हुई कि विदेश सचिवों की अगली बैठक से पहले बातचीत का एक और दौर आयोजित किया जाए ।

[अनुवाद]

इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

1152. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री हाराधन राय :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री चित्त बसु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इंडियन आयरन स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आधुनिकीकरण कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) इसके आधुनिकीकरण पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

चंडीगढ़ में रसोई गैस के कनेक्शन

1153. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ख) सभी आवेदनकर्त्ताओं को रसोई गैस के कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) करीब 0.64 लाख ।

(ख) अधिकतम आवेदकों को यथाशीघ्र एल. पी. जी. कनेक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1154. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हेतु भूकम्पीय सर्वेक्षण कराया गया;

(ख) तथा कितने स्थानों पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया था और कितने कुओं में तेल और प्राकृतिक गैस पाए गए हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गस आयोग तथा भारतीय तेल निगम के पास अधिकतम गहराई तक खुदाई करने के लिए पर्याप्त संख्या में रिग हैं और यदि नहीं, तो क्या उनका विचार अधिक रिगों का प्रवन्ध करने का है;

(घ) क्या विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में ऐसे कई स्थान हैं जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस प्राप्त किए जा सकते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के उद्देश्य हेतु ऐसे स्थानों का पता लगाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1958 से जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में।

(ख) राजस्थान में 57 कूपों की ड्रिलिंग हुई है ओर दिनांक 1-10-1991 की स्थिति के अनुसार, 25 कूपों में गैस/तेल प्राप्त हुआ है।

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गस आयोग जरूरत और उपलब्धता के अनुसार रिगों का प्रबन्ध करते हैं।

(घ) से (च) राजस्थान में अभी भी अन्वेषण कार्य जारी है।

[अनुवाद]

कोलार में सोने की खानों का बन्द होना

1155. **श्री राम कापसे :**

श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने कोलार में सोने की खानों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सोने की कितनी खानें बन्द की गई हैं और निकट भविष्य में कितनी खानों को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(घ) इससे सोने की कितनी मात्रा में अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इसके परिणाम स्वरूप कितने श्रमिकों के बेरोजगार होने की सम्भावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) घटते हुए स्वर्ण अयस्क, अत्यधिक गहराई में खनन, निम्न ग्रेड स्वर्ण अयस्क और ऊंची उत्पादन लागत के कारण कोलार में स्वर्ण खनन अलाभकारी हो गया है तथा कम्पनी को लगातार गत 5 वर्षों में 118.16 करोड़ रु० से अधिक का घाटा हो चुका है।

सरकार ने मैसूर, चैम्पियन और नन्दीद्रुग स्थित खानों को क्रमशः बन्द करने और साथ ही, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में उथले स्तरों पर लाभकारी खनन की सम्भावनाओं का पता लगाने का निर्णय किया है। कम स्वर्ण अयस्क उत्पादन, निम्न ग्रेड अयस्क और खानों को क्रमशः बन्द किये जाने के कारण उत्पादन में मामूली गिरावट आई है।

(ङ) अभी तक किसी कामगार को नहीं निकाला गया है। कम्पनी द्वारा लागू स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का 1000 से अधिक कामगारों ने लाभ उठाया है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

1156. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 1990 की तुलना में 1991 शुरू से पेट्रोलियम उत्पादों की औसत मासिक वृद्धि दर अथवा खपत कितनी है;

(ख) ये आंकड़े किस आधार और मान्यता पर आधारित हैं;

(ग) क्या तेल समन्वयन समिति ने तेल उत्पादों की सप्लाई में पर्याप्त रूप से कटौती करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री : (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 के बीच की खपत वर्ष 1990 की तदनुरूपी अवधि के दौरान की गई खपत से 1.2 प्रतिशत कम थी।

(ख) ये तेल कम्पनियों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुवैत की जेलों में सड़ रहे भारतीय

1157. **श्री बारे लाल जाटव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय नागरिक कुवैत तथा अन्य खाड़ी देशों की जेलों में सड़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां. तो उनकी शीघ्र रिहाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) खाड़ी युद्ध के दौरान कितने अनिवाली भारतीय मारे गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) कुवैत तथा खाड़ी के अन्य देशों की जेलों में कुछ भारतीय राष्ट्रिक हैं।

(ख) हमारे राजदूतावास के अधिकारी जेलों में नजरबंद इन भारतीयों से मुलाकात करते रहे हैं तथा उनके इलाज और उनकी रिहाई से सम्बद्ध अलग-अलग मामलों को वहां की सरकार के साथ यथावश्यकता उठाते रहे हैं। इन भारतीय राष्ट्रिकों की सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें स्थानीय कानूनी कार्रवाइयों के बारे में भी सामान्यतः मसविरा दिया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1158. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और देहरा तहसीलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानों में कृषि विज्ञान केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाएं

1159. **श्री पी.सी. थामस :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केरल में निर्माणाधीन बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, उनमें हुई प्रगति तथा उनके पूरा होने के संभावित समय का विवरण।

(करोड़ रुपए में/क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई है	अनुमोदन का स्तर	(1991-92) वार्षिक योजना के अनुसार अनुमोदित लागत	1990-91 के अंत तक व्यय अनन्तिम	वर्ष 1991-92 के लिए स्वीकृत परिव्यय	अन्ततः क्षमता	1990-91 के अंत तक सृजित क्षमता	क्षमता लक्ष्य 1991-92	पूरा करने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृहद										
1.	पेरियार घाटी	II	अनुमोदित	69.51	67.51	2.00	85.60	85.31	0.29	1991-92
2.	पम्बा	III	अनुमोदित	61.25	60.10	1.50	49.46	49.46	—	-वही-
3.	चित्तुरपुझा	III	अनुमोदित	21.40	20.40	1.00	26.97	27.13	—	-वही-
4.	कुट्टियाडी	III	अनुमोदित	56.50	52.32	0.50	35.85	35.21	0.64	-वही-
5.	कल्लडापुझा	III	अनुमोदित	66.74	51.42	3.20	21.85	17.49	2.00	आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	पाझासी	III	अनुमोदित	89.12	66.93	3.40	23.05	12.96	1.50	-वही-
7.	कालाड़ा	III(1961)	अनुमोदित/ बाह्य सहायता	457.80	319.24	32.00	92.80	51.43	30.00	-वही-
8.	मुवाटुपुझा	I/	अनुमोदित	89.25	39.38	8.00	34.74	—	2.00	-वही-
9.	चिमोनी	I/	अनुमोदित	36.66	28.92	5.00	26.00	13.00	13.00	-वही-
10.	इदमलयार	I/	अनुमोदित	67.40	39.30	4.00	43.19	—	—	-वही-
मध्यम										
1.	अट्टपाडी	I/	अनुमोदित	50.00	7.41	0.00	8.38	—	—	-वही-
2.	कारापुझा	I/	अनुमोदित	44.89	15.74	4.00	9.30	—	—	-वही-

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा रतलाम में पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने की मांग

1160. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा रतलाम जिलों से पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्रों के आबंटन हेतु अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों को उचित कार्रवाई के लिए तेल कम्पनियों को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

भुखमरी से हुई मौतें

1161. **श्री जीवन शर्मा :**
श्री चित्त बसु :
श्री रवि राय :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री गोविन्द राव निकाम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान देश में भुखमरी से कई मौतें होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भुखमरी से ये मौतें किन परिस्थितियों/कारणों से हुई; और

(घ) ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) किसी भी राज्य ने गत छः महीनों के दौरान भुखमरी से किसी की मृत्यु होने की सूचना नहीं दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोल पम्पों का निरस्त किया जाना

1162. **श्री के.एच. मुनियप्पा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान जिन व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री-केन्द्रों का आबंटन किया गया, उनकी संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या मंजूरी देने की प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण अधिकांश मंजूरियां बाद में निरस्त कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 34

(ख) 5

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में मालवी पशु, अनुसंधान तथा पशुपालन केन्द्र

1163. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (म०प्र०) ने राजगढ़ में मालवी नस्ल के पशुओं के लिए एक अनुसंधान तथा पशुपालन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेहरी-आन सोन कोयला स्टाकयार्ड के लिए निविदा

1164. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेयरी-आन सोन कोयला स्टाकयार्ड के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई;

(ख) यदि हां, तो उन पर अन्तिम निर्णय कब लिया गया; और

(ग) कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) जी हां। कोल इण्डिया लि० ने अन्य स्थलों के स्टाकयार्डों के साथ डेहरी-ओन-सोन स्टाकयार्ड के लिए निविदायें आमन्त्रित की थीं। उक्त निविदाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, चूंकि वर्तमान में स्टाकयार्डों के परिचालन की नीति पर सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

पश्चिम कोसी नहर परियोजना

1166. **श्री ओलिन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर परियोजना की शाखा नहरों के निर्माण के लिए आबंटित धनराशि को वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुख्य नहर तथा शाखा नहरों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के निर्माण कार्य से कोई भी राशि नहीं निकाली गई है। तथापि, वित्तीय बाधाओं के कारण वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान काफी कार्यों को कम कर दिया गया जैसाकि अन्य परियोजनाओं के लिए किया गया है।

(ग) कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि जून, 1995 है।

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1167. **श्री पंकज चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि, नहीं तो दिल्ली में तथा देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति हैं तथा इन व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) अधिकतम व्यक्तियों को एल.पी.जी. कनेक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, यह उत्पाद की उपलब्धता, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास लम्बित प्रतीक्षा सूची और उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम पर आधारित होगा।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को रसोई गैस के कनेक्शन

1168. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को रसोई गैस के कनेक्शन देने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तारीख तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं; और

(घ) नये क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए सरकार ने कौन से मानदंड अपनाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अनुसार उत्पाद की समग्र उपलब्धता के आधार पर एल. पी. जी. की सुविधा 20,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले उन स्थानों पर चरणों में दी जा रही है जहां डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता उपलब्ध हो । तथापि अधिकतम आवेदकों को एल. पी. जी, कनेक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद[

अपरिष्कृत तेल की लागत

1170. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1989. 1990 और 1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंचने के बाद अपरिष्कृत तेल की प्रति मीट्रिक टन लागत कितनी थी;

(ख) उन्हीं तिथियों को देश में ही परिष्कृत तेल की प्रति टन औसत उत्पादन लागत कितनी थी;

(ग) उन्हीं तिथियों को विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और विमानन-श्रेणी के ईंधन का प्रति मीट्रिक टन नियंत्रित मूल्य और इन वस्तुओं के प्रति लीटर खुदरा मूल्य क्या थे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान नियंत्रित मूल्य को कितनी बार संशोधित किया गया और इस वृद्धि का क्या औचित्य था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) अलग-अलग बंदरगाहों और आपूर्ति के स्रोतों के चलते भी कच्चे तेल की उतराई लागत अलग-अलग होती है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(न) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) दिनांक 1-1-1989 और 1-1-1991 के बीच दो बार आपूर्ति, माँग में वृद्धि और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई परिवर्तन करती है ।

विवरण

एम. एस. 87, एच. एस डी., एस. के. ओ. और ए. टी. एफ. की मंडार स्थल की कीमत निम्नलिखित है :

		रु०/एम० टी०	
उत्पाद	1-1-1991 को	1-1-1990 को	1-1-1991 को
एम. एस. 87	10856.33	10856·33	15775·11
एच. एस. डी.	3745.62	3745·62	5495·71
एस. के. ओ. (घरेलू प्रयोग के लिए)	2514.66	2514.66	3143·32
ए. टी. एफ. (अन्तर्राष्ट्रीय एयरवेज से इतर)	6748.93	6748.93	10562·09

भाड़ा और स्थानीय लेवी में अन्तर के कारण किसी राज्य में अलग-अलग स्थानों पर खुदरा कीमते अलग-अलग होती हैं।

राज्य विद्युत परिषदों को कोयले की आपूर्ति

1171. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत परिषदों को केवल नकद अग्रिम भुगतान करने पर ही कोयले की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में विद्युत परिषदों की प्रतिक्रिया क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामागौड) : (क) से (ग) कई राज्यों के विद्युत बोर्ड कोयला कम्पनियों की कोयले की कीमतों की अदायगी करने के मामले में निरन्तर दोषी पाए गए हैं। 30-9-91 की स्थिति के अनुसार 1900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की अदायगी करनी बाकी है। एक ऐसी स्थिति पहुंच गई थी, जहां कोयला कम्पनियों के लिए निधियों की कमी के कारण अपने क्रियाकलापों को जारी रखना बहुत कठिन हो गया था। अतः राज्य विद्युत बोर्डों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए 1-10-91 से अग्रिम रूप में अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेना पड़ा। विद्युत बोर्ड अब कोयला कम्पनियों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार अग्रिम अदायगी कर रहे हैं।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयला बिक्री की नयी प्रणाली

1172. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला खरीदने के लिए "कैश एण्ड कैरी" प्रणाली शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और यह प्रणाली कब तक शूरू हो जाएगी; और

(ग) नयी प्रणाली का दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) "कैश एण्ड केरी" प्रणाली के अन्तर्गत सभी उपभोक्ता जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड तथा विद्युत उपयोगितायें शामिल हैं, को कोयले का प्रेषण किए जाने से पूर्व कोयले की कीमत की अग्रिम रूप में अदायगी करनी पड़ेगी। इस योजना को 1-10-91 से लागू किया गया है। उपभोक्ताओं के संभावित कठिनाइयों को रोके जाने के लिए सभी कोयला कम्पनियों को उपभोक्ताओं को प्रेषित किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता तथा उचित रूप में तौल का सुनिश्चय किए जाने की सलाह दी गई है।

"इण्डो पाक क्लैश इन यू. एन. ओवर कश्मीर"

1173. **श्री एम. बी चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी. श्री निवास प्रसाद : क्या विदेश मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "इंडो पाक क्लैश इन यु. एन. ओवर कश्मीर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) इस समाचार में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और भारत के वक्तव्यों का जिक्र है। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में जो आरोप लगाए थे। उनका भारत ने बहुत साफ तौर पर और कारगर ढंग से खण्डन किया है।

आठवी पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज का लक्ष्य

1174. **श्री चित्त बसु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लक्ष्य को कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल खोज कार्यों में कटौती करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कच्चे तैल की स्वदेशी आपूर्ति को बढ़ाने की अनेक परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्वेषण कार्यक्रम मांग और संसाधन उपलब्धता पर निर्भर होंगे।

केन सिंचाई परियोजना

1175. **कुमारी उमा भारती** : क्या जल संसाधन मन्त्री 22 अगस्त, 1991 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 3972 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में केन सिंचाई परियोजना सम्बन्धी संशोधित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बांध स्थल पर उपलब्ध जल की मात्रा पर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, अतः केन्द्रीय जल आयोग ग्रेटर गंगऊ में केन नदी की जल प्राप्ति को अन्तिम रूप देने में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की सहायता कर रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात को अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का आबंटन

1176. **श्री काशीराम राणा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात को अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सूरत को कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया और इन वर्षों में सूरत की मांग कितनी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) गैस का आबंटन उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की पूरी मात्रा का आबंटन गुजरात में ही विभिन्न उपभोक्ताओं को किया गया है। सूरत शहर में वितरण के लिए गुजरात गैस कम्पनी को 0.3 मिलियन मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन का आवंटन किया गया है। पुनश्चः 0·7 मिलियन मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी के कोलम्बो संवाददाता को श्रीलंका से निष्कासित किया जाना

1177. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कोलम्बो संवाददाता को श्रीलंका से निष्कासित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका से इस मामले में कोई विरोध प्रकट किया है; और

(घ) आकाशवाणी के संवाददाता को श्रीलंका में पुनः बहाल करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) कोलम्बो में आल इण्डिया रेडियो के राजनीतिक संवाददाता श्री करूप्पास्वामी को श्रीलंका की सरकार ने 16 अक्तूबर, 1991 को गलत रिपोर्ट देने के कारण नोटिस दिया था और उनसे 21 अक्तूबर, 1991 को कोलम्बो से चले जाने को कहा गया था। गलत रिपोर्ट देने के इस आरोप का सम्बन्ध उनकी 15 अक्तूबर, 1991 की उस रिपोर्ट से था जिसमें कहा गया था कि श्रीलंका को संसद के अध्यक्ष श्री एम.एच. अहमद ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। बाद में यह पता चला कि ऐसा नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) सरकार ने 17 अक्तूबर, 1991 को आल इण्डिया रेडियो के संवाददाता के निष्कासन से संबद्ध मामला कोलम्बो स्थित अपने मिशन के माध्यम से श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया था। सरकार ने श्री करूप्पा स्वामी के निष्कासन आदेश पर खेद व्यक्त किया। हालांकि आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन ने भी फौरन ही श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के इस्तीफे से संबद्ध अपनी पहली रिपोर्ट तत्काल वापिस ले ली थी। हमारे आग्रह की परवाह न करके श्री लंका की सरकार ने श्री करूप्पास्वामी के निष्कासन पर आगे कार्रवाई की। आल इण्डिया रेडियो के इस संवाददाता के स्थान पर किसी दूसरे संवाददाता को भेजने की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आयल पाम के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

1178. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में आयल पाम के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु स्थान का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय तिलहन ग्रिड

1179. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का एक राष्ट्रीय तिलहन ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित स्थापना में तिलहन उत्पादकों के हितों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास राष्ट्रीय तेल ग्रिड की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) राष्ट्रीय तेल ग्रिड का उद्देश्य तिलहन का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों को मांग केन्द्रों के साथ जोड़ना है। इससे मौसमों और क्षेत्रों में तेलों के मूल्यों में व्यापक उतार-चढ़ाव को कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :

(1) महत्व के अनुकूल स्थानों पर तेल भण्डारण क्षमता का सृजन करना;

(2) खाद्य तेलों को पैक करने के लिए समूचे देश में पैकेज केन्द्रों की स्थापना करना;

(3) तिलहनों और तेल को, जहां अधिक उत्पादन है, वहां से कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए किफायती परिवहन पद्धति का विकास करना।

(ग) जी हां। इस प्रस्ताव में उपर्युक्त सुविधाओं को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त तिलहन उत्पादन सहकारी परियोजना के अन्तर्गत पहले से स्थापित तिलहन परि-संस्करण, परिष्करण और अन्य अवसंरचना के साथ जोड़ने की भी परिकल्पना की गई है, जिसके फलस्वरूप सदस्य किसानों को लाभ प्राप्त होगा।

आंध्र प्रदेश में मात्स्यिकी का विकास

1180. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मत्स्यन की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए आस्ट्रेलिया/ विश्व बैंक के किसी दल ने इस राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में मत्स्यन के विकास के लिए आंध्र प्रदेश में दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य व कृषि संगठन/विश्व बैंक के परियोजना विपणन मिशन ने मई-जून, 1990 के दौरान राज्य में खारा जल शिम्प और जलाशय मात्स्यिकी के विकास के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित कुछ चुने हुए राज्यों का दौरा किया। जून-जुलाई, 91 में विश्व बैंक के एक मिशन ने परियोजना का मूल्यांकन किया।

आस्ट्रेलियाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता ब्यूरो के एक आस्ट्रेलियाई दल ने मत्स्य परि-संस्करण परियोजना की स्थापना करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 1991 के शुरू में विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश सहित भारत का दौरा किया।

(ग) 1991-92 के दौरान मात्स्यिकी विकास के लिए 720 लाख रुपए के परिव्यय का आबंटन किया गया था, जबकि 1990-91 के लिए 600 लाख रुपए के मूल परिव्यय की मंजूरी दी गई थी. जिसे बाद में मार्च, 1991 के दौरान बढ़ाकर 825 लाख रुपए कर दिया गया था।

राष्ट्रीय संदर्शी योजना

1181. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल संसाधनों के विकास हेतु राष्ट्रीय संदर्शी योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या मुख्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर जलाशयों के निर्माण हेतु ग्रिड के हिमालय संघटक की जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटक के लिए अध्ययन प्रारम्भ किया है। अब तक प्रायदीपीय घटक के सात जल अन्तरण सम्पर्कों के लिए पूर्ण व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण कर ली गई है और इनमें से तीन सम्पर्कों हेतु सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है। हिमालययी घटक के लिए अध्ययन चालू वर्ष से प्रारम्भ किए गए थे।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय और हिमालययी घटक दोनों के लिए अध्ययन और क्षेत्रीय अन्वेषण सन् 2000 ई० तक पूरे करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। वास्तविक प्रगति आवश्यक निधियों और स्टाफ की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) हिमालययी घटक के अन्तर्गत पूर्व व्यवहार्यता अध्ययनों हेतु 19 जल अन्तरण सम्पर्कों का पता लगाया गया है। इनमें से सम्पर्को पर 1994-95 से 1996-97 के दौरान और शेष सम्पर्कों पर 1997-98 से 1999-2000 के दौरान विस्तृत रूप से अन्वेषण किए जाने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसंधान स्टेशन

1182. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार/आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य में राष्ट्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये स्टेशन स्थापित किए जाने हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को सिंचाई परियोजनायें

1183. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत डेढ़ वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) अभी ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और उनके कारण क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सिंध नदी परियोजना चरण-II की 607.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की संशोधित रिपोर्ट नामक एक प्रस्ताव ही केन्द्रीय सरकार को दिसम्बर, 1990 में प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में इस परियोजना से 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना है।

(ख) और (ग) हालांकि इस परियोजना की जल उपलब्धता तथा अवसादन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा डिजाइन, बाढ़, सिंचाई आयोजना, मूजल, लागत प्राक्कलन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दे हल किए जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

1184. **श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में, पेट्रोल/डीजल फुटकर बिक्री केन्द्रों का आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये बिक्री केन्द्र कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) विपणन योजनाओं, उत्पादों की उपलब्धता इत्यादि के अनुरूप विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल/डीजल की नई डीलरशिपें बोली जाती हैं।

विदेशों में भारतीय दूतावास

1185. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारतीय दूतावास/मिशन नहीं हैं; और

(ख) किन-किन देशों में भारतीय दूतावास खोले जाने की सम्भावना है और कब तक ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फलैरो) : (क) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से निम्नलिखित देशों में भारत का राजनायिक प्रतिनिधित्व नहीं है, न रिहायशी मिशन के माध्यम से और न ही सह-प्रत्यायन के माध्यम से।

1. डोमीनिकन गणराज्य

2. फिजी-1989 से बन्द कर दिया गया है।

3. हाइती

4. होन्डुरास

5. इजरायल

6. लीचतेन्स्तीन

7. पपुआ न्यू गिनी*

8. सोलोमन द्वीप समूह*

9. दक्षिण अफ्रीका

10. वानुआतू*

11. लिथुआनिया

12. एस्टोनिया

13. लातविया

14. मोगाडिसू—मिशन अस्थायी तौर पर बन्द है।

15. माइक्रोनेसिया

16. मार्शल द्वीप समूह

(*1989 तक फिजी स्थित हमारे रिहायशी मिशन से सह-प्रत्यायन था।)

(ख) निकट भविष्य में निम्नलिखित देशों के साथ सह-प्रत्यायन के माध्यम से भारत के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है :

1. लिथुआनिया

2. एस्टोनिया

3. लातविया

[अनुवाद]

करनाल तेलशोधन परियोजना

1186. डा. सी. सिलवेरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम को इसकी करनाल तेलशोधन परियोजना को स्वयं अथवा संयुक्त उद्यम के तौर पर कार्यान्वित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(घ) अभी तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और इसे कब तक पूरा किया जायेगा ;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) यह निर्णय लिया गया है कि करनाल की रिफाइनरी की स्थापना स्वयं इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की जाएगी। इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत विस्तृत साध्यता रिपोर्ट के अनुसार जो सरकार के विचाराधीन है, इस परियोजना पर लगभग 2000 करोड़ रुपये की (अप्रैल, 1991 की कीमतों पर) लागत आने का अनुमान है।

[हिन्दी]

सेवों के लिए "मार्किट इन्टरवेन्शन स्कीम"

1187. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान सेब, नाशपाती और चेरी की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश को "मार्किट इन्टरवेन्शन स्कीम" के अन्तर्गत कितनी धन राशि जारी की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : मण्डी हस्तक्षेप योजना, जो पहली बार 1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी, के तहत सेवों की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश को कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है। भारत सरकार को इस योजना के तहत कार्यों के लेखा-परीक्षित लेखों, जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है, की प्रस्तुति पर राज्य सरकार के साथ 50 प्रतिशत हानि वहन करनी होती है। हिमाचल प्रदेश में नाशपाती और चेरी में अभी तक कोई मण्डी हस्तक्षेप कार्य नहीं किया गया है।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना

1188. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना पर निर्माण कार्य पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसी उपयुक्त नए अभिकरण/अभिकरणों को कार्य सौंपने के लिए आवश्यक कारंवाई पर पंजाब सरकार विचार कर रही है। इस परियोजना को पूर्ण करने का निर्धारित समय पंजाब सरकार द्वारा कार्य सौंपे जाने वाले नए अभिकरण/अभिकरणों की प्रकृति और क्षमता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन

1189. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केरल को मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया;

(ख) क्या केरल के मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा 265052 टन थी।

(ख) और (ग) केरल तथा अन्य राज्य सरकारों से भी एस. के. ओ. के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जब भी आवेदन प्राप्त होते हैं, उन पर विचार किया जाता है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर निर्णय लिए जाते हैं जिसमें उत्पाद की उपलब्धता आदि शामिल है।

[हिन्दी]

पथखेड़ा कोयला क्षेत्र, महाराष्ट्र में खनन कार्य

1190. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पथखेड़ा कोयला क्षेत्र, महाराष्ट्र में कोयले के खान की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च हुई है तथा इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में खनन कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्य कब से शुरू हो जाएगा; और

(ङ) विद्युत केन्द्रों को कोयला प्रदान करने के लिए किन स्थानों पर नयी कोयला धोवनशालाएं स्थापित की गयीं हैं अथवा की जायेंगी ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (घ) पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र में 4 स्वीकृत परियोजनाएं कार्यरत हैं :

परियोजना	स्वीकृत क्षमता (मि. टन. प्रतिवर्ष)	मार्च, 91 तक व्यय (करोड़ रु०)	1990-91 में कोयला का उत्पादन (मि. टन)
1	2	3	4
पाथाखेड़ा विस्तार भू. ग.	1.32	32.51	1.07
शोभापुर भू. ग.	0.60	23.85	0.53
सरनी भू. ग.	0.42	13.50	0.27
सतपुड़ा भू. ग.	0.60	17.40	0.62

(ङ) जहां तक पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां से विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए कोई वाशरी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने सेंट्रल कोला फील्ड्स लि. के (नार्थ कर्णपुरा क्षेत्र) की पिपरबार एकीकृत-खान-सह-परिष्करण परियोजना को संयोजित विद्युत गृहों को धुले कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी है। ऐसी ही एक अन्य एकीकृत योजना सा. ई. को. लि. के अन्तर्गत तलचर क्षेत्र में कलिंगा परियोजना के रूप में चलाए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

केरल में अज्ञात बीमारी से पीड़ित मछलियां

1191. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री टी. जे. अंजलोज : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलियों की बीमारी के विशेषज्ञों ने उस अज्ञात बीमारी का पता लगाया है जिससे केरल में, वेम्बनाड भील और नहरों एवं भील के आसपास के तालाबों में मछलियां पीड़ित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस बीमारी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बीमारी से अनुमानतः कितनी क्षति होगी और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए अब तक क्या उपचारी उपाय किए गए हैं तथा आगे क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अंतर्देशीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर तथा केन्द्रीय खारा जल, जल कृषि संस्थान, मद्रास ने केरल के बैकवाटर में मछली-रोगों को इपिजूटिक अल्सरेटिव सिन्ड्रोम (ई. यू. एस.) के रूप ने अभिज्ञात किया है। इस रोग के उत्पादक कारक मूलतः जीवाणु सम्बन्धी, विषाणु और कवकीय हैं, जो प्रदूषण के कारण प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरणीय विकृति से जुड़े हुए हैं।

(ग) केरल सरकार ने इस क्षति को लगभग 19.8 करोड़ रुपये आंका है। रोगों को रोकने के लिए सुझाए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :

(1) प्रभावित नियंत्रणीय जल क्षेत्रों का चूना और लवण में उपचार करना।

(2) प्रभावित मछलियों का पोटेसियम परमैंगनेट से उपचार।

(3) खुले जल में स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखना।

रसोई गैस का उत्पादन

1192. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) नए उत्पादन यूनिटों को स्थापित करके तथा वर्तमान यूनिटों में हो रहे उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादनों के मूल्य

1193. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोल और कुछ अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तीन बार वृद्धि की गई है।

(ख) आपूर्ति, मांग में वृद्धि और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख कर सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई परिवर्तन करती है।

हीरा प्रसंस्करण एकक

1194. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कितने हीरा प्रसंस्करण एकक हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ एकक इस समय शोचनीय स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन एककों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंदिरा सागर परियोजना का कार्यान्वयन

1195. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिकों ने सरकार को इंदिरा सागर परियोजना का कार्यान्वयन रोकने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पर्यावरण वैज्ञानिकों सहित स्वैच्छिक संगठनों ने मुख्य रूप से पुनर्वास और पर्यावर्णिक मुद्दों पर नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण के खिलाफ विरोध किया है। राज्य सरकार, जो कि परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, ने पर्यावर्णिक सुरक्षा उपायों और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए एक विस्तृत

कार्यक्रम तैयार किया है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को इन उपायों में हुई प्रगति का प्रबोधन करने का निर्देश दिया गया है।

महाराष्ट्र में खानें और धातु संयंत्र

1196. **श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान खानों की संख्या कितनी है और वहां अब तक कितने धातु संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन संयंत्रों के विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध के समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में प्रधान खनिजों के 280 खनन पट्टे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

महाराष्ट्र में कुल 10 धातु संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 6 संयंत्र लौह मिश्र-धातु के उत्पादन हेतु तथा 1 चूर्ण से मैंगनीज सिंटर्स के उत्पादन के लिए सिंटरिंग सयंत्र है।

(ख) और (ग) तीन लौह-मैंगनीज संयंत्रों के विस्तार का कार्य हाल ही में आरम्भ किया जा चुका है। महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेट लिमिटेड के लौह-मैंगनीज सयंत्र का 9वीं योजना अवधि में विस्तार करने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस समय मैंगनीज सिंटरिंग संयंत्र के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में विद्यमान प्रधान खनिजों के खनन पट्टों की सूची

क्रम सं.	खनिज	खनन पट्टों की संख्या
1.	मैंगनीज अयस्क	38
2.	कोयला	34
3.	लौह अयस्क	38
4.	चूना-पत्थर	42
5.	बाक्साइट	8
6.	सिलिका रेत	47
7.	क्रोमाइट	4
8.	कायनाइट/सिलिमेनाइट	17
9.	पाइरोफिलाइट	1

क्रम सं.	खनिज	खनन पट्टों की संख्या
10.	डोलोमाइट	6
11.	भूरी मिट्टी/येलो ओकर/रेड ओकर	11
12.	चीनी मिट्टी	1
13.	फायर क्ले	4
14.	फेल्स्पार	1
15.	वोल्फाम	1
16.	बेराइट्स	4
17.	भराई रेत	11
18.	रेत	1
19.	अभ्रक	3
20.	शैल	1
21.	क्वार्टज/क्वार्टजाइट	6
22.	फ्लोराइट	1
		जोड़: 280

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के कार्य-कलापों में भाग लेना

1197. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के कार्य-कलापों में भाग लेने के संबंध में दक्षिण कोरिया सरकार का कोई सन्देश भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि भारत को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के लिए आमन्त्रित किया जाता है तो भारत का क्या दर्जा होगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कोरिया गणराज्य की सरकार से यह अनुरोध किया था कि एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग की गतिविधियों में उसे भी भागीदार बनाया जाए। हाल ही में सिओल में एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किए गए वक्तव्य में एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग में शामिल

होने या उससे अपने आपको संहयोजित करने के सम्बन्ध में अनेक देशों और संगठनों द्वारा व्यक्त इच्छा का उल्लेख किया गया है। सदस्य देशों के मंत्रियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे अतिरिक्त भागीदारी के मसले पर और विचार करें जो इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एक मुक्त और विकासमान प्रक्रिया है। ये वरिष्ठ अधिकारी एशिया आर्थिक सहयोग की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे जो 1992 में थाईलैंड में होगी।

(ग) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंकाक में 1992 में एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग की जो चौथी बैठक होने वाली है उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में भूमिजल निकालने के लिए नीदरलैंड से सहायता

1198. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में भूमि जल का उपयोग करने के लिए नीदरलैंड सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना में 4,000 खुदे हुए कुओं, 100 उथले नलकूपों 300 गहरे नलकूपों, 100 अन्तःसरण कुओं के निर्माण तथा उन्हें चालू करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना की संशोधित लागत 55 करोड़ रुपए है और इस परियोजना को तीन वर्ष की अवधि में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है

दनकुनी की कोयला गैस की विपणन नीति

1199. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित विपणन नीति से कोल इण्डिया लिमिटेड के दनकुनी कोल काम्पलेक्स की कोयला गैस की खपत को, जो वर्तमान में एक मिलियन से कुछ अधिक है, 7 मिलियन घन फुट प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल की सरकार के परामर्श से दनकुनी कोयला गैस, जहां इस समय अधिकांश गैस का उपयोग नहीं किया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में गैस प्रतिदिन संयंत्र पर ही जल रही है, के विपणन में सुधार करने के तरीकों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) जी हां। कोल इण्डिया लिमिटेड की दानकुनी कोयला कम्पलैक्स परियोजना 7 मिलियन सी.एफ.टी. कोयला गैस की आपूर्ति तथा उत्पादन किए जाने के लिए पूर्णतः तैयार है।

(ख) से (ग) कोल इण्डिया लिमिटेड पश्चिम बंगाल के साथ तथा ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन (जी.सी.जी.एस.सी.) की दानकुनी गैस के उठान में सुधार किए जाने के लिए निरन्तर सम्पर्क में है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार जी.सी.जी.एस.सी. के साथ एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। ताकि प्रतिदिन एक मिलियन सी.एफ.टी. के वर्तमान स्तर से गैस के उपभोग में प्रतिदिन 7 मिलियन सी.एफ.टी. प्रतिदिन की धीरे-धीरे वृद्धि की जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हाल ही में हुए विचार विमर्श के दौरान को.ई.लि. ने गैस की एक्स-सर्कल कीमत पर एक विचारों का आदान-प्रदान किए जाने का अवसर प्रदान किया। उपर्युक्त विचारों के आदान-प्रदान को गैस के उठान में वृद्धि के साथ संयोजित किया जाएगा और यह आशा है कि और अधिक उपभोक्ता गैस की खरीद किए जाने के लिए आगे आएंगे।

सोवियत संघ से तेल की आपूर्ति में कमी के कारण भारत के कच्चे तेल के आयात पर प्रभाव

1200. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से तेल की आपूर्ति में भारी कमी आने के फलस्वरूप भारत के कच्चे तेल के आयात पर पड़े प्रभाव का कोई आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) भारत द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए सीधे बाजार से कितनी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है; और

(घ) उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। सोवियत रूस से होने वाली आपूर्तियों में ह्रास हुआ है।

(ग) और (घ) इस कमी को वैकल्पिक स्रोतों से वांछित स्तर तक अतिरिक्त आयात कराकर पूरा किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति जारी रखी जा सके।

[हिन्दी]

बन्द अभ्रक खानों को पुनः चालू करना

1201. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना करने तथा अभ्रक उद्योग का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद बड़ी संख्या में अभ्रक खानें बन्द हो गई हैं और अभ्रक खानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक तथा अभ्रक व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अभ्रक खानों को पुनः चालू करने तथा बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई योजना तयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जामरानी बांध परियोजना

1202. **श्री बलराज पासी :** क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में आए भूकम्प को ध्यान में रखते हुए जामरानी बांध परियोजना का निर्माण कार्य छोड़ देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी और उस पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। इस बांध पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। भूकम्प इंजीनियरी विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय की सिफारिशें इस बांध के विस्तृत डिजाइन तैयार करने में मार्गदर्शन के लिए प्राप्त कर ली गई है ताकि इसे भूकम्प प्रतिरोधी बनाया जा सके।

(ख) जामरानी बांध परियोजना के निर्माण की दो चरणों में परिकल्पना की गई है। चरण-I में सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण और नैनीताल जिले में काठगोदाम के निकट एक बराज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। चरण-II के अन्तर्गत गोला नदी पर इस बराज के ऊपर की ओर 131 मीटर ऊंचे एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव है। सलाहकार समिति ने मई, 1989 में इस परियोजना को तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है बशर्ते इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो। इस पर 16.97 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय हुआ है, जबकि इसकी अनुमानित लागत (1987 के मूल्य स्तर पर) 144.84 करोड़ रुपए हैं। इस परियोजना को नौवी योजना में ले जाने का कार्यक्रम है।

हरारे के राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे

1203. **श्री साइमन मरान्डी :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों की कुआललम्पुर बैठक की सिफारिशों को हाल में हरारे में हुए राष्ट्रमंडल के देशों की सरकारों के प्रमुखों के सम्मेलन में उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इन शिखर सम्मेलन के दौरान दस सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुखों के "एप्रायजल ग्रुप" द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गई और उसे प्रस्तुत किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा उस पर भारत का दृष्टिकोण क्या है;

(ङ) क्या बैठक के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मामला उठाया था; और

(च) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) कुआलालम्पुर में

सम्पन्न राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों की बैठक ने "चोगम" से यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रमंडल विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट "चेंज फार द बैटर" में जिन अनेक विकासशील मिसलों का पता लगाया गया है उन पर उच्च राजनैतिक स्तर पर विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। रिपोर्ट पर और आगे विचार-विमर्श करने तथा उसमें उठाए गए मसलों पर बातचीत करने के लिए "चोगम" ने कदम उठाने का फैसला किया है।

(ग) और (घ) शासनाध्यक्ष स्तर पर 10 देशों के एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन दल ने मुख्यतः 1990 के दशक में और उसके बाद राष्ट्रमंडल की भावी भूमिका पर विचार-विमर्श किया। इस दल ने भविष्य के लिए राष्ट्रमंडल की प्राथमिकतायें तय कीं और इन प्राथमिकताओं का उल्लेख चोगम द्वारा स्वीकृत हरारे घोषणा में है। भारत इस दल का एक सदस्य था और उसने विचार-विमर्श में सक्रिय भाग लिया।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे पटसन का उत्पादन

1204. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 199 -92 के दौरान कच्चे पटसन के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) सरकार ने उक्त लक्ष्य प्राप्त करने तथा विश्व बाजार में भारतीय पटसन को प्रतिस्पर्धायोग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए कच्चे पटसन का उत्पादन लक्ष्य 91 लाख गांठ निर्धारित किया गया है, प्रत्येक गांठ 180 कि. ग्रा. की होगी।

(ख) उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार आठ प्रमुख पटसन/मेस्ता/सनई उत्पादक राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 50 चयनित जिलों में केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष पटसन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार पटसन, मेस्ता और सनई के प्रमाणित/क्वालिटी बीजों के उत्पादन और वितरण, वनस्पति रक्षण उपायों, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, रेटिंग तालाबों के निर्माण, फूंगल कल्चर के वितरण आदि पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। विभिन्न विकास मदों पर सरकार द्वारा पूर्ण वहन किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पटसन को स्पर्धात्मक बनाने के लिए, सरकार ने कई उपाए किए हैं, जिसमें निर्यात पर 30% की दर से आर. ई. पी. देना, निर्यात बाजार के लिए निर्धारित विविधिकृत पटसन उत्पादों के जहाज पर्यान्त मूल्य पर 10% की दर से बाह्य बाजार सहायता, बड़े परिमाण की सार्वभौम सम्विदा के लिए पटसन के माल के निर्यात पर हानि, यदि कोई हो, में साझेदार होने के लिए निर्यात मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना का क्रियान्वयन, सीमा शुल्क की रियायती

दर पर जूट मशीनरी की विशिष्ट मदों का आयात, उत्पादकता और सक्षमता सुधारने के लिए आधु-निकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल हैं।

कोयला बनाने की नई नीति

1205. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला बनाने की नई नीति घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नीति के कार्यान्वियन से पहले समन्धित एजेन्सियों से परामर्श कर लिया जाएगा तथा इसे कब तक घोषित करने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का आशय एक नयी कोयला विपणन नीति के सन्दर्भ में है। इस विषय पर एक दस्तावेज तैयार किया गया है और उक्त दस्तावेज पर राज्य सरकारों के विचार आमन्त्रित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर एक निर्णय लिया जाएगा।

उड़ीसा में कोयला कम्पनी की स्थापना

1206. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में कोयला कम्पनी की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एल. बी. न्यामगौड़) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोल इण्डिया लि. की एक नयी सहायक कोयला कम्पनी को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भूकम्पों के बारे में भविश्यवाणी

1207. **श्री मोहन सिंह :**
श्री वी० श्रीनिबास प्रसाद :
श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री शरद दिघे :
श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :
श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपमहाद्वीप धीरे-धीरे समुद्र से एशिया भू-भाग की ओर खिसकता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र ऊपर उठ रहा है तथा सम्पूर्ण हिमाचल-क्षेत्र में बार-बार भूकम्प आने की सम्भावना है;

(ख) क्या 20 अक्टूबर, 1991 को उत्तर प्रदेश में आये इस भूकम्प का कारण यही प्राकृतिक परिवर्तन था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में आये इस भूकम्प का पूर्व ज्ञान था;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भूकम्पों से टिहरी बांध को भी खतरा है;

(च) क्या भूकम्पों से सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार विकसित देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का भूकम्प सम्बन्धी कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(झ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) हिमालय क्षेत्र को भूकम्पो से बचाने के लिये सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) भूकम्प विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वैज्ञानिक भूकम्पों के बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकें अथवा पूर्वानुमान लगा सकें।

(ङ) टिहरी बांध की सुरक्षित डिजाइन बनाने के लिए क्षेत्र की भूकम्पीय प्रवणता को ध्यान में रखा गया था।

(च) जी नहीं, क्योंकि यह अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं है।

(छ) प्रश्न नही उठता।

(ज) और (झ) भूकम्प एक प्राकृतिक आपदा है। भूकम्प के वैज्ञानिक अध्ययन और विनाश प्रबन्ध से सम्बन्धित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है।

(ञ) भूकम्प एक प्राकृतिक घटना हैं। हिमालय क्षेत्र की भूकम्पीय प्रवणता की और अधिक जानकारी के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केरल में डाइनेमाइट विधि से मछली पकड़ना

1208. **(श्री वी. एस. विजयराघवन) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में डाइनेमाइट विधि से मछली पकड़ना अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने मछली पकड़ने की इस विधि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में दुग्ध संसाधन केन्द्र

1209. **श्री बी. एस. विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस राज्य में दुग्ध संसाधन की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेन्का) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तांबा और निकिल धातुओं के पाइप फिटिंग्स का आयात

1210. **श्री फूल चन्द्र वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल प्राकृतिक गैस आयोग विदेशों से तांबा निकिल धातुओं के विभिन्न प्रकार के पाइप फिटिंग का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान कितने मूल्य का फिटिंग्स का आयात किया गया था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन

1211. **श्री रामबदन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 1992 के दौरान आबंटित की जाने वाली रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल/डीजल पम्पों की संख्या कितनी है;

(ख) उन स्थानों का जिलावार तथा कम्पनीवार ब्यौरा क्या है जहां से एजेंसियां तथा बिक्री केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) उपरोक्त एजेंसियों के आबंटन के सम्बन्ध में निर्णयाधीन पड़े आवेदन पत्रों की जिला-वार संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन विपणन योजनाओं उत्पाद की उपलब्धता इत्यादि के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण नुकसान

1212. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1991 के दौरान कर्नाटक में अभूतपूर्व वर्षा के कारण जान-माल और फसलों को हुए नुकसान का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री। (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1991 में हुई वर्षा के कारण निम्नलिखित क्षति की सूचना दी है :

(1)	प्रभावित जिलों की संख्या	— 6
(2)	मृत व्यक्तियों की संख्या	— 37
(3)	पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	—24362
(4)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	—78285
(5)	मृत पशुओं की संख्या	— 1099
(6)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	— 0.45
(7)	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति (करोड़ रुपये में)	— 22.18
(8)	कुल आकलित क्षति (करोड़ रुपये में)	— 55.12

बल्लारपुर क्षेत्र में उपलब्ध कोयले की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर दी गई जानकारी के सम्बन्ध में जांच

1213. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत बल्लारपुर में उपलब्ध कोयले की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दिए जाने के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) श्री नरेश पुगलिया, सांसद ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की उपसमिति के एक सदस्य के रूप में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले के पिट-स्टाक में काफी कमी होने की सूचना दी थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इन कमियों के सम्बन्ध में जांच किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में जांच पूरी नहीं की गयी है।

इसी अवधी में कोयला कम्पनी ने हिन्दुस्तान लालपेठ, बल्लारपुर, सस्ती तथा घुपताला उप-क्षेत्रों के चार उपक्षेत्रीय प्रबन्धकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने की सूचना दी है। इसके अलावा चन्द्रपुर तथा बल्लारपुर क्षेत्रों के प्रबन्धकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

छोटा नागपुर की कोयला खानों में स्थानीय लोगों को रोजगार देना

1214. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को कोयला खानों में और अधिक रोजगार देने और इस क्षेत्र के निर्धन लोगों को कोयला एजेंसियां भी देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने सम्बन्धी अनुरोध छोटा नागपुर के स्थानीय रोजगार कार्यालय को गुणवत्ता के आधार पर विचार किए जाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रायोजन किए जाने के लिए भेजे जाते हैं। यदि स्थानीय रोजगार कार्यालय के पास प्रायोजन किए जाने के लिए उम्मीद-वार नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन के आधार पर रिक्त पदों को विज्ञप्त किया जाता है। किन्तु स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की वास्तविक सीमा रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड के पास व्यक्तियों को कोयले की एजेंसी दिए जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

एल्यूमिनियम का वितरण और विक्रय

1215. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी एल्यूमिनियम कम्पनियों के एल्यूमिनियम के वितरण और विक्रय का कार्य अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का एल्यूमिनियम के वितरण और बिक्री पर नियन्त्रण लगाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि देश में इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

दुर्गावती जलाशय परियोजना

1216. **श्री छेदी पासवान :** क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण इस समय किस चरण में है;

(ख) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नदी भाग तथा स्पिलवे और सिचाई द्वारों से लगे भाग के सिवाय, मिट्टी बांध पर कार्य लगभग पूरा हो गया है। स्पिलवे, स्पिल चैनल और गहरी दिक् परिबर्तन चैनल पर कार्य प्रारम्भिक चरण में है। दायीं तथा बायीं मुख्य नहरों पर मिट्टी कार्य की प्रगति लगभग 25 प्रतिशत है। 147.40 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले इस पर मार्च 1991 तक 69 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(ग) इस परियोजना को आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम है।

बिहार में कोयले के भण्डार

1217. **श्री छेदी पासवान :** क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलेवार कोयले का लगभग कितना भण्डार है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन सी कोयला परियोजनाएं आरम्भ की गई और इस समय कौन-कौन सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ग) चल रही परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या यह प्रगति इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) बिहार के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 1200 मीटर की गहराई तक कुल 64063.85 मिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार राज्य के कोयले के भंडारों का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टनों में)

जिला	कोयले के भण्डार
1	2
1. हजारीबाग	22343.21
2. पलामू	3765.26
3. रांची	700.53

1	2
4. धनबाद	21396.00
5. देवघर	399.85
6. गिरीडीह	5054.86
7. गोड्डा	6643.89
8. दुमका	3710.25
9. भागलपुर	50.00
जोड़	64063.85

(ख) बिहार राज्य में वर्ष 1989-90 के दौरान 13 कोयला खनन परियोजनाओं को, वर्ष 1990-91 में 12 को और वर्ष 1991-92 में अक्तूबर, 1991 तक 3 और परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। 10 नई कोयला खनन परियोजनाओं पर अनुमोदन दिए जाने के लिए मूल्यांकन तथा समीक्षा सम्बन्धी कार्रवाई सरकारी स्तर पर चल रही है।

(ग) से (ङ) इस समय बिहार राज्य की 73 कोयला खनन परियोजनाएं, जिनकी प्रत्येक की लागत 2.00 करोड़ तथा इससे अधिक की लागत की हैं; क्रियान्वयनाधीन हैं। इनमें से 42 परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और 31 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—भूमि अधिग्रहण में तथा भू-वंचित परिवारों के पुर्नवास में विलंब, उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, भू-गर्भीय परिस्थितियों में कठिनाई, निधियों आदि में की कमी।

कोयला कम्पनियों को हुआ लाभ/घाटा

1218. **श्री छेदी पासवान** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया और कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि में कतिपय कम्पनियों को घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) उनके उत्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) वर्ष 1988-91 के वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड की विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा किए गए कुल निवेश तथा इस सम्बन्ध में कार्यकारी परिणामों की स्थिति वर्षवार नीचे दर्शायी गई है :

(करोड़ रुपए में)

1. पूंजीगत व्यय :

कम्पनी	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	178.85	204.84	432.59
भारत कोकिंग कोल लि.	204.27	205.98	237.37
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	135.31	216.14	247.41
नार्दर्न कीलफीलड्स लि.	304.29	345.91	278.03
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	158.37	153.68	144.52
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	262.30	241.95	299.31
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	7.67	7.00	6.62
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	8.34	8.58	6.07
दानकुनी कोयला काम्पलैक्स	20.73	8·36	2.40
कोल इण्डिया लि. (मुख्यालय)	2.68	0.95	0.62
कुल : कोल इण्डिया लि.	1282.81	1393·39	1655.14
कुल : सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश)	140.00	150.00	213.00

2. **कार्यकारी परिणाम** : (निर्धारित कीमत से पूर्व लाभ (+)/घाटा (—))

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	—129.58	—245.01	—345.21
भारत कोकिंग कोल लि.	—256.25	—282.53	—337.54
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	— 55.57	+ 11.51	+ 21.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	+169.14	+277.66	+292.75
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	+ 44.65	+ 20.54	—119.71
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	+159.82	+294.80	+267.91
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	+ 2.42	+ 2.42	+ 2.06
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (स्टाकयार्ड सहित)	+ 5.49	+ 0.74	— 34.42
कुल : कोल इण्डिया लि.	— 59.88	+ 80.13	—253.16
कुल : सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	+ 5·48	— 35.72	—163.19

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. कोयला कीमत निर्धारण लेखा-समायोजन किए जाने से पूर्व पर विचार किए जाने से पूर्व निरन्तर काफी घाटे उठा रही थी। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. भी घाटा उठाती रही है।

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. में घाटे के मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं—उच्च लागत वाली भूमिगत खानों की अधिकता, कठिन खनन परिस्थितियां, भंडारों तथा बड़ी संख्या में कामगारों का परिसमापन।

सि. को. कं. लि. : गहन श्रमिकों वाली पारम्परिक भूमिगत खानों से उत्पादन की उच्च प्रतिशतता, निम्न उत्पादकता तथा, उच्चा मजदूरी लागत; उच्च स्ट्रिपिंग अनुपात वाली ओपेनकास्ट खानें; औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या; और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति;

(घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. के घाटों को कम किए जाने तथा क्रियाकलापों में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) श्रमशक्ति को युक्तिसंगत किया जाना।

(2) श्रमशक्ति का पुनः नियोजन।

(3) कार्यकुशलता को बढ़ाए जाने के लिए प्रशिक्षण।

(4) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना।

(5) उत्पादकता में सुधार।

(6) जहां भी सम्भव हो उच्च ग्रेड के कोयले के उत्पादन में वृद्धि किया जाना।

(7) बिनिर्दिष्ट खानों पर गहराई से निगरानी।

(8) विद्युत की निरन्तर आपूर्ति प्राप्त किए जाने के लिए फीडर लाइनों को अलग किया जाना।

[अनुवाद]

चेलियार सिंचाई परियोजना

1219. **श्री बी. एस. विजयराघवन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चेलियार सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विस्तृत भू-आकृति तथा भू-वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर चेलियार वृहद परियोजना को

तैयार करने और इसे मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में मार्च, 1992 तक भेजने का उनका प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

तिलहनों का उत्पादन

1220. **श्री साइमन मरांडी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन उत्पादन में कमी एवं इसके मूल्यों में वृद्धि के कारण देश को खाद्य तेलों के संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में तिलहनों का वास्तविक उत्पादन क्या था; और

(घ) देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले दिनों स्वदेशी तिलहन उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद, चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल के मूल्य बढ़ते रहे हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति के अन्तर को आयातों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा सका। स्थिति इतनी खराब नहीं है और बाजार में खरीफ के तिलहन आने से स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ग) 1989-90 और 1990-91 के दौरान तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 16.75 और 19.10 मिलियन मीटरी टन था। चालू खरीफ उत्पादन का सुनिश्चित अनुमान लगाना अभी कुछ सीमा तक उचित नहीं है।

(घ) तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तिलहन एवं दलहन सम्बन्धी प्राद्योगिकी मिशन (टी. एम. ओ. एण्ड पी.) देश के 18 महत्वपूर्ण राज्यों में केन्द्र प्रवर्तित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत किसानों को बीजों, राइजोबियम कल्चर, वनस्पति रक्षण रसायनों और उपकरणों, फार्म उपस्करों, जिप्सम एवं पाइराइट्स के उत्पादन और वितरण करने तथा प्रदर्शन आदि का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बाबरी मस्जिद मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा दिया गया वक्तव्य

1221. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** :
श्री शंकर सिंह बघेला :
डा. ए. के. पटेल :
श्री पी.एम. सईद : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अयोध्या तथा बाबरी मस्जिद की स्थिति पर जारी किए गये हाल ही के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों के हितों तथा उनके पूजा-स्थलों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की ओर से खेद और उसकी गम्भीर चिन्ता पाकिस्तान सरकार पर जता दी गई थी। हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की ऐसी कोशिशें अन्तर्राज्यीय आचरण के सार्वभौम रूप से स्थापित मानदण्डों के और शिमला समझौते के विपरीत हैं और इसलिए अस्वीकार्य हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों, हितों और पूजा-स्थलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है।

सरकार का यह मानना है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

लघु क्षेत्र की इकाइयों को तांबे की छड़ों की आपूर्ति

1222. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1991 के "इकोनामिक टाइम्स" में "एच.सी.एल. सप्लाई डिले हिट्स कॉपर कन्जूयूमिंग एस.एस. आईज् आवद साउथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो लघु क्षेत्र की इकाइयों को तांबे की छड़ों की आपूर्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा की निर्बाध उपलब्धि के अभाव में कापर केथोडों का आयात नहीं किया जा सका, जिसका हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के तलोजा संयंत्र में तांबा छड़ों के उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तलोजा ताम्र छड़ संयंत्र में सीमित उत्पादन के साथ-साथ विदेशों में टोल प्रगालन के बाद करीब 2000 टन सतत ढले ताम्र छड़ों की जो खेप मद्रास पत्तन पर प्राप्त हुई वह कुछ टूटी फूटी हालत में थी। इन अदृष्ट कारणों से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ग्राहकों के साथ अपना वादा पूरा नहीं कर सका।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अपने निजी उत्पादन से इन वायदों को पूरा करने के उपाय किए हैं।

अनंता और खाडिया में खुले मुहाने की खनन परियोजनाएं

1223. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनंता और खड़िया में खुले मुहाने की खनन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) इन दोनों परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं में उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) से (घ) जी, हां। इन दोनों परियोजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इस सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मद	अनंता ओ.का.प.	खाडिया ओ.का.प.
कंपनी	सा.ई.को.लि.	ना.को.लि.
पूंजीगत लागत (करोड़ रु०)	156.49	588.75 (संशोधित लागत)
क्षमता	4 मि.टन प्रतिवर्ष	4 मि.टन प्रतिवर्ष
खनन योग्य भण्डार	68.68 मि.टन	88.00 मि. टन
औसत स्ट्रिपिंग अनुपात	0.51 क्यू.मी. प्रति टन	4.08 क्यू.मी. प्रति टन
कोयले का ग्रेड	एफ	ई
प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन	12.38 टन	10.00 टन

चालू वर्ष 1991-92 के दौरान कोयले के उत्पादन में इन दोनों खानों द्वारा अपना अंशदान किए जाने की सम्भावना है।

सोने की खानें

1224. **श्री शरद दिघे** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वर्ण खानों के नाम क्या-क्या हैं जहां स्वर्ण दोहन की लागत बाजार मूल्य से काफी अधिक है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की अति अलाभकर स्वर्ण खानों तथा उनसे स्वर्ण उत्पादन लागत का ब्यौरा इस प्रकार है :

खान का नाम	10 ग्राम स्वर्ण की वर्ष-वार उत्पादन लागत (रुपयों में)		
	1988-89	1989-90	1990-91
मैसूर खान	11,778	9,078*	10,904*
चैम्पीयन रीफ खान	5,092		
नन्दीदुर्ग खान	4,534	9,479	10,588

*दोनों खानें 1989-90 में मिलाकर एक कर दी गई और तब से ये एकीकृत खान है।

(ख) उपर्युक्त खानों को 7 वर्ष की अवधि में क्रमशः बन्द किए जाने का नवम्बर, 1987 में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

नशीली औषधों के अवैध व्यापार के खतरे का मुकाबला करने के लिए स्थाई प्रकोष्ठ

1226. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नशीली औषधों के अवैध व्यापार के खतरों का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की सहायता हेतु राष्ट्रमंडल में कोई स्थाई प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एडुआर्डो फलीरो**) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम पदार्थों की काला बाजारी

1227. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री रामलखन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री काशी राम राणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार इन पैट्रोल/डीजल पम्पो और एल.पी.जी. एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान पैट्रोलियम पदार्थों की काला बाजारी में संलिप्त पाया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश मे, जिला-वार कितने मामलों का पता लगाया है; और

(ग) इस राज्य में कितने लाइसेंस रद्द किए गये और उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (**श्री बी. शंकरानन्द**) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान

1228. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं; और

(ख) इन विश्वविद्यालयों ने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, कितनी धनराशि की सहायता की मांग की तथा प्रत्येक को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) महोदय, उत्तर प्रदेश में तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	मांगी गई राशि	रिलीज की गई राशि (रु० लाख में)
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा	1988-89	11.8	10.00
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	1989-90	13.34	13.44
पन्तनगर	1990-91	77.63	30.00
चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा	1988-89	84.82	25.00
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	1989-90	17.00	17.00
कानपुर	1990-91	30.00	30.00
नरेन्द्र देव कृषि तथा	1988-89	15.85	15.70
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	1989-90	27.34	27.37
फैजाबाद	1990-91	95.00	30.00

दिल्ली के यमुना-पार के इलाके में रसोई गैस के कनेक्शन

1229. **श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना-पार के इलाके में रहने वाले लोगों को पांच वर्ष बीतने पर भी गैस कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें शीघ्र गैस कनेक्शन जारी करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि अधिकतम एल.पी.जी. कनेक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी प्रतीक्षा सूची की निपटान उत्पाद की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा।

पेट्रोल/डीजल के विक्रय केन्द्रों तथा एल.पी.जी. एजेंसियों का आबंटन

1230. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्रय केन्द्रों तथा एल.पी.जी. एजेंसियों के आबंटन के लिए कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति में वृद्धि

1231. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी अपने बूथों पर बेचे जाने वाले दूध की गुणवत्ता तथा मात्रा की नियमित जांच कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा छितरे हुए दूध की पुनः बिक्री की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शाम के समय दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। मदर डेरी के बल्क दुग्ध विक्री बूथों के माध्यम से बेचे जाने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए औसतन प्रति मास लगभग 2500 नमूनों का परीक्षा किया जाता है और दूध की मात्रा के परीक्षण के लिए लगभग 10,500 नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद, शाम को दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की सम्भावना होगी।

बेरोजगार युवाओं को पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों का आवंटन

1232. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 8 जनवरी, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर ली गयी है कि गत एक वर्ष के दौरान कितने बेरोजगार स्नातकों को पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां आबंटन की गयी हैं;

(घ) पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने के संबंध में मंत्रालय में आज तक लम्बित पड़े बेरोजगार स्नातकों के आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बेरोजगार स्नातकों को 10 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और 9 एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया गया था ।

(ग) पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र —229
एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स —103

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य

1233. **श्री बलराज पासी :**
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री हरि केवल प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991-92 की खरीफ फसल के लिए कृषि उत्पादो के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्वण्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित समर्थन मूल्य किस तिथि से लागू होंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) तक, सरकार ने 1991-92 के विपणन मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार घोषित कर दिए हैं :

फसल	किस्म	विपणन वर्ष 1991-92	अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये/क्विंटल)
1	2	3	4
1. गेहूं	सामान्य औसत किस्म	अप्रैल मार्च	225
2. जौ	सामान्य औसत किस्म	तदेव	200
3. चना	सामान्य औसत किस्म	तदेव	450

1	2	3	4
4. तोरिया/ सरसों	सामान्य औसत किस्म	तदेव	600
5. कुसुम	सामान्य औसत किस्म	तदेव	575
6. तोरिया	सामान्य औसत किस्म	तदेव	570
7. धान	सामान्य	अक्तूबर-सितम्बर	230
8. ज्वार, बाजरा, रागी	सामान्य औसत किस्म	तदेव	205
9. मक्का	सामान्य औसत किस्म	तदेव	210
10. मूंगफली (छिलका सहित)	सामान्य औसत किस्म	तदेव	645
11. सोयाबीन पीला	सामान्य औसत किस्म	तदेव	445
काला		तदेव	395
12. सूरजमुखी बीज	सामान्य औसत किस्म	तदेव	670
13. कपास	एफ-414/एच-777	तदेव	695
	एच-4	तदेव	840
14. पटसन	टी. डी.-5 असम	तदेव	375
15. तम्बाकू (रुपये प्रति किलोग्राम)	एफ-2	तदेव	14·75
	एल-2	तदेव	16·00
16. कोपरा	सामान्य औसत किस्म (पेषण)	1991 (जनवरी-दिसम्बर)	1700
	सामान्य औसत किस्म (बाल)	तदेव	1850
17. गन्ना* (सांविधिक न्यूनतम मूल्य)		अक्तूबर-सितम्बर	24.00

* उस स्तर से ऊपर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत के समानुपातिक प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत की मूलभूत वसूली से सम्बद्ध।

तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि सांविधिक न्यूनतम मूल्य के संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर काशी के भूकम्प पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता

1234. **श्री बलराज पासी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर काशी के भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों से देशवार से कितनी और किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर काशी के भूकम्प पीड़ितों के लिए विदेशों से प्राप्त राहत सामग्री का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

भूटान —नकद 10 लाख रुपये।

चीन लोक गणराज्य—भारतीय रैडक्रास सोसाइटी को लगभग 50 हजार अमरीकी डालर की राहत सामग्री नीचे लिखे अनुसार है :

एक्रेलिक	40 बक्से	680 किलो
स्वेटरें	1200 अदद	
खेस	75 बक्से	2850 किलो
	1500 अदद	
बिस्कुट	100 बक्से 3200 पैकेट	640 किलो
दुग्ध चूर्ण	100 बक्से 5000 पैकेट	2270 किलो
फ्रूट पाउडर	50 बक्से 1200 बोतलें	600 किलो

पाकिस्तान —भारतीय रैडक्रास सोसायटी के तीन वायुयानों से राहत सामग्री भेजी गई। इस राहत सामग्री में कम्बल और तम्बू थे।

संयुक्त राज्य अमरीका—नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास द्वारा 25 हजार अमरीकी डालर।

यू. के. प्रधान मंत्री सहायता कोष के लिए 25 हजार पाउण्ड का चैक।

फ्रांस 2 लाख फ्रांसिसी फ्रैंक देने की घोषणा की गई जो प्रधान मन्त्री सहायता कोष को चैक द्वारा दी जाएगी।

पोलैंड —पोलैंड के कुछ गैर-सरकारी लोगों द्वारा 1052 रुपए दान में दिए गए।

कम्पूचिया के लिए भारतीय शान्ति सेना

1235. **श्री ब्रजराज प्रासी :**

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की कमान में कम्पूचिया में शान्ति सेना भेजने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में उक्त देश से कोई करार किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुरोध पर भारत सरकार ने कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र अग्रिम दल में कार्मिक भेजना स्वीकार कर लिया है। अब तक संयुक्त राष्ट्र अग्रिम दल के लिए तीन सैनिक सम्पर्क अधिकारियों का चयन किया गया है। कम्बोडिया में इस संयुक्त राष्ट्र अग्रिम दल का स्थान संयुक्त राष्ट्र संक्रमण प्राधिकरण ले लेगा जो कम्बोडिया की सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद् की देश का प्रशासन चलाने में तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में मदद करेगा।

(ग) जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र शान्ति संबंधी कार्रवाईयों में भागीदारी संयुक्त राष्ट्र के प्रबंध के माध्यम से है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

1236. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान खरीफ का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कितना कम हुआ;

(ख) इसमें कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में रबी के मौसम में और अधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के लिए खरीफ खाद्यान्न फसलों के अन्तिम अनुमान अभी तक राज्यों से प्राप्त नहीं हुए है। तथापि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार इस वर्ष खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के 103 मिलियन मीटरीटन के लक्षित स्तर से कम होने की संभावना है।

(ख) 1990-91 के दौरान खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में कमी होने का कारण देश के विशेष कर उत्तर-पश्चिमी भागों, जिसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि, शामिल हैं, में लम्बे समय तक सूखा पड़ने और मौसम की अनियमित परिस्थितियों का होना है।

(ग) खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए रबी अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों के परामर्श से 1991-92 के रबी मौसम के लिए नीति तैयार की गई है। इसमें आकस्मिक संस्था पद्धति, रबी/ग्रीष्म चावल रबी/ग्रीष्म मक्का, दलहन आदि के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाना, प्रमुख और मध्यम योजनाओं से सिंचाई के अति-

सिक्त क्षेत्र लाना शामिल है। उपर्युक्त उपाय विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना जैसे चालू विकासात्मक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अलावा हैं।

कच्चे तेल के शोधन क्षेत्र में विदेशी फर्में

1237. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों को कच्चे तेल का शोधन करने की अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके प्रति विदेशी फर्मों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) कोई नया निर्णय नही लिया गया है।

(ख) **और (ग)** प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एल्यूमिनियम का उत्पादन और मांग

1238. **श्री राम शरण यादव : क्या खान मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमिनियम का उत्पादन इसकी मांग की अपेक्षा काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की मात्रा कितनी कम है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में रोलिंग मिलें बन्द होना

1239. **श्री राम शरण यादव : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन सी रोलिंग मिलें बन्द पड़ी हैं और कब से;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) उनमें कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है तथा उनके बन्द होने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं; और

(घ) इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और इनके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षिण की नदियों का आपस में जोड़ना

1240. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री बी. देवराजन : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण की नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को आपस में जोड़ने के बारे में संभाव्यता-अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इजराइल से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने भी इस परियोजना का सम्भाव्यता-अध्ययन कराया है, और

(च) क्या इस परियोजना से कावेरी जल विवाद अथवा किसी अन्य जल विवाद का समाधान होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सात जल अन्तरण सम्पर्कों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं । इनमें महानदी—(मणिभद्र)—गोदावरी (दौलईस्वरम) सम्पर्क, गोदावरी (पोलावरम)—कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क और गोदावरी (इंचमपल्ली)—कृष्णा (पुलिचिन्ताला) सम्पर्क शामिल हैं ।

(ख) सभी सम्पर्कों, जो प्रस्तावित महानदी—कावेरी सम्पर्कों का भाग है की अनुमानित लागत अभी तक संगणित नहीं की गयी है । जिन सम्पर्कों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने तैयार कर ली हैं उन सम्पर्कों की अनुमानित लागत इस प्रकार है :

1. महानदी (मणिभद्र)--गोदावरी (दौलईस्वरम) सम्पर्क	3616 करोड़ रुपये
2. गोदावरी (पोलावरम)--कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क	1123 करोड़ रुपये
3. गोदावरी (इंचमपल्ली)--कृष्णा (पुलिचिन्ताला) सम्पर्क	2700 करोड़ रुपये

(ग) जी. नहीं ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में की गयी परिकल्पना के अनुसार नदियों को आपस में जोड़ने की अवधारणा जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों

को जल के अन्तरण के लिए है और इससे जल की कमी तथा जल आप्लावन समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।

कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लेना

1241. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अन्ना जोशी :

प्रो. उम्भारेड्डि वेंकटस्वरलू :

श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप की वापसी के प्रश्न पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने द्वीप की वापसी के लिए कोई मांग पेश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का रुख क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चातीवू के समुद्रतट पर भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) : सरकार 1974 और 1976 में सम्पन्न करारों के माध्यम से भारत-श्रीलंका के बीच की समुद्री सीमा को अंकित कर चुकी है और इसलिए इसे निर्णीत प्रश्न मानती है।

(ग) और (घ) : बताया जाता है कि 15 अगस्त, 1991 को तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में केन्द्र से अनुरोध किया था कि वह कच्चातीवू को श्रीलंका से वापिस लेने के लिए कार्रवाई करे।

1974 और 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच सम्पन्न समुद्र-सीमांकन करारों के अनुसार कच्चातिवू द्वीप अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा से श्रीलंका की ओर पड़ता है। इस संबंध में सरकार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ङ) जी हां।

(च) हमारे मछेरों के विरुद्ध श्रीलंका की नौसेना की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के सभी मामलों को सख्ती के साथ श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया गया है और उनसे कहा गया है कि वे उन मामलों पर कानून के अनुसार और मानवीय ढंग से कार्रवाई करें।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र के विरुद्ध दलील

1242. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के 46वें अधिवेशन में जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को उकसाना जैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कोई दलील नहीं दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा और प्रमुख सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद के बारे में चिन्ता बढ़ती जा रही है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में हुए विचार-विमर्श से पता चलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद" के बारे में एक संकल्प पारित किया है जिसमें दूसरी बातों के अलावा सभी राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रदेशों में दूसरे राज्यों और उनके नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी और विध्वंसकारी कार्रवाईयों की तैयारी और उनके आयोजन को रोकें।

कपास का उत्पादन

1243. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कपास के उत्पादन में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश में कपास की कितनी गांठों का उत्पादन हुआ और इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) कपास के उत्पादन में ऐसी भारी गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि हथकरघों और विद्युतकरघों को कपास और सूती धागा पर्याप्त मात्रा में एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) और (ख) : गत तीन वर्षों में देश में कपास का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष	प्रत्येक 170 कि. ग्राम की लाख गांठें
1988	87.44
1989-90 (संशोधित)	114.22
1990-91 (अन्तिम)	97.59

चालू वर्ष अर्थात् 1991-92 के लिए कपास उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि मौजूदा आकलन के अनुसार, 1991-92 के दौरान कपास का उत्पादन वर्ष 1990-91 के दौरान हुए उत्पादन से अधिक होने की आशा है।

(ग) 1990-91 के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में फसल के कुसुमित स्तर पर कीट (हिलियोथिस) के आक्रमण के कारण कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, कमी आयी।

(घ) कपास का इस्तेमाल हथकरघा और बिजलीकरघा के बुनकरों द्वारा प्रत्यक्षत: नहीं किया जाता है। सरकार ने हथकरघा बुनकरों को बजट से पूर्व के मूल्यों पर बैंक यार्न की आपूर्ति करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें कपास के धागे के निर्यात को रोकना तथा सहकारी, गैर सहकारी तथा राज्य क्षेत्रों में कताई मिलों को विश्वसनीय बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग के बराबर का दर्जा

1244. **श्री रामविलास पासवान :**

डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि को उद्योग के बराबर का दर्जा देने से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) (क) और (ख) जी, नहीं।

इस समिति ने फार्म मूल्य नीति, वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा पद्धति, बेहतर उत्पादन हेतु नयी रणनीति, आय एवं रोजगार, फार्म उत्पादों के निर्यात, मृदा एवं जलसंसाधनों का बेहतर प्रयोग और कृषि को एक उद्योग घोषित किए जाने से सम्बन्धित कई सिफारिशें की हैं। जहां तक कृषि को उद्योग मानने का सम्बन्ध है, समिति ने अवलोकन किया है कि "जहां तक कृषि को उद्योग के समान ही सुविधायें और प्रोत्साहन दिए जाते हैं तथा मूल्य निर्धारण, बजटीय आबंटन, ऋण, बिजली परिवहण तथा निर्यात सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में समान प्रतिमान, मानक तथा मापदण्ड अपनाए जाते हैं, यह कम महत्व का विषय है कि क्या कृषि को कोई औपचारिक स्तर प्रदान किया जाता है या नहीं। तथापि, यदि उपयोग को औपचारिक स्तर प्रदान किए बिना सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा कृषि के लिए संस्थापित तथा सुदृढ़ पूर्वग्रह दूर नहीं किया जाता, समिति सिफारिश करती है कि कृषि को उद्योग के रूप में घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

धान और गेहूं का वसूली-मूल्य

1245. **श्री पवन कुमार बंसल**

श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं और धान के लिए कितना-कितना वसूली-मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इनके वसूली-मूल्य में असमानता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब और हरियाणा राज्यों ने इस प्रकार की खरीद के कम मूल्य निर्धारित किये जाने पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो उनकी आपत्ति के मुख्य आधार क्या हैं; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1991-92 के विपणन मौसम के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए 225 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य धान के लिए 230 रुपए प्रति क्विंटल है।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन की लागत, निवेश मूल्यों में परिवर्तन निवेश परिणाम मूल्य संगति, बाजार मूल्यों की प्रवित्तियां, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अन्तः फसल मूल्य संगति, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन स्तर के लागत पर प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति और कृषकों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों और प्राप्त किए गए मूल्यों के बीच संगति जैसे प्रासांगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फसल की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात् गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है।

(ग) से (ङ) हरियाणा और पंजाब राज्य सरकारों ने दोनों राज्यों में उत्पादन की अत्यधिक लागत का स्वयं के आकलन के आधार पर कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्यों से अपेक्षाकृत अत्यधिक समर्थन मूल्यों की सिफारिश की है। कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशों और पंजाब तथा हरियाणा सहित राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात ने समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया है।

[हिन्दी]

मध्य क्षेत्र में तेल की खोज

1246. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम में या पूर्व में त्रिपुरा तथा असम में गैस आपूर्ति वाले अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र नहीं हैं;

(ख) इन क्षेत्रों से मध्य भारत में राजस्थान जैसे क्षेत्रों में गैस आपूर्ति में कितना व्यय होता है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों को गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस आपूर्ति के लिए कोई योजना बनाई गई हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भारी खर्च को देखते हुए सरकार का मध्य क्षेत्रों में तेल की खोज कार्य की प्रक्रिया में तेजी का बिचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) अन्य क्षेत्रों तथा पश्चिमी अपतट आदि जैसे क्षेत्रों में गैस होने का पता चला है।

(ख) पाइप लाइन के जरिए गैस की आपूर्ति में निहित व्यय कई घटकों पर निर्भर करता है जिनमें गैस की मात्रा, तय की जाने वाली दूरी, दबाव, जिस पर गैस दी जाती है। आदि शामिल है।

(ग) एच. बी. जे. पाइपलाइन के जरिए इस क्षेत्र में गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(घ) अन्वेषण कार्य एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जो आवश्यकता, प्राथमिकताओं तथा स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

भूमि विकास कार्यक्रम

1247. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लगातार सूखा के कारण छोटे और सीमान्त किसान ऋण और अनुदान मिलने के बावजूद भूमि विकास कार्यक्रमों में रुचि नहीं ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर इसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

भूमि विकास कार्यक्रमों के लिए नियत धनराशि को लघु सिंचाई परियोजनाओं में लगाना

1248. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भूमि विकास कार्यक्रमों के लिए नियत धनराशि को लघु सिंचाई परियोजनाओं में लगाने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने कृषि मंत्रा- से ऐसी अनुमति मांगी थी।

(ख) राजस्थान सरकार से वांछित सूचमा प्राप्त न होने के कारण अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि राज्य सरकार वांछित सूचना भेज देती हैं तो उनके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1249. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में लोगों की राज्य वार सं० कितनी है;

(ख) प्रतिवर्ष कितने जल कनैक्शन जारी किये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का जयपुर में लम्बी प्रतीक्षा सूची को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो जयपुर में इस प्रतीक्षा सूची में यह लाखों लोगों को कितने समय तक गैस कनैक्शन मिल जायेंगे ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर एल. पी. जी. के नए कनेक्शन दिए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल. पी. जी. कनैक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	(दिनांक 1-4-1991 को)	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश		3.20
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.06
3.	असम		0.91
4.	बिहार		1.57
5.	गोवा		0.36
6.	गुजरात		5.40
7.	हरियाणा		2.67
8.	हिमाचल प्रदेश		0.25
9.	जम्मू और कश्मीर		0.29
10.	कर्नाटक		2.62
11.	केरल		2.23
12.	मध्य प्रदेश		3.38
13.	महाराष्ट्र		11.61
14.	मणीपुर		0.13
15.	मेघालय		0.10
16.	मिजोरम		0.08
17.	नागालैंड		0.10
18.	उड़ीसा		0.45
19.	पंजाब		5.71

क्रम सं०	राज्य (दिनांक 1-4-1991 को)	जोड़
20.	राजस्थान	3.40
21.	सिक्किम	0.02
22.	तमिलनाडू	6.14
23.	त्रिपुरा	0.17
24.	उत्तर प्रदेश	9.05
25.	पश्चिमी बंगाल	5.13
	कुल	63.03
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान निकोबार	0.03
2.	चंडीगढ़	0,78
3.	दादर और नगर हवेली	0.01
4	दिल्ली	5.54
5.	दमन	0.03
6.	लक्ष्यद्वीप	0.00
7.	पांडीचेरी	0.16
8.	सितवासा	0,00
9.	द्विय	0.00
		6.55
	कुल	69.58

[अनुवाद]

पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों का प्रस्ताव

1250. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अपतटी और तटवर्ती ब्लाकों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए सरकार ने पेट्रोलियम का पता लगाने हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित किये हैं;

(ख) प्रस्ताव आमन्त्रित करने की अन्तिम तिथि तक जिन विदेशी कम्पनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं उनके नाम क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर विचार कर सफल बोली दाताओं को ब्लाकों का आवंटन करने के लिए क्या तिथि निश्चित की गई है;

(घ) खोज का कार्य शुरू करने तथा उसे पूरा करने के लिए क्या समय निश्चित किया गया है; और

(ङ) उनके द्वारा रखी गई शर्तों में उत्पादित तेल और गैस पर उस देश की वरीयता शामिल है और यदि हां, तो उन पर लागू मूल्य वही होंगे जो उस समय विश्व मूल्य होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 39 अपतटीय तथा 33 तटवर्ती ब्लाकों का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 29-2-1992 है।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) संविदाओं के हस्ताक्षर के समय इस पर निर्णय लिया जायेगा।

(ङ) जी हां, कच्चे तेल के लिए देय कीमत वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमत है तथापि प्राकृतिक गैस के लिए देय कीमत राष्ट्रीय तेल उत्पादक कंपनियों को दी गई कीमत (उपकर, कर और रायल्टी को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

[हिन्दी]

बिहार में चंदिल सिंचाई परियोजना

1252. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंदिल सिंचाई परियोजना, बिहार पर कार्य कब से चल रहा है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण बढ़ी हुई लागत कितनी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चन्दिल बांध बिहार की सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना का एक घटक है। इसे 1979-80 में शुरू किया गया था।

(ख) इस परियोजना की मूलतः स्वीकृत अनुमानित लागत 480.90 करोड़ रुपये थी और 1990 की अनुसूची के आधार पर इसकी संशोधित अनुमानित लागत 1428.82 करोड़ रुपये है। लागत वृद्धि, पुनर्वास और पुनर्स्थापना और भूमि अधिग्रहण पर बढ़ी हुई देयताओं तथा बांध के डिजाइन में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे विभिन्न कारणों की वजह से इसकी लागत में संशोधन किया गया है।

(ग) इस परियोजना को आठवीं योजना के आगे ले जाने का कार्यक्रम है।

मृदा संरक्षण योजना हेतु आवंटन

1253. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं और

आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक राज्य को मृदा संरक्षण हेतु कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	किए गए आवंटन			
		सातवीं योजना	1990-91	1991-92	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	781.58	253.75	366.00	1401.33
2.	अरूणाचल प्रदेश	246.92	202.50	6.00	455.42
3.	असम	319.45	157.75	66.00	543.20
4.	बिहार	1679.15	462.40	676.00	2817.55
5.	गुजरात	517.14	529.82	221.00	1267.96
6.	हरियाणा	764.56	244.30	206.00	1214.86
7.	हिमाचल प्रदेश	1687.13	475.00	686.00	2048.13
8.	जम्मू और कश्मीर	145.80	60.60	81.00	287.40
9.	कर्नाटक	895.32	238.70	356.00	1490 02
10.	केरल	432.88	127.25	166.00	726.13
11.	मध्य प्रदेश	3482.47	597.28	891.00	4970.75
12.	महाराष्ट्र	648.05	107.50	176.00	931.55
13.	मणिपुर	450.84	154.00	6.00	610.84
14.	मेघालय	347.81	180.00	6.00	533.81
15.	मिजोरम	532.73	271.60	12.00	816.33
16.	नागालैंड	688.45	350.00	6.00	1052.45
17.	उड़ीसा	1568.55	335.00	356.00	2259.55
18.	पंजाब	967.43	225.00	306.00	1498.43
19.	राजस्थान	3154.66	1386.61	1026.00	5567.27
20.	सिक्किम	257.17	128.60	166 00	551.77
21.	तमिलनाडू	724.37	250 00	356.00	1330·37

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सातवीं योजना	किए गए आवंटन 1991-92	1991-92	कुल
22.	त्रिपुरा	436.51	196.75	56.00	689.26
23.	उत्तर प्रदेश	4251.60	1172.38	1217.00	6640.38
24.	पश्चिम बंगाल	891.99	203.00	301.00	1395.99
25.	गोवा	15.53	8.00	10.00	33.53
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.24	5.00	12 00	41.24
27.	चण्डीगढ़	0.25	—	—	0.25
28.	दादर और नगर हवेली	6.00	—	4.00	10.00
29.	दिल्ली	21.91	12.00	14.00	47.91
30.	दमन और दियू	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	8.80	3.00	4.00	15.80
32.	पाण्डिचेरी	11.49	4.00	4.00	15.49
	कुल :	25960.78	8349.79	7759.00	42069.57

प्राकृतिक आपदाओं से क्षति

1254. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री ध्यान भोलानाथ : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार बाढ़, सूखे, तूफान, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पृथक-पृथक रूप से कितने मूल्य की फसलें तथा सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्पादन में कमी

1255. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अदरक की खेती

1256. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार अदरक का वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ख) क्या अदरक की खेती करने वाले किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अदरक की खेती को प्रोत्साहन देने तथा इसके समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) गत तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) में अदरक के उत्पादन के राज्यवार उपलब्ध अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) कीमतों में गिरावट आने पर अदरक की मंदी बिक्री को रोकने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, मंडी हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की जाती है। तथापि नेफेड ने चालू मौसम में केरल के वायनाड जिले में 470 टन हरी अदरक की खरीद की है।

अदरक की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये किये गये उपाय इस प्रकार है :

(1) अदरक की आधारी बीज सामग्री का उत्पादन;

(2) अदरक के प्रदर्शन और बीज द्विगुणन भूखंड बनाने की योजना इन्हें 1991-92 के दौरान 7.50 लाख रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की समेकित मसाला विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

गत तीन वर्षों [1988-89 से 1990-91] के दौरान अदरक का उत्पादन

राज्य का नाम		1988-89	1989-90	1990-91
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	14.5	11.0	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.0	4.2	4.2

(1)		(2)	(3)	(4)
3.	बिहार	0.8	0.6	0.8
4.	गुजरात	0.3	0.5	0.3
5.	हरियाणा	0.1	0.1	0.1
6.	हिमाचल प्रदेश	0.5	0.6	0.6
7.	कर्नाटक	3.1	2.8	2.6
8.	केरल	45.4	44.9	44.5
9.	मध्य प्रदेश	2.8	2.6	2.7
10.	महाराष्ट्र	1.0	0.9	0.9
11.	मणिपुर	0.7	0.9	1.1
12.	मेघालय	29.0	29.3	29.6
13.	मिजोरम	8.4	10.2	10.5
14.	नागालैण्ड	0.9	1 0	1.0
15.	उड़ीसा	12.4	15.6	14.0
16.	राजस्थान	0.1	0.1	0.4
17.	सिक्किम	14.0	15.8	16.0
18.	तमिलनाडु	0.6	0.9	0.7
19.	त्रिपुरा	1.2	1.3	1.3
20.	उत्तर प्रदेश	3.6	3.7	3.7
21.	पश्चिम बंगाल	8.7	9.1	9.0
	अखिल-भारत	152 1	156.1	148.5

तेल उत्पादन के नए स्रोत

1257. **श्री पी.एम. सईद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गत एक वर्ष के दौरान तेल उत्पादन के लिए नये स्रोतों का पता लगाने में क्या प्रगति की है;

(ख) तेल उत्पादन के लिए कितने नए संयंत्र लगाये गए हैं;

(ग) इस समय तेल के आयात पर कितना धन खर्च किया जा रहा है और देश इस मामले में सम्भवतः कब तक आत्म निर्भर हो जाएगा;

(घ) क्या तेल उत्पादन के लिए लक्ष्यद्वीप में भी तेल की खोज करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) अनेक नई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ग) 1990-91 के दौरान लगभग 10778 करोड़ रुपए के मूल्य के कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था। अभी निकट भविष्य में देश के आत्म निर्भर होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(घ) और (ङ) लक्ष्यद्वीप क्षेत्र में अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर में अनेक ब्लाकों की पे शकश की गई है।

मात्स्यकी प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भत्ता

1258. **श्री पी.एम. सईद :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछुआरों और नौका चालकों जैसे मात्स्यकी प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को, जो युवा छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृति करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं, कृषि और सहकारिता विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं और बांध

1259. **श्री श्रीकान्त जैना :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं और बांधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनमें से कुछ परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा उसके परिणामस्वरूप लागत मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) ये परियोजनाएं सम्भवतः कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) उड़ीसा में निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा में निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	आरम्भ की योजना	अनुमोदित लागत/ मूल लागत	नवीनतम अनुमानित लागत (वार्षिक योजना) (1992-93)	मार्च, 1991 के अन्त तक हुआ व्यय	1991 के दौरान प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
(क) बृहद सिंचाई क्षेत्र						
		वार्षिक योजना				
1.	अपर इन्द्रावती (अनु.)	T 78.80	77.66	417.28	134.84	46.00
2.	अपर कोलाब (अनु.)	V	24.05	208.81	108.96	22.12
3.	महानदी बिरूपा बराज (अनु)	V	42.08	130.50	126.23	1.60
4.	रेंगाली (अनु.)	IV	233.64	1515.77	158.51	28.50
5.	सुबर्णरेखा (अनु)	VI	151.78	1097.00	145.06	57.00
(ख) मध्यम						
1.	दादराघट्टी (अनु)	IV	1.37	10.12	8.37	1.50
2.	बगुआ चरण-II (अनु)	V	5.00	28.96	6.96	4.00
3.	हरिहरजोर (अनु)	V	7.26	51.90	28.62	5.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	हरमांगी (अनु)	78-80	9.10	69.22	36.92	10.00
5.	अपर जोंक (अनु)	78-80	12.78	50.62	22.89	9.00
6.	बडानाला (अनु)	VI	11.39	58.59	36.22	11.00
7.	देव (अननु)	VII	19.45	52.23	0.42	1.00
8.	बाघहट्टी (अननु)	VII	13.71	25.02	1.27	2.25
9.	सपुआबड़जोर (अनु)	VII	9.62	35.00	0.22	0.50
(ग) केन्द्रीय क्षेत्र (बृहद)						
1.	पोटेरू परियोजना (अनु)	IV	14.81	83.70	74.61	उपलब्ध नहीं

1. इन परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम इस परियोजना के आकार, धन और निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा इनके क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली तकनीकी समस्याओं पर निर्भर करता है। उक्त के अतिरिक्त, सामान्यतः बृहद के लिए 10-15 वर्षों में तथा मध्यम के लिए 5 वर्षों में पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम बनाया जाता है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब का कारण मुख्यतः क्रियान्वयन के दौरान विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण करने में समस्याएं और सीमेंट, स्टील तथा डीजल जैसी कमी वाली सामग्री की अनुपलब्धता के अतिरिक्त इस परियोजना को धन का अपर्याप्त आबंटन रहा है।

3. आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(अनु)—अनुमोदित

(अननु)—अननुमोदित

कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के अन्तर्गत शिकायतें

1260. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला नियंत्रक को गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के अन्तर्गत श्रेणी-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इन मामलों में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 (26 नवम्बर, 1991) के दौरान कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अन्तर्गत कोयला नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायतें निम्नलिखित रूप में प्राप्त हुई :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1989-90	4
1990-91	91
1991-92	110

(ख) कोयला नियंत्रक के कार्यालय के कार्यक्षेत्र में केवल कोयला सीमों का दर्जा घटाए जाने का कार्य आता है जिनके सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। तदनुसार वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान दर्जा घटाई गई कोयला सीमों की संख्या क्रमशः 3 तथा 27 रही। वर्तमान वर्ष की शिकायतें जांच अधीन हैं।

[अनुवाद]

गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में कृषि विश्वविद्यालय

1261. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश में पहले से ही 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान भी है और इस राज्य में सामान्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 25 कृषि महाविद्यालय भी हैं।

बाम्बे हाई पर गैस को जला कर नष्ट करना

1262. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई पर प्रति वर्ष कितनी मात्रा में गैस को जलाया जा रहा है;

(ख) बाम्बे हाई पर प्रति वर्ष आजकल कितनी मात्रा में गैस का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने गैस के जलने की वर्तमान मात्रा को नगण्य बनाने हेतु एक विश्व बैंक परियोजना को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान 4050 मिलियन मानक घन मीटर।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 10032 मिलियन मानक घन मीटर।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक ने गैस दहन को कम करने की परियोजना के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण को अनुमोदित कर दिया है जिसमें एन.क्यू पी. और एस.एच.जी. प्रोसेस प्लेटफार्म, दक्षिण बेसिन से हजीरा ट्रंक पाइपलाइन, हजीरा टर्मिनल का विस्तारण और आई.सी.पी.–हीरा ट्रंक पाइपलाइन शामिल है। इन सभी को वर्ष 1994-95 तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है।

तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी

1263. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए रखे गये लक्ष्यों की तुलना में तेल और गैस के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल तथा गैस उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) तेल तथा गैस के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) 35.06 मि. टन कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान था जिसमें 1 मि. टन एन.जी.एल. शामिल था। परन्तु विभिन्न कारणों से इसकी लक्ष्य प्राप्ति की संभावना नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और गैस का उत्पादन निम्नानुसार हुआ :

	1988-89	**1989-90**	**1990-91**
क्रूड आयल (एम.एम.टी. में)	32.06	34.69	33.00
गैस उत्पादन (एम.एम.टी. में)	13214	16989	17998

(घ) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

झरिया कोयला क्षेत्र, बिहार में कोयला खानों में आग पर नियंत्रण

1264. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विशेषज्ञों के एक दल ने झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला खानों में लगी आग की रोकथाम के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश की गई प्रौद्योगिकी को अन्तिम रूप देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है और इन कोयला खानों में आग कब तक बुझ पाएगी; और

(ग) आग लगने की इन घटनाओं के कारण अब तक कितनी मात्रा एवं मूल्य का कुकिंग कोयला नष्ट हो गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) जी, हां। भारत कोकिंग कोल लि. तथा केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. से चार खनन अभियन्ताओं के एक दल को झरिया कोयला क्षेत्र में आग को नियंत्रित किए जाने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की जांच करने के सम्बन्ध में अमेरिका के दौरे पर भेजा गया था।

(ख) यह दल अब वापस आ गया है और उसने यह उल्लेख किया है कि झरिया कोयला क्षेत्र की आगों से निपटने के लिए निम्नलिखित दी गई प्रौद्योगिकियों में से एक अथवा एक से अधिक प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जा सकता है :

(i) तापीय मलबे तथा कोयले की निकासी के बाद की आग को बुझाने के लिए हाइड्रो मॉनिटरों का प्रयोग;

(ii) उच्च तापीय विद्युत परिस्थितियों में ड्रिलिंग;

(iii) बोर होल के जरिए फोम्स का समीकरण;

(iv) विस्तृत सीमेंट का प्रयोग—क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा दरारों पर रोक लगाने के लिए स्लरी का मिश्रण।

झरिया कोयला क्षेत्र में आग को नियन्त्रित किए जाने के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों में से एक अथवा एक से अधिक का प्रयोग किए जाने और समयावधि, जिस तक आगों को प्रभावी रूप से नियन्त्रित किया जा सकता है, का हिसाब विस्तृत कार्रवाई योजना के जरिए लगाया जाएगा जोकि इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों की सहायता से बल द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) झरिया कोयला क्षेत्र में आगों द्वारा कोयले के भण्डारों में हुई हानि का ठीक से अनुमान लगाना बहुत कठिन है। किन्तु कोयला कम्पनी द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इन आगों के कारण वर्तमान क़ीमतों के हिसाब से 1110 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 37 मिलियन टन कोयले के भण्डार की क्षति हो गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, इनका उत्पादन और आयात

1265. **श्री मोहन सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता है;

(ख) घरेलू उत्पादन से कितनी मांग की पूर्ति हो पाती है और शेष घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किन-किन तथा कितनी-कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जैसा कि वर्तमान में हो रहा है, वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 56.8 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) देशी और आयातित कच्चे तेल से वर्ष 1991-92 के लिए 49.511 मिलि. टन पेट्रोलियम उत्पादों का देशी उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का प्रस्ताव हैं :

नाम	(आंकड़े टी. एम. टी. में) मात्रा
एस. के. ओ.	3656
एच. एस. डी.	5089
अन्य	881
कुल	9626

(ग) आवश्यक विदेशी मुद्रा की सीमा आयात की अन्तिम मात्रा और समय-समय पर लागू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर होगी।

राज्यों को खनिजों के लिए रायल्टी का भुगतान

1266. **श्री मोहन सिंह :**

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खनिजों से राज्यों को मिलने वाली रायल्टी की दर निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सभी राज्यों को अब तक की रायल्टी का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों को उनकी रायल्टी का हिस्सा कब तक मिल जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर) की रायल्टी दरों में गत संशोधन 5 मई, 1987 को किया गया था। कोयले की रायल्टी दरों में कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में 1 अगस्त, 1991 से संशोधन किया गया है।

(ख) और (ग) रायल्टी वसूल करने का उत्तरदायित्व उस राज्य सरकार को है, जिसके सीमा क्षेत्र में खनिज पैदा होते हैं।

(घ) रायल्टी की आय पूर्णतः राज्य सरकारों की होती है और उसमें केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता। राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर) की रायल्टी दरों में संशोधन करने पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

कोयला खानों का निजीकरण

1267. **श्री मोहन सिंह :**

श्री पीयूष तीरकी :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोयला उत्पादन में सुधार करने के लिए कोयला खानों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रूग्ण कोयला खानों को कितना घाटा हुआ तथा उनके कारण क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए देश में कोयले की कुछ खानों का निजीकरण किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

रसोई गैस की आवश्यकता, उत्पादन तथा आयात

1268. **श्री पंकज चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रसोई गैस का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) रसोई गैस के उत्पादन में से इसकी मांग को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विदेशों से भी गैस आयात करती है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मात्रा तथा दर क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं, जहां से इसका आयात किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार इसके आयात को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (च) वर्ष 1990-91 के दौरान एल. पी. जी. का उत्पादन लगभग 2144 हजार एम. टी. था। उक्त उत्पादन संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए एल पी. जी. का भी आयात किया जाता है। वर्ष 1990-91 के दौरान, लगभग 160 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 329 टी.एम.टी.एल.पी.जी. का आयात किया गया था। स्थल—बाजार से आयात का देश विशेष से सम्बन्धित होना आवश्यक नहीं है। वर्तमान यूनिटों से और नई यूनिटों की शुरुआत से देशी उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रसोई गैस के उत्पादन, आयात तथा मूल्यों की पुनरीक्षा

1269. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस के उत्पादन, आयात तथा मूल्यों सम्बन्धी मामले की पुनरीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक लिए गए निर्णय का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) देशी उत्पादन को अधिकतम करने की दृष्टि से एल. पी. जी. के उत्पादन और आयात की लगातार समीक्षा की जाती है। फिलहाल, एल. पी. जी. की कीमत की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वीडन की विदेश कार्य सम्बन्धी संसदीय समिति के उपसभापति का दौरा

1270. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के विदेश कार्य सम्बन्धी संसदीय समिति के उप-सभापति ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी जिन द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत हुई उनका ब्यौरा क्या है और इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या बोफोर्स मुद्दे पर भी बातचीत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) स्वीडन के संसद सदस्य श्री पार ग्रान्स्तेत 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1991 तक भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) श्री ग्रान्स्तेत ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की थी और उन्होंने उनके साथ आर्थिक विषयों पर विचार-विमर्श किया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस के कनेक्शन

1271. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरीयता के आधार पर दो-दो सिलेण्डरों वाले कनेक्शन भी दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एक संसद सदस्य रसोई गैस के लिए कनेक्शनों का अपना समस्त कोटा एक महीने में एक मुश्त दे सकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) उत्पाद की उपलब्धता तथा एल. पी. जी. बैकलाग को ध्यान में रखकर एल. पी. जी. के उपभोक्ताओं को दूसरा सिलिंडर जारी किया जाता है।

(ग) नीति के अनुसार, संसद सदस्य की सिफारिशें पर प्रत्येक तिमाही में 12 एल. पी. जी. कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

नागालैण्ड में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1272. **श्री सोम जी भाई डामोर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागालैंड में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाराद्वीप तेल शोधक कारखाने के लिए संयुक्त उपक्रम

1273. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित पाराद्वीप तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव मिला हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) कुछ पार्टियों ने उड़ीसा में एक रिफाइनरी में भागेदारी लेने में अपनी रुचि दिखाई है।

दिल्ली में कृषि उत्पादन

1274. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कृषि उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है; और

(घ) दिल्ली में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) दिल्ली में लगभग 15 से 20 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में, विभिन्न फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, सब्जियों जैसी अल्पावधि फसलों का उत्पादन, बहुफसल प्रणाली, किसानों को कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी का अन्तरण तथा प्रमाणीकृत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी दवाओं सहित क्वालिटी आदानों की आपूर्ति शामिल है।

पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि

1275. **श्री गुरुदास कामत : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा; और

(ग) इस समय पासपोर्ट शुल्क कितना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि इसलिए की जा रही है कि पासपोर्ट मुहैया कराने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सरकार वित्तीय दबाव के कारण पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करके तथा पासपोर्ट कार्यालयों को और सुचारू बनाकर तथा उनका कम्प्यूटरीकरण करके बेहतर सेवाएं नहीं दे पा रही है। शुल्क यथाशीघ्र बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) नया-भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय साधारण पासपोर्ट जारी करने की फीस 50/- रुपए है।

कुवैत द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

1276. **श्री गुरुदास कामत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत ने भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कच्चे तेल का आयात किन-किन शर्तों पर किया जायेगा; और

(घ) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जहां से कच्चे तेल का आयात किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) कच्चे तेल का आयात सोवियत रूस, ईरान, मलेशिया, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ किये गये आवधिक करारों और स्थल खरीद के आधार पर किया जा रहा है।

कच्चे तेल के आयात में वृद्धि

1277. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कच्चे तेल के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कच्चे तेल की वास्तविक मात्रा कितनी है तथा कितना औसत मूल्य दिया गया और किन-किन प्रमुख देशों से आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने तेल के बड़े उपभोक्ताओं और अन्य सरकारी संगठनों को पेट्रोलियम तथा इससे सम्बद्ध उत्पादों की खपत में कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और इनकी बचत के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) फिलहाल सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए 20.3 मि. मी. ट. कच्चे तेल के आयात को अनुमोदित किया है।

(क) वर्ष	मात्रा मिलियन टन में	औसत कीमत रुपया/मि. टन.
1988-89	17.815	1606
1989-90	19.490	2098
1990-91	20 699	2956

सोवियत, रूस, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत आदि से कच्चे तेल की आवधिक खरीद की गई थी।

(घ) और (ङ) : प्रचार अभियानों, ईंधन कुशल उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि ऊर्जा जांच आदि के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस्पात का आयात

1278. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयात किए गए इस्पात की कुल मात्रा और उसके मूल्य का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष में मुख्य श्रेणियों के इस्पात का कितनी मात्रा का आयात किए जाने की संभावना है और उसका अनुमानित मूल्य क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1991 की अवधि से संबंधित इस्पात के आयात की वास्तविक मात्रा और उसका मूल्य निम्नानुसार है :—

मात्रा : 000 टन
मूल्य : करोड़ रुपए

इस्पात का आयात (अप्रैल-सितम्बर 91)*

उत्पाद विवरण	मात्रा	मूल्य
i. पिंड इस्पात और लोहे व इस्पात की अन्य आधारभूत किस्में	26.8	20.11
ii. लोहा और इस्पात शलाका, छड़ें, कोण आकार व सेक्शनस	25.3	49.16
iii. लोहा और इस्पात की प्लेटें और चादरें तथा अन्य चपटे उत्पाद	463.7	525.92
iv. रेल तथा रेलवे ट्रैक की निर्माण सामग्री	63.3	110.93

* स्रोत :—विकासायुक्त लोहा और इस्पात कलकत्ता
(मुख्य बन्दरगाहों के माध्यम से आयात)

विवरण

मूल्य : करोड़ रुपये
मात्रा : 000 टन

उत्पाद विवरण	1986-87*		1987-88*		1988-89*		1989-90**		1990-91**	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. पिंड इस्पात और लोहे व इस्पात की अन्य आधारभूत किस्में	606	193.33	188	89.67	39	27.8	9.5	10.2	27.1	18.07
2. लोहा और इस्पात शलाका छड़ें, कोण आकार व सेक्शनस (चादर पुंजन सहित)	283	126.25	124	87.74	103	106.8	72.0	112.0	67.5	111.67
3. लोहा और इस्पात की प्लेटें और चादरें तथा अन्य चपटे उत्पाद	1224	616.17	1156	689.61	1372	1300.1	1255.6	1342.9	1147.9	1205.49
4. रेल तथा रेलवे ट्रैक की निर्माण सामग्री	33	21.50	220	125.72	174	107.1	132.8	107.40	38.5	64.54
5. लोहा तथा इस्पात-तार (तार छड़ों को छोड़कर) क्या कोडेट हैं या नहीं लेकिन विद्युत/उष्मारोधी नहीं	35	17.80	6	24.71	5	19.9	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	

स्रोत : * डी. जी. सी. आई एण्ड एस, कलकत्ता

** विकासायुक्त, लोहा और इस्पात, कलकत्ता (मुख्य बन्दरगाहों के माध्यम से आयात)

भोजन पकाने के लिए रसोई गैस की आवश्यकता

1279. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए बल्क उपभोक्ताओं जैसे होटल सेक्टर के लिए रसोई गैस की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 सितम्बर, 1991 को मानक सिलिन्डरों के रूप में रसोई गैस का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) रसोई गैस सिलिन्डरों को भरने वाले एककों की, राज्यवार, संख्या कितनी है तथा इनकी सिलिन्डरों को भरने की क्षमता कितनी है;

(घ) क्या पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस की कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुई एल पी जी की खपत निम्नलिखित है :—

घरेलू	**गैर-घरेलू**	**आंकड़े (000 एमटी) में** **जोड़**
2102.0	315.00	2417.0

(ख) अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1991 तक देश में विभिन्न एलपीजी बाटलिंग संयंत्रों पर 799.58 लाख सिलिण्डरों का वास्तविक रूप से बाटलिंग किया गया था।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) और (ङ) आमतौर पर एलपीजी रिफिलों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है। हाल ही विगत में जब कभी किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कुछ बैकलाग उत्पन्न हो जाता है तो बाजार की आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

प्रश्न सं०	राज्य	बाटलिंग संयंत्र	क्षमता (टी.एम.टी.पी.ए.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दिल्ली	टीकरीकलां	132.00
2.		शकूरबस्ती	15.00
3.		शकूरबस्ती	34.00
4.		पियाला	132.00

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	हरियाणा	करनाल	44.00
6		हिसार	10.00
7.		जींद	22.00
8.	पंजाब	जालंधर	34.00
9.		लालरू	88.00
10.		होशियारपुर	5.00
11.		लुधियाना	3.00
12.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	64.00
13.		मथुरा	88.00
14.		इलाहाबाद	34.00
15.		हल्द्वानी	10.00
16.		हरद्वार	10.00
17.		बरेली	10.00
18.		लखनऊ	10 00
19.		कसना	5.00
20.		उन्नाव	5.00
21.		गोरखपुर	13.00
22.		वाराणसी	44.00
23.	राजस्थान	सवाईमाधोपुर	64.00
24.		अजमेर	10.00
25.		जयपुर	10.00
26.		जोधपुर	18.00
27.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	20.00
28.		श्रीनगर	7.00
29.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी (पपायनो)	10.00
30.	बिहार	जमशेदपुर	44.00
31.		बरौनी	15.00
32.	उड़ीसा	बालासोर	44.00
33.		खुर्दा	10.00
34.		खुर्दा रोड	44.00

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	पश्चिमी बंगाल	कल्याणी	44.00
36.		दुर्गापुर	44.00
37.		हल्दिया	20.00
38.		पहारपुर	12.00
39.	आसाम	बोंगाईगांव	22.00
40.		गोहाटी	5.00
41.		ओ.आई.एल. दुलियाजान	25.00
42,	मध्य प्रदेश	भोपाल	44.00
43.		भिटोनी (जबलपुर)	44.00
44.		मंगलिया (इन्दौर)	34.00
45.		रायपुर	44.00
46.	गुजरात	राजकोट	34.00
47.		हजीरा	44.00
48.		सूरत	12.00
49.		गांधी नगर	5.00
50.		कोयाली	102.00
51.	महाराष्ट्र	बम्बई	156.00
52.		जलगांव	22.00
53.		शोलापुर	22.00
54.		बम्बई	65.00
55.		औरंगाबाद	22.00
56.		चन्द्रापुर	22.00
57.		खमरी	34.00
58.		पूणे	20.00
59.		मिराज	22.00
60.		माहुल	25.00
61.	गोवा	गोवा	22.00
62.	कर्नाटक	बंगलौर	34.00
63.		बंगलौर	34.00
64.		मैसूर	22.00

(1)	(2)	(3)	(4)
65.		हुबली	22.00
66.	आंध्र प्रदेश	चेरालापल्ली	7 .00
67.		विजयवाड़ा	22.00
68.		टाडीपल्ली	12.00
69.		विशाखा	44.00
70.		विजयवाड़ा	10.00
71.	तमिलनाडू	कोयम्बटूर	34.00
72.		मंगलौर	22.00
73.		तूतीकोरिन	10.00
74.		मद्रास	75.00
75.		सेलम	34.00
76.	केरल	कोचीन	25.00
77.		त्रिवेन्द्रम	22.00

दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को दौरे की अनुमति

1280. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को हाल के भारत दौरे की अनुमति देने से पूर्व उनके मंत्रालय से परामर्श किया गया था तथा इसकी अनुमति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की अनुमति सामान्य रूप से अन्य टीमों तथा खेल टीमों और सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों को भी प्रदान की जायेगी;

(घ) रंगभेद के सम्बन्ध में हमारी विदेश नीति से हटने के पीछे क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक सहयोग संबंधी आर्थिक प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भारत आने का निमंत्रण देने से पहले विदेश मंत्रालय से परामर्श किया गया था। हरारे में राष्ट्रमण्डल देशों के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को देखते हुए मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दिया था।

(ग) राष्ट्रमण्डल देशों के शिखर सम्मेलन के निर्णय के अनुरूप भारत सरकार ऐसे अन्य खेलों को भी इजाजत देगी जिनमें विभिन्न जातियों के खिलाड़ी होंगे और जिन्हें संगत अन्तर्राष्ट्रीय

शासी निकाय में पुनः प्रवेश मिल गया होगा। हरारे शिखर सम्मेलन ने सांस्कृतिक बहिष्कार को भी हटा लिया है।

(घ) पृथग्वासन विरोधी आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की भारतीय पारम्परिक नीति यथावत बनी हुई है। लोगों से लोगों के साथ सम्पर्क पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से सम्बद्ध राष्ट्र-मण्डल शिखर सम्मेलन के निर्णय का अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन किया था और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ० नेल्सन मंडेला ने भी हमारे प्रधान मंत्री को सम्बोधित अपने एक पत्र में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है। भारत के अतिरिक्त उपर्युक्त निर्णय के पक्षकार देशों में नाइजीरिया, घाना, तन्जानिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, वोत्स्वाना, उगांडा, कीनिया और नामीबिया शामिल हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) हरारे में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन ने यह निर्णय किया था कि "आर्थिक प्रतिबन्ध जिनमें व्यापार और पूंजी निवेश के उपाय भी शामिल हैं, केवल तभी उठाये जायेंगे जब ऐसी किसी समुचित संक्रातिकालीन व्यवस्था कायम करने पर सहमति हो जाएगी सभी पक्ष बातचीत की प्रक्रिया में पूर्णतया और प्रभावकारी रूप से भाग ले सकेंगे—" भारत भी उपर्युक्त निर्णय का एक पक्षकार है।

उड़ीसा में "हाईरिजोल्यूशन एरो-मैग्नेटिक सर्वे"

1281. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या जल संसाधन मन्त्री 25 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाईरिजोल्यूशन-एरो-मैग्नेटिक सर्वे की इस परियोजना का प्रथम चरण शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। आस्ट्रेलिया की ओर से अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोने का उत्पादन

1282. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में सोना-क्षेत्र/सोने की खान-वार, सोने का लगभग वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार के पास सोने का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आठवीं योजना के लिए इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

खानें मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खान-वार वार्षिक स्वर्ण उत्पादन की सूचना अनुबन्ध में है।

(ख) व (ग) स्वर्ण सहित नए खनिज निक्षेपों की खोज हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूसरी गवेषण एजेंसियों द्वारा अन्वेषण कार्य लगातार किए जाते हैं। अगले 2-3 वर्षों के दौरान स्वर्ण-कलोड़न के शोधन और उथले स्वर्ण निक्षेपों के विदोहन द्वारा भी स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(घ) 8वीं योजना के स्वर्ण उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण योजना धन के आबंटन के बाद, आर्थिक उपादेयता पर आधारित निवेश-निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

विवरण

विभिन्न खानों का गत तीन वर्षों का स्वर्ण उत्पादन

(कि. ग्रा. में)

कंपनी/खान का नाम	**1988-89**	**1989-90**	**1990-91**
I. भारत गोल्ड माइन्स लि.			
(1) के. जी. एफ. खान समूह (हीप लीचिंग और ओल्ड बिसनाथम खान उत्पादन सहित)	732.72	589.15	479.60
(2) चिगारगुंटा खान	79.63	76.94	169.87
(3) येप्पामाना खान	130.84	107.25	114.78
कुल : भारत गोल्ड माइंस लि.	943·19	773·35	764.25
II. हट्टी गोल्ड माइन्स लि.			
हट्टी खान, जिला रायचूर (कर्नाटक)	965.00	875.00	1049.00
III. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच. सी. एल.)			
(1) इंडियन कापर काम्पलैक्स घाटशिला (बिहार) उपोत्पाद के रूप में स्वर्ण	100.00	101.00	75·00
(2) विदेश से रिवर्टों व एनोड स्लाइम से टोल प्रगालन से प्राप्त	—	407.00	202.00
	100.00	508.00	277.00
कुल जोड़ :	2008.19	2156.35	2090.25

केवल भारत गोल्ड माइंस लि. और हट्टी गोल्ड माइंस लि. ही प्राथमिक **स्वर्ण** का खनन और उत्पादन कर रही है। हिन्दुस्तान कापर लि. उपोत्पाद के रूप में स्वर्ण उत्पादन किया जाता है।

[हिन्दी]

उद्योगों के कोयले के कोटे में कटौती

1283. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1991 से सरामिक इकाइयों सहित अन्य कई उद्योगों के कोयले के कोटे में 50 प्रतिशत की कमी किए जाने के कारण इन उद्योगों के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा उनके उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो कोटे में कमी के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इकाइयों को कोटे को कम करने के बाद भी आपूर्ति नहीं की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान इन इकाइयों को कोयले की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ङ) गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की अपर्याप्त रूप में आपूर्ति किए जाने के कारण जुलाई, 1991 में यह निर्णय लिया गया था कि कोयले की संयोजित मात्रा की न्यूनतम 50% मात्रा की आपूर्ति सभी गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेल अथवा सड़क द्वारा की जाए। इन निर्देशों को क्रियान्वित किया गया है। किन्तु इन निर्देशों के कारण गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की संतोषप्रदत्ता का स्तर और भी कम रहेगा। इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति में कमी महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों जैसे विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात आदि को संचलन के मामले में कुछ प्राथमिकता दिए जाने के कारण हुई। किन्तु बेहतर उपलब्धता के कारण सभी कोयला कम्पनियों में कोयले के उत्पादन में सुधार होने से सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में पूर्णत: पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा खर्च में कमी के उपाय

1284. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड में खर्च कम करने हेतु कदम उठाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका समयबद्ध कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के पास कई छोटे विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनकी मरम्मत और रख-रखाव पर कितना धन खर्च किया गया ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए किफायती उपायों का अनुपालन किए जाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को प्रेषित कर दिया गया है। कोल इंडिया लि. ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान कोयले के उत्पादन में 13.4 मिलियन टन का सुधार किए जाने का कार्यक्रम बनाया है। जोकि नियोजित विकास 7% है। उत्पादकता में सुधार (प्रति व्यक्ति प्रति पारी) में 1·29 टन के वर्तमान स्तर से 1.37 टन के स्तर तक वृद्धि किए जाने का कार्यक्रम है, जोकि विकास 6% है। वेतन तथा मजदूरी को छोड़कर, अन्य मदों के प्रशासनिक व्यय में कमी लगभग 10% तक किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है ओर वचत 8.3 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) ओर (घ) कोल इंडिया लिमिटेड के पास निम्नलिखित हवाई जहाज हैं :

5 यात्रियों वाला हवाई जहाज	1
4 यात्री वाला हवाई जहाज	1
हेलीकप्टर (जिसकी हाल ही में खरीद की गयी है)	1

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार इन हवाई जहाजों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षो के दौरान किए गए व्यय को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1990-91	12,56,100.95
1989-90	7,00,588.00
1988-89	9,55,258.08

जम्मू-कश्मीर के ईंट भट्टों को कोयले की आपूर्ति

1285. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के ईंट के भट्टों को केन्द्रीय कोयला क्षेत्र निगम (सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) द्वारा कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति का वर्षवार तथा ईंट भट्टा-वार विवरण क्या है;

(ग) इस मामले में क्या-क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या नियमानुसार इस कार्य को निपटाने के लिए ईंट भट्टे के मालिक द्वारा किसी एजेंट के नियुक्त किए जाने का प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षो में ऐजेंटों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) नियमानुसार ऐजेंटों को कितने प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है और यथा संभव इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ईंट भट्टा उद्योग को कोयले की आपूर्ति, जम्मू एवं काश्मीर सरकार द्वारा निदेशक/उप-निदेशक, खाद्य तथा आपूर्ति विभाग द्वारा जारी प्रायोजन/लाईसेंस के आधार पर की जाती है।

(घ) से (च) कोयला कम्पनी जम्मू एवं काश्मीर सरकार द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर प्रायोजकों को सीधे कोयले की आपूर्ति करती है और यह न कि अभिकरण के नाम में। किन्तु वास्तविक उपभोक्ता प्रेषण सम्बन्धी कार्यों के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में बिचौलियों एवं एजेंटों की नियुक्ति करते हैं। कोयला कम्पनी प्राधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए कोयले के आबंटन को कितने प्रायोजकों द्वारा उठवा रहे हैं, के बारे में कोई ब्यौरा नहीं है।

(छ) इस सम्बन्ध में न तो सरकार के, न ही कोयला कंपनियों के पास कोई सूचना उपलब्ध है कि उन्हें इस सिद्धान्त के अन्तर्गत एजेंटों को कितना कमीशन दिया गया।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गिड्डी (ए) परियोजना के मध्यम दर्जे के कोयले के लिए निविदाएं

1286. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गिड्डी (ए) परियोजना से निकाले गए मध्यम दर्जे के कोयले के आबंटन के लिए हाल में निविदाएं मांगी गई थीं;

(ख) यदि हां, तों तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितने आवेदन-प्रत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटाया जायेगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 10-1-91 को निविदा आमंत्रित की गई थी, जिनमें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि. व वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कोयले की वाशरियों से मिडलिंग्स/अपशिष्ट/स्लरी/गन्दी स्लरी की थोक में खरीद किए जाने के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित की थीं। इस निविदा नोटिस के एवज में गिडी, कठारा, कारगिल तथा नन्दन वाशरियों के वाशरी उत्पादन के लिए 94 निविदाकर्त्ताओं से 106 निविदा प्राप्त हुई। 46 निविदाएं गिडी वाशरी से प्राप्त हुई और इनमें से 32 निविदाएं वैध पाई गई।

(ग) कोल इंडिया लि. के मुख्यालय कलकत्ता में निविदाएं दिनांक 4-3-1991 को खोलीं गई और सिफारिश की गई निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया। 64 निविदाकर्त्ताओं को निविदा पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 32 गिडी मिडलिंग्स के शामिल हैं और उनसे निविदा की आगे की आवश्यकताओं का अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी निविदाकर्ता जिन्होंने सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, उन्हें सामग्री उठाए जाने की अनुमति दे दी गई है।

तीस्ता बांध परियोजना

1287. **श्री चित्त बसु** : **क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता बांध परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उससे कौन-कौन से लाभ होने की संभावनाएं हैं;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है; और

(ग) इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तीस्ता बराज परियोजना (सोपान—एक का पहला उप सोपान) में तीन बराज शामिल हैं, जो तीस्ता, महानन्दा और डौक नदियों पर बनेंगे और तीस्ता, महानन्दा सम्पर्क नहर भी इसमें शामिल हैं, जो महानन्दा डौक नगर, नगर टैनगोन, तीस्ता जल ढाका मुख्य नहरों के साथ है और जिसे व्यापक वितरण प्रणाली द्वारा पोषित किया गया है। इसमें महानन्दा मुख्य नहर में गिरने वाली नहरों से 67.5 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करने की भी परिकल्पना है। इस परियोजना की प्रायोजित सिंचाई क्षमता लगभग 5.27 लाख हेक्टेयर है, जिसका लाभ जलपाईगुड़ी, दार्जीलिंग, पश्चिमी दिनाजपुर, कूच बिहार और मालदा जिलों को प्राप्त होगा।

(ख) जून, 1991 के अन्त तक इस पर लगभग 352 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जबकि इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपये है।

(ग) इस परियोजना में केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है तथापि 1983-84 के दौरान 5 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता और 1986-87 के दौरान 15 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता तथा 1987-88 के दौरान 10 करोड़ रुपए की सहायता इस परियोजना को दी गयी हैं।

गेहूं का उत्पादन

1288. **कुमारी उमा भारती** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में गेहूं का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है :

	(लाख मीटरी टन)
1988-89	115.8
1989-90	116.8
1990-91 (अग्रिम)	121.6

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

1289. **श्री काशीराम राणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है, ताकि विभिन्न राज्यों की मांग पूरी की जा सके;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा और विभिन्न राज्यों को सप्लाई की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का गुजरात को सप्लाई के लिए प्राकृतिक गैस की मात्रा में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में उत्पादित गैस क्रमश: 13214, 16989 और 17998 मिलियन घन मीटर है । राज्यवार प्रयोग निम्नलिखित है :

(एम. एम. एस. सी. एम. डी.)

	1988-89	89-90	90-91
महाराष्ट्र	9.17	9.90	10.68
गुजरात	5.712	6.305	7.819
आसाम	2.48	2.55	2.53
त्रिपुरा	0.07	0.07	0.19
आन्ध्र प्रदेश	0.04	0.07	0.11
तमिलनाडू	0.01	0.01	0.02
मध्य प्रदेश	1.344	1 566	1.623
राजस्थान	0.052	1.179	1.145
उत्तर प्रदेश	2.016	3.509	4.487
दिल्ली	--	0.267	0.495

(ग) गुजरात में उत्पादित गैस की सम्पूर्ण मात्रा और अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त गैस की बड़ी मात्रा के लिए गुजरात के विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ वचनबद्धता की गई है । इसका आगे का आवंटन विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा जिसमें गैस का उत्पादन ओर इसकी उपलब्धता शामिल है ।

लिग्रो-बुटेमिनस को गैस में बदलना

1290. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में 400 मीटर से अधिक गहराई पर लिग्रो-बुटेमिनस को गैस में बदलने हेतु कोई परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग मेहसाना (गुजरात) में इन-सीटू गैसीफिकेशन पर एक पायलेट आर. एण्ड डी. परियोजना के सम्बन्ध में एक नाडल अभिकरण के रूप में कार्यरत है।

अभी तक किए गए आर. एण्ड डी. कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. तकनीकी अध्ययन रिपोर्टों को तैयार किया जाना।

2. दो सूचना वैलों की ड्रिलिंग किया जाना।

3. भू-गर्भीय माडल को तैयार किए जाने के लिए पायलट क्षेत्र के तीन-डी भू-कम्पीय सर्वेक्षण।

4. सूचना वैलों से संग्रहण किए गए कोयले के नमूनों तथा चट्टानों की प्रयोगशाला सम्बन्धी जांच।

5. पृष्ठभूमि प्रोटेस्ट पैरामीटरों में प्राप्त किए जाने के लिए धंसाव अध्ययन का शुरू किया जाना।

6, आर. एण्ड डी. पायलट परियोजना के लिए अपेक्षित बड़े उपकरणों तथा सतही सुविधाओं का बिनिर्दिष्टकरण।

[अनुवाद]

श्री राम सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

1291. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्री रामसागर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक की कोई सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) श्री राम सागर परियोजना विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II की एक उप परियोजना है। आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II के अन्तर्गत सितम्बर, 1991 तक इस पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में विश्व बैंक से 27.688 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त हुई है।

अन्तर-राज्यीय विवादों में उलझी आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1292. **श्री धर्मभिक्षम : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो अन्तर-राज्यीय विवादों में उलझी है; और

(ख) उन विवादों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तेलुगू गंगा परियोजना, जिसमें मद्रास शहर की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृष्णा जल के 15 हजार मिलियम घन फीट (टी.एम.सी.) और कृष्णा नदी के मार्ग के साथ आंध्र प्रदेश में स्थित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए कृष्णा के 29 हजार मिलियन हेक्टेयर क्यूब्कि जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है, कृष्णा बेसिन राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जल की उपलब्धता से सम्बन्धित मामलों का समाधान न होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

(ख) तत्कालीन जल संसाधन मंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 5.4.1990 को बुलाई गई थी, किन्तु उसका आयोजन नहीं किया जा सका, क्योंकि कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने यह सूचित किया कि कृष्णा जल के बंटवारे से सम्बन्धित मामलों को वे स्वयं आपस में सुलझा लेंगे, 1990 में तीनों मुख्य मंत्रियों ने दो बार बैठक की और उनकी दूसरी बैठक के दौरान जो चार अस्थाई वैकल्पिक प्रस्ताव उभर कर आए थे, उन पर विचार करने हेतु पुन: एक बैठक का आयोजन करने का निश्चय किया गया ।

[हिन्दी]

बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भारत-नेपाल वार्ता

1293. **श्री राम लखन सिंह यादव :**
श्री हरि किशोर सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागमती, कमला, कोसी और करनाली नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत और नेपाल के सरकारी शिष्ट मण्डलों के बीच हुई हाल की वार्ता का क्या निष्कर्ष रहा;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर कोई बृहद समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोसी परियोजना, विशेष रूप से भूमि कटाव रोधी कार्य पर व्यय बिहार सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, जबकि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना था;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की क्षतिपूर्ति करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बागमती, कमला और कोसी नदियों के लिये अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता है ।

करनाली के लिए शेष अध्ययन पूरे किये जाने हैं। तथापि, अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

(घ) से (च) कटाव-रोधी कार्यों सहित कोसी परियोजना का अनुरक्षण लाभग्राही राज्य बिहार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से किया जाता है। चूंकि व्यय को पूरा करना कठिन होता जा रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने धन के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है। उन्हें परियोजना प्रस्ताव के रूप में एक स्कीम प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में जल-संसाधन परियोजनाएं

1294. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **जल-संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से निर्वाचित कुछ संसद सदस्यों ने इस राज्य में जल संसाधन परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का किन-किन सुझावों को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) सरकार का इन्हें कब तक कार्यान्वित करने का विचार है तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) जल संसाधन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के कुछ संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए सुझावों से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्यों के साथ नई दिल्ली में 8 अगस्त, 1991 को आयोजित की गयी बैठक में सदस्यों ने तीस्ता बराज परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु आठवीं योजना में राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने तथा केन्द्र द्वारा पूर्ण वित्तपोषण करने पर बल दिया। केन्द्र द्वारा वित्त पोषण किए जाने तथा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किए जाने के वास्ते अपर द्वारकेश्वर परियोजना का अनुमोदन, विद्याधर बाढ़ नियंत्रण स्कीम की शीघ्र स्वीकृति, सुबर्नरेखा परियोजना को शीघ्र स्वीकृति, कंगसाबती आधुनिकीकरण परियोजना, वन क्षेत्र से तीस्ता बराज की बांयी तट नहर, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, गंगा की लोअर पहुंचों में गाद निकालना कटावरोधी कार्य करना अन्य संबंधित मुद्दे थे, जो ध्यान में लाए गए। एक सुझाव दिया गया था कि 24 परगना के सुन्दरवन क्षेत्र के सागर और घोरामारा प्रायद्वीपों में कटाव के कारण हो रही तबाही का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र को एक विशेष दल भेजना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त इन प्रायद्वीपों में और कटाव को रोकने के लिए इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के समान संसाधनों के सतही और उप सतही उपयोग के वास्ते जल प्रबन्ध नीति पर एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय गठित करने का सुझाव भी दिया गया था।

राष्ट्रीय परियोजना मानने तथा केन्द्र द्वारा इसका वित्त पोषण करने हेतु तीस्ता बराज परियोजना को योजना आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजनाओं की धारणा और मानदण्ड पर योजना आयोग की सहमति प्राप्त की जानी हे। सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के वास्ते राज्य सरकार को सिंचाई क्षेत्र में काफी वृद्धि भी करनी होगी। केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना मूल्यांकन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें करके टिप्पणियां/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के वास्ते एक बिशेष अभियान शुरू किया है। सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग, तकनीकी परामर्शदात्री समिति तथा केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों को टिप्पणियों की अनुपालना करना अपेक्षित है।

केन्द्रीय दल ने दिए गए सुभाव के अनुसार में 29 से 30 अक्तूबर 1991 तक घोरामारा प्रायद्वीप का दौरा किया।

बंगलौर में डाकघरों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन पत्र जारी करना

1296. **श्री जी. माडेगोडा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में डाकघरों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है तथा कब तक इस तरह की सुविधा के शुरू किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) और (ख) डाकघरों और बैंकों के जरिए पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बिक्री की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

केरल में बाढ़ नियंत्रण परियोजना

1297. **श्री टी. जे अंजलोज** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास लंबित केरल की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का उनकी अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी, और

(ग) केरल को राज्य में बाढ़ नियंत्रण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केरल सरकार की कोई भी बाढ़ नियंत्रण परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के पास तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन बर्षों के दौरान केरल में बाढ़ों के नियंत्रण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई, केन्द्र 1972-73 से राज्य सरकार को समुद्र कटाव रोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय

ऋण सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्र कटाव रोधी कार्यों के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपए में
1988-89	2.50
1989-90	2.37
1990-91	2.05

कोयला खनन हेतु सुरक्षोपाय

1298. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयला खानों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खनन में सुरक्षा और पर्यावरणीय उपायों में सुधार हेतु कोई नई आधुनिक तकनीक अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा उक्त योजना को संभवत: कब तक लागू किया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस.बी. न्यामगौड) : (क) से (ख) कोयला खानों में खनन क्रियाकलापों, जिसमें पुरक्षा सम्बन्धी पहलू शामिल हैं, को खान अधिनियम 1952 के तथा इसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति पर निगरानी रखने तथा समीक्षा करने की एक नियमित प्रणाली है और इस पर यूनिट स्तर पर पिट सुरक्षा समिति (जिसमें कामगार प्रतिनिधि शामिल हैं), क्षेत्रीय तथा कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय समिति, कोल इंडिया सुरक्षा बोर्ड और सरकार के स्तर पर कोयला खान सुरक्षा से संबद्ध स्थाई समिति के जरिये निगरानी रखी जाती है। समय-समय पर सुरक्षा सम्मेलन खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सुधार किये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को भी निर्धारित करते हैं। सभी खानों में कामगार निरीक्षण नियुक्त किये जाते हैं जो कि प्रबन्धन तथा खान सुरक्षा महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं।

(ग) से (घ) अब पर्यावरण प्रबन्धन योजनाएं कोयला परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग है जो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त किये जाने के बाद पर्याप्त रूप में पर्यावरण सुरक्षा का सुनिश्चय करती हैं। सुरक्षा के मामले में अधिकांशत: सफबोल्टिंग की नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है ताकि छत/दीवार गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके और भारतीय भू-सर्वेक्षण के सहयोग से नई सर्वेक्षण योजनायें तैयार की जा रही हैं ताकि खानों के जलमग्न होने की स्थिति में सुरक्षा की जा सके।

ताजे जल में मछली पालन

1299. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ताजे जल में मछली पालन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम की सफलता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने मछली उत्पादन, रोजगार सृजनन और आय में वृद्धि करने तथा कृषि के विविधीकरण के लिए ताजा पानी मछली पालन आरम्भ किया है।

(ग) और (घ) ताजा पानी मछली पालन की योजना के अंतर्गत सभी राज्यों के सक्षम जिलों को कवर करते हुए अभी तक 365 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। मछली पालक विकास एजेंसियों ने 2.82 लाख हैक्टार तालाब और पोखरों को मछली पालन के अंतर्गत ले लिया है तथा लगभग 3.31 लाख मछली पालकों को मछली पालन की उन्नत पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया है। मछली पालन विकास एजेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत तालाब और पोखरों की औसत उत्पादकता 1973-74 के 50 कि.ग्राम प्रति हैक्टार प्रति वर्ष से बढ़कर 1990-91 में 1905 कि.ग्राम प्रति हैक्टार प्रतिवर्ष हो गया है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार

1300. **श्री जे. चोक्का राव : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कार्यरत स्थानीय लोगों की संख्या कितनी है और वहां कार्यरत लोगों में उनका प्रतिशत कितना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कर्मचारियों के क्षेत्रीय मूल निवास के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

1301. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग) उड़ीसा को गत वर्ष (अप्रैल "90-मार्च" 91) और चालू वर्ष (अप्रैल "91-नवम्बर" 91) के दौरान क्रमशः 153466 और 99520 टन मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया।

जिलावार आबंटन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के कोटे को बढ़ाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उल्फा उग्रवादियों द्वारा मारे गए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा

1302. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्फा उग्रवादियों द्वारा 1 सितम्बर, 1991 से अब तक मारे गए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया अथवा देने का विचार है; और

(ग) उल्फा उग्रवादियों की इस प्रकार असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के दो अधिकारी, यथा—श्री बी.एस. राजू, सहायक कार्यकारी अभियन्ता (उत्पादन) और श्री पी.पी. श्रीवास्तव, अधीक्षक अभियन्ता (ड्रिलिंग) मारे गए हैं।

(ख) सर्वश्री राजू और श्रीवास्तव के निकटतम सम्बन्धी को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(आंकड़े रुपए में)

	कर्मकार प्रतिकर	अतिरिक्त वित्तीय लाभ	अनुग्रह राशि
श्री बी.एस. राजू	05,428	2,00,000	5,00,000
श्री पी.पी. श्रीवास्तव	59,868	2,00,000	5,00,000

(ग) देश के विभिन्न भागों में सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए गए हैं। स्थिति से निपटने के लिए कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां और सेना भी लगाई गई है। आरक्षी महानिरीक्षक के पद के एक अधिकारी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में निदेशक (सुरक्षा) के पद पर तैनात किया गया है।

जल-सम्भरों पर नियन्त्रण

1303. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्योचेतिना घुगों को छोड़ने से जल सम्बुल अपतृणों पर प्रभावी नियन्त्रण लगाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सिंचाई की अनेक नहरों को अवरुद्ध करने वाले जल सम्बुलों पर नियंत्रण करने वाली इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पौध संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों ने, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में, 5286 हैक्टेयर क्षेत्र में नियोचेटिना बीवल छोड़कर वाटर हायसिन्थ के सफल नियंत्रण का प्रदर्शन किया है।

कुछ ऐसे ही आशाजनक परिणाम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केरल कृषि विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत आने वाले संस्थानों द्वारा भी प्राप्त किए गये हैं।

जहां तक सिंचाई नहर का सम्बन्ध है, जब भी संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हुआ, तभी कुछ निर्मुक्तियां की गईं।

मात्स्यिकी के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

1304. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की "फिशरीज एण्ड एक्वाकल्चर रीसर्च कैपेबिलिटिज एण्ड नीड्स इन एशिया" नामक रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई है कि अभितट क्षेत्र के तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने में ठहराव आने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) विश्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में अभी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तथापि, हाल ही के कुछ वर्षों में तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई है।

(ग) तथापि, सरकार परम्परागत नौकाओं के मोटरीकरण, गहरे पानी में वेलापवर्ती मत्स्य नौकाओं के प्रयोग आदि के जरिए गहरे पानी में मछली पकड़ने वाले जलयानों के प्रचालन क्षेत्र में विस्तार करने के लिए कदम उठा रही है।

गैस क्रैकर परियोजना में आयल इण्डिया लिमिटेड की भागीदारी के लिए अनुरोध

1305. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि गैस क्रैकर परियोजना में पर्याप्त "इक्विटी होल्डिंग" सहित आयल इण्डिया लिमिटेड को भागीदार बनने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध विचाराधीन है।

[हिन्दी]

"टिश्यू कल्चर तकनीक"

1306. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरेलु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में टिश्यू कल्चर तकनीकों का विस्तृत रूप से उपयोग होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या इस तकनीक को व्यापारिक स्तर पर भी लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) और (ख) महोदय, देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल सीमित पैमाने पर टिश्यू कल्चर तकनीकें उपयोग में लायी जा रही हैं। शोभाकारी पत्ते वाले पौधे आर्किड, केला गन्ना तथा इलायची जैसी फसलों की सर्वोत्कृष्ट पौध सामग्री के सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। प्ररोही उपायों के जरिए सम्वर्धित फसलों के जनित्र द्रव्य के संरक्षण और फसल के पौधों में नयी आनुवंशिक विविधताओं को पैदा करने के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक भी इस्तेमाल में लायी जा रही है।

(ग) हां।

(घ) आर्किड, पत्ते वाले पौधों, छोटी इलायची तथा केले के लिए व्यावसायिक पैमाने पर टिश्यू कल्चर तकनीक इस्तेमाल में लायी जा रही है।

[अनुवाद]

विशाखापतनम इस्पात परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

1307. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम इस्पात परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति विस्थापित हुए;

(ख) इस भूमि के विस्थापितों के लिए भूमि का मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या मानदन्ड अपनाए गए हैं;

(ग) उन्हें कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या इस संबंध में न्यायालय में कुछ मामले विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के परिणाम-स्वरूप 14,688 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं ।

(ख) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए निम्नलिखित दरों पर मुआवजे का भुगतान किया गया है—

1. असिंचित भूमि	17,000 रुपये प्रति एकड़
2. सिंचित भूमि	20,000 रुपये प्रति एकड़
3. ग्राम स्थल	6/7 रुपये प्रति वर्ग गज
4. राज्य की भूमि	1270 रुपये प्रति एकड़

(ग) विशाखपट्टणम इस्पात सयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु मुआवजे के मुगतान के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 27.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है ।

(घ) और (ङ) जी, हां । न्यायालयों में लम्बित मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 आदि की मूल याचिका मामले यू./एस. 18 (1)/-157

(2) निचली अदालतों के आदेशों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिकायें जो लम्बित हैं—57

(3) उच्चतम न्यायलय में लम्बित याचिकायें—34

राष्ट्रीय मत्स्यन बन्दरगाह प्राधिकरण

1308. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मत्स्यन बन्दरगाह प्राधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री । (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां । केन्द्रीय मात्स्यिकी बंदरगाह प्राधिकरण के रूप में ।

(ख) और (ग) सरकार ने अब तक रायचौक (पश्चिम बंगाल), विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु) और कोचिन (केरल) में चार मुख्य मात्स्यिकी बन्दरगाह स्थापित किए हैं । दो और मुख्य बन्दरगाह निर्माणाधीन हैं । इन बन्दरगाहों के रख-रखाव एवं प्रबन्ध की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है । सरकार उनके रख-रखाब पर प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि व्यय कर रही है । अतएव मुख्य मात्स्यिकी बन्दरगाहों के विकास, प्रबन्ध और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी बन्दरगाह प्राधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान में मुख्य बन्दरगाह न्यासों की है, की अभी जांच की जा रही है ।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सिंगरेनी कोयला खानों का अधिग्रहण

1309. **श्री एम. वी. वी. एम. मूर्ति :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सिंगरेली कोयला खानों को कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत लाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में मिलावट

1310. **श्री विलासराव नाथ नाथ राव गुंडेवार :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में मिलावट की जांच करने के लिए कोई एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और इस वर्ष के दौरान सम्बन्धित एजेंसी तथा इसकी शाखाओं द्वारा कितने पेट्रोल, डीजल पम्पों की जांच की गई; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा नियमित/आकस्मिक और संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं। मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकारों के सिविल आपूर्ति प्राधिकारियों और अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों को शक्तियां दी गई हैं।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा जिन पेट्रोल, डीजल पम्पों की चेकिंग की गई वे निम्नलिखित है :

वर्ष	किये गये निरीक्षण
अप्रैल 90 से मार्च 91	61312
अप्रैल 91 से अगस्त 91	28375

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए निरीक्षणों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध तेल कम्पनियों द्वारा की गई कार्रवाई निम्नलिखित है :

कार्रवाई	अप्रैल, 90 से मार्च, 91 तक	अप्रैल, 91 से अगस्त, 91 तक
(1) परिसमाप्ति	4	—

(2) आपूर्ति का लगातार निलंबन	99	26
(3) आपूर्ति का अस्थायी निलंबन	326	97

[अनुवाद]

सोने का उत्पादन

1311. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न सोने की खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) सरकार ने सोने का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश की विभिन्न खानों में गत तीन वर्षों का स्वर्ण उत्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) देश में उत्पादित स्वर्ण खुले बाजार में बेचा जाता है, जिसका मुख्य उपयोग आभूषणों और घड़ी निर्माण, जरी निर्माण जैसे अन्य औद्योगिक कार्यों में होता है ।

विवरण

विभिन्न खानों का गत तीन वर्षों का स्वर्ण उत्पादन

		(किलोग्राम में)	
कम्पनी/खान का नाम	**1988-89**	**1989-90**	**1990-91**
I. **भारत गोल्ड माइन्स लि.**			
(1) के. जी. एफ. खान समूह (हीप लीचिंग और ओल्ड विसनाथम खान उत्पादन सहित)	732.72	589.15	479.60
(2) चिगारर्गुटा खान	79.63	76.94	169.87
(3) येप्पामाना खान	130.84	107.26	114.78
कुल : भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	943.19	773.35	764.25
II. **हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड** हट्टी खान, जिला रायचूर (कर्नाटक)	965·00	875.00	1049.00
III. **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, (एच.सी.एल.)**			
(1) इंडियन कापर काम्पलैक्स घाटसिला (बिहार) (उपोत्पाद के रूप में स्वर्ण)	100.00	101.00	75.00

(2) विदेश से रिवटों व एनोड स्लाइम के टोल प्रगालन से प्राप्त	—	407.00	202.00
योग	100.00	508.00	277.00
कुल योग :	2008.19	2156.35	2090.25

केवल भारत गोल्ड माइंस लि. और हुट्टी गोल्ड माइंस लि. ही प्राथमिक स्वर्ण का खनन और उत्पादन कर रही हैं। हिन्दुस्तान कापर लि. द्वारा उपोत्पाद के रूप में स्वर्ग उत्पादन किया जाता है।

कर्नाटक को मिट्टी का तेल देना

1312. **श्री जी. माडेगौडा** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1991 के दौरान कर्नाटक की सरकार द्वारा कुल कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की मांग की गयी;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कितना मिट्टी का तेल वास्तव में दिया; और

(ग) राज्य को मिट्टी के तेल की सारी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जनवरी से जून, 1991 तक कर्नाटक को मिट्टी के तेल के आबंटन और उसके प्रेषण का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(आंकड़े टनों में)

महीना	आबंटन	प्रेषण
जनवरी, 1991	40633	44289
फरवरी, 1991	40611	40494
मार्च, 1991	35181	35144
अप्रैल, 1991	34256	33826
मई, 1991	34256	34437
जून, 1991	34256	34375

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस.के.ओ. का आबंटन पहले किए गए आबंटन के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि उत्पाद उपलब्ध हो।

राष्ट्रीय महत्व की जल संसाधन परियोजनाओं का पता लगाना

1313. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(ग) अब तक पता लगायी परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं की लागत का एक निर्धारित भाग वहन करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी परियोजनाओं पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दोरान अनुमानतः कुल कितना केन्द्रीय परिव्यय आयेगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में परियोजनाओं को अभिज्ञात करने हेतु निर्धारित किए गए मानदण्ड निम्नवत् हैं :

(i) एक लाख हेक्टेयर तथा अधिक क्षमता की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनायें;

(ii) एक लाख हेक्टेयर तथा अधिक क्षमता की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनायें;

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं वाली परियोजनायें;

(iv) अन्तर्राज्यीय पहलुओं वाली परियोजनायें;

(v) राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनायें।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो परियोजनाओं के किसी विशेष पहलू से संबद्ध नहीं होती है।

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 750 करोड़ रु० के अनु मानित केन्द्रीय परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय योजना से प्रस्तावित निधि

(करोड़ रुपयेलाख हेक्टेयर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	शामिल देश/राज्य	योजना जिसमें शुरू की	अनुमोदनों की स्थिति	अद्यतन लागत (1990-91)	आगे लायी गयी लागत	वित्तीय स्थिति सातवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय: केन्द्रीय योजना	राज्य योजना	कुल	क्षमता: चरम	प्राप्त की जाने वाली शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(क) अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनायें										
1.	पश्चिमी कोसी नहर	भारत (बिहार)	III		340.60	158.07	50.00	150.00	200.00	2.09	1.43
		नेपाल	III		60.52					0.27	
	(ख) अन्तर्राज्यीय परियोजनायें										
1.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर (चरण-II)	आंध्र प्रदेश	III		110.70	24.76	10.00	20.00	30.00	0.90	0.44
		कर्नाटक			27.50	10.01	5.00	10.00	15.00	0.81	0.13
2.	गुडगांव नहर	हरियाणा	III		40.41	19.64	8.00	18.00	26.00	0.81	0.20
		राजस्थान	I		30.55	15·49	7.00	12.00	19.00	0.28	0 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	बाणसागर	बिहार	V		64.23	8.92					
		मध्य प्रदेश	V		851.26	675.58		2.49		2.49	2.49
		उत्तर प्रदेश	V		298.85	249.93				1.34	1.34
4.	राजघाट	मध्य प्रदेश	V		413.30	321.72	98.00	244.00	322.00	1.17	1.17
		उत्तर प्रदेश	V		209.66	102.49	20.00	82.00	103.00	1.42	1·42
5.	सरदार सरोवर	गुजरात	IV		4655.52	4076.81				17.92	17.92
		राजस्थान	VI	यू. ए.	54.80	52.37				0.73	0.73
6.	सुबर्णरेखा	बिहार	V	यू. ए.	1270.00	809·86	100.00	400.00	500.00	2.09	2.00
		उड़ीसा	VI	यू. ए.	488.88	373.57	50.00	200.00	250.00	1.57	1.57
		पश्चिम बंगाल	VII								
7.	सतलुज यमुना वाहक नहर*	पंजाब	VI		76.00	48.00*				1.30	1.28
		हरियाणा	V		456.00	121.16				2.75	2.75
४.	फिओतल (तिपाई मुख)	मणिपुर	—	यू. ए.	270.41	270.41				1.68	1.68
		असम	—	यू. ए.							
	(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं वाली परियोजनायें										
1.	इंदिरा गांधी नहर (चरण-II)**	राजस्थान	V		1430.00	985.00				8.10	6.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	तीस्ता बराज (सोपान-1, चरण-1)	पश्चिमी बंगाल	V		640.00	310.72	70.00	150.00	220.00	5.27	5.12
3.	बागमती	बिहार	IV		185.70	151.26				1.02	1.02
4.	गयूटी	त्रिपुरा	V		31·99	13.55	10.00	15.00	25.00	0.10	0.10
5.	खेवई	त्रिपुरा	VI		40.32	23.68	12.00	20.00	32.00	0.08	0.08
6.	मानू	त्रिपुरा	VI		32.11	20.61	10.00	18.00	28.00	0.08	0.08
	(घ) अन्तर्राज्यीय पहलुओं वाली परियोजनायें										
1.	पोलावरम बराज	आंध्र प्रदेश	VI	यू. ए.	884.17	883.97	100.00	500.00	600.00	1.89	1.89
2.	नर्मदा सागर	मध्य प्रदेश	VI		2167.67	2151.89	150.00	1100 00	1250.00	1.69	1.69
3,	तेलुगु गंगा	आंध्र प्रदेश	VI	यू. ए.	899.93	593.57				2.33	2.33
	(ङ) राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनायें										
1.	अपर कृष्णा	कर्नाटक	IV		1500.00	914·21	50.00	800.00	850.00	4.25	[illegible]
	कुल						750.00	3730.00	4470.00		3.13

* सतलुज यमुना सम्पर्क का गैर-योजनागत आबंटन से वित्त पोषण किया जाता है।

** इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से वित्त पोषण किया जा रहा है।

यू. ए.—अननूमोदित।

रसोई गैस कनेक्शनों के स्थानानतरण

1314. **डा. सी. सिलवेरा : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही शहर में रसोई गैस कनेक्शनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के लिए राशन कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र पेश करने की प्रथा को काफी समय पहले ही समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रसोई गैस की एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही करने का विचार हैं जो अभी तक ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर दे रही है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारक हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) आवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है।

आपरेशन फलड-III कार्यक्रम का मूल्यांकन

1315. **डा. सी. सिलवेरा :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड-III का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) मूल्यांकन करने वाले दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) (क) यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मध्यावधि मूल्यांकन मिशन इस समय आपरेशन फ्लड-3 का मूल्यांकन कर रहा है।

(ख) मध्यावधि मूल्यांकर का उद्देश्य, यूरोपियन समुदायों से संबंधित समिति को विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराना है, ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जा सके और उसे बेहतर बनाने की आवश्यकता पर विचार किया जा सके।

(ग) दल का गठन इस प्रकार है :-

1. श्री पी. मैकनील, दल अध्यक्ष
2. श्री एन. पामवौंग, दुग्ध क्षेत्र के अर्थशास्त्री/बाजार विश्लेषक
3. श्री टी. रोव, पशुधन विशेषज्ञ
4. श्री पी. क्रिस्टेनसन, डेरी टैक्नोलोजिस्ट
5. श्री ओ. जर्सटन, वित्त और लेखा विशेषज्ञ

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को कोयले की सप्लाई

1316. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को गत डेढ़ महीने के दौरान आवंटित और सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा का महीनेवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) हिमाचल प्रदेश को कोयले के आवंटन के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) हिमाचल प्रदेश को पिछले दो वर्षों के दौरान की गई कोयले की आपूर्ति की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :-

	('000 टन में)
1989-90	135
1990-91	220.4

(ख) कोयले का आवंटन किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

(1) उपभोक्ताओं की कोयले की मांग का प्रायोजन करने वाली राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकरण ।

(2) इस प्रायोजन के आधार पर तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं से जांच किये जाने के बाद कोल इण्डिया लि० द्वारा संयोजन संबंधी स्वीकृति की जाती है, जो कि कोयले के आकार, ग्रेड, स्रोत और कोयले की आपूर्ति किए जाने में परिवहन के संबंध में दी जाती है ।

(3) रेलवे प्रत्येक राज्य को रेल द्वारा कोयले का संचलन किए जाने के लिए वैगनों को अधिकतम सीमा निर्धारित करता है । राज्य में सक्षम प्रायोजक प्राधिकारी अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत कोयला कंपनियों की सहमति से उपभोक्ताओं की रेल लदान संबंधी आवश्यकताओं का प्रायोजन करते हैं ।

(4) उपभोक्ताओं को सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था नियंत्रित सड़क संयोजन, अथवा रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति की कमी के एवज में, अथवा विपदा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर की जाती है ।

(5) प्रत्येक राज्य में ईंट भट्टा उपभोक्ताओं को सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति की भी व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए कोल इन्डिया लि० प्रत्येक राज्य को मासिक आधार पर कोयले की आपूर्ति की पेशकश करता है और कोयला कम्पनिलां कोयले की आपूर्ति राज्य की प्रयोजन प्राधिकारियों की सिफारिश के आधार पर कोयला जारी करते हैं ।

नर्मदा नदी में पानी की उपलब्धता

1317. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नर्मदा नदी में बह रहे पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए हाल में कोई अध्ययन करवाया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किये जा रहे अध्ययन अभी पूरे नहीं हुए हैं।

नर्मदा सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

1318. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नए उपाय प्रामम्भ किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे; और इसके क्या परिणाम निकले ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, विश्व बैंक सहायता के लिए सिंचाई परियोजनाओं की सम्भव सूची (पाइपलाइन) पर विश्व बैंक के साथ हाल में हुए विचार विमर्श के दौरान यह बताया गया कि विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई स्वतंत्र पुनरीक्षा के परिणाम का पता चलने के बाद नर्मदा सागर परियोजना के लिए सहायया पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है :-

(i) यथार्थपरक वित्तीय योजना,

(ii) पर्यावर्णिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, और

(iii) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के लिए व्यापक योजना।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में पेट्रोलियम के भंडार

1319. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में पेट्रोलियम के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि ये सर्वेक्षण आरंभिक प्रकृतिक के हैं, अतः इस क्षेत्र के पेट्रोलियम की संभावनाओं पर अभी कुछ कहना असमयपूर्व होगा।

[अनुवाद]

परम्परागत तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों को कठिनाइयां

1321. **श्री पाला के. एम. मैथ्यू** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और तामिलनाडु में मछली पकड़ने के क्षेत्र के बारे में परम्परागत तरीकों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों और मत्स्य नौकाओं की सहायता से मछली पकड़ने वालों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दोनों क्षेत्रों में मत्स्य नौकाओं के लिए मछली पकड़ने के क्षेत्र को सीमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) केरल में, मछली पकड़ने के क्षेत्र के बारे में परम्परागत तरीकों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों और मत्स्य नौकाओं से मछली पकड़ने वालों के बीच के विवाद को सुलझा लिया गया है। सरकार को, तमिलनाडू में, परम्परागत तरीकों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों तथा मत्स्य नौकाओं से मछली पकड़ने वालों के विवाद की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर केरल सरकार ने केरल सामुद्रिक मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार यांत्रिक नौकाओं को पारावूर पोझिक्करा से 30 मीटर गहराई से आगे कोलगोंड तक और पारावूर पोझिक्करा से 20 मीटर गहराई से आगे मजेश्वरम तक मछली पकड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने भी ऐसे ही कानून बनाकर तटरेखा से तीन समुद्री मील तक के क्षेत्र को केवल परंपरागत मछुआरों के लिए आरक्षित किया है।

कोचीन तेलशोधक कारखाने में बेन्जीन का उत्पादन

1322. **प्रो. के. वी थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन तेल-शोधक कारखानों में बेन्जीन के उत्पादन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड का वेनजीन के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केरल में रसोई गैस कनेक्शन

1323. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1 जनवरी, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिए गए;

(ख) सितम्बर, 1991 तक गैस कनेक्शनों के लिए कितने प्रार्थना पत्र लम्बित हैं; और

(ग) गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) करीब 28120

(ख) करीब 121520

(ग) अधिकतम आवेदकों को एल. पी. जी. कनेक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें

1324. **श्री सूर्यनारायण यादव : :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषतौर पर उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर अब तक क्या प्रगति हुई है ! और

(ग) उन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार से स्वीकृति के लिए प्राप्त 97 करोड़ रुपए की लागत को 14 बाढ़ प्रबंध स्कीमों में से, 61 करोड़ रुपए की लागत की 11 स्कीमें उत्तर बिहार से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) हाल ही में प्राप्त हुई दो स्कीमों (एक उत्तर बिहार में) के सिवाय सभी स्कीमों पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियां अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेज दी गयी हैं। इन स्कीमों की स्वीकृति में लगने वाला समय मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि इन टिप्पणियों के संतोषजनक उत्तर कितनी जल्दी दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पटसन अनुसंधान केन्द्र

1325. **श्री सूर्यनारायण यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में पटसन अनुसन्धान केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे और कहां-कहां ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जूट तथा संबद्ध रेशों से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत एक अनुसंधान केन्द्र पहले से ही कटिहार (बिहार) में कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

गुजरात में प्राकृतिक गैस

1326. **श्री हरिन पाठक :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में प्राकृतिक गैस के भण्डार पाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस की खुदाई के लिए एक स्वतन्त्र निकाय नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अभी तक गुजरात के कैम्बे बेसिन में लगभग 192 बिलियन घन मीटर गैस का भू-गर्भीय भण्डार होना स्थापित हो चुका है। इस समय गुजरात में सभी अन्वेषण कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मदर डेरी डबल टोन्ड दूध की बिक्री

1327. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों दूध का अधिक उत्पादन होने के बावजूद मदर डेरी द्वारा अभी भी डबल टोन्ड दूध की बिक्री की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) मदर डेरी, दिल्ली द्वारा इस समय डबल टोण्ड दूध तथा मानकीकृत दूध की बिक्री की जा रही है।

(ख) यद्यपि बहुतायत वाले मौसम के आरम्भ होने से, सहकारी संघों के माध्यम से मदर डेरी की सप्लाई किए जाने वाले दूध की मात्रा में कुछ सुधार हुआ है फिर भी टोण्ड दूध की ओर ध्यान देने के लिए दुग्ध वसा की कुल उपलब्धता अभी तक अपर्याप्त है।

[अनुवाद]

पम्बा-अछेनकोबिल-वैंगई सम्पर्क परियोजना

1328. **श्री पाला के.एम. मैथ्यू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पम्बा-अछेनकोबिल-वैंगई सम्पर्क परियोजना के सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन अब पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने पम्बा-अछेनकोविल-वैंगई सम्पर्क परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। इस परियोजना में केरल में पम्बा और अछेनकोबिल पर एक-एक बांध का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। दोनों बांधों को 12 किलोमीटर लम्बी सुरंग द्वारा आपस में जोड़ा जायेगा। अछेनकोबिल सम्पर्क नहर में पानी को पम्बा द्वारा ले जाने के लिए 15 मीटर से 60 मीटर तक के बीच पानी को

उठाना पड़ेगा। इसके बाद वैप्पार और वैगई बेसिनों में 664 मिलियन क्यूबिक मीटर जल ले जाने के लिए 233 किलोमीटर लम्बी नहर बनाने का प्रस्ताव है। अभिकरण द्वारा तैयार की गई पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट केरल और तमिलनाडु की सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिये भेज दी गई है। इस रिपोर्ट पर 14.6.1991 को अभिकरण का तकनीकी परामर्शदात्री समिति की 15वीं बैठक में भी विचार विमर्श किया गया था और इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मतैक्य प्राप्त करने हेतु केरल सरकार के साथ अंतर्राज्यीय पहलुओं पर विचार करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया था।

बाम्बे हाई में व्यर्थ जाने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग करना

1329. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**

श्री सूर्यनारायण यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाम्बे हाई में व्यर्थ जलाई जा रही गैस का उपयोग करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) बम्बई अपतट से केरल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए केरल सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है। दक्षिणी क्षेत्र में गैस ग्रिड की स्थापना के प्रश्न की जांच एक अन्तर मंत्रालयीय दल द्वारा की जा रही है।

स्टेनलेस स्टील के मूल्य में वृद्धि

1330. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम स्टील रालिंग मिल द्वारा उत्पादित स्टेनलेस स्टील के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका मूल्य निर्धारित किए जाने में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार स्टेनलेस स्टील का मूल्य कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सामान्य वृद्धि, रुपये की विदेशी मुद्रा सममूल्यता दर में समायोजन तथा साख सीमांत मुद्रा पत्र पर ब्याज के प्रभाव, बाजार-कीमत आदि घटकों के कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित वेदाग इस्पात की कीमतों में 26.7.91 से वृद्धि की गई थी। सामग्री की किस्म के आधार पर कीमतों में वृद्धि 11500 रुपए प्रति टन से 32,200 रुपये प्रति टन के बीच है।

(घ) और (ङ) बेदाग इस्पात की मदें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी कीमत अथवा वितरण नियंत्रण के अधीन नहीं हैं।

केरल में बाक्साइट के भंडार

1331. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कासरगौड और कन्नूर जिलों में बाक्साइट का पता लगाने के लिए कोई खोज कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां खोज कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने 1967 से 1974 के दौरान केरल के कसारगोड और कन्नूर जिलों में बाक्साइट के लिए ड्रिलिंग व प्राथमिक अन्वेषण किया था।

(ख) 10.661 मिलियन टन बाक्साइट के भंडारों का आकलन किया गया, जिसमें 40% से 59% एल्यूमिना और 1% से 9% सिलिका था। निक्षेप-वार ब्यौरा इस प्रकार है : कसारगोंड के अनन्तपुरगुड में 0.44 टन; कुम्बला में 1.83 टन और नारायणमंगलम तालुक में 0.70 टन तथा कन्नूर जिले के कन्हनगढ़ में 0.71 टन, लीलेश्वर में 6.1 टन तथा तालिपारम्बा प्रखंडों में 1.52 टन।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

1332. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों से सहायता मांगी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 1991-92 के दौरान इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का योजना व्यय को सीमित करने के लिए इस परियोजना के लिए एक मुश्त प्रावधान करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है। 5.78 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता वाला परियोजना का चरण-I पूरा हो गया है तथा क्षमता का अधिकांशतः पूर्ण रूप से उपयोग हो गया है। चरण-दो की

मुख्य नहर पूरी हो गई है तथा वितरण प्रणाली पर कार्य चल रहा है। 8.10 लाख हेक्टेयर की अभिकल्प क्षमता के मुकाबले, मार्च, 1991 तक 1.86 लाख हेक्टेयर क्षमता सृजित की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नहर कार्य तथा कच्चे जल-मार्गों को शामिल करते हुए परियोजना के चरण-दो की अनुमोदित लागत 931.24 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने पक्के जल-मार्गों सहित अद्यतन नहर लागत तथा क्षेत्र विकास कार्यों के संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान चरण-दो कार्यों के लिए 78.70 करोड रुपये तथा क्षेत्र विकास कार्यों के लिए 81.43 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(ङ) इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लाक ऋण तथा अनुदान प्रदान किये जाते हैं। तथापि, नहर तथा क्षेत्र विकास कार्य के लिए समय-समय पर उदार केन्द्रीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

	सातवीं योजना के दौरान	1990-91
	(करोड़ रुपए में)	
— कमान क्षेत्र विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जल मार्गों के लिये।	·45.60	19.99
— नहर कार्यों के लिए		
(i) अग्रिम योजना सहायता	45.00	—
(ii) सीमा क्षेत्र विकास अनुदान	60.70	28.60
(iii) सूखा-राहत सहायता	20.00	—
कुल नहर कार्य	125.70	28.60

द्विपक्षीय मुद्दों पर बंगला देश के साथ वार्ता

1333. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री अन्ना जोशी :
श्री यशवंतराव पाटील :
श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के विदेश मंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान चकमा शरणार्थियों को वापस लौटाने, तीन बीघा और गंगा के पानी के बंटवारे सम्बन्धी द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(ख) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) बंगलादेश के

विदेश मन्त्री की हाल की भारत की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों पर (जिनका प्रश्न में उल्लेख किया गया है) हुए विचार-विमर्श के निष्कर्ष और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई नीचे लिखे अनुसार है :

(i) जहां तक चकमा शरणार्थियों का सवाल है हम उम्मीद करते हैं कि हाल की बातचीत के बाद बंगलादेश की सरकार अब ऐसे प्रभावकारी कदम उठायेगी जिनसे शरणार्थियों में चकमा पर्वतीय क्षेत्र में अपने घरों को स्वेच्छा से और यथाशीघ्र लौटने का विश्वास पैदा होगा ।

(ii) जहां तक तीन बीघा का सवाल है सम्बद्ध पट्टे को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(iii) जहां तक गंगा के जल के बंटवारे का सवाल है अक्तूबर, 1991 में नई दिल्ली में सचिव स्तर की बातचीत हुई थी और सम्भवत: निकट भविष्य में मंत्री स्तर पर संयुक्त नदी आयोग की एक बैठक होगी ।

[हिन्दी]

चात्रा, बिहार में रसोई गैस एजेंसी

1334. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चात्रा जिला मुख्यालय में रसोई गैस एजेंसी खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

खाड़ी युद्ध के दौरान नष्ट हुई सम्पत्ति के मुआवजे के लिए दावे

1335. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत और खाड़ी के अन्य देशों में रह रहे अनेक भारतीय मूल के लोगों ने खाड़ी युद्ध के दौरान नष्ट हुई अपनी सम्पत्ति के मुआवजे हेतु दावे प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने दावे हैं और वे कितनी राशि के हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) जी हां । लगभग, 1,00,000 दावे प्राप्त हुए हैं और इनमें निहित राशि का हिसाब लगाया जा रहा है ।

(ग) मुआवजे के दावों को अदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो व्यवस्था

तय की थी उसे भारत सरकार ने समुचित रूप से प्रचारित किया था और प्राप्त दावों के आंकड़ों का हिसाब लगाया जा रहा है ताकि सरकार सम्बद्ध सारी सूचना को समन्वित रूप में संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति कोष को भेज सके जो मुआवजे की अदायगी करेगा। एक सदस्य के रूप में भारत ने आयोग की शासी परिषद् के विचार-विमर्शों में सक्रिय हिस्सा लिया है।

प्रधान मंत्री की अन्य देशों की यात्रा

1336. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी प्रधान मन्त्री ने 1 जनवरी से 10 नवम्बर, 1991 के दौरान यात्रायें की; और

(ख) इन यात्राओं का प्रयोजन क्या था और उनके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1 जनवरी से 10 नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री ने नेपाल (13-15 फरवरी, 1991), बंगलादेश (12 मई, 1991), जर्मन संघीय गणराज्य (5 से 7 सितम्बर, 1991) और जिम्बाब्वे (14 से 19 अक्तूबर, 1991) की यात्रा की।

(ख) इन यात्राओं का उद्देश्य और उनके निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

नेपाल : नेपाल की यात्रा एक राजकीय यात्रा थी जिसके दौरान प्रधान मंत्री ने नेपाल के नेताओं के साथ विस्तृत और सौहार्दपूर्ण बातचीत की तथा आपसी लाभप्रद सहयोग का तेजी से विस्तार करने के लिए अनेक उपायों पर सहमति हुई। इनमें शामिल हैं जल संसाधन विकास, स्वास्थ्य, रेल, नागरिक उड्डयन, शिक्षा और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में, जो दोनों देशों के लोगों के लिए प्रत्यक्ष लाभ के क्षेत्र है, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के व्यापक कार्यक्रम को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन।

बंगला देश : कुछ घंटों की इस संक्षिप्त यात्रा का उद्देश्य 29-30 अप्रैल 1991 को बंगला देश में आए तूफान से हुई जान-माल की भारी हानि पर बंगला देश की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना था।

जर्मन संघीय गणराज्य : वास्तव में यह यात्रा एक सद्भावना यात्रा थी और इसका मुख्य उद्देश्य चांसलर कौल के साथ भारत महोत्सव का उद्घाटन करना था। इस यात्रा से जर्मन के नेताओं के साथ भारत जर्मन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों सहित द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक बातचीत करने का अवसर मिला। इस यात्रा से भारत जर्मन सहयोग को एक नई गति मिली।

जिम्बाब्वे : जिम्बाब्वे की यह यात्रा राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए की गई थी। प्रधान मण्त्री अनेक राष्ट्रमण्डल नेताओं से भी मिले और द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया।

बिहार में छोटा नागपुर में एल्यूमिनियम कारखानों की स्थापना

1337. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार में छोटा नागपुर में एक एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका सरकार द्वारा एल. टी. टी. ई. को दी गई सहायता

1338. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री मोरेश्वर सावे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय शांति सेना के विरुद्ध एल. टी. टी. ई. को श्रीलंका सरकार द्वारा दी गई सहायता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने यह मामला उस देश के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्च, 1990 में भारतीय शांति सेना की वापसी से पहले श्रीलंका की सरकार न एल. टी. टी ई. को सहायता दी थी।

(ख) जी हां।

(ग) श्रीलंका की सरकार का कहना यह है कि उसने एल. टी. टी. ई. को जो सहायता दी थी वह भारतीय शांति सेना के विरुद्ध नहीं थी बल्कि एल. टी. टी. ई. के विरोधी तमिल गुटों के लिए थी ताकि एल. टी. टी. ई. उनका मुकाबला कर सके।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करना

1339. **श्री पवन कुमार बंसल :**

श्री रमेश चिन्नित्तला :

श्री ए. चारलेस :

श्री पाला के. एम. मैथ्यू : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 1 अगस्त, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त किए गए और कितने आवेदन पत्र निपटाए गए;

(ख) शेष आवेदन पत्रों का निपटान किए जाने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) त्रिवेन्द्रम में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) त्रिवेन्द्रम स्थित पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय को पूर्णरूपेण पासपोर्ट कार्यालय बनाने का फैसला किया गया है। कोचीन, कोजीकोड स्थित पासपोर्ट कार्यालयों और त्रिवेन्द्रम स्थित पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय के साथ परामर्श करके त्रिवेन्द्रम में प्रस्तावित पासपोर्ट कार्यालय के लिए कर्मचारी, कार्यालय स्थान, फर्नीचर और उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन किया जा रहा है। कोचीन, कोजीकोड और त्रिवेन्दम स्थित कार्यालयों के बीच पदों, फर्नीचर और उपकरणों का पुनः वितरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों की छात्रवृत्तियां

1340. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में अध्ययन के लिए देशवार कितने विदेशी छात्रों को नामित किया है और उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश तथा अन्य पड़ोसी देशों के ऐसे कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन

1341. **श्री हरिकिशोर सिंह :**
डा. सी. सिलवेरा : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया की समस्याओं के बारे में हाल ही में मैड्रिड में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने मध्य-पूर्व, शांति सम्मेलन का स्वागत किया है। उसने यह आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे अन्ततः मध्य-पूर्व की समस्या का और फिलीस्तीन के मसले का एक न्यायोचित और व्यापक समाधान निकल आएगा तथा मध्य पूर्व के इलाके में क्षेत्रीय-सौहार्द, शांति और सहयोग के युग का उदय होगा।

कच्चे तेल का उत्पादन

1342. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे तेल के उत्पादन में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 में और 1991-92 में अब तक कच्चे तेल का कितना उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित 35.9 मि. टन के लक्ष्य के प्रति 33 मि. टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया था। उत्पादन ह्रास के कारणों में किसी-किसी स्थान पर समुद्र तल की पाइप लाइनों में रिसाव, भण्डार स्थल सम्बन्धी बातों (दाबह्रास, जी. ओ. आर. में वृद्धि और जल कटाव), अधिकारियों की हड़ताल और कतिपय स्कीमों के कार्यान्वयन में विलम्ब शामिल है।

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में क्रमश: 34.69 मि. टन और 33.00 मि. टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ है। 1991-92 में सितम्बर तक 15.326 मि. टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था।

फिजी के देव-मन्दिरों पर कथित हमले

1343. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**
श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 17 अक्तूबर, 1991 के पैट्रियट में "अटैक्स आन फिजी श्राइन्स कंटीन्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) फिजी में वहां की सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ किए जा रहे जातीय भेद-भाव और फिजी के नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन के बारे में भारत सरकार को चिन्ता है। भारत फिजी में जातीय भेद-भाव और मानवाधिकारों के हनन के मामले को संयुक्त राष्ट्र संगठनों, मानवाधिकार निकायों, राष्ट्र मण्डल शासनाध्यक्षों की बैठकों तथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यू. के., अमरीका और मारीशस जैसे सम्बद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में जोरदार ढंग से उठाता रहा है। भारत राष्ट्र मण्डल में फिजी के पुन: प्रवेश का बराबर विरोध करता रहेगा।

सोयाबीन का उत्पादन

1344. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सोयाबीन का उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सोयाबीन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कोई विशेष प्रोत्साहन योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान सोयाबीन का राज्यवार अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)
1. असम	16
2. बिहार	10
3. गुजरात	13
4. कर्नाटक	5
5. मध्य प्रदेश	2003
6. महाराष्ट्र	189
7. उड़ीसा	1
8. राजस्थान	160
9. उत्तर प्रदेश	32
10. अन्य	11
योग	2440

(ख) और (ग) जी, हां। सोयाबीन को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीजों के उत्पादन एवं वितरण, प्रदर्शन, पौध रक्षण उपायों, छिड़काव यन्त्रों, उन्नत उपस्करों, राइजोबियम कल्चर तथा अन्य मदों के वितरण हेतु सहायता देकर सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सोयाबीन सहित मुख्य तिलहन फसलों के लिए 77·5 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। सोयाबीन कार्यक्रम तेरह राज्यों को कवर करता है।

भूकम्प के प्रभावों पर अध्ययन

1345. **कुमारी उमा भारती** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के भूकम्प-प्रभावित क्षेत्र में भूकम्प के प्रभावों का अध्ययन तथा भूकम्प के पश्चात् सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अध्ययन रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) इस समय उत्तर प्रदेश के भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में भूकम्पोत्तर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। इन अध्ययनों में नुकसान का सर्वेक्षण और आंकलन तथा मकानों, सड़कों, भूमि, पुलों, नदियों एवं इंजीनियरी निर्माणों पर भूकम्प के कुप्रभाव और तज्जन्य हानियों तथा बस्तियों और मकानों पर उसके कुप्रभावों के स्तर का अध्ययन भी शामिल है। इन अध्ययनों का उद्देश्य भूकम्प के अधिकेन्द्रों और भूकम्प प्रबण परिधियों को चिन्हित करके अनका निर्धारण करना है, ताकि परवर्ती अध्ययनों के लिए सम-भूकम्पीय मानचित्र तैयार किए जा सकें।

(ग) भूकम्प संघात के बारे में भारतीय भू-सर्वे दल द्वारा किए गए अध्ययन की प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति और उसके सतर्क अध्ययन के बाद, भूकम्प तक्षणी अध्ययन की योजना बना कर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस क्षेत्र की भू-गर्भीय प्रक्रियाओं और भूकम्प के सम्भावित कारणों की सही-सही जानकारी प्राप्त हो सके।

इथोपिया शिष्टमण्डल की यात्रा

1346. **श्री पी. एम. सईद** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इथोपियाई शिष्टमण्डल ने भारत की यात्रा की है और गृह-युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई इथोपियाई मूलभूत ढांचे के पुनःनिर्माण में सहायता करने हेतु भारत के सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इथोपिया में निर्माण अथवा खोज संबंधी परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फ़लीरो) : (क) इथोपिया के आवास और निर्माण मंत्री के नेतृत्व में वहां का एक प्रतिनिधि मण्डल 30-10-91 से 2-11-91 तक भारत की यात्रा पर आया था। इथोपिया के मंत्री इथोपिया के नए राष्ट्रपति की ओर से हमारे प्रधानमन्त्री के लिए एक संदेश लाए थे। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री और शहरी विकास मंत्री से भी मुलाकात की। इथोपिया के मंत्री ने 31-10-91 को एक संवाददाता सम्मेलन को भी सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने सार्वजनिक और निजी उद्यमियों से इथोपिया की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण में सहायता करने को कहा।

(ख) भारत इथोपिया को कृषि, जल संसाधन प्रबंध व्यवस्था और लघु उद्योगों के क्षेत्रों में सहायता देता रहा है। तथापि उस देश में हाल ही के गृह संघर्ष के कारण इन क्षेत्रों से सम्बद्ध कार्यक्रमों मे गतिरोध आ गया था। वहां स्थिति सामान्य होते ही इन कार्यक्रमों को पुनः शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12 बजे मध्यान्ह

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

लोकसभा की कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाये जाने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो सभा की कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाने के प्रश्न पर दलों और ग्रुपों के नेताओं, संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्रियों सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और लोकसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा चर्चा की गई थी। लोक- ग्रुपों के नेताओं की बैठक में भी इस मामले पर संक्षिप्त और अनौपचारिक की गई थी। दलों और सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने भी इस पर विचार किया है। लोकसभा और राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समितियों की 26 नवम्बर, 1991 को हुई संयुक्त बैठक में भी इस पर विचार हुआ। इन बैठकों में जिन बातों पर सहमति हुई, वे निम्नलिखित हैं :—

(एक) कि सभा की कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाया जाये।

(दो) कि प्रारम्भ में प्रश्न काल को दूरदर्शन पर दिखाया जाये!

(तीन) कि बाद में विधान, वित्तीय और अन्य महत्वपूर्ण मामलों संबंधी कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाया जाये।

(चार) कि इस संबंध में विस्तृत तरीकों का नियतन संबंधित अभिकरणों द्वारा किया जाये जिसे पीठासीन अधिकारी स्वीकृत करे।

(पांच) कि ऐसे मामलों को, जिन्हें पीठासीन अधिकारी असंसदीय घोषित करे और जो सभा की मर्यादा के अनुरूप न हो, दूरदर्शन पर न दिखाया जाये।

(छः) कि प्रयोग के तौर पर कार्यवाही को दूरदर्शन पर ऐसे किसी भी दिन, जो अध्यक्ष नियत करे, दिखाया जाये।

(सात) कि दूरदर्शन से प्रश्न काल का वास्तविक प्रसारण उस दिन से प्रारम्भ हो, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत किया जाये।

(आठ) कि आवश्यकता पड़ने पर इससे संबंधित मामलों पर कार्य-मंत्रणा समिति में विचार किया जाये।

(नौ) कि प्रारम्भिक चरण में उपलब्ध समय सीमित होने के कारण इसे दूरदर्शन पर दिखाने का कार्यक्रम उपलब्ध समय-सीमा के अनुसार ही बनाया जाये।

(दस) कि इसे दूरदर्शन पर दिखाने का कार्य परीक्षण के आधार पर किया जाये।

(ग्यारह) कि इस संबंध में होने वाले अनुभव के आधार पर इस बारे में आगे आवश्यक कदम उठाये जायें।

मुझे आशा है कि सभा इन प्रबंधों को सहमति प्रदान करेगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय मुझे आशंका है कि अब अधिकांश बातों को असंसदीय घोषित किया जाएगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, जीरो आवर का समय, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसके लिए आप क्या करेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, यह जो टेलीकास्ट होगा, इस पर किसका कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगा या लेजिसलेचर का।

अध्यक्ष महोदय : लेजिसलेचर का।

व्यवधान

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय जब आप किसी बात को असंसदीय कहते हैं तो उस अंश का सम्पादन कौन करेगा ? (**व्यवधान**) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे सचिवालय द्वारा देखा और स्वीकृत किया जाएगा या इसे दूरदर्शन पर प्रसारण करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा।

अध्यक्ष महोदय : चिंता मत कीजिए। यह सचिवालय का उत्तरदायित्व है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सचिवालय क्या है ? यह स्वचालित हैं। जिसे भी आप असंसदीय समझें उसी भाग को निकाल दिया जाता है। इसमें कोई अन्य शामिल नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोना संसदीय है या असंसदीय क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। कुछ सदस्यों को सोते हुए दिखाया जा सकता है। इसे असंसदीय माना जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मेरे विद्वान पूर्ववर्तियों ने यह विनिर्णय दिया है कि खर्राटे लेते हुए सोना असंसदीय है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय क्या हमें पहले से बताया जा सकता है कि यह कब से शुरू होगा ?

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बता देंगे। हम एक नोट भेजेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि उस अवसर पर आप अपनी पूर्ण निष्पक्षता जारी रखेंगे और हमें अवसर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कल प्रयोग के तौर पर शुरू करेंगे और बाद में देखेंगे।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : निर्मल जी आज हम इसे दूरदर्शन पर नहीं दिखा रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोरेश्वर सावे ।

[हिन्दी]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र प्रांत के मराठवाड़ा क्षेत्र में भीषण सूखे की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । इस क्षेत्र के सात जिलों औरंगाबाद, बीड़, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नान्देड़ और परभनी में पिछले तीन महीनों से वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण रबी और खरीफ दोनों फसलें बरबाद हो गई हैं । किसानों के समक्ष चारे और पानी की भीषण समस्या पैदा हो गई है । इस क्षेत्र में जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है और अधिकांश तालाब सूख गये हैं, जिससे पशुओं के लिए पीने का पानी और चारे की समस्या पैदा हो गई है । खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है । महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि नियमानुसार 20 दिसम्बर तक क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता । सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित न किए जाने के कारण क्षेत्र में अब तक राहत कार्यक्रम भी शुरू नहीं किए गए हैं ।

अतएव मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र को अविलंब सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और केन्द्र द्वारा प्रान्त सरकार को 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए । ग्रामीण किसानों और खेतीहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए । पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए । गांवों में पीने के लिए पानी टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया जाए । साथ ही किसानों के बकाया कर्जो की वसूली रोक दी जाए तथा अन्य टैक्सों को माफ किया जाए ।

[अनुवाद]

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय का ध्यान मनियाची जंक्शन से मदुरै जंक्शन की युगों पुरानी वर्तमान मीटर गेज लाइन को हटाने के निर्णय की ओर दिलाना चाहूंगा जिससे तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों की सम्पूर्ण जनता के साथ भारी अन्याय हुआ है । ये लोग राज्य की राजधानी मद्रास तक सीधे अपनी यात्रा के उस अधिकार से बंचित हो जाएंगे जो उन्हें ब्रिटिश काल से मिला हुआ था ।

अत: बड़ी लाइन में बदलने के बहाने से वर्तमान मीटर गेज लाइन को नहीं हटाना चाहिए और करुर से तूतिकोरिन तक की बड़ी लाइन की नई परियोजना वर्तमान मीठर गेज लाइन के समानांतर लाइन होनी चाहिए तथा सीधे मद्रास सम्पर्क वाली वर्तमान मीटर गेज लाइन को हटाए बिना, नई बड़ी लाइन परियोजना की सुविधा देकर हमारे देश के उत्तरी भागों से नया सम्पर्क बनाना चाहिए और इस प्रकार तमिलनाडू के दक्षिण जिलों के लोगों के साथ न्याय किया जा सकेगा ।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : महोदय, आंध्र प्रदेश में हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से खड़ी फसलों को भारी क्षति हुई है । फसलों की अनुमानित हानि लगभग 200 करोड़ रुपए है । कोनासीमा क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी गोदावरी जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, अमालापुरम जिसे आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है, में भारी वर्षा से काफी क्षति पहुंची है । हजारों एकड़ कृषि भूमि नदी और वर्षा के पानी में डूब गई । अनेक लोग जिन्होंने उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण लिए थे, ऋण वापस करने में काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ।

मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह यह देखें कि भारतीय खाद्य निगम को अपवर्णित धान खरीदने के निदेश दिए जायें। दूसरे, इस क्षेत्र के किसानों को रियायती दरों पर बीज, कीटनाशक दवाएं और उर्वरक दिए जाएं और किसानों को हानि से उबारने के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। प्रस्तावित फसल बीमे की सुविधा किसानों की व्यक्तिगत भूमि जोतों की सर्वेक्षण संख्या के आधार पर उपलब्ध कराई जाए न कि जिले को एक इकाई मानकर। केवल तभी फसल बीमा या ऋण बीमा किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान देश के विभिन्न भागों में रह रहे आदिवासियों की समस्याओं की तरफ संक्षिप्त रूप में खींचना चाहूंगा। आज सबसे दुखद स्थिति यह है कि पिछले कुछ दिनों से आदिवासियों की दुर्दशा इतनी बढ़ गई है कि कई जगहों पर उनके भूख से मरने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 20 तारीख को कर्नाटक गया हुआ था, वहां मैसूर जिले में ददावली नामक स्थान है। वहां पर गोपाल गौड़ा कट्टा कालोनी है। उसमें 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक आठ आदिवासी लड़के और एक महिला की मृत्यु भूख से हो गयी। वे लोग जंगल से हटा कर वहां बसाए गए हैं, उस कालोनी में बसाए गए हैं। लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तीन किलोमीटर हम पैदल चलकर जर्नलिस्ट के साथ पहुंचे। उनके पास न जीविकोपार्जन का साधन है। सुबह से लेकर शाम तक वे मजदूरी करते हैं, केवल तीन महीने खेत में। चार रुपये महिला को और पांच रुपये पुरुष को मजदूरी दी जाती है।

मैं आपके रिकार्ड में लाने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि सरकार जांच कराए कि ऐसा हुआ है या नहीं। जो महिला मरी है वह कुलम्मा है, उम्र 45 साल। बच्चे दो साल से लेकर पांच साल के बीच के हैं—बसवा, रत्ना, राजप्पा, महादेवी, चेलवी और मारा। आठ बच्चे हैं दो साल से लेकर पांच साल के, वे भूख से बिलख-बिलख कर मर गए। जिस दिन हम पहुंचे, हमने देखा कि वहां कोई स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की बात तो छोड़ दीजिए, बगल में तालाब है, उसमें से वे पानी पीते हैं, कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जहां-जहां ट्राइब्ल एरियाज हैं, किसी भी स्टेट में, आजादी के 45 साल बाद भी उनकी यह दुर्दशा है, वे जीवन की मुख्य धारा/ मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि यह कोई राज्य का मामला नहीं है, बल्कि आदिवासियों के लिए, उनके रोजगार के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और उनको भुखमरी के कगार से बचाने के लिए सरकार को कोई न कोई कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर या उनकी बैठक बुलाकर सरकार आदिवासियों की भीषण समस्या को गम्भीरता से ले और भूख से जो मरे हैं उनके सम्बन्ध में जो मुआवजा देने की बात है. वह करें। लेकिन भुखमरी और न फैले, इसके लिए कार्यक्रम बनाएं।

[हिन्दी]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से हमें इस बात पर गर्व है कि 1943 में बंगाल में जो सूखा पड़ा था वैसा सूखा अब नहीं पड़ेगा, वैसा सूखा अब नहीं पड़ रहा है। यदि स्थिति इस हद तक बदल गई है कि लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं और वह भी सूखे की समाप्ति के पश्चात तो आदिवासी लोगों की आह हमें लगेगी। अतः भारत सरकार को इस

बारे में कुछ करना चाहिए। हम इन बातों की पुनरावर्ती नहीं चाहते। यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि आज लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को भोजन नहीं हैं और उनकी कोई आय नहीं है। क्या हम 1947 से पहले के दिनों की ओर लौट रहे हैं। सरकार को इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि भुखमरी से मौतें हुई हैं, चाहे वह आदिवासियों की हो या अन्य व्यक्तियों की, तो यह एक गम्भीर मामला है। हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है और यदि यह सच है तो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को वास्तविकता और तथ्यों को सुनिश्चित करने के पश्चात उचित उपचारी उपाय करने चाहिए।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, त्रिपुरा में भुखमरी के कारण अनेकों लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा के आदिवासी लोगों के जीवन को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैंने जो कुछ कहा है यदि आप उसे समझ गये हैं तो आपको इस बात को दुबारा नहीं उठाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी त्रिपुरा की घटना के बारे में कहा गया है, वहीं आन्ध्र प्रदेश में भुखमरी से मौतों के बारे में 'फ्रंटलाइन' में बहुत बड़ा, व्याकुल करने तथा कष्ट पहुंचाने वाला एक लेख भी छपा है। अतः भारत सरकार को संसद के समक्ष एक व्यापक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, रामविलास पासवान जी ने इस मामले को उठाया है और उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के बारे में उल्लेख किया है तथा आन्ध्रप्रदेश के बारे में भी समाचार मिले हैं। हम त्रिपुरा में भुखमरी से हुई मौतों के बारे में सदन में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। डा० रामचन्द्र डोम ने इसे गत सप्ताह उठाया था। लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। अतः अब आपने यह टिप्पणी की है। मैं आशा करता हूं कि सरकार सम्पूर्ण भारत में भुखमरी से हुई इन मौतों को गम्भीरता से लेगी। हमने भी इस बात को उठाया है।

ये महत्वपूर्ण मामले उठाये गये थे। मैंने देखा कि श्री अर्जुन सिंह जी आमतौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला हैं। शायद वह यहां उपस्थित नहीं हैं। शायद दूसरे लोग झपकी ले रहे हैं। लेकिन इस सबंध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। उन्हें बोलने दीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा में लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिये कोई उपाय किये हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : माननीय सदस्य श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने सही कहा है कि 1943 के पश्चात हमने इस बात की सौगन्ध ली थी कि भुखमरी

से कोई मौत नहीं होगी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस नीति का अनुसरण किया है । महोदय, इसीलिए यह अत्यन्त जरूरी है कि जब भूखमरी से मृत्यु के समाचार मिल रहे हों तो केन्द्रीय सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या यह मौत वास्तव में भुखमरी के कारण हुई है या अतिसार या किसी अन्य सम्बन्धित बीमारी के कारण हुई हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम गरीब लोगों के लिये हैं । जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि में दृढ विश्वास व्यक्त करते हुये सर्वत्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

यदि आदिवासी क्षेत्र या गैर-आदिवासी क्षेत्र से अभी तक कोई समाचार मिला है तो इस संबंध में सरकार द्वारा उचित रूप से जांच की जानी चाहिये और सरकार को इस बारे में संसद को सूचित करना चाहिए ताकि अन्तिम रूप से यह स्पष्ट हो जाए कि यह सरकार के विरुद्ध कपटपूर्ण ढंग से और राजनैतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : भुखमरी से मृत्यु की सूचना आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक और त्रिपुरा से प्राप्त हुई हैं । इसके बावजूद भी सरकार चुप है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब महत्वपूर्ण मामले उठाये जाते हैं तब यदि सभी सदस्य खड़े होकर बोलने लग जायें तो मामले का महत्व खत्म हो जाता है ।

हम यह नहीं जान पाते कि मामले में क्या करना चाहिए । इसीलए जब इस मामले को उठाया गया था तो अध्यक्षपीठ से मैंने यह कहा था कि हमें उपाय करने चाहिए । इसके बावजूद यदि आप इन बातों को बार-बार दोहराते हैं तो मैं नहीं जानता कि इससे क्या हासिल होगा । यदि आप इस संबंध में बोलना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं श्री संतोष मोहन देव को बोलने की अनुमति दे रहा हूं ।

श्री संतोष मोहन देव : जो भी आरोप लगाये गये हैं उन के बारे में जांच कराई जानी चाहिए और सरकार को इस बारे में बताना चाहिए ।

श्री बासुदेव आचार्य : कौन जांच करेगा ? (**व्यवधान**) यह बजट सत्र के दौरान सभा में उठाया गया था । सरकार ने कोई जांच नहीं की । आप क्या जांच करेंगे ।

श्री चित बसु (बारसाट) : हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपने स्वयं ही कुछ टिप्पणियां की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है ।

श्री चित बसु : महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कौन जांच करेगा । क्या सरकार का विचार राज्य सरकार अथवा किसी अन्य ऐजेंसी से जांच कराने का है ? अतः इस बात में बहुत संदेह है क्योंकि राज्य सरकार आमतौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती हैं अतः जिस उद्देश्य से हमने यह टिप्पणी की है वह उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।

अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह बतायें कि उचित जांच के लिए किस प्रकार की ऐजेंसी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच नहीं कर रहा हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : एक आवास समिति होनी चाहिए जो इस मामले की जांच करेगी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : जब कभी भूखमरी से मृत्यु का प्रश्न उठाया गया है, या तो इस सरकार ने या किसी अन्य सरकार ने इसे नकार दिया है। अतः भूखमरी से मौतों का सम्पूर्ण तथ्य छिपा रह जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इस देश की यही आदत रही है। आप पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं कि यह एक गम्भीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करे जिसके द्वारा, जहां कहीं भुखमरी से मौतें हों तो तथ्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुनसिंह सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। उन्हें जवाब देने दें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं के अनुरूप आपने निदेश दिया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस निदेश का पूरी तरह से पालन किया जायेगा। इन घट रही घटनाओं के मूल प्रश्न के बारे में और इन तथ्यों को कैसे सुनिश्चित किया जाये तथा इसके पश्चात किस प्रकार उपाय किये जायें, इस संबंध में मैं अपने अनुभव को बताना चाहूंगा कि इस सच्चाई का पता लगाने में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं और इस प्रयास में मैं सभा के साथ हूं कि ऐसी खेदपूर्ण मूलों के मामलों में, जहां भुखमरी से लोगों की मौत होती है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई न कोई तंत्र अवश्य होना चाहिए, जिसमें सभी का हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी राज्य से कोई रिपोर्ट मिले तभी मैं आपसे बात करूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विपक्ष के माननीय नेता ने सम्पूर्ण मामले को इस परिप्रेक्ष्य में लिया है कि यह किसी विशेष राज्य से सम्बन्धित मामला नहीं है। यह एक राजनैतिक मामला नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि ऐसे आरोप लगाये जाते हैं तो हमें बात की मूल तक जाना होगा तथा इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी तरह की त्रुटि को तुरन्त बताया जाना चाहिए, भले ही इसके चाहे जो भी परिणाम हो, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं इस मामले में माननीय गृहमंत्री और यदि आवश्यक हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत करूंगा; और उनसे सदन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श कर ऐसे मुद्दे पर ऐसी व्यवस्था कायम करने का अनुरोध करूंगा जिससे कि सदन में कोई विवा दन हो, तभी हम कह सकते हैं कि क्या किया जा सकता हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जो मैंने उदाहरण दिया है. मैं पूरे देश की बात कह सकता था, लेकिन मैंने जो कहा है वहां मैं स्वयं गया हूं 20 तारीख को और मैंने देखा है आप जांच कराकर बतायें तो...

श्री अर्जुन सिंह : वही मैंने कहा है।

श्री रामविलास पासवान : एक होता हैं फैक्ट आप एक कानून बनाने की कह रहे हैं। जहां-जहां माननीय सदस्य की जानकारी में मामला आया है. मैंने एक जगह का उदाहरण दिया और भी माननीय सदस्य त्रिपुरा का दे रहे हैं, आप इन्क्वारी करवाकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

श्री अर्जुन सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि जो पासवान जी ने कहा उस पर जानकारी नहीं ली जायेगी, सबसे पहले उस पर ली जायेगी।

श्री रामविलास पासवान : इस सम्बन्ध में सरकार वक्तव्य दे. क्या सरकार इस सम्बन्ध में सदन को सूचित करेगी ? हम लोगों ने मामला उठाया आपके माध्यम से...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मुद्दा उठाया है। मैंने दूसरे सदस्यों को इस पर चर्चा की अनुमति दी है। मैं सरकार से इस मामले की छानबीन करने तथा सुधारात्मक उपाय उठाने का अनुरोध करता हूं। सदन के नेता ने खड़ा होकर कहा कि वह निश्चय ही ऐसा करेंगे तथा वह ऐसी प्रक्रिया को अपनायेंगे जिससे कि ऐसे मामलों में कोई संदेह न रह जाये। इसके बावजूद, यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या यह उचित होगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है वहां 5,000 लोगों की भूख से मृत्यु हुई है। यहां तक कि उपाध्यक्ष महोदय ने भी सदन में खड़ा होकर कहा कि श्वेत पत्र मिथ्या था। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा के कोरापुट जिले में जनजाति के 5,000 लोगों की भूख से मृत्यु के मामले को सदन में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करें जिसके संबंध में उड़ीसा विधानसभा के उपाध्यक्ष को भी सही बात कह कर गलती सुधारनी पड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से भूख, जीवन और मृत्यु को राजनीति से परे रखना चाहिए तथा जहां कहीं भी ऐसी घटना हो, चाहे इस राज्य में या किसी अन्य राज्य में, उसे उसी तरीके से निपटा जाना चाहिए। श्री आडवाणी जी ने भी यही कहा है तथा माननीय नेता ने भी वही कहा है। ऐसी स्थिति से उसी तरह निपटा जाना चाहिए तथा यदि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसके लिए निश्चय ही कोशिश की जानी चाहिए तथा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो पाये।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब कभी भी भूख से लोगों की मृत्यु होती है तथा जब उसके बारे में समाचार आता है तो हमारी मनस्थति को चोट पहुंचती है। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे देश के अत्यधिक संख्या में लोग भयानक भूखमरी की स्थिति में जी रहे हैं। भले ही प्रतिदिन वे भूख से न मर रहे हों परन्तु वे भयानक भूखमरी की स्थिति में जी रहे हैं। महिलाएं प्रतिदिन अपनी चार रुपये की मजदूरी में कैसे अपना जीवन निर्वाह करे और क्या बच्चों को खिलाये ? इसलिये इसमें और भी अधिक मूल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यही समस्या है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान हम इस विषय पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कब इस पर चर्चा करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम समय निश्चित करने जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमें इस विषय को वरियता देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम समय निश्चित करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, प्रसन्नता की बात है कि पड़ोसी मित्र देश नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय श्री गिरजा प्रसाद कोईराला जो शीघ्र ही अपनी प्रथम विदेश यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा दोनो सहोदर देशों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नेपाल के जनतांत्रिक इतिहास में कोईराला परिवार का योगदान अद्वितीय रहा है।

श्री मातृका प्रसाद जी कोईराला, स्व० विशेश्वरप्रसाद जी कोईराला ही नहीं बल्कि उनके सारे परिजन नेपाल एवं नेपाली जनता की लम्बी जनतांत्रिक संघर्ष यात्रा के प्रेरणा स्रोत रहे बल्कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय सहयोग भी रहे हैं। स्व० तिश्वेश्वर प्रसाद कोईराला और उनके अग्रज मातृका बाबू भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के निर्णायक क्षणों में भारत के कारागारों में

12.27 म. प. (**श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए**)

[हिन्दी]

ब्रिटिश साम्राज्यशाही के मेहमान भी थे। स्व० विशेश्वर प्रसाद कोईराला को वहां के लोग गांधी जवाहर और जयप्रकाश कहा करते थे।

स्व० विशेश्वर प्रसाद जी कोईराला भारतीय समाजवादी आन्दोलन से भी गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। मेरे राज्य बिहार में कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख पदाधिकारी भी थे। और जयप्रकाश नारायण जी के अच्छे सहयोगी थे। दोनों राष्ट्रों के बीच भूगोल. इतिहास. समय एवं सभ्यता ने ऐसा ताना बाना जोड़ रखा है जिनकी उपेक्षा दोनों के लिए आत्मघातक होगा। प्रकृति पहाड़ एवं नदियों ने हम दोनों के बीच ऐसे स्नेह सेतु का निर्माण किया है जिसका सदप्रयोग हम दोनों राष्ट्र नागरिकों के जीवन स्तर में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए सहज तौर पर कर सकते हैं। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार नेपाल में हिमालय से वरदान स्वरूप लगभग दस हजार मेगावाट जल बिद्युत का उत्पादन हो सकता है। इसी प्रकार नेपाल हिमालय की श्रृंखलायें ही कतिपय भारतीय नदियों की स्रोत स्थली है। उत्तर बिहार एवं उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तो ये नदियां मानो जीवन रेखा ही हैं। दोनों मित्र राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग से इन्हें कल्याणकारी रूप सहज ही दिया जा सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हरिकिशोर सिंह जी, यह शून्यकाल है। अभी आप भाषण नहीं दे सकते हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र भारत नेपाल की सीमा पर है। बागमती नदी जिसकी उदगमस्थली हिमालय की स्वर्णिम बर्फीली शिखायें हैं और जो काठमाण्डू में भगवान पशुपतिनाथ के पवित्र चरणों को स्पर्श करती हुई जब अपने सर्पाकार रूप में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो मेरा संसदीय क्षेत्र ही नहीं मेरे गांव चमनपुर में अपनी विशाल जलराशि उड़ेलती है तो दोनों राष्ट्रों के मैदानी इलाकों के जनजीवन लिए कभी वरदार तो कभी अभिशाप सिद्ध होती है। अतः मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री माननींय गिरजाप्रसाद कोईराला की आगामी भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार से मेरा विशेष आग्रह होगा कि वह बागमती, अधवारा नदी समूह, कमला

बालान एवं कोशी नदियों से संबंधित उन सभी बिन्दुओं पर भी पचेसर एवं करनाली योजनाओं के साथ निर्णायक तौर पर विमर्श करें जिससे दक्षेस की भावनानुरूप दोनों राष्ट्रों को समान रूप से लाभ पहुंच सके ।

सभापति जी, इस अवसर पर नेपाल के नये राजदूत महामहिम चक्र बास्तोलामी का भी मैं स्वागत करते हुए यह कामना करता हूं कि उनके कार्यकाल में भारत नेपाल के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे ।

†**श्री वी.एस. विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, केरल के पालघाट जिले में हैजे के फैलने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इससे पहले ही अनेक लोगों की मौत हो चुकी है तथा यह जिले के अन्य भागों में फैल रहा है । इसके फलस्वरूप कांजीकोड, चित्तूर, पालघाट तालुका के औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । इसका मुख्य कारण पेयजल की दुर्लभता है जिसके कारण लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है । राजीव गांधी के शासन के दौरान पालघाट में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हमें एक प्रौद्योगिकी मिशन प्रदान किया गया था । लेकिन पिछली मार्क्सवादी सरकार ने इसे लागू नहीं किया और लोगों को इसका लाभ नहीं प्राप्त हो सका ।

अब जबकि यह जानलेवा बीमारी फैल रही है तो हमें इसे नियंत्रित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए । केन्द्र को शीघ्र ही केरल में एक अध्ययन दल भेजकर हैजे की पुनरावृति के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा इस खतरे के समाधान हेतु उपाय सुझाने चाहिए । साथ ही, प्रौद्योगिकी मिशन के क्षेत्र को ओर विस्तार किया जाना चाहिए तथा और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि यह मिशन अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके । (**व्यवधान**)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : केरल में ऐसी स्थिति है कि वहां गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि आपका नाम इसमें शामिल है तो मैं आपको बुलाऊंगा ।

(**व्यवधान**)

श्री पी.सी. थामस : रेल डिब्बों की दुर्लभता को देखते हुए पंजाब और असम से चावल को केरल ले जाने की दिशा में केन्द्र को शीघ्र कदम उठाने होंगे । केरल सरकार को पर्याप्त मात्रा में चावल वितरण करने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है । केरल में चावल की पर्याप्त मात्रा के वितरण हेतु भारत सरकार से मैं पर्याप्त संख्या में रेल डिब्बा उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ।

साथ ही उबले हुए चावल, जिसे केरल के लोगों द्वारा पसन्द किया जाता है, का वहां वितरण किया जाना चाहिए । वास्तव में ऐसी स्थिति में जब चावल कीं कीमतों में वृद्धि हुई है, केरल सरकार के प्रति व्यक्ति राशन को बढ़ाकर पचास किलोग्राम कर दिया है । मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह केरल सरकार का समर्थन करे तथा शीघ्र आवश्यक कदम उठायें । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोडा) : आप हमें नहीं बुलाते हम भी उधर जाते हैं···। (**व्यवधान**)

†मूल रूप से मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी रूपान्तर का हिन्दी अनुवाद ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उनका नाम लिस्ट में है। उन्होंने नोटिस दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : आप हमें मौका नहीं देते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने अपने नाम अध्यक्ष को दिए हैं और जिनके नाम उन्होंने स्वीकार किए हैं मैं केवल उसी सूची के अनुसार चल रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है।

(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : मैं सभा को एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूं जो तीन दिन पहले "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपी थी। इसमें यह पुष्टि की गई है कि बंधकों की रिहाई के बदले में कुछ कट्टर आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। यह एक विशेष मामले के बारे में है जो राजस्थान में हुआ था। हाल ही में गृह मन्त्री श्री एस.बी. चव्हाण ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की भर्त्सना की थी जब श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रूबिया को कुछ आतंकवादियों के बदले छुड़ाया गया था। लेकिन उन्होंने स्वयं राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत को पंजाब के दो कट्टर आतंकवादियों को छोड़ने के लिए लिखा है। इन्हें श्री बूटा सिंह के रिश्तेदार, उनके भतीजे के बदले में छोड़ने की बात है। जिन दो आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई है वे राजस्थान में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध हैं। श्री शेखावत ने गृह मन्त्री के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारा दल आतंकवादियों के किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहता। तथापि, श्री बूटा सिंह की भतीजी के पुत्र श्री रणजीत सिंह, जिन्हें बंधक बनाया हुआ है, को केन्द्र द्वारा पंजाब प्रशासन के साथ बातचीत किए जाने पर पिछले सप्ताह छोड़ दिया गया था।

31 अगस्त, 1991 के एक पत्र में गृह मंत्री ने श्री शेखावत को लिखा था :

"ऐसा समझा जाता है कि अपहरणकर्ता राजस्थान सरकार द्वारा निरूद्ध किये गये दो आतंकवादियों को छोड़ने की मांग उस लड़के की रिहाई के बदले कर रहे हैं।"

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : ठीक है श्रीमान। लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं :

"कृपया पुलिस प्राधिकारियों को अनुदेश दें कि उस लड़के को पंजाब के आतंकवादियों के चंगुल से रिहा कराने के लिए कार्यवाही करें।"

29 अगस्त, को श्री बूटासिंह ने गृह मंत्री को लिखा था कि :

"मैंने श्री शेखर, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस से बात की थी जिन्होंने मुझे सूचित किया था कि उन दो आतंकवादियों को आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधि-

नियम के अन्तर्गत उनके हथियारों की तस्करी के मामलों में कथित संलिप्त होने के कारण निरूद्ध किया गया है। अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी है कि यदि उन दो आतंकवादियों को नहीं छोड़ा गया तो वे उस लड़के को मार देंगे।

ये उद्धरणो पत्र में से लिये गये हैं।

सभापति महोदय : कल श्री बूटा सिंह को इस विवादास्पद मामले का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई थी। कृपया इसका ध्यान रखें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति ले ली है। मुझे इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में अपनी बात समाप्त करने की दी जाए।

सभापति महोदय : यह तो मैं जानता हूं लेकिन आप इस मामले के विवादास्पद पहलू का उल्लेख न करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रही हूं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने आपको किसी विवादास्पद मामले पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया ऐसे मामले से बचें। कल उन्होंने इस मामले पर आपत्ति की थी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : श्री शेखावत ने श्री राजेन्द्र शेखर को इस मामले में जांच करने के लिए कहा था और इसमें गुरनैल सिंह उर्फ अजीत तथा धर्मपाल सिंह उर्फ धर्मा नामक दो आतंकवादियों के नाम इस मामले में आये हैं। श्री शेखर ने हमें बताया कि इन दो निरुद्ध व्यक्तियों के द्वारा बन्दूकों की तस्करी से भारत में लाने के मामले में संलिप्त होने का पता चला है। ये दोनों व्यक्ति 11 व्यक्तियों के एक ऐसे गिरोह के सदस्य हैं जो पाकिस्तान से प्राप्त हथियारों को नमक की बोरियों में रखकर ट्रकों में लादकर राजस्थान में जैसलमेर के इलाके से पंजाब में लाये हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूछ-ताछ से पता चला है कि ये दोनों आतंकवादी जैसलमेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उपयोग हथियार तथा गोला बारुद की तस्करी के लिए करते हैं और वहां की स्थानीय जनता के कुछ लोग उनकी मदद करते हैं। इसी कारण से श्री शेखावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री का अनुरोध ठुकरा दिया था।

हम सभा को यह याद दिलाना चाहते हैं कि जब जनता सरकार पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को छुड़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा था तब कांग्रेस दल इस संबंध में निर्धारित किसी नीति के बारे में शोर मचा रहा था। उस समय कांग्रेस ने यह तर्क दिया था कि सत्ताधारी राष्ट्रीय मोर्चा दबाव डाल रहा है और व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर माना जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की दोहरी नीति अपनाई जाती है। क्योंकि यह मामला बहुत ही गम्भीर है और इसमें दो प्रमुख आतंकवादी शामिल हैं और क्योंकि यह राजस्थान से संबंधित है इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रकार की दोहरी नीति क्यों अपनाई जाती है और क्या वे ऐसा करने में सक्षम होंगे जैसा कि वे कहते हैं। अतः श्रीमान् इस संबंध में मैं आपके निदेश की अपेक्षा करती हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मैंने भी नोटिस दिया है। मेरा कहना है कि इण्डियन एक्सप्रैस में यह समाचार आया है और बहुत ही सीरियस मामला यह है। जो कुछ अभी कहा गया, मैं उसे सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : **गृहमंत्री से वक्तव्य देने को कहें।**

सभापति महोदय : आप इस तरह से नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको इस तरह से बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। शून्यकाल में भी निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। शून्यकाल में भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कुछ नीति निर्धारित की है जिसका हमें पालन करना है। कृपया बैठ जायें। आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री खुराना आपको यह ज्ञात होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूं तब आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अध्यक्षपीठ द्वारा किए गए विनिर्णय को नहीं मान रहे हैं तब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? मैंने भूतपूर्व अध्यक्ष को बोलने के लिए कहा है और आप उनके बीच में इस तरह से बाधा नहीं डाल सकते। अब श्री रविराय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रविराय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तराष्ट्रीय महत्व का है, उसे उठाना चाहता हूं और इस पर मुझे लगता है कि सारे सदन का तो समर्थन पहले ही मिला हुआ है, लेकिन मुझे बड़ी व्यग्रता के साथ यह सवाल उठाना पड़ रहा है कि हमारे पड़ोसी देश वर्मा की आन सान सू की जो हस्ती हैं, आपको पता है कि वे नोबेल पीस प्राइज रेसीपिएंट हैं और चुनाव के बाद वर्मा में ये प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष होने वाली थीं, लेकिन ये अभी जेल में बन्द हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब तक इनको नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था तब तक तो भारत सरकार इनके रिलीज के सिलसिले में चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब सुख की बात है, खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री का बयान इनकी रिलीज के पक्ष में आया है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, इस सदन और सारे देश के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इनके पति जो मायकल एरिस हैं, जो हारवर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, उनका बयान आया है कि उनकी पत्नी श्रीमती आन सान शू की के साथ 16 महीने से उनका पत्राचार भी नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री सिर्फ बयान देकर कि

इनकी रिलीज हो जानी चाहिए, संतुष्ट हो जायेंगे ? अभी तक इनकी रिलीज के बारे में देशवासियों को कुछ भी पता नहीं है। महोदय आप भी जानते हैं कि वहां की जो आर्मी जुंटा सरकार है उसने वर्मा में ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह से खात्मा कर दिया है और वहां चुनाव के बाद आन सान शू की के दल को बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी उनको सत्ता में नहीं आने दिया गया। हमको पता है और दुनिया को पता है कि युनाइटेड स्टेटस की सरकार इनको समर्थन दे रही है। चूंकि युनाइटेड स्टेट्स का आम सान-शू की के प्रति समर्थन है फिर भी मिलिट्री जुण्टा की सरकार उनकी रिहाई नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, हमें पता चला है कि चाइना की सरकार का मिलिट्री जुण्टा को समर्थन प्राप्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करूंगा कि जिस तरह से वह कुम्भकर्ण की नींद सोई हुई है, वह जागे और वर्मा और हिन्दुस्तान की जनता के जो सुसम्पर्क सदियों से हैं, उनको देखते हुए हमारी भी गरज है कि वहां प्रजातन्त्र की स्थापना हो और वहां आन-सान-शू-की की रिहाई के लिए हमको, भारत सरकार को, भारत की जनता को और इस पार्लियामेंट को तुरन्त पहल करनी चाहिए। इस लेए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सिर्फ प्रधान मंत्री जी बयान देकर ही नहीं रह जाएं कि इनकी रिहाई होनी चाहिए, बल्कि इनकी रिहाई के लिए डिप्लोमेटिक प्रैशर का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनकी रिहाई हो सके और वहां इनको राष्ट्राध्यक्ष की पदवी मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं कि नोवेल शांति पुरस्कार मिल जाने के बाद भी इनकी रिहाई नहीं हो रही है और भारत सरकार जिस तरह से कुम्भकर्ण को नींद में सोई हुई है, उसे जागना चाहिए और इनकी रिहाई के प्रयास किए जाने चाहिए ओर इस मौके पर जबकि चायना के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और यह भी खबर है कि चायना सरकार का वर्मा की मिलट्री जुण्टा की सरकार को समर्थन प्राप्त है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि चीन के प्रधानमंत्री से बात करे ताकि हो सकता है कि दोनों मिलकर उनकी रिहाई के लिए भी मांग करें। यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का सवाल है और सारा सदन उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहा है।

[अनुवाद]

श्री के. वी. तंग्कावालू (धर्मपुरी) : माननीय सभापति, श्रीमान् यह बहुत गंभीर मामला है जिससे तमिलनाडू के गरीब लोग बहुत प्रभावित हैं। तमिलनाडू में अधिकतर लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल मिलता है :

जब केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडू सरकार को अपना यह निर्णय बताया हैं कि दिसम्बर, 1991 से केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले चावल का कोटा वर्तमान 81 हजार टन से घटाकर 65 हजार टन कर दिया जाएगा। ऐसे समय में जब हाल में आई बाढ़ से 3 लाख हेक्टियर से भी अधिक भूमि में धान की खड़ी हुई फसलें नष्ट हो गई हैं चावल के कोटे में इस कटौती से वहां की गरीब जनता पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

तमिलनाडू में जनवरी के महीने में पोंगल का त्यौहार मनाया जायेगा जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। बाढ़ के कारण फसल के नष्ट होने तथा चावल के कोटे में कटौती किये जाने के कारण वहां त्यौहार का वातावरण नहीं रहेगा।

यह उचित समय है जब भारत सरकार को तमिलनाडू में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न खाद्य समस्या को हल करने के लिए चावल के कोटे में वृद्धि करनी चाहिए। कम से कम भारत सरकार को

81 हजार टन के वर्तमान कोटे को बनाये रखना चाहिए। यदि इसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो यह तो अत्यन्त जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तमिलनाडू की जनता को यह आश्वासन दे कि चावल के कोटे को कम नहीं किया जायेगा और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री सिदनाल।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कृपया इस पक्ष की ओर भी देखने की कृपा करें **(व्यवधान)** कृपया मुझे भी कुछ समय दीजिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप समय को कम कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। हम कह रहे हैं कि हमने बर्मा के नेता की, जो जेल में हैं, रिहाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए इस मामले को उचित प्रकार से नहीं उठाया है। अब यह मामला तो वास्तव में दर्दनाक है।

सभापति महोदय : आपको बोलने का समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, नहीं। **(व्यवधान)** यह क्या है ? हमारा एक कर्तव्य है। हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे देश में प्रजातन्त्र है।

सभापति महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, उससे कौन मना करता है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप यही तो करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : हम एक सुव्यवस्थित ढंग से बुला रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप दूसरे मुद्दों को भी ले रहे हैं। **(व्यवधान)** इसे जारी रहने दीजिए उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, यह शून्य काल है। इसे भी यहां एक प्रथा बना दिया गया है। आप इस बारे में जानते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप तो जानते ही हैं कि कौन सा मामला महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता कि मैं बुद्धिमान हूं अथवा नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप देख रहे हैं कि इसे एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। मैं उसी के अनुरूप चल रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बेलपुर) : कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी पक्ष कहना चाहते हैं।

महोदय, यह उन मुद्दों में से एक है। हम उसका समर्थन करना चाहते हैं। इसे सरकार को और जनता को बताया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** यह सभी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यही कह रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी जी, सुबह आप माननीय अध्यक्ष से मिले थे। शून्य काल भी तद्नुसार विनियमित किया गया है। उन्होंने अधिकांश नाम दिए हैं। मैं उनके निर्णय के अनुसार ही नाम पुकार रहा हूं। मैं अपनी ओर से नहीं पुकार रहा हूं। मैं केवल दिये गये क्रम के अनुसार ही नाम बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पीछे भी यही हुआ था कि कुछ नाम सूची में नहीं थे। परन्तु एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दूसरे सदस्यों को बोलने दिया गया।

सभापति महोदय : वह सत्य है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो मामले यहां उठाये जा रहे हैं वे कम महत्वपूर्ण हैं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप पीठासीन होते हैं तो आप किसी सूची से बंधे हुए नहीं हैं ? आप अपने विवेक से निर्णय दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस समय अध्यक्ष हैं। **(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं समझता हूं कि कृपया आप इस ओर ध्यान दें यद्यपि यह मुद्दा सूची में सम्मिलित नहीं है। पूर्व अध्यक्ष, श्री रविराय ने एक मामला उठाया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर पूरा सदन उत्तेजित प्रतीत होता है। **(व्यवधान)** श्री सोमनाथ चटर्जी अथवा श्री सैफुद्दीन चौधरी अथवा मैं, श्री रविराय द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत होना चाहूंगा क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बावजूद वहां सैनिक शासन है। वहां जन-प्रतिनिधि हिरासत में हैं। यदि पूरा सदन सहयोग देता है तो इसका प्रभाव भी होगा। अतः हम सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री आडवाणी, मैंने जो सुझाव दिया था, वह यह था चूंकि मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है, अतः उसे पूरा करने दीजिए। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं कोई अवसर नहीं दूंगा। यहां तक कि मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी को सन्तोष नहीं हुआ और यही सारी परेशानी है। अब, जबकि मैंने उन्हें बोलने को कहा है, उन्हें पूरा करने दीजिए। मैं भी

यहां काफी लम्बे समय से आपकी तरह एक सदस्य हूं । मैं सभा की मन:स्थिति को जानता हूं । उसके अनुसार ही हम आगे कार्य करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री एस. बी सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, यह पता लगा है कि मजदूर संघों के नेता सरकारी क्षेत्र और इसकी नीति के बारे में गलत फहमी होने के कारण कल से हड़ताल करने जा रहे हैं । भारत सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने के बावजूद भी मजदूर संघों की भारत व्यापी हड़ताल पर कोई असर नहीं हुआ है । इस हड़ताल से 300 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है । इस संकटकाल में इतनी भारी क्षति सहन करना देश के लिए कठिन है । मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वे इस सभा की ओर से मजदूर संघों के नेताओं से अपनी हड़ताल तुरन्त समाप्त करने तथा देश को भारी क्षति से बचाने के लिए सरकार से बातचीत करने हेतु आगे आने की अपील करें । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, प्रगति मैदान में जो इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर आर्गेनाइज्ड किया जाता है, उसकी अपनी अहमियत होती है । इसमें हजारों लोग देश के कौने-कौने से आते हैं और साथ ही बाहर के मुल्कों से भी आते हैं । हिमाचल प्रदेश पेवेलियन में बिल्कुल आउटडेटिड और एक्सपायरी डेट का एप्पल जूस बेचा गया जिससे हजारों लोग उसके मुख्तलिफ अमराज के शिकार हो गये और कई लोग हास्पिटल में हास्पिटलाइज्ड हो गये । उसके बाद उसके बारे में थाने में जो कम्पलेंट लाज किया गया उसमें पुलिस ने डिसक्लेम किया और कहा कि हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है जबकि कम्पलेंट की कापी कम्पलेनेंट के पास है । यह बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे होम मिनिस्ट्री कार्य कर रही है । वैस्ट बंगाल में जिस तरह का कानून पास किया गया है कि अगर खाने-पीने की चीजों में जहरालूदगी होगा तो जिम्मेदार व्यक्तियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जायेगी । इस तरह का कानून यहां भी बनना चाहिए ताकि लोगों के जान-माल की हिफाजत हो जाये । अगर ऐसा नहीं होगा तो मुल्क की वकार खतरे में पड़ेगी और जो लोग बाहर से आते हैं, वे क्या सोचेंगे कि इस तरह की सड़ी-गली चीजें यहां बेची जाती हैं । इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर में जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में हमारी हुकूमत बिल्कुल खामोश बैठी हुई है । ऐसी हालत में मैं हुकूमत का ध्यान इस तरफ मबजूल करना चाहता हूं । हुकूमत जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसी नजर रखी जाये जिससे इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर का नाम अनफेयर न होने पाये ।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, 1977-80 तक जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का मामला उठा था और उस समय सर्वे भी हुआ था । उसके बाद ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का मामला करीब दस साल के लिए दब गया । दुबारा 1989-90 में उठा । मैंने बार-बार इस मामले को उठाया । इसको उठाने के बदले में मुझे उस समय के रेल मंत्री से यह आश्वासन भी मिला कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का हम सर्वे करवा रहे हैं और उसके बारे में पाजिटिव होकर सोच रहे हैं । यह रेल लाइन ललितपुर से चलेगी और सिंगरौली जो कि सीधी जिले में पड़ता है, वहां तक पहुंचेगी । इसके बारे में मेरी संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत हुई है । अब लगातार आश्वासन हमें मिलते जा रहे हैं, लिखित में

भी हमारे पास इसके बारे में पत्र हैं किन्तु ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के सम्बन्ध में उस क्षेत्र में न तो कोई सर्वे होता हुआ दिखाई दे रहा है और न ही किसी प्रकार का कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, क्योंकि, मेरे लोकसभा क्षेत्र के दोनों जिले भी उसमें आते हैं इसलिए लउितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वे हो भी चुका है और इसके बारे में पोजिटिव उत्तर मेरे पास में पिछले रेल मंत्री का है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहती हूं कि इस वर्ष के बजट में ही ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन लेकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए आन्दोलन करना पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े। आये हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो ललितपुर सिंगरौली लाइन लेंगे या मर के उठेंगे।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : सभापति जी, इस मामले में बहस होनी शुरू हो जायेगी तो यह जो छोटे-मोटे मामले हैं, यह रह जायेंगे। हमें समय मिलेगा या नहीं ?

सभापति महोदय : बहस नहीं है, आप बैठिए। मैंने कहा न कि आपको चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे सहित दूसरे सदस्य भी माननीय श्री रवि राय द्वारा उठाये गये इस अत्यधिक गम्भीर मामले में सहयोग करने के इच्छुक होंगे। बर्मा हमारा एक पडौसी देश है और एक लोकतान्त्रिक देश होने के कारण हमें यह चिन्ता है कि वहां निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी देय शक्ति दी जाये। सैनिक शासन ने शक्ति पर अनधिकार कब्जा कर लिया है और जनता का नेता जेल में कष्ट उठा रहा है। हम बर्मा की जनता की सहायता कैसे कर सकते हैं ? यह किसी देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं है। यह एक विश्वव्यापी पहलू है। एक लोकतान्त्रिक देश होने के नाते हम शांत नहीं रह सकते जबकि किसी अन्य देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही हो। अन्तर्राष्ट्रीय जनमत उत्पन्न करने के लिए हम एक भूमिका निभा सकते है। हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत कर सकते हैं कि सैनिक शासन को पराजित किया जाये और जनता को उनकी शक्ति वापिस दिलाई जाये। महोदय, इस संदर्भ में लोकतंत्र में अग्रणी देश होने के नाते भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यद्यपि, हमारे प्रधानमन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है और वह मैं समझता हूं कि हमें अपनी विचार धारा को और अधिक सशक्त बनाना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और दूसरे मंचों पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि बर्मा की जनता को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल सके। और वह अपने भाग्य का निर्माण कर सके।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह स्वभाविक है कि सभा अपनी चिन्ता व्यक्त कर रही है हमारी सरकार की नीति भी अच्छी तरह से सभी को ज्ञात है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सभा के पक्ष में रहे हैं और हम कामना करते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं एक सुझाव दूंगा। माननीय अध्यक्ष सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायें और इस मुद्दे पर सभा की सर्वसम्मत विचार धारा को अभिव्यक्त किया जाये। चूंकि बर्मा में एक निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है अत: अच्छा यह होगा कि इस सभा से वहां के लिए एक अपील पारित कराई जाये और इसका निश्चित रूप से

काफी असर होगा। यह मेरा सुझाव है तथा यदि सभा को कोई आपत्ति नहीं है तो इस सभा की यही सर्वसम्मति है। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के विदेश मन्त्रालय के गत वर्ष के प्रतिवेदन में केवल बर्मा में हुई घटनाओं का उल्लेख था। यह किसी बाहरी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं है। चूंकि हम यह नहीं चाहते कि हमारे आन्तरिम मामलों में किसी भी ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाए। यह स्वभाविक है कि हम अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं चाहते। किन्तु महोदय, बर्मा की घटनाओं से केवल आन्तरिक मामलों का ही प्रश्न नहीं है। यदि आप मुझे यह कहने की अनुमति दें कि इसका सम्बन्ध मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन से है तथा मानव अधिकारों की अपनी कोई सीमा नहीं है। इसका सम्बन्ध जनादेश की अवहेलना करने से है तथा इसका सम्बन्ध संसदीय लोकतन्त्र के मूल सिद्धांतों का पालन न करने से है।

1.00 म.प.

इसीलिए महोदय यह······का प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : हम पूरे मसले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिया है तथा आप केवल कुछ सुझाव दे सकते हैं क्योंकि इस पर अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री चित बसु : निश्चय ही यह संसद मानवाधिकारों, संसदीय लोकतन्त्र के मूल सिद्धांतों तथा जनादेश के सिद्धांतों की रक्षा करना चाहती है। इसीलिए, महोदय यह एक उचित मामला है कि यह संसद अपनी राय व्यक्त करे तथा मांग करती है कि यह संसद अपनी राय प्रकट करे तथा यह मांग करती है कि सुम्मी को रिहा किया जाए तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद की बागडोर संभालने की अनुमति देकर बर्मा में लोकतन्त्र की बहाली की जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, हमारे फार्मर स्वीकर साहब ने जो मामला उठाया है, उसमें मैं अपनी पार्टी की भावनाओं को सम्मिलित करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने भी इस के बारे में कहा है। हमारा कहना यह है, अगर हम यहां से प्रस्ताव पास करके हाउस की भावनाओं को वहां पहुंचाएंगें तो यह किसी के इन्टरनल मामले में इन्टरफियरैंस नहीं हे। सरकार वहां चुनी गई है, सवाल डैमोक्रेसी का है, सवाल ह्यूमन राइट्स का है और उसके लिए सदन एकमत है। अगर हम यहां से प्रस्ताव पास करके भेजते हैं तो यह एक अच्छा इंडिकेशन होगा। यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं अपने दल, भारतीय साम्यवादी दल के मेरे मित्र श्री रविराय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सम्बद्ध करना चाहूंगा। श्रीमती अंगसैन सुक्यी के पिता 1940 में मेरे साथ रामगढ़ में थे क्योंकि 1937 से पहले हम एक ही शासन के आधीन थे। इसीलिए वह विरासत भी हमारे पास है। लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य की रचना की तथा बहादुरशाह जफर भी उस जेल में थे। हमारे ऐसे सभी सम्बन्ध उनके साथ थे। इसके

अतिरिक्त लोकतन्त्र की हत्या की एक श्रृंखेलित प्रतिक्रिया भी होती है। हमने सदैव लोकतन्त्री शासन को बेहतर माना है। जहां भी लोकतन्त्र पर प्रहार होता है - चाहे हमें उससे नुकसान हो या फायदा हमें लोकतन्त्र के पक्ष में होना चाहिए। आज आप सभा के पीठासीन अधिकारी होने के नाते सभा की सर्वसम्मति लें तथा विश्व के देशों को इस राय को बताए। हम उनकी रिहाई तथा बर्मा में लोकतन्त्र की बहाली चाहते हैं।

श्री मनोरन्जन भक्त : महोदय, मैं पूर्ण रूप से इस सभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय के विचारों का अनुमोदन करता हूं तथा अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। महोदय, भारत ने सदैव विश्व के प्रजातन्त्री लोगों, जहां भी वे हैं विशेष रूप से बर्मा के लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट की है।

महोदय, मेरा क्षेत्र बर्मा के बहुत ही निकट पड़ता है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि हाल के दिनों में जहां इतनी अधिक घटनाएं हुई है जहां बर्मा के लोगों को बर्मा की सेना द्वारा तंग किया गया है मुझे पता है कि भारत सरकार ने इन लोगों के साथ कैसे सहानुभुति दिखाई है।

महोदय इसलिए मैं इन परिस्थितियों में यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार तथा विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय एक संकल्प तैयार करें तथा समस्त सभा सर्वसम्मति से इसे स्वीकृत करे। इस बात को सारे विश्व में बताया जाए कि भारत के लोगों ने बर्मा में लोकतन्त्र की बहाली के लिए वहां के लोगों के साथ अपनी एकता प्रकट की है।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : मैं माननीय सदस्यों के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि बर्मा की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जहां तक बर्मा में स्थिति का सम्बन्ध है भारत के लोग बर्मा के लोगों के साथ अपनी एकता प्रकट करें। किन्तु हम सावधानी से यह कदम उठाएं क्योंकि बर्मा के साथ हमारी काफी लम्बी सीमा लगती है। बर्मा की सीमा से लगे हमारे राज्यों में कई वर्षों से विद्रोह है परन्तु जहां तक उनका सम्बन्ध है हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी कार्यवाही न करें जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हो (**व्यवधान**) क्या आप कोई विशिष्ट कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं ?

श्री मदन लाल खुराना : कार्यवाही नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कूटनीतिक कार्यवाही।

श्री सुधीर सावन्त : जहां तक सभा तथा लोगों का सम्बन्ध है हम मानते हैं कि हमें अपनी एकता व्यक्त करनी चाहिए। किन्तु हमें ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे बात बढ़ जाए तथा हमारे राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचे।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : सभापति महोदय, हम निश्चय ही सभा द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त की गई इस भावना से सहमत हैं कि एक देश जो कभी स्वतन्त्रता से पूर्व हमारा एक अंग था, जिसके साथ मिलकर हमने स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी, बहुत से हमारे वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी

जिस देश से हैं, जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोकतान्त्रिक तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभाने दिया जा रहा, दुर्भाग्यपूर्ण है। किन्तु संकल्प का प्रारूप कैसा हो तथा क्या संकल्प सभापति की ओर से हो या सरकार की ओर से हो यह एक ऐसी बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, यदि सम्भव हो तो अध्यक्ष महोदय के कक्ष में होनी चाहिए तथा हम निश्चय ही एक संकल्प पेश कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि नेतागण सहमत होंगे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। सभी दलों के नेतागण अध्यक्ष के कक्ष में एकत्रित होंगे और तब एक संकल्प का प्रारूप तैयार करेंगे तथा सदन इसे एकमत से स्वीकार कर सकता है।

(**व्यवधान**)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मेरी सूचना इससे अलग प्रश्न के लिए थी।...(**व्यवधान**) मैंने इससे भिन्न प्रश्न की सूचना दी है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री फूलचन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति लोक महत्व के मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। बैंक नोट प्रेस देवास, म.प्र. में नोटों की छपाई का काम कई बार गड़बड़ा गया है। पिछले सितम्बर माह में 29 दिनों तक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंक नोट प्रेस में नोटों की छपाई का काम पूरी तरह बंद रहा। इस प्रेस में बड़े नोट 50, 100 एवं 500 के छपते हैं। प्रेस में दोनों पारी में लगभग ढाई हजार कर्मचारी काम करते हैं।

जबकि वर्तमान में 10 नवम्बर, 91 से सुपरवाइजरस के हड़ताल के कारण नोटों के उत्पादन में पुनः भारी कमी आ गई है जिसके कारण 60 लाख नोट प्रतिदिन तैयार होने के स्थान पर केवल 15 लाख नोट ही छप पा रहे हैं। वर्तमान में मालवा क्षेत्र में कपास और सोयाबीन की खरीद और बिक्री तेजी से चल रही है तथा बड़े नोटों की कमी के कारण व्यापारी तथा बैंक अधिकारी दोनों ही परेशान हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को क्यों पूरा नहीं करती? क्या कारण है कि कर्मचारी बार-बार हड़ताल करने पर मजबूर हो रहे हैं? म.प्र. हाई कोर्ट ने प्रेस के सुपरवाइजरस और कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 51 के तहत दोगुणी दर से ओवरटाइम के भुगतान का आदेश दिया है तथा इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रबन्धकों की अपील रद्द कर दी है। इसके बावजूद प्रबन्धक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।

मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि वह अपनी अड़ियल नीति छोड़े तथा जनहित में कर्मचारियों की मांगें मंजूर करे, जिससे कि प्रेस में पुनः नोटों की छपाई का कार्य प्रारम्भ हो सके। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि बैंक नोट प्रेस के प्रबन्धक, जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है और मानहानि की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और हड़ताल समाप्त हो, इस बारे में कर्मचारियों की मांग को तुरन्त मानना चाहिए।

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कल होने जा रही औद्योगिक

हड़ताल के बारे में कुछ बातें कही हैं और यह कहा गया है कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। मैं स्थिति को काफी स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कहना चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय हित में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह राष्ट्र के हित में है क्योंकि जिस नीति के खिलाफ इस औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया गया है और हड़ताल होने जा रही है वह नीति इस देश की भलाई के लिए नहीं है। इसमें देश को पूरी तरह से बेच दिया गया है, इसमें देश की आर्थिक स्वतन्त्रता को बहु-राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पूरी तरह से गिरवी रख दिया गया है।··· **(व्यवधान)**

इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मुद्रा-स्फीति में वृद्धि हो रही है। कारखानों को बन्द कर दिया गया है। उद्योगों में रुग्णता बढ़ रही है। जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, वे आकाश छू रही हैं। इस देश की गरिमा को विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वह इसके कारण और परिवर्तन की ओर ध्यान दे तथा इस खतरनाक, व्यक्ति-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी नीति को वापस ले ताकि हड़ताल से बचा जा सके और इस देश की जनता कम से कम देश के भविष्य और उसकी उन्नति में भागीदार बन सके। आज क्या हो रहा है ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने एक मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस देश का श्रमिक वर्ग और आम व्यक्ति एक गम्भीर चुनौती के और खतरे के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और वे लड़ेंगे तथा तब तक लड़ेंगे जब तक कि उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो जाती। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको इस मुद्दे को एक चर्चा में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दूंगा। क्या आप कृपया बैठ जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : श्रमिक वर्ग यह हड़ताल कराना नहीं चाहता है। यह तो एक राजनैतिक हड़ताल है। यह तो राजनैतिक दलों द्वारा प्रोत्साहित है, यह सरकार को बदनाम करने के लिए है। श्रमिक वर्ग इस औद्योगिक नीति के खिलाफ नहीं है, वे हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, राजनैतिक दल ही यह चाहते हैं, यह उन्हीं की चाल है, वे इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। **(व्यवधान)** पूर्वी यूरोप ने देख लिया है कि किस प्रकार से तथाकथित प्रगतिवादी नीतियों के कारण सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को तोड़-मरोड़ दिया गया है ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस मामले पर चर्चा भी होने नहीं जा रही है। अब माननीय मंत्री इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह शून्य काल है। 1 बजे हमें सभा को भोजन के लिए स्थगित करना है,

परन्तु पूर्व वक्ता द्वारा सभा में उठाए गए दूसरे मामले को ले रहे हैं। अतः सदन के प्रत्येक वर्ग ने अपना विचार व्यक्त किया था। हमने इस पर निर्णय भी कर लिया है। हमें इस मामले को सभा के प्रत्येक वर्ग द्वारा उस पर चर्चा में परिवर्तित नहीं करना चाहिए।

अब, मन्त्री महोदय खड़े हैं। जो कुछ वे कहना चाहते हैं, हमें उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मुझे यकीन है कि कल वे पुनः दूसरा नाटक करेंगे।··· (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें जनता की आवाज को महत्व देना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को इस सभा में व्यक्त करना चाहिए। आपकी सरकार अल्पमत सरकार है, इस बात को न भूलिए। आप इस सदन में जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। (**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : आप उनसे पूछिए कि उन्होंने बंगाल में क्या किया है। उन्होंने तो प्रत्येक चीज को समाप्त कर दिया है। अब वे पूरे देश को समाप्त करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। (**व्यवधान**) भारत में ऐसा ही हो रहा है। आप इससे सहमत होंगे कि यह हमारे देश का निरादर है और इस निरादर के कारण ही हम 29 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप सुनेंगे ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, श्रीमान मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि जो लोग लोकतांत्रिक मानदंडों की बात करते हैं वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते। मैंने अभी देखा है कि अभी मेरी बात को उस ओर के वरिष्ठ सदस्यों ने ऊंची आवाजों में दबा दिया है। यह बहुत गम्भीर मामला है जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठाया है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि आपके माध्यम से सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाये कि जब हम सरकार में आये थे तब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय ऐसी स्थिति थी जब भुगतान सन्तुलन की स्थिति अत्यन्त खराब थी।

श्री श्रीकांत जैना (कटक) : ऐसा पिछले दस वर्ष से अपनाई गई गलत नीतियों के कारण हुआ है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस समय मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। कौन गलती पर था और कौन नहीं यह बात आंकड़ों तथा इतिहास से पता चल जाएगा। लेकिन जैसाकि अब स्थिति है हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री ने तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने या इसको निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने का कोई इरादा नहीं है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आज भारतीय पर्यटन विकास निगम के बारे में एक प्रतिवेदन है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आप मेरी बात सुनेंगे। कृपा करके समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर न जायें। दुर्भाग्यवश गुमराह करने के लिए जानबूझकर राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि गुमराह करने के लिए राजनीतिक प्रयास किया जा रहा हैं। किन्तु मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया साथ-साथ न बोलें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि यह सरकारी क्षेत्र के हित में है, उद्योग के हित में है और श्रमिक वर्ग के हित में है कि कल की प्रस्तावित हड़ताल को प्रोत्साहन या समर्थन न दिया जाये क्योंकि इस हड़ताल से केवल उन लोगों के हाथ मजबूत होंगे जो श्रमिक वर्ग के विरुद्ध और सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध जानबूझकर चाल चल रहे हैं। यदि आप उन्हें मजबूत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं करना चाहते तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारा कहना यह है कि जो इकाइयां अर्थक्षम नहीं हैं उन्हें अर्थक्षम बनाया जाये। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें बन्द कर दिया जाये।" (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये··· (**व्यवधान**)

1.19 म.प.

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री चिरन्जी लाल शर्मा (करनाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री सी.के. कुप्पूस्वामी, जिन्होंने लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री सी.के. कुप्पुस्वामी, जिन्होंने लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.20 म.प्र.

कार्यमंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि सभा 27 नवम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है ।

श्री राम नायक (मुम्बई - उत्तर) सभापति महोदय : श्रीमान् मैं व्ययस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ।

श्री राम नायक : श्रीमान् यह मद पुनरीक्षित कार्यसूची में नहीं है ।

सभापति महोदय : यह एक अतिरिक्त मद हैं । अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डम-डम) श्रीमान्, पुनरीक्षित कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं है । अचानक यह मद सामने आयी है । लगभग प्रतिदिन ऐसा हो रहा है । इसे आज नहीं लिया जा सकता । यह नैमित्तिक मामला है और इसे कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए था । **(व्यवधान)**

श्री राम नायक : श्रीमान् हमें इसके लिए सूचना देनी होती है । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि पुनरीक्षित कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं है तो इसे कल लिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दे दी थी । आपका अधिकार नहीं छीना जायेगा । **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति से संबधित प्रस्ताव जो मेरे द्वारा या कार्यमंत्रणा समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं उसे सामान्यतः लोक सभा सचिवालय द्वारा कार्यसूची में शामिल किया जाता है । यह सही है कि इसे पुनरीक्षित कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है । मैंने भी पहले यह बात देखी थी किन्तु अध्यक्ष महोदय इस बात से सहमत हो गये थे कि ऐसा भूल से हुआ है और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी थी । तथापि, क्योंकि सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें इसकी पूर्व सूचना होनी चाहिए थी तो इसे कल फिर से रखा जा सकता है । इसमें कोई समस्या नहीं है ।

सभापति महोदय : यह ठीक है।

अब सभा 2.30 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.23 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.35 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.35 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

$2.35\frac{1}{2}$ म.प्र.

(एक) **बंगलौर-तुमकुर रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता**

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : महोदय, बंगलौर-तुमकुर रेल लाइन कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल लाइनों में एक है। पवित्र स्थल "सिद्धगंगा" मठ तुमकुर में है। एच. एम. टी. कारखाना और बहुत से अन्य उद्योग वहां स्थित हैं। तुमकुर, शिक्षा और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। एक इन्जीनियरी, महाविद्यालय और तीन बी. एड. महाविद्यालयों सहित वहां पर अनेक शिक्षा संस्थाएं हैं। अनेक सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायी जो तुमकुर में रहते हैं, इस रेल मार्ग पर निर्भर करते हैं।

दस जोड़ा एक्सप्रेस और पेसेन्जर रेलगाड़ियां इस बंगलौर-तुमकुर इकहरी लाईन पर हर रोज चलता है और इसे दोहरा करने का कार्य कई वर्षों से लम्बित पड़ा है। वास्तव में, डिब्बों में भारी भीड़भाड़ और गाड़ियों के बार-बार क्रास करने से बंगलौर और तुमकुर के बीच रेल यात्रा असुविधाजनक है। रेल विभाग इस लाइन पर बंगलौर से मंगलौर या बंगलौर से धारवाड़ के बीच कोई नई रेलगाड़ी नहीं चला पाया है।

बंगलौर और तुमकुर के बीच इस लाइन की लम्बाई केवल 34 किलोमीटर हैं और कुल व्यय 30 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चालू वित्तीय वर्ष में यह कार्य आरम्भ कर इसे यथाशीघ्र पूरा करे।

(दो) **उड़ीसा में संबलपुर में पूर्ण रूप से सुसज्जित दूरदर्शन केन्द्र तथा देवगड़ और पल्लाहारा में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता।**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, यह खेद का विषय है कि संबंधित अधिकारियों

द्वारा अश्वासन दिए जाने के बावजूद, सम्बलपुर से वापस ली गई दूरदर्शन सुविधाएं अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। इन सुविधाओं को बहाल करने के अलावा, स्टुडियों सुविधा सहित सम्बलपुर में एक सम्पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जायें तथा देवगढ़ और पल्लाहारा में एक-एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

(तीन) **उत्तर प्रदेश में बरेली के नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलें लगाने की आवश्यकता**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उ. प्र. का एक प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। यहां नवाबगंज व मीरगंज क्षेत्रों में चीनी मिल लगाये जाने हेतु आशय पत्र जारी किये जाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है तथा इस संबंध में मैंने भी केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रियों को कई बार लिखा है। बरेली जनपद का मात्र 20 प्रतिशत गन्ना वर्तमान में कार्यरत चीनी मिलें ले रही हैं। किसानों की मुख्य फसल गन्ना होने के कारण बरेली किसान काफी आर्थिक नुकसान में रहता है। उक्त दोनों स्थानों के लिए निजी क्षेत्र में चीनी मिल लगाये जाने हेतु आवेदन पत्र काफी समय पूर्व किये जा चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन पर संस्तुति कर केन्द्र को भेजे जा चुके हैं।

क्षेत्र के किसानों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय उद्योग मन्त्री से आग्रह है कि प्राथमिकता के साथ इन स्थानों पर चीनी मिल लगाये जाने हेतु आशय पत्र जारी किये जायें।

(चार) **दिल्ली तथा बिहार के झंझारपुर और मधुबनी जिले के बीच सीधे डायल टेलीफोन सेवा प्रदान करने की आवश्यकता।**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मई 1991 से बिहार राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय में टेलीफोन विभाग द्वारा टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित होने के साथ ही झंझारपुर से एस. टी. डी. टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं। किन्तु यह सुविधा एकतरफा है। दिल्ली या देश के अन्य स्थानों से झंझारपुर का एस. टी. डी. कोड नं. 062731 है। यह कोड नं. कम्प्यूटर में फीड न होने के कारण दिल्ली से या अन्य स्थानों से झंझार पुर एस. टी. डी. पर संपर्क नहीं हो पाता है जिससे न केवल जन प्रतिनिधियों को, बल्कि प्रशासन और आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित की दृष्टि से शीघ्र दिल्ली से या अन्य स्थानों से एस. टी. डी. कोड नं. 062731 को कम्प्यूटर में फीड कराकर एस. टी. डी. सेवाएं उपलब्ध कराई जायें।

(पांच) **झारखंड समस्या के शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता।**

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन के संबंध में 1988 में गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव श्री वी. एस. ताली के संयोजन में 22 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी और समिति ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश का दौरा कर अध्ययन कर लिया था। 18 मई, 1990 को समिति द्वारा कार्य पूरा कर रिपोर्ट गृह मंत्रालय

को सौंप दी गई थी। किन्तु अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आंदोलन चलाने की घोषणा की गई है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि वार्ता हेतु आंदोलनकारियों को शीघ्र आमंत्रित करें ताकि समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

(छ) **मुम्बई में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही लोकल रेलगाडियों को महाराष्ट्र में दहानू रोड तक चलाने की आवश्यकता।**

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, हजारों लोग अपनी नौकरी और दैनिक कार्यो के लिए हर रोज बोयसर, पालघर, वनगांव, सफाला, बैतराना, केलवा रोड और दहानु रोड से मुम्बई जाते हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली लोकल रेलगाड़ियां इस समय विरार तक जाती है। इस प्रकार विहार से परे उहानू रोड तक रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। बहुत से कामगार जो मुम्बई महानगर में नहीं रह पाते, इस क्षेत्रों में रहते हैं और उनके यातायात का साधन केवल रेल है। किन्तु लोकल रेलगाड़ियों के अभाव में उन्हें अपने कार्य पर आने जाने में हर रोज तीन या चार घंटे लगते हैं। कई बार तो उन्हें इससे भी अधिक समय लगता है। इसलिए, आम आदमी की तकलीफों को दूर करने के लिए मुम्बई में पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली लोकल गाड़ियों को उहानू रोड तक बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

(सात) **मालाबार विद्रोह को स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने और उस आंदोलन में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने की आवश्यकता।**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : ब्रिटेन उपनिदेशवादी शासन से आजादी के लिए कई संघर्ष हुए और 1921 का पश्चिमी तट मालाबार विद्रोह राष्ट्र की आजादी के लिए एक ऐसा ही संघर्ष था और महात्मा गांधी और अली बन्धुओं के नेतृत्व में चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन का अभिन्न अंग था। यह भूमि सम्बन्धी विद्रोह महात्मा गांधी के अनुयाई श्री अली मुसलियार के नेतृत्व में चलाया गया। बाद में ब्रिटिश शासन ने अली मुसलियार को उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए मौत की सजा दी। किन्तु भारत सरकार ने 1921 के मालाबार संघर्ष को स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में मान्यता नहीं दी। दिवंगत श्री के.पी. केसवे मेनन, के. माधव मेनन (भूतपूर्व मद्रास मन्त्री), मोहम्मद अब्दुल रहमान, ब्रह्मदत्त नम्बूदिरी पाद और जीवित स्वतन्त्रता सेनानी मोइट्टीन मौलबी (भूतपूर्व संसद सदस्य) जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात की वकालत की थी और इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध किया था। यद्यपि, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा आश्वासन दिया गया था किन्तु अभी तक इसे मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए, मैं सरकार तथा माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह 1921 के मालाबार विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दे और उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करे जो मालाबार विद्रोह में भाग लेने के कारण वर्षों तक जेल में सड़ते रहे।

(आठ) **उड़ीसा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।**

श्री के.पी. सिंह देव (ढेकानाल) : उड़ीसा एक अर्द्धविकसित राज्य है जहां पर स्वभावतः खनिज, वन, जल और श्रम शक्ति तथा संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एक से बाद के पंचवर्षीय

विकास योजनायें, केन्द्र द्वारा गाडगिल फार्मूला भी सिफारिशों के आधार पर धन के हस्तांतरण सहित वित्तीय सहायता संशोधित गाडगिल फार्मूला और 1990 का सर्वसम्मति फार्मूला, क्षेत्रीय विषमता और असंतुलन को कम करने में असफल रहा है।

उड़ीसा की जनसंख्या में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, लघु और सीमांत कृषकों, बेरोजगार श्रम शक्ति और बेरोजगार शिक्षित युवकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार और योजना आयोग को अर्थोपाय खोजने चाहिए और न केवल निर्माणाधीन आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारी निवेश के लिए कदम उठाने होंगे, बल्कि, दूसरा इस्पात संयंत्र, रोजगार पैदा करने की क्षमता वाले खनिज पर आधारित औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे' मौजूदा संयंत्रों और औद्योगिक उपक्रमों की सहायक कम्पनियों की स्थापना और उनका विस्तार करना होगा। लोगों की गरीबी दूर करने के लिए कृषि पर आधारित और खाद्य संसाधन संयंत्रों, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा कोयला खानों के मुहानों पर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करना होगा।

(नौ) रक्षा उत्पादन के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने सम्बन्धी निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति लोक महत्व के विषय को नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं। कानपुर देश का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। यहां पर रक्षा उत्पादन की अनेक महत्वपूर्ण फैक्टरियां हैं जिनमें देश की रक्षा सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन होता है तथा वहां पर कानपुर के ही नहीं, अपितु देश व प्रदेश के हजारों व्यक्ति काम करके अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन करते हैं। सरकार द्वारा रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किये जाने के निर्णय से केवल कानपुर की रक्षा फैक्टरियों से जुड़े लोगों का ही नहीं, वरन् देश के अन्य भागों में स्थापित फैक्टरियों के कर्मचारियों के भविष्य के सम्बन्ध में न केवल प्रश्न-चिन्ह खड़ा कर दिया है परन्तु इसने देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी अनेक गम्भीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय से इन फैक्टरियों में कार्यरत कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनकी प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, नई भर्ती बन्द हो गई है एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। इस निर्णय से रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी क्षेत्र की घुसपैठ हो रही है जो अत्यन्त घातक है। यही नहीं, सामग्री की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं गोपनीयता को बनाए रखना भी संभव नहीं हो पा रहा है एवं इसके परिणाम देश के लिए अत्यन्त घातक होंगे।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि रक्षा जैसे संवेदनशील विषय में निजी क्षेत्र के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सम्मिलित किए जाने के निर्णय को सरकार अविलम्ब निरस्त करे जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके एवं देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए खिलवाड़ न कर सके।

———

2.49 म.प.

[अनुवाद]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 4 को लेंगे। अब मन्त्री महोदय, 20 नवम्बर, 1991 को उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक के विचारण के प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देंगे।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से उत्पन्न अभूतपूर्व और व्यापक रुचि को देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। इस सदन के सभी सदस्य इस विधेयक पर बड़े उत्साह से विस्तार के साथ बोले हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सभा के सभी वर्गों ने इस विधेयक के उद्देश्यों के साथ सहमति प्रकट की है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए हैं। प्रदूषण के कुछ विशिष्ट मामलों का भी उल्लेख किया गया है। मैं माननीय सदस्यों, विशेष रूप से मेरे मित्र श्री चार्ल्स, जिन्होंने कल ही ट्रावनकोर टिटोनियम का उल्लेख किया था और आज ही अखबारों में देखा है कि इस यूनिट द्वारा कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, को आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले की छानबीन करूंगा और अत्यन्त कड़े कदम उठाऊंगा।

महोदय, इस विधेयक पर बहस की समाप्ति पर, जिस प्रकार का सहयोग मुझे मिला है उससे मैं अधिक अश्वस्त महसूस करता हूं। कई बार कुछ मामलों में, कुछ क्षेत्रों में विरोध के कारण मैंने अपने आपको अकेला महसूस किया। किन्तु इस बहस की समाप्ति पर, सभी दलों के सदस्यों द्वारा दिए गए जोरदार समर्थन से मैं निश्चित रूप से अधिक अश्वस्त महसूस करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा दिये गए सभी सुझाव अत्यन्त उपयोगी होंगे और भावी नीति के निर्माण में काफी मूल्यवान सिद्ध होंगे।

महोदय, मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूंगा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पर्यावरण को और खराब होने से बचाया जाए और जो कुछ है उसे सुरक्षित रखा जाए तथा उसमें सुधार किया जाय। कई माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय का कार्यचालन औद्योगिक नीति वक्तव्य में घोषित उदारीकरण की भावना के विरुद्ध है। महोदय, मैं यह बात बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि नीति सम्बन्धी विवरण में यह स्पष्ट कहा गया है जबकि औद्योगीकरण को पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा किन्तु यह पर्यावरण का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। अनियोजित औद्योगीकरण और प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों से देश के पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दूसरी ओर मैं माननीय सदस्यों को पर्यावरण और विकास के बीच टकराव के प्रति सचेत करना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि यह कोई टकराव है। वास्तव में, मेरे विचार से हम एक के बिना दूसरा प्राप्त नहीं कर सकते। पारिस्थितिकी संरक्षण के बिना वास्तविक विकास नहीं हो सकता और स्थाई विकास के बिना पारिस्थितिकी संरक्षण नहीं किया जा सकता। यह दर्शाने के प्रयत्न किए गए हैं कि पारिस्थितिकी संरक्षण और विकास के बीच

टकराव है और मेरे विचार से इस रवैये से समाज को बहुत नुकसान होगा। मेरा यह प्रयत्न होगा कि पर्यावरण और विकास के बीच टकराव को समाप्त किया जाए। मेरे मंत्रालय में हम सभी विकास समर्थक हैं, विकास विरोधी नहीं, किन्तु सही किस्म के विकास में समर्थक है। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी केवल वन और पर्यावरण मंत्रालय की ही नहीं है। हम सभी भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। संसद इसकी ट्रस्टी है, मुझे तो केवल इस विधेयक में अभिव्यक्त संसद की इच्छा को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पर्यावरण की समस्या एक जटिल समस्या है और इसमें बहुत से मामले अर्न्तग्रस्त है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विस्तार से विचार करें; जब इतना समय लिया गया है तो मैं इस पर कुछ विस्तार से और विचार करूंगा। आज पर्यावरणीय प्रदूषण, चाहे वायु का हो, जल का या मृदा का, बढ़ रहा है। जल दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है एक परम्परागत जैविक अपशिष्ट पदार्थ तथा दूसरा औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न पदार्थ। यह अनुमान है कि तीन बटा चार बेकार पानी म्यूनिसिपल स्रोतों से आता है, किन्तु औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ मात्रा में कम होते हुए भी कुल प्रदूषण के आधे से अधिक के लिए जिम्मेवार है और इसका बड़ा भाग बड़े और मध्यम उद्योगों से आता है। देश के प्रथम श्रेणी के नगरों में उत्पन्न कुल बेकार पदार्थों का केवल 5 प्रतिशत ही एकत्र किया जाता है और इसका केवल एक चौथाई ससाधित किया जाता है, जो मुश्किल से एक प्रतिशत है।

उर्वरकों और फसल की रक्षा के लिए कीट नाशकों पर आधारित संघन कृषि भी अमोनिया और नाइट्रेट आदि द्वारा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बड़े नगरों में परिवेशी वायु स्तर प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि विशेष कर गर्मियों के मौसम में हवा में तैरने वाले विविक्त कणों का स्तर विनिर्दिष्ट निर्धारित सीमा से अधिक है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन डाइआक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। यह कोई मानक बनाने या उसे लागू करने का ही सवाल नहीं है। यह प्रोद्योगिकी का सवाल है। जब हम वाहनो से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की बात करते हैं तो हमें हलके पैट्रोल की जरूरत है हमें उच्च प्रौद्योगिक इंजनों की जरूरत है। आज हमारी सड़कों पर ऐसे वाहन चल रहे हैं जो 10 या 15 वर्ष पुराने हैं। अतः इसमें एक आर्थिक उपादान है। मेरे मंत्रालय ने मानक निर्धारित किये हैं जिसमें से कुछ को 31 मार्च, 1992 तक पूरा किया जाना है। वाहन प्रदूषण, जो दिल्ली में कुल प्रदूषण का लगभग 60 प्रतिशत है से निपटने के लिए ये कुछ अन्य कदम हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार दिल्ली विश्व में चौथा अत्यधिक प्रदूषित शहर है।

आज पर्यावरण संबंधी समस्यायें व्यापक और विकराज रूप धारण कर रही हैं रसायन उद्योग प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में ऐसे उत्पादों का निर्माण करता है जिसका वायुमंडल, भूमि और जल की रचना के आवश्यक पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिक घनत्व वाले औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों के अलावा पर्यावरण के सामाजिक और आर्थिक कृत्यों से होने वाली क्षति का सामना कर रहे हैं। हवा में छोड़े जाने पर और अपशिष्ट जल पर लगे निर्बाधनों के कारण खतरनाक अपशिष्ट रसायनों को समाप्त करने के लिए भूमि की ओर मोड़ा जा रहा है। पर्यावरण से संबंधित पूर्ववर्ती उद्विग्नतायें, जो सुस्पष्ट और विकृत है, कृत्रिम रसायनों की अत्यंत लघु मात्रा, जो दृष्टि गोचर नहीं है और जो अत्यधिक प्रयोग, दृढ़ता और इसकी विपाक्तता के कारण स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, प्रदूषण की नई किस्मों को जन्म दे

[श्री कमल नाथ]

रही है। विषाक्त रसायनों से उत्पन्न जोखिम को कम करना अब एक मुख्य और आम चिन्ता का विषय है।

मानव क्रियाकलाप भी वायुमंडल की रचना को प्रभावित कर रहे हैं। अनिनियतताओं और अपर्याप्त जानकारी के बावजूद पर्यावरण परिवर्तन संबंधी राजनैतिक और वैज्ञानिक निर्णयों में वृद्धि करना आवश्यक होगा। सभी प्रयासों के बावजूद, पर्यावरण की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी में वृद्धि के कारण यह सम्भव हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा का इस्तेमाल किया जाये। पहले हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जो चीजें व्यवहार में लाने योग्य नहीं थीं उन्हें प्रौद्योगिकी में विकास के कारण इस्तेमाल करना अब सम्भव हो गया है। बढ़ते हुए प्रदूषण की मात्रा, जिसका वायुमंडल, भूमि और जल पर प्रभाव पड़ रहा है, के साथ-साथ वनों का विनाश भी हो रहा है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए और हम यह बात अच्छी तरह से समझते भी हैं कि कुछ क्षति ऐसी भी होती है जिसकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। जब मिट्टी की ऊपरी परत कट कर बह जाती है तो एक इंच की नई ऊपरी परत तैयार होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब हम बांध की बात करते हैं तो हमें कमान क्षेत्र तथा परिष्करण संयंत्र की भी बात करनी चाहिए। इसमें एक तर्क, एक बुद्धि संगतता है। बांध की आयु के बारे में एक प्रश्न किया गया है, मिट्टी की ऊपरी परत के संरक्षण और भूमि के आगे और अधिक कटाव को रोकने की बातें हैं।

उच्च श्रेणी का जीवन जीने और आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए हमें अपने उत्पादन ढांचे-स्पष्ट प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट नियंयत्र के बारे में स्पष्ट प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रदूषक अपशिष्ट के अलावा कुछ नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत अपशिष्ट के एक स्वरूप को दूसरे अपशिष्ट में बदल कर समाप्त करना होता है। अतः प्रदूषण नियंत्रण अपशिष्ट प्रबन्ध के सलावा और कुछ नहीं है। अपशिष्ट प्रबन्ध के लिए सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि अपशिष्ट पर नियंत्रण किया जाये। इस प्रकार हमारे प्रयास अपशिष्ट नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के बारे में होंगे। हमारे प्रयास सरकारी वन नीति के अनुपूरक होते हुए प्रदूषण को कम करने के बारे में होंगे। सरकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र में इसकी नीतियां उन निर्धारित सिद्धान्तों पर आधारित हों जो आर्थिक विकास और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं से मेल खाती हों।

पर्यावरण संबंधी खतरों, जिनका हमारा देश सामना कर रहा है, पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार के लिए केवल यही काफी नहीं है कि वह कानूनों को अधिसूचित करे और लोगों से आशा करे कि वे उनका पालन करेंगे। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संबंध में साकारात्मक रवैया अपनायें और जो इस विधान को क्रियान्वित करते हैं उनके साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाये। विकास योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संबंधी और आर्थिक पहलुओं का समाकलन करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरूरत है। निवारक पहलुओं, प्रदूषण को कम करने तथा औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिये सभी प्रोद्योगिक आदानों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिये। तदनुसार इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी महत्व को सभी स्तरों पर समझा जाना चाहिये।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्रोत पर ही प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाये जायेंगे। इसका उद्देश्य उपलब्ध उत्तम तकनीकी उपाय को प्रोत्साहित, विकसित तथा लागू करना है। संक्षेप में, प्रदूषक प्रदूषण के लिए क्षतिपूर्ति करता है और प्रदूषण पर नियंत्रण करता है। अधिक प्रदूषित क्षेत्रों और नदी नालों के संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसमें जन साधारण को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मुझे बहुत से विशिष्ट उदाहरण दिये गये हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम पहले से अवगत हैं। मुझे ठाणे क्षेत्र का एक उदाहरण दिया गया है।

मुम्बई में चेम्बूर जैसे क्षेत्र हैं। यह एक गैस चैम्बर की भांति है और इसके प्रदूषण का स्तर सम्पूर्ण संदुषण और प्रदूषण के संबंध में विश्व में सबसे अधिक है। हम अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं इस बात से पूर्णतया भिज्ञ हूं कि हमें कहीं न कहीं से तो शुरू करना ही है और विशेष रूप से हमें अत्यंत प्रभावित क्षेत्रों को पहले हाथ में लेना होगा। जैसाकि मैंने पहले कहा है मेरे मंत्रालय ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया है और उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिन्हें अत्यधिक प्रदूषण वाला क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ विशिष्ट कार्यवाही योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। उन क्षेत्रों पर यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी रखी जा रही है कि औद्योगिक इकाइयां एक समझ सोच के भीतर निस्सारी और निस्सरण मानदंडों का पालन करें तथा यह देखें कि क्षेत्र में आसपास का प्रदूषण भार मानदंडो के भीतर है। इस पर विचार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में तलचेर, ब्रजराज नगर, बरहामपुर क्षेत्रों में प्रदूषण महानदी और ब्राह्मणी नदियों में बहाये जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

हमने 17 अत्यधिक प्रदूषण करने वाले क्षेत्रों का पता लगाया है और इसमें रसायन तथा चमड़े के उद्योग शामिल हैं। इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने भी उल्लेख किया है। इन उद्योगों को निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए निदेश दिये गये हैं। हम उनको नोटिस भेजेंगे और यदि वे 31 दिसम्बर, 1991 तक इन उपायों का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

एक जो समस्या लगातार हमारे सामने आ रही है वह थर्मल इकाईयों से उत्पन्न राख की है। राख (फ्लाई एश) एक ऐसा प्रदूषक है जो न केवल वायु को अपितु मिट्टी तथा जल को भी प्रदूषित कर देता है। अनेक सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ क्षेत्र काले पड़ गये हैं। किसानों की खेतीवाड़ी को नुकसान पहुंचा है। फल वाले अधिसंख्यक वृक्षों पर फल आने बंद हो गये हैं। मेरा मंत्रालय राख के निपटान के मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। हमारे देश में राख का उपयोग बहुत कम किया जाता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में इकाइयों द्वारा राख का केवल 1/20 वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया जाता है। हम केवल राख के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर ही जोर नहीं देंगे लेकिन हम भविष्य में राख का पुनः उपयोग किए जाने पर जोर देंगे और यह केवल नई थर्मल इकाइयों पर ही नहीं लागू होगा अपितु पुरानी इकाइयों पर भी लागू होगा। जिनके सामने ये समस्यायें आई हैं। हम इस समस्या का सामना करने के लिए पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों को कड़ाई से लागू करेंगे।

अनेक सदस्यों ने गंगा कार्य योजना का उल्लेख किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उन संयंत्रों का खर्च कौन वहन करेगा ? मेरा तात्पर्य कोलाघाट से है। कोलघाट में प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है।

श्री कमलनाथ : यह बिल्कुल सही है। आज राख का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। राख का प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जा सकता है। वे ईंटें काफी समय तक चल सकती हैं। सड़क निर्माण में भी राख का प्रयोग किया जा सकता है। स्वयं परियोजना के भाग के रूप में भी राख को काम में लाया जाना चाहिए और एक बार ऐसा कर लिया गया तो फिर कोई समस्या नहीं रह जायेगी। उन पुराने ताप केन्द्रों में समस्या होगी जहां अपेक्षित क्षेत्र नहीं हैं। हम किसी भी नए ताप केन्द्र को मंजूरी देते समय सर्वोच्च प्राथमिकता राख के प्रश्न को देते हैं। हम राख उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी राख इकाइयों को कुछ अधिक प्रोत्साहन दिए हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसे कालाघाट में जल्दी से लागू किया जाना चाहिए।

श्री कमल नाथ : ठीक है। गंगा कार्य योजना फरवरी, 1985 में शुरू हुई थी। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नदियों के प्रदूषण की समस्या का अन्दाज लगा लिया था और इसे बहुत गंभीरता से लिया था तथा उन्हीं की अध्यक्षता में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। गंगा कार्य योजना का उद्देश्य नदी में गिरने वाले गंद को बीच में रोककर दूसरी ओर मोड़ना है ताकि पानी की गुणवता में सुधार हो सके और इसे मत्स्य पालन, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए मैथेन गैस पैदा करने के एक संसाधन के रूप में बदला जा सके। इसका उद्देश्य नदी की जीवीय अनेकता को बनाये रखना और विशेषकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना है।

गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत प्रदूषण रोकने के कार्यों के लिए 25 प्रमुख कस्बे लिए गए थे। इन कस्बों का चयन जनसंख्या के आधार पर किया गया था। गंगा कार्य योजना चरण-II का प्राथमिकीकरण प्रदूषण की मात्रा और सर्वश्रेष्ठ नदी जल की आवश्यकताओं के आधार पर वैज्ञानिक मानदंड के अनुसार किया जाएगा। -

मुझे निश्चित रूप से सदस्यों के उन सुझावों की जानकारी है जिनमें उन्होंने कहा है कि गंगा कार्य योजना का विस्तार वहां कहां किया जाना है और इससे भी अधिक मुझे यह भी पता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है और हम चरण-I वाली ही नीति जैसी कि गंगा कार्य योजना में स्पष्ट की गई है, अन्य नदी तथा जल निकायों पर लागू करेंगे और मैं सदस्यों को आवश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।

चरण-I में काफी विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं। जहां कहीं भी इस योजना को लागू किया गया है वहां पानी की गुणवता और स्तर में सुधार हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं। यदि कोई सदस्य चाहे तो मैं आंकड़े दिखा सकता हूं। परन्तु मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा।

महोदय, यहां ध्वनि प्रदूषण के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। मैं सदस्यों की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह प्रदूषण का शायद एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हमने सर्वाधिक झेला है परन्तु सबसे कम समस्या है। शोर से व्यक्ति चिड़चिड़ा बन सकता है, नाराज हो सकता है, नींद में व्यवधान पड़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है, एकाग्रता भंग हो सकती है और यहां तक कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इससे हम सभी पर किसी न किसी रूप से बुरा

प्रभाव पड़ता है। जहां अधिकांश व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह एक बहुत गंभीर समस्या है, ध्वनि सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वालों में से एक है। इस प्रदूषण को कम करना बहुत कठिन है। हमने मानक अधिसूचित किए हैं और दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मैंने इन उपबंधों को विशेषकर अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों के परिसर में लागू करने के लिए स्वयं मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। मुझे पता है कि आम जनता की चिन्ता किए बिना रात भर लाउडस्पीकर बजते रहते हैं। सरकार और भी कड़े उपाय करने को तैयार है। मैं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए और भी कड़े उपाय करना चाहूंगा क्योंकि हमें पड़ौसियों को भी समाज के सदस्य के रूप में मानना है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : वास्तव में, क्या यह कानून संसद पर भी लागू होगा।

श्री कमल नाथ : इसका निर्णय तो संसद ही करेगी।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह कानून चुनावों के दौरान भी लागू होना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : ध्वनि प्रदूषण का प्रासंगिक मुद्दा उठाया गया है। परन्तु आपने अभी-अभी कहा है कि आप इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से चर्चा करेंगे। स्वयं दिल्ली की क्या स्थिति है ? आश्रम चौक, रिंग रोड जैसे स्थान और कई अन्य स्थान इस प्रदूषण से पीड़ित हैं। मेरे विचार से स्वयं इस सभा में इसका एक बार उल्लेख किया गया था। मंत्री महोदय श्री जगदीश टाईटलर ने कहा है कि वह यातायात को ऐसे ढंग से मोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण में कमी आए। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए जायेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप इसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर देंगे क्योंकि प्रदूषण का स्तर-शोर तथा अन्य प्रकार का, स्वयं दिल्ली में ही अविश्वसनीय ढंए से बढ़ गया है।

श्री कमल नाथ : निस्संदेह स्वयं दिल्ली में यह अत्यधिक बढ़ा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है मैंने दिल्ली के उप-राज्यपाल सहित सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है। दिल्ली में वास्तव में कुछ क्षेत्र बहुत शोर गुल वाले हैं। माननीय सदस्य ने ऐसे एक क्षेत्र का उल्लेख किया था। इन स्थानों में ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं कानून को और भी अधिक कड़ा बनाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दायरे में भी लिया गया है। विवाह और धार्मिक समारोहों जैसे आयोजनों में लाउडस्पीकर बजाए जाने जैसी कुछ अन्तर्निष्ठ कठिनाइयां हैं। हमें उसके लिए मानदंड बनाने होंगे। ऐसे मानदंड बताने से पूर्व मुझे सभी लोगों से व्यापक विचार विमर्श करना होगा। परन्तु दिल्ली के विशिष्ट प्रश्न के बारे में मैं पुनः उप-राज्यपाल से इस दिशा में कुछ करने के लिए चर्चा करूंगा। मेरा प्रारम्भिक प्रयास अस्पतालों के, निकट आयुर्विज्ञान संस्थान आदि के बाहर ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना है। आप कालेजों, प्रमुख आवासीय क्षेत्रों के बाहर शोर मचाने भारी ट्रकों का आवागमन देखते हैं जहां कि कोई शोर नहीं होना चाहिए। मैं सम्बन्धित व्यक्तियों से इस मामले पर चर्चा कर रहा हूं। इस प्रश्न को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : एक बात और है। मैं वाहन प्रदूषण के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। धुंआ उगलने वाले वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय स्वयं दिल्ली में ही इस समस्या में कल्पनातीत वृद्धि हुई है। इसीलिए ट्रकों और बसों से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में कुछ करना होगा।

श्री कमल नाथ : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि मैंने यह कहा है कि यह एक गंभीर समस्या है। दिल्ली चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और कुछ मानक निर्धारित किए गये हैं जिन्हें लागू किया जाना हैं। शायद वह पहले यह नहीं सुन सकीं।

अनेक सदस्यों ने केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के मुद्दे उठाये हैं। इस आशय के सुझाव दिये गये हैं कि इन बोर्डों में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों को नामजद किया जाये। मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इन बोर्डों में पहले से ही अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी बिशेषज्ञ है, फिर भी मैं के सदस्यों इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे ताकि नई नीतियों की चुनौतियों का सामना करने और जिस नीति की मैंने रूप रेखा तैयार की है उसे कार्यान्वित करने के लिए आज के बदले हुये संदर्भ में उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसी प्रकार राज्यों को भी परामर्श दिया जायेगा क्योंकि राज्य ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन करते हैं। अभी कल ही हमने राज्यों के पर्यावरण सचिवों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों से राष्ट्रीय-स्तर का विचार-विमर्श पूरा किया है हमने इनमें से अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। मैंने इस सभा में अपने सहयोगियों के विचारों से उन्हें अवगत कराया था। हमें पता है कि फील्ड स्तर पर कार्यान्वियन तन्त्र को सुदृढ़ बनाने की अधिक आवश्यकता है। कुछ मामलों में इसे सुव्यवस्थित करने और कुछ मामलों में इसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं।

इस विधेयक की जहां तक बात है, इस संशोधनकारी विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उद्योग पानी जैसे दुर्लभ संसाधन को नष्ट न करे। हमें यह समझना चाहिए कि पानी एक असीमित साधन नहीं है। पानी दुर्लभ संसाधन है। पानी एक सामुदायिक संसाधन है तथा इसकी जरा सी भी मात्रा व्यर्थ नहीं होती। यह केवल उपकर या कर में वृद्धि किये जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि उद्योग पर भी इस मामले में रोक लगाई जानी चाहिए। जिन दरों का मेरा बढ़ाने का विचार है वे इस अधिनियम के 12 वर्ष लागू रहने के बाद बढ़ाई जा रही है। इस संशोधन की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दोहरी उपकर प्रणाली पहली वार लागू की जा रही है। उन उद्योगों के लिए कम शुल्क नियत किया गया है। जो इष्टतम जल मानकों के अनुरूप पानी की खपत करते हैं तथा उन उद्योगों के लिए अधिक शुल्क नियत किया जो इष्टतम मानकों से अधिक पानी की खपत करते हैं। हमें इसमें अन्तर करना है तथा इसीलिए मैंने दोहरी उपकर प्रणाली लागू की है।

इसके अलावा वृद्धि का बोझ उन उद्योगों पर डाला जा रहा है जिनसे ऐसे प्रदूषक तत्व निकलते हैं जो जहरीले होते हैं तथा जिनका जैव-अपक्षीणन नहीं हो सकता। इस उपकर प्रणाली, से यह देखा जा सकता है कि इसका भार उन उद्योगों पर पड़ रहा है जिनसे ऐसे प्रदूषक निकलते हैं जो जहरीले होते हैं तथा जिसका जैव-अपक्षीणन नहीं हो सकता। ऐसे समुदाय पर उद्योग एक बोझ है और इस प्रकार उद्योग को समुदाय तथा समाज का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके पीछे यही दृष्टिकोण है।

इस विधेयक का आशय केवल संसाधनों में वृद्धि करना नहीं है। अनेक उद्देश्यों में से यह भी एक उद्देश्य है। इसका बल दूसरी ओर है। इसका एक उद्देश्य तो यही है कि उन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों में बढ़ोतरी की जाए जिन्हें सुदृढ़ बनाया जाना है तथा जिन्हें धन की आवश्यकता है। उपकर जमा में आशायित बयोतरी केवल इस कारण से ही नहीं होगी कि दरों में वृद्धि की गई है बल्कि इससे प्रदूषण छोड़ने वाले उद्योगों की बेहतर तरीके से पहचान हो सकेगी तथा बेकार

पड़ी प्रद्योगिकी का प्रयोग करने वाले उद्योगों को यह निरुत्साहित करेगा। स्वदेशी दरों के बारे में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का भी मैंने ध्यान रखा हैं। माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगा कि घरेलू उपभोग की दरों में वृद्धि बहुत ही कम होगी। 'अनुमान है कि प्रति परिवार वृद्धि 12 पैसे प्रति माह होगी।' हमने इसका हिसाब लगा लिया है। आपके हिसाब-किताब के आधारों से मैं सहमत हूं। एक ऐसे परिवार पर जिसका एक माह में प्रतिदिन 200 लीटर पानी लगता है पूरे परिवार पर पूरे माह में 12 पैसे वृद्धि का असर होगा। (**व्यवधान**) मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके सुझाव लूंगा। किन्तु मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए कि मेरा क्या उद्देश्य है। दूसरी ओर जब हम इसके दूसरे पहलू की ओर देखते हैं तो नगर पालिकाओं द्वारा इनकी जल वितरण प्रणाली में सुधार करने की तुरन्त आवश्यकता है। 'यह बहुत ही आवश्यक है।' उपकर में वृद्धि नगर पालिकाओं के लिए व्यर्थ खर्च पर कटौती करने तथा घरों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोत्साहन होगा यदि वे उपकर की अतिरिक्त राशि का सही इस्तेमाल करें। नगर पालिकाओं द्वारा बहुत पानी व्यर्थ गंवाया जाता है। पानी व्यर्थ होते हम सभी देख रहे हैं। अब वे इस पानी को बेचकर अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए इसे संरक्षित रखेंगे।

3.20 म. प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

जब जल इतनी ही दुर्लभ वस्तु है तो मैं समझता हूं कि नगर पालिकाओं के लिए यह गलत बात है कि वे जल की आपूर्ति तथा वितरण में असावधानी बरतें।

घरेलू उपयोग के बारे में मैं एक और पहलू बताना चाहूंगा कि यह ग्रामीण जनता पर भार नहीं होगा। शहरों में रहने वाले गरीब लोगों पर भी यह भार नहीं होगा क्योंकि वे अपना पानी हैंड-पम्पों से तथा सरकारी नलकों से लेते हैं। यह केवल उन्हीं पर लागू होता है। जिनके यहां पानी के मीटर लगे है। गरीब लोग मीटर लगे नलकों से पानी नहीं लेते। उनके घरों में पानी के मीटर नहीं हैं। ग्रामीण गरीव लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे ग्रामीण लोगों पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा तथा इससे शहर में रहने वाले गरीव लोगों पर भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके यहां भी मीटर वाले पानी की सप्लाई नहीं हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : शहर में रहने वाले गरीबों को भी पानी मीटर से सप्लाई होता है!

श्री कमलनाथ : मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके यहां पानी बिना मीटर के सप्लाई होता है। शहरों में ऐसे गरीब लोगों कीं संख्या अधिक नहीं है जिनके यहां मीटर लगे हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : किन्तु आप उन्हें कैसे विनियमित करेंगे ?

श्री कमल नाथ : यह केवल स्थानीय निकायो पर ही लागू होता है। यह उन गरीब लोगों पर भी लागू होता है जिनके यहां पानी की सप्लाई मीटर से है। किन्तु इसका भार 12 पैसे प्रति माह है तथा यह भार केवल राजस्व का ही स्रोत नहीं है इससे अन्य अनेक चीजों में सुधार होगा, अन्य अनेक चीजों के माध्यम से प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे नगर पालिकाओं को प्रेरणा मिलेगी। इन सभी पहलुओं को एक साथ देखने से मेरे विचार से शहर में रहने वाले ऐसे गरीब लोगों के लिए 12 पैसे प्रति माह कोई अधिक भार नहीं है जिनके यहां पानीं मीटर से दिया जाता है। घरेलू क्षेत्रों को

[श्री कमल नाथ]

पूरी छूट देना मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें। जैसा कि मैंने कहा है, इस विधेयक का आशय यह है कि लोग यह समझें कि पानी एक दुर्लभ संसाधन है, यह एक सामूहिक संसाधन है, यह असीमित नहीं है तथा इसे ऐसा माना जाना चाहिए।

मेरा मन्त्रालय एक विनम्रता की भावना से बढ़ावा देने उत्प्रेरित करने तथा जागरुक करने की भूमिका अदा करना चाहेगा। हमें हमारे जैसे विकासशील देशों की विशेष स्थिति का पता है जहां तेजी से जनसंख्या बढ़ रही हैं। तथा जहां इसके साथ साथ लोगों की उचित आकंक्षाएं भी बढ़ रही हैं। मेरे मन्त्रालय का प्रयास इसे एक ऐसे सहमीय मार्ग पर लाना है जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जगत सहित पानी या प्राकृतिक संसाधनों को केवल ऐसी मुफ्त की वस्तु न समझा जाए जिसे इसकी मात्रा तथा गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना अपनी मर्जी से जितना चाहे खर्च किया जा सके। प्रयोग्ता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए हमने साफ वायु तथा जल पर जोर दिया तथा प्रदूषणकारी तत्वों की सफाई की ओर भी उतना ही ध्यान दिया जितना कि हमारे संसाधन तथा प्रौद्योगिकी आदि के अनुसार अपेक्षित हो। इस प्रक्रिया में मेरे मन्त्रालय तथा राज्य सरकार के तन्त्रों ने नफा नुकसान की इस नीति का पालन करने में अपना भरसक प्रयास किया। मेरा यह प्रयास है कि नफा ज्यादा हो नुकसान कम। लेकिन मैं अपने माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी कार्यवाही का ढंग एक सहनीय विकास लाने का होगा और वैज्ञानिक ढंग से हमारे संसाधनो का उपयोग किया जायेगा। इस प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम कुछ गलत कार्यवाही कर रहे हों। मेरा निवेदन है कि हमारे मन्त्रालय के कार्य को आप हमारी पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देखें। बल इस बात पर दिया जा रहा है कि पर्यायरण की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है न कि यहां मन्त्रालय का और वहां राज्य सरकार का तथा मैं अनुरोध करूंगा कि विकास तथा पर्यावरण में सन्तुलन लाने के लिए अधिक समझ बूझ की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों का समर्थन चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 5

श्री ई. अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 35 और 36 का लोप किया जाये (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 39,—

"एक" के **स्थान** पर "कोई" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (2)

सभापति महोदय, मैं अपने संशोधनों के संबंध में बोलना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा 7 के खंड 5 में एक संशोधन है। मैं अपना संशोधन इसका लोप करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का मुख्य कारण यही है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि उनकी ऐसी नीति है कि इनाम पाने की आशा में और सजा पाने के डर से वहुत अच्छा काम हो। लेकिर वह ऐसे लोगों के लिए जो प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनाम देने के बजाय सजा पाने का डर पैदा कर रहे हैं। अब मैं मूल अधिनिलम की धारा 7 पढ़ता हूं जो इस प्रकार है।

"जहां इस अधिनियम के अधीन उपकर का संदाय करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण मल या व्यावसायिक बहिःस्राव की अभिक्रिया के लिए कोई संयंत्र लगाता है वहां ऐसा व्यक्ति या स्थारीय प्राधिकरण ऐसी तारीख से, जो नीहित की जाये, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या स्थारीय प्राधिकरण द्वारा संदेय उपकर के सत्तर प्रतिशत की रिवेट का हकदार होगा।"

माननीय मंत्री महोदय ने एक संशोधन के द्वारा इसे 70 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दिशा में अच्छे कार्य के लिए इस 75 प्रतिशत की रिबेट को घटाने के पीछे क्या कारण हैं। हमें उन लोगों को जो मूल अधिनियम तथा अन्य नियमों के सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, दंडित करना है। लेकिन, वास्तविकता तो यह है कि मूल अधिनियम में कुछ रिबेट दी गई है अर्थात् उपचार संयंत्र के लगाने के लिए 75 प्रतिशत की रिबेट है इसे बिना किसी कारण के और उनके बिना किसी गलती के घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। अधिनियम में इस बात का भी कोई उपबंध नहीं है कि यदि कहीं इसका उल्लंघन होता है तो इसे घटा दिया जायेगा। सभा में भी मंत्री महोदय ने नीति का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो नियमों का अनुसरण करेगा उसे रिबेट और प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस-लिए जो उपचार संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं उनके लिए 75 प्रतिशत की रिबेट जारी रखी जानी चाहिए। इसी कारण, मैंने अपना संशोधन संख्या-1 प्रस्तुत किया है।

संशोधन संख्या 2 एक बहुत छोटा सा संशोधन है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे विचार से यह व्याकरण की गलती नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने इस संशोधन विधेयक के खंड 5 के 34 खंड (ख) में एक परन्तुक जोड़ने का प्रस्ताव किया है। मैं इसका यहां उल्लेख करता हूं :

परन्तु यह कि एक व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण किसी छूट का हकदार नहीं होगा, यदि वह उसने······

मेंने प्रस्ताव पास किया है कि उस परन्तुक में "एक" शब्द के स्थान पर "कोई" प्रतिस्थापित किया जाये। मूल अधिनियम में "एक" का प्रयोग एक व्यक्ति के ठोस कार्य के लिए किया गया है। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री अहमद जी आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री ई. अहमद : छूट के लिए हकदार हैं, सही है। लेकिन परन्तुक में कहा गया है कि :

"स्थानीय प्राधिकरण छूट के हकदार नहीं होंगे।"

मेरे विचार से यह ऐसा होना चाहिए :

"......कोई छूट के लिए हकदार नहीं होंगे।" और न कि "एक"। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह दोनों संशोधनों को स्वीकार करें।

श्री कमल नाथ : सभापति महोदया, मैं 70 प्रतिशत छूट के संबंध में सभा तथा माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि यह मांग प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने का ही प्रश्न नहीं है। अनुभव से हमें यह पता चलता है कि इसको कम करके आंका जाना चाहिए। यहां मात्र छूट को घटाने की बात नहीं है। परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भी कुछ सदस्य मेरे ध्यान में यह बात लाये हैं तथा अन्य स्रोतों से भी यह बात ध्यान में आई है कि लगाये जा रहे प्रदूषण संयंत्र अच्छे स्तर के नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जहां प्रदूषण संयंत्र लगाया जा चुका है वहां उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसे नहीं चलाया जा रहा है। इसलिये, मैं इसे केवल स्थापित करने के पक्ष में नहीं रहता। स्थापित करने के पश्चात इसे उपयोग में लाया जाना चाहिए। इसके अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए। अब यदि यह दोहरी प्रणाली कार्य कर रही है तो इससे बड़ा लाभ होगा और यह एक प्रोत्साहन होगा। इसके प्रभाव को उपकर के श्रेणीकृत ढांचे से समाप्त किया जा रहा है। जब कभी भी बिजली की कटौती होती है, तब पहला कार्य वे उपकरण को बंद करने का करते हैं। यद्यपि जब जांच की जाती है तो उसकी उपस्थिति को दशाते हैं। इतना ही काफी नहीं है। मैं उस उपकरण के प्रभाव की जांच कर रहा हूं। यदि वह उपकरण वहां लगा हुआ है तथा वह कार्य कर रहा है, तो उन्हें तभी फायदा हो 'इसलिए, मैंने इसे घटाकर 25 प्रतिशत किया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इसे वापस ले लें तथा उस पर इस दृष्टि से ध्यान दें।

जहां तक उनके दूसरे संशोधन का संबंध है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, तथा जिसमें "एक" से "कोई" कहना है, तो इसमें कोई व्यापक बदलाव नहीं होगा। मैं उनके दूसरे संशोधन, जिसमें 'एक' से 'कोई' करना है, को स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री ई. अहमद : मैं अपना संशोधन संख्या 1 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : मैं अब श्री ई. अहमद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2 पंक्ति 39, —

"एक" के **स्थान पर** "कोई" शब्द **प्रतिस्थापित किया जाये**। (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 8

श्री ई. अहमद : महोदया, मंत्री महोदय के उत्तर को देखते हुए, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री कमलनाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 36, कॉलम (3) में,

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अधीन अधिकतम दर" शीर्षक के अन्तर्गत, —

"साढ़े सात पैसा" के **स्थान पर**

"साढ़े नौ पैसा" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (4)

महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसे अन्तिम क्षण में क्यों लिया गया। यह विधेयक संसद के पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। पुरःस्थापित करने के पश्चात इस संबंध में कुछ सुझाव आये। मेरे विचार से सबसे युक्तिसंगत एक सुझाव यह था कि आसानी से अपक्षीण होने वाले जैविक एवम् अपक्षीण न होने वाले जैविक पदार्थों और विषैले पदार्थों के बीच में भेद किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

यह इसलिए है क्योंकि मुझे जो सुझाव प्राप्त हुए थे, उन्हीं के आधार पर मैंने यह अन्तर करने का निर्णय लिया है। कुछ सदस्यों ने भी मुझे ये सुझाव दिये थे कि ऐसे उद्योगों, जिनके प्रदूषक तत्व आसानी से अवक्रमणक हैं और ऐसे जिनके आसानी से जीव अवक्रमणक नहीं हैं परन्तु विषाक्त भी हैं, के बीच अन्तर है। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था। इसमें समझदारी की बात है। चूंकि मैंने आर्थिक प्रोत्साहन और निरुत्साहन का विचार प्रस्तुत

किया था, अतः मैंने सोचा कि मुझे इस समय 3 और 4 श्रेणियों में, विशेषकर उन उद्योगों के मामले में जो निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन नहीं कर रहे है अन्तर करना चाहिए। मैंने जैसाकि आप देखेंगे उन उद्योगों में ऐसा नहीं किया है जो निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन कर रहे हैं। मैंने यह अन्तर केवल गैर-जीव अवक्रमणक और विशाक्त उद्योगों के मामले में किया है जो निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अन्तर करने के लिए मेंने इसे साढ़े सात पैसे से बढ़ाकर साढ़े नौ पैसे करने के लिए एक संशोधन पेश किया है।

माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि इसे असावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और इससे पूर्व इस पर विचार नहीं किया गया था। इस पर पहले विचार किया गया था। संसद के गत सत्र में मेरे इस विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व इस पर विस्तृत रूप से परामर्श किया गया था और मुझे प्रसन्नता है कि इसके पुरःस्थापन और विचारण के बीच कुछ समय का अन्तर था। कुछ सुझाव भी दिए गए थे। यह सुझाव मुझे मिले सर्वाधिक उचित सुझावों में से एक था। गत सत्र के समाप्त होने के बाद इसमें दो मास का अन्तर पड़ गया। मुझे यकीन है कि यदि विधेयक पर उसी सत्र में चर्चा हो जाती तो मैं इसे निश्चित रूप से शीघ्र कर देता। इसलिये यह संशोधन पेश करने का मेरा उद्देश्य और कारण यही है।

श्री राम नाईक : यद्यपि में खंड 8 का अपना संशोधन संख्या 5 पेश नहीं कर रहा हूं तथापि मैं इस पर बोलना चाहूंगा। केवल यही संगत बात है। मैंने मंत्री महोदय का संशोधन के विरोध इसलिए किया है कि इसे चर्चा के प्रथम दिन ही पेश किया जाना चाहिए था। तभी मैं मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये तर्कों की प्रशंसा करता।

श्री कमल नाथ : मैं आपकी अनुमति से इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इसे प्रथम दिन ही पेश करना चाहता था। परन्तु मुझे कुछ प्रक्रिया पूरी करनी थी। इस पर पत्रों सम्बन्धी कागजी कार्यवाही काफी पहले आरम्भ हो चुकी थी। इसमें स्वीकृति और राष्ट्रपति की सहमति आदि जैसी कुछ पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। यह कार्य हो रहा था और इसी कारण से मैं इसे पहले दिन पेश नहीं कर सका।

सभापति महोदय : पहले हम इस खण्ड के अन्य संशोधनों को लें। श्री भागर्व, क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : हां, महोदया।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत अधिकतम दर" शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 3 पंक्ति 25, स्तंभ (3) में, —

"तीन पैसे" के स्थान पर— (1)

"सवा दो पैसे" प्रतिस्थापित किया जाए।

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत अधिकतम दर" शीर्षक के अन्तर्गत

पृष्ठ 3, पंक्ति 31, स्तंभ (3) में,—

"साढ़े सात पैसे के" **के स्थान पर**

"सात पैसे" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (7)

सभापति महोदय : प्रो. रावत, क्या आप खंड 8 में अपने संशोधन 8, 9 और 10 पेश कर रहे हैं ?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हां महोदया। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत

"अधिकतम दर" शीर्षक के अन्तर्गत

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 और 28, कालम (3) में,—

"सवा दो पैसे" **के स्थान पर** (8)

"दो पैसे" **प्रतिस्थापित** किया जाए

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत अधिकतम दर" शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 3, पंक्ति 30 कालम (3) में,— (9)

"तीन पैसे" **के स्थान पर**

"ढाई पैसे" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत अधिकतम दर" शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 3, पंक्ति 32 कालम (3) में,—(10)

"साढ़े सात पैसे" **के स्थान पर**

"सात पैसे" **प्रतिस्थापित** किया जाए

श्री राम नाईक : महोदया, मुझे अपना भाषण पूरा करने की अनुमति दीजिए। मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे सदन में पेश करने में विलम्ब क्यों हुआ है। मैं इसी पहलू को स्पष्ट करना चाहता था। क्योंकि मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट ही कर दिया है मैं उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करता हूं और खंड 8 के अपने संशोधन संख्या 5 को अब पेश करना नहीं चाहता। परन्तु इसके पश्चात सरकार को और अधिक सचेत हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय : भार्गव जी, आप बोलना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी ने मेरा एक सुझाव माना वायु प्रदूषण के बारे में। मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि सदन में जो शून्यकाल के दौरान ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको भी कुछ कंट्रोल करें। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : वह आप ही करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : जो इनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऐक्ट है, अगर वह हाउन की सहमति और अनुमति के साथ लागू किया जा सकता है तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : आप मोशन मूव कीजिए, मैं फौरन मान लूंगा।

श्री राम नाइक : वह तो स्पीकर साहब करेंगे, आप नहीं कर सकते।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा सुझाव यह है कि विदेशों में हार्न बजाना अपराध है और हिन्दुस्तान में हार्न बजाना शौक है। यहां लिखा होता है "हार्न प्लीज"। आप इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर रहे हैं? विदेशों में हार्न बजाना गुनाह है और यहां रात में भी लोग हार्न बजाते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में आपने मेरा सुझाव माना है तो क्या ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में भी आप कुछ करेंगे? मेरा छोटा सा निवेदन है कि घरेलु उपयोग में जो जल आता है और कारखानों में पानी जो काम आता है, उसका रेट कम करने वाली बात इसलिए कही है कि अभी आपका कानून सक्षम नहीं है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि आपका जो पोल्यूशन बोर्ड है वह तीनों बातों के लिए है—जल, वायु, ध्वनि। यह केवल पानी के लिए ही नहीं है। आप इसको सक्षम बनाइये। क्योंकि आज जो व्यक्ति वाटर वर्क्स में काम करता है, उसे सजा देने के लिए, आप जल प्रदूषण, बोर्ड में भेज देते हैं। वहां जाकर भी वह आपकी इच्छानुसार काम नहीं करता है। इसलिए या तो आप इसमें आफिसर्स बिल्कुल नये लगाइए, ऐसे नहीं। जैसे कोई कान्सटेबल काम नहीं करे तो थानेदार उसे पुलिस लाइन में हाजिर करा देता है, उसी तरह की सजा का प्रावधान आप भी करिए। इस तरह तो वह अधिकारी कभी काम नहीं करेगा। इसलिए या तो फ्रैश अधिकारियों को इस बोर्ड में लगाइये अथवा जो अधिकारी काम न करता हो, उसके कार्य का विश्लेषण करके, उसे उचित सजा देने की व्यवस्था कीजिए। इसके अतिरिक्त कारखानों में यदि कोई संयंत्र नहीं लगाता है, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उन्हें उसका मुआवजा देना पड़े, पोल्यूशन से जो नुकसान होता है। तब वह संयंत्र भी लगायेगा और कानून का पालन भी करेगा।

जब तक आप पोल्यूशन बोर्ड को सक्षम नहीं बनायेंगे, उस समय तक, इस प्रकार से सैस का रेट बढ़ाना, मैं समझता हूं कि भारत की जनता के साथ गुनाह होगा। पहले आप अपने विभाग को सक्षम बनाइए। कुछ करने की इच्छा व्यक्त कीजिए। उसके बाद यदि आप सैस बढ़ायें, तो मैं समझता हूं वह ज्यादा मुनासिब होगा। इसके अतिरिक्त हार्न वाली जो बात मैंने कही हैं, निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप कोई व्यवस्था करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उनके संदर्भ में, मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा कि सभी प्रकार के प्रदूषणों पर, चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, अवश्य ही नियंत्रण होना चाहिए, इस सम्बन्ध में तो हम सब सहमत हैं। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और अधिक सशक्त और सामर्थ्यवान बनाये जाने की आवश्यकता है, इस बारे में भी सभी सहमत हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर मनमानी या स्वच्छंदता नहीं होनी

चाहिए। विकास कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर बाधायें उपस्थित नहीं की जानी चाहियें। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय। उसका कारण यह है कि आज जिस तरह से फूड इन्सपैक्टर, सैल्स टैक्स इन्सपैक्टर या इन्कम टैक्स इन्सपैक्टर व्यवहार करते हैं, उसी तरह यदि कल प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले इन्सपैक्टर आना शुरू कर दे और हर काम में बाधाएं उपस्थित करें, वे बाधाएं उपस्थित न हों, इसकी आप व्यवस्था अवश्य करिए।

इसके अतिरिक्त, घरेलू उपयोग के पानी पर सैस न बढ़ाया जाये, यह मांग भी मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बाकी सभी अमैंडमैंटस में आपकी अनुमति से विदड्रा करता हूं।

श्री कमलनाथ : अभी माननीय सदस्य ने हार्न के विषय में जो कुछ कहा है कि आजकल यह एक शौकिया चीज हो गयी है, मैं माननीय सदस्य से इस बारे में बिल्कुल सहमत हूं। आजकल तो ट्रकों के पीछे भी लिखा रहता है—"हार्न प्लीज" यह बात सही है। मैंने अपने जवाब में इसका जिक्र किया था कि मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है तथा मैं इसमें और सख्ती करने का विचार कर रहा हूं। सदन की भावनाओं को देखते हुए, मैं इसमें और सख्ती करूंगा, यह में माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : क्या आप म्यूजिकल हार्न के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं।

श्री कमल नाथ : मैं इस मामले को देखूंगा। मैं इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु निश्चित रूप से यह ऐसा मामला है जो विचार करने योग्य है।

[हिन्दी]

इसलिए जो माननीय सदस्य ने कहा है, उस पर अवश्य विचार किया जायेगा, सख्ती की जायेगी। जहां तक घरेलू पानी पर सैस बढ़ाने का प्रश्न है, शायद माननीय सदस्य अभी सदन में मौजूद नहीं थे, मैंने पहले ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अर्बन पूअर आज वाटर पोस्ट से पानी लेते हैं, उन पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। असर केवल उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो मीटर के जरिये वाटर सप्लाई लेते हैं। जिनके यहां मीटर से पानी की सप्लाई होती है, उन पर ही बहुत मामूली असर पड़ेगा। हमारे हिसाब से यह फर्क 12 पैसे प्रति फैमिली, प्रति महीने होगा, जो मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है, जिस भावना के साथ हम इसे लाये हैं :

[अनुवाद]

हम पानी को एक दुर्लभ साधन मानते हैं। हम पानी को सामुदायिक सम्पत्ति मातते हैं।

[हिन्दी]

तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई असर नहीं है। जो हमारे गरीब हैं, जो स्टेंड पोस्ट से पानी लेते हैं, उनको इसका कोई असर नहीं होगा। केवल उनको असर पड़ेगा जो मीटर से पानी लेते हैं और वह भी केवल 12 पैसे प्रतिमाह, प्रतिपरिवार असर पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस छोटे सेस के लिए और एक ही ग्रुप के लिए, प्रैस न करें और जिस प्रकार का बिल हमने पेश किया है, उस पर विचार करें और इसे पास करें।

[अनुवाद]

सभापत्ि महोदय : मैं अब श्री गिरधारी लाल भार्गव और प्रो. रासिंह रावत द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 6 से 10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन संख्या 6 से 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : मैं अब श्री कमल नाथ द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है :

"धारा 3 की उप-धारा (2क) के अन्तर्गत अधिकतम दर"

शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 3, पंक्ति 31,

कालम (3) में,—

"साढ़े सात पैसे" **के स्थान पर**

"नाढ़े नौ पैसे" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (4)

प्रस्तात स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बना :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथा संशोधित विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, **अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।**

श्री कमल नाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक यथा शंशोधित पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ ;

"कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाये।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब मैंने सुना और जितने संशोधन आए हैं, उनको भी सुना है। दो बिन्दुओं को माननीय मंत्री जी ने छोड़ दिया है। एक उल्लेख यह किया गया था कि समुद्र तट पर काफी प्रदूषण हो रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार बड़े बड़े फाइव स्टार और थ्री स्टार होटल किसी प्रलोभनवश, पुरी से कोणार्क तक का जो भी बीच है, उस पर बनते जा रहे हैं। वह इस देश का महत्वपूर्ण समुद्र तट है और पर्यटन की दृष्टि से भी उसकी महत्ता है और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने समय में ऐसा निर्णय लिया था कि समुद्र के किनारे से 500 मीटर तक कोई भी बड़ा होटल स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर मंत्रिमण्डल में एक विवाद भी राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच में हुआ था और मेरी जानकारी के अनुसार अब समुद्र तट से 100 मीटर के भीतर होटल निर्माण की अनुमति दी जा रही है और वह 100 मीटर भी समुद्र तट के अन्दर ही होगा।

सभापति महोदया, जैसा यहां उल्लेख किया गया है जलचर, मछली वगैरह जो हैं, वे इस प्रदूषण के कारण बहुत दूरी पर मिलती हैं और 14-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो समुद्र का प्रदूषण दूर करने और उसके किनारे होटलों के निर्माण की अनुमति न देने पर सरकार विचार कर रही है ? मेरा दूसरा बिन्दु यह है कि जिस प्रकार से जल प्रदूषण हो रहा है, उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी मैंने तो स्वयं अपने भाषण में कहा है कि जो इंजन है, मोटरकार का इन्जन नहीं, (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह, इस समय कृपया कोई भाषण न दें। यदि आपको कुछ कहना है तो कहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : विधेयक के तीसरे वाचन में यह नहीं किया जा सकता। उन्हें प्रक्रिया के अन्तर्गत चलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदया, मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। इसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में भी किया था कि मोटर कार का इन्जिन नहीं बल्कि पम्पिंग सैट का इन्जन गाड़ी में लगाकर लोगों को ढोया जाता है जिससे हार्न से भी ज्यादा शोर होता है। तो उसके सिलसिले में भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने पर सरकार विचार कर रही है। यह बहुत जगह देखने को मिल रहा है।

इसलिए इन दोनों बिन्दुओं पर मंत्री जी का जवाब जानना चाहता हूं। आपके इस बिल का समर्थन तो मैंने पहले ही कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदया, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) यह केवल तीसरा वाचन है। यहां उपस्थित माननीय सदस्य कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं और मंत्री महोदय को इन स्पष्टीकरण वाले प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं उत्तर दे रहा हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न है। तीसरे वाचन के स्तर पर भी यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आपको पहले से इस सम्बन्ध में सूचना देनी चाहिए। आप मंत्री से इस प्रकार अचानक कुछ नहीं पूछ सकते। आपको नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वे स्पष्टीकरण वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय मंत्री को माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दों को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने उनका उत्तर नहीं दिया है। इस संबंध में पूर्व उदाहरण है और हम प्रश्न उठायेंगे। यदि आप माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। माननीय मंत्री इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : आप नए मुद्दे नहीं उठा सकते; आप मंत्री महोदय के उत्तर से उत्पन्न प्रश्न नही उठा सकते।

श्री कमल नाथ : दो मुद्दे उठाए गए हैं एक मुद्दा कोणार्क-पुरी क्षेत्र में समुद्र-तट पर कुछ होटलों के बारे में है। इस संबंध में एक अधिसूचना है जिसमें यह दिया गया है कि किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए और इस संबंध में नियम तथा विनियम क्या क्या हैं।

उड़ीसा की राज्य सरकार ने इस बारे में कुछ अभ्यावेदन दिए हैं। इस पर अभी विचार नहीं किया गया है; कोई फैसला नहीं किया गया है। मुझे किसी विशिष्ट होटल के किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने इस संकल्पना की चर्चा चलाई है और उन्होंने कहा है कि 500 मीटर की शर्त ठीक नहीं है; ईसमें छूट दी जानी चाहिए। हमने उनसे कुछ और जानकारी मांगी है। इसकी जांच वैज्ञानिक रूप से और विस्तृत रूप से जांच की जायेगी; यह केवल एक क्षेत्र पर लागू नहीं होगा अपितु यह एक नीतिगत मामला होगा।

श्री श्रीकांत जेना : गोवा की भांति।

श्री कमल नाथ : यह नीति का प्रश्न है; यह एक क्षेत्र का प्रश्न नहीं है।

श्री राम नाईक : मैंने एक नीतिगत मामला उठाया था जिसका उत्तर नहीं दिया गया। यह नये लेखा वर्ष या नये वित्तीत वर्ष से नये उपकर या नये करों को लगाने से सम्बन्धित है। मैंने सुझाव दिया है कि जो भी नये कर या नये उपकर लगाये जाने हैं, वे पहली अप्रैल से लगाये जाने चाहिए। अतः यह अधिनियम या यह विधेयक जिसके खंड में यह कहा गया है कि "कि यह विधेयक अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त होगा", इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् एक अप्रैल से लागू किया जाना चाहिए जो नया वितीय वर्ष है। अतः हर कोई लेखाओं में उचित संशोधन के लिए तैयार रहेगा और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी आसान रहेगा। इस मुद्दे पर मंत्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

श्री कमल नाथ : इसका वास्तव में बजट से कोई संबंध नहीं है। यह कोई बजट प्रस्ताव नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि जिस प्रकार अन्य चीजें वित्तीय वर्ष से

बजट की भांति पहली अप्रैल से लागू होती हैं, उसी प्रकार यह भी पहली अप्रैल से लागू होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमें इसे किसी भी प्रकार बजट के साथ जोड़ना चाहिए। यह अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा और जब इसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ परामर्श करके अधिसूचित कर दिया जायेगा, तब हम इस पर विचार करेंगे। क्योंकि हम भी इन्हें मजबूत करने की जल्दी में है। इससे कुछ निश्चित मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। हमें विधेयक के समूचे उद्देश्य के बारे में सभी को अच्छी तरह समझाना है और जैसा कि मैंने पहले कहा है औद्योगिक क्षेत्र को भी इसके बारे में अच्छी तरह समझाना है। इस दृष्टिकोण से जल की संकल्पना के बारे में कुछ जल्दबाजी की गई है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों के विचारों का अवलोकन करूंगा और इस संबंध में निर्णय लूंगा। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

4.00 म. प.

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक (जारी)

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : श्री पी० चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक पर 24 फरवरी, 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए। (1)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक पर 26 फरवरी, 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये। (3)

[अनुवाद]

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : सभापति महोदया, मैं वाणिज्य मन्त्री द्वारा संसद के विचारण) और पारित करने के लिए प्रस्तुत चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अधिग्रहण और अन्तरण संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ है। मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया है कि 1985 के अधिनियम के तहत चार यूनिटों का राष्ट्रीयकरण

[कवीन्द्र पुरकायस्थ]

किया गया और इन रुग्ण चाय यूनिटों के कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों के दावों को पूरा करने की सम्भावना थी। ये चार रूग्ण यूनिट हैं, पशक, लूकसन, वाद-टकवार और पोटेंम।

उस समय सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि जब सरकार ने इन चाय यूनिटों का अधिग्रहण किया उस समय वहां पर लम्बे अर्से से अशान्ति थी और सामान्य कामकाज अस्तव्यस्त था। चाय बागानों का आम कामकाज बिल्कुल ठप्प हो गया था और इन चाय बागानों के कर्मचारी और स्थानों पर चले गए थे और इसलिए वह सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से पहले अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनमें से 3,285 कर्मचारी और भूतपूर्व कर्मचारी अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाये और इसके परिणाम स्वरूप उनका निपटारा नहीं हो सका। इसलिये सरकार द्वारा यह विचार किया गया कि जो लोग गड़बड़ी तथा अन्य कठिनाईयों के कारण अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाए उन्हें भी अपने दावे दायर करने का समय दिया जाना चाहिये। इसीलिए यह विचार किया गया कि उनके दावों को पूरा करने के लिये एक संशोधन लाया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और यह इन चार रूग्ण यूनिटों के कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये।

इस संबंध में मैं कुछ दूसरी बातों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। रूग्ण एककों का सवाल कहां से उठा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सदन और सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिये। चाय बागान रुग्ण कैसे हो गये? यह समस्या देश भर में, और विशेषकर असम में है जहां चाय उद्योग ही अकेला उद्योग है जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। चाय उद्योग के कारण ही लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और वह अपनी आजीविका कमा रहे हैं। यह देखा गया है कि चाय बागानों में उत्पादन तो बढ़ रहा है किन्तु वह रुग्ण हो गये हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

असम में इस समय कुल 750 चाय बागान हैं और इन चाय बागानों के अन्तर्गत 2,20,000 हेक्टेयर भूमि है। इस समय चाय का कुल उत्पान 790 लाख किलोग्राम है।

जब चाय बागानों में 5,10,000 श्रमिक काम करते थे तो इनमें 1,61,000 हेक्टेयर भूमि में उत्पादन होता था। किन्तु अब श्रमिकों की संख्या घट कर 4,10,000 हो गई है और 1980 में बागानों का क्षेत्र 1,61,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2,20,000 हेक्टेयर हो गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है कि उत्पादन क्षेत्र में तो वृद्धि हुई है किन्तु श्रमिकों की संख्या घट गई है। अब प्रबन्धक स्थाई श्रमिकों को काम पर नहीं लगाते बल्कि वे केवल दिहाड़ी श्रमिकों को ही लगाते हैं। यदि वह दिहाड़ी मजदूर लगाते हैं तो उन्हें दूसरी सुविधायें नहीं देनी पड़तीं। इसके परिणाम स्वरूप प्रबन्धकों को तो लाभ होता है किन्तु श्रमिकों को नुकसान होता है। ये श्रमिक जो दिहाड़ी श्रमिकों के रूप में कभी-कभी काम करते हैं उन्हें नियमित श्रमिकों की भांति अन्य लाभ नहीं दिये जाते। जिसके परिणाम स्वरूप, अस्थायी श्रमिक जिन्हें नियमित काम पर लगाया जाता है, वे काम में कोई रुचि नहीं दर्शाते। अन्य श्रमिकों की भी यही स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप चाय बागानों में काम करने की परिस्थितियां बिगड़ गई हैं।

वहां पर भेदभाव भी है। असम में दो घाटियां हैं—ब्रह्मपुत्र घाटी और बरक घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रत्येक चायबागान श्रमिक को बरक घाटी के प्रत्येक श्रमिक से 2 रुपए 16 पैसे मिलते हैं। ऐसा बहुत वर्षों से चल रहा है। इसके लिए बहुत से आंदोलन हुए बहुत बार चर्चा हुई। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। यह भेदभाव अभी भी जारी है और श्रमिकों में असन्तोष है। यदि प्रबन्धक यह चाहते हैं कि श्रमिक संतोषजनक ढंग से कार्य करे, तो उन्हें चाहिए कि वे उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करें।

70 प्रतिशत चाय बागानों में अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं है। 90 प्रतिशत चाय बागानों में श्रमिकों के लिए क्वार्टर नहीं है। वर्ष 1972 में केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन चाय बागान प्रबन्धकों को क्वार्टरों के निर्माण के लिए ऋण दिए थे। यह सारा पैसा दूसरे कार्यों में लगा दिया गया और श्रमिकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप चाय उद्योग के विकास पर बुरा असर पड़ा और चाय उद्योग में असंतोष और आक्रोश है।

इतना ही नहीं इस उद्योग और श्रमिकों की बेहतरी के लिए 8 बोर्ड हैं जैसे न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, अन्य बागान श्रमिकों के लिए श्रम समिति, बागान श्रमिकों के लिए चिकित्सा सलाहकार बोर्ड, कार्यान्वयन समिति, आवास बोर्ड आदि। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इन बोर्डों का गठन नहीं किया गया है। वह अभी तक कागजों में ही है। इसलिए नियम और विनियम या योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप सामान्य कार्यचालन पर बुरा असर पड़ रहा है। और निश्चित रूप से असन्तोष की सम्भावना है। असम के चाय बागानों में यही हो रहा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाय बागान रुग्ण होते जा रहे हैं। पहले चाय बागान चाय एस्टेट्स के रूप में जाने जाते थे अब इन्हें चाय बागान कहा जाता है। इसलिए, प्रबन्धक चाय उद्योग से प्राप्त होने वाले लाभ को चाय उद्योग में न लगाकर ऐसे दूसरे उद्योगों में लगा रहे हैं जो चाय उद्योग से सम्बन्धित नहीं हैं। इस प्रकार चाय बागानों की विकास योजनाओं को ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जाहार। शायद, लुका छिपी की नीति अपनाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप असम में चाय उद्योग धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है।

कई ऐसे चाय बागान हैं जिनका अधिग्रहण सरकार के स्वामित्व वाले असम चाय निगम द्वारा किया गया है। इन चाय बागानों की दशा सन्तोषजनक नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक चाय बागान है जिसका असम सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था। इस समय यह बागान बन्द होने के कगार पर है विशेषकर उस स्थिति में जब इसका प्रबन्ध सरकार के हाथों में है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि अन्य चाय बागानों के प्रबन्धक यह दलील देते हैं कि जब सरकार के अधिग्रहण वाले बागान धीरे-धीरे बन्द हो रहे हैं अथवा बन्द होने वाले हैं तो वह अपने बागानों का पुनरोद्धार करने में असमर्थ हैं।

तब, चाय उद्योग की स्थिति क्या होगी। असम या पूर्वोत्तर की बात तो दूर सम्पूर्ण देश में चाय बागानों या चाय उद्योग की यही नियति होगी। यह देश में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है।

अतः इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूंगा कि चार रुग्ण चाय बागानों, जिनका प्रबन्ध सरकार

[श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ]

ने अपने हाथ में ले लिया था, के कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों की नियति पर विचार करते हुए मैं इस संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं सरकार को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि चाय बागानों के भविष्य को उज्जवल बनाया जाये और इस सम्बन्ध में चाय बागानों या चाय उद्योग द्वारा जिन कठिनाइयो का सामना किया जा रहा है उन पर विचार किया जाना चाहिए और चाय उद्योग के बेहतर भविष्य के लिए उपाय किये जाने चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदया, मैं चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य अत्यन्त सीमित है और चूंकि इसमें चार बागान अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिए विशिष्ट कारणों से इस पर चर्चा की अधिक गुंजाइश नहीं है। जबसे लम्बे समय से चले आ रहे अशांति के कारण काम की स्थिति बिगड़ गई थी तब से सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर चाय बागानों के कर्मचारियों की समस्याओं को सही ढंग से हल किया है। अभी भी कुछ ऐसे मूल मामले हैं जो सामान्य रूप से इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने से सम्बन्धित है। जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सभा को उन समस्याओं का भी उल्लेख करना चाहिए।

तथापि यह नोट करना रुचिकर होगा कि वर्तमान मामले में, यद्यपि बागानों का अधिग्रहण 1985 में किया गया था लेकिन निजीकरण का मुद्दा आज भी पहले जितना ही बहस का विषय बना हुआ है और कुछ राहत प्रदान करता है और उन लोगों के लिए चेतावनी है जो निजीकरण के दुःस्वप्न से अभिभूत हैं। अतः इसीलिए सरकार कई बार निजी क्षेत्र को भी सरकारी क्षेत्र में ले लेती है।

रुग्ण बागानों का अधिग्रहण किए जाने और पिछले कई दशकों से बड़ी कम्पनियों की बिक्री सूची में अर्से से दर्ज बागानों का हमारा अनुभव संतोषजनक नहीं है। ये चाय बागान अधिग्रहण के पश्चात भी रुग्ण बने हुए हैं। यह रुग्णता समूची वित्तीय स्थिति की पूर्ण नीरसता के साथ इतने सही ढंग से मेल खाती है कि यह सतह पर दिखाई नहीं देती है। यह रुग्णता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक इसके कारणों को हल नहीं किया जाता और उन्हें दूर नहीं किया जाता है। इस रुग्णता के आम कारण वित्त की कमी, अपर्याप्त आदान, बागान लगाने के लिए अतिरिक्त भूमि की कमी और प्रबन्धकीय कमियां हैं। कोई सरकारी निगम या बोर्ड जादू नहीं है। यदि कोई रास्ता निकालने के लिए चाहे वे सरकारी या निजी क्षेत्र में हो, इन कारणों को उचित रूप से हल नहीं किया जाता है तो स्थिति में सुधार नहीं होगा।

असम में 1974 में, अत्यन्त समृद्ध चाय बागानों को व्यय सूची में निस्संदेह जिनके ऊपरी खर्चे बहुत अधिक थे। सरकारी संगटन, जिसे असम चाय निगम के नाम से पुकारा जाता है, ने खरीद लिया था। इसमें अनेक ऐसे रुग्ण बागानों को और शामिल किया गया था जिन्हें किसी वाणिज्यिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु कर्मकारों और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अधिग्रहीत किया गया था। कुछ ऐसे चाय बागानों को भी अधिग्रहीत किया गया था, जो भविष्य निधि देनदारी

के मामले में दोषी पाये गये थे, मानो जितना अधिक अधिग्रहण होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? पांच साल की अवधि के भीतर केवल व्यक्तिगत बागान ही नहीं अपितु सम्पुर्ण निगम रुग्णता की चपेट में आ गया था और चूंकि निगम मजदूरी और अन्य सांविधिक सुविधायें देने की स्थिति में नहीं था इसलिए कर्मकारों और कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। एक बार ऐसा समय भी आया जब चाय निगम के पास चाय की पेटियां खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था और तैयार चाय वहीं पड़ी पड़ी खराब हो गई और अन्ततः बचे हुए माल को बहुत कम भाव पर बेचना पड़ा ताकि और अधिक घाटा न उठाना पड़े तथा इससे मुख्यतया चाय बागान के कर्मकारों को मजदूरी का भुगतान किया गया।

तथापि, 1985-86 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ जब इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाये गये थे लेकिन 1986 में सरकार के बदलने से स्थिति पुनः खराब हो गई। यह खुशी की बात है कि पिघले दो वर्षों से निवेश की अच्छी आशा और सही प्रबंधकीय संचालन के कारण स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है। इसके बावजूद भारतीय चाय व्यापार निगम, जिसने इस विधेयक में दिए गए इन चार चाय बागानों का अधिग्रहण किया है, ने प्रतिष्ठाजनक नाम नहीं कमाया है।

मुझे आशंका है कि सुधार हेतु सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण प्रभावी नहीं होगा। इनका अर्थ-क्षय होना ही मानदंड है। यहां केवल वाणिज्यिक पहलू ही नहीं अपितु कर्मकारों और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा भी दांव पर है। चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र यदि मजदूरी और अन्य सुविधायें पूर्णरूप से सुनिश्चित नहीं की जाती हैं तो औद्योगिक अशांति होगी। तथापि, इन चार बागानों का मामला भिन्न है क्योंकि इनके मामले में बाधाकारी परिस्थितियां हैं। हमें फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि चाय देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का मुख्य साधन है और ऐसा कोई उपाय, जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, देश के हित में नहीं होगा और कुप्रबंध का पहला शिकार उत्पादन होगा।

अतः अधिग्रहण, बिना जरूरी उपाय किए रुग्णता का उपचार नहीं है अपितु इससे सभी संसाधनों के नष्ट हो जाने का खतरा है। यदि इन संसाधनों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं किया गया तो ये व्यर्थ चले जायेंगे।

हमें यह बात अपने मन में रखनी चाहिए कि हम सन् 2000 तक चाय के 8750 लाख किलोग्राम के उत्पादन लक्ष्य से बहुत पीछे है। हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरी तरफ़ देश में तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के कारण, जिससे चाय की घरेलू खपत की दर में वृद्धि हुई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे सारी की सारी फसल का उपभोग अन्ततः देश के भीतर ही हो जाये और निर्यात के लिए अतिरिक्त चाय बच ही न पाए जब तक कि उत्पादन न बढ़ाया जाये। एक अनुमान के अनुसार चाय का 8750 लाख किलो ग्राम का उत्पादन लक्ष्य निर्यात दायित्वों को खतरे में डाले बिना आंतरिक मांग को पूरा करेगा। अतः हमारी मुख्य चिन्ता उत्पादन को बढ़ाना है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में रुग्णता एक चिरकालिक दबाव है। यदि सरकार इन रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण करके इनकी दशा में सुधार करने की स्थिति में नहीं है तो सरकार को इन रुग्ण चाय बागानों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करानी चाहियें ताकि वे अर्थक्षम इकाईयां बन सकें और जिससे उत्पादन तथा कर्मकारों की आर्थिक सुरक्षा का भी उद्देश्य सही ढंग से पूर्ण हो सकें। ऐसी रुग्ण कम्पनियों के मालिकों की सरकार द्वारा सख्त निगरानी करने और सतर्कता और

[श्री विजय कृष्ण हान्डिक]

दबाव के कारण वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि यह अनेक व्यक्तियों की सुरक्षा का कारण है, अतः गैर-सरकारी क्षेत्र के बागान सामाजिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते और उन्हें अपने सामाजिक उद्देश्य तथा सामाजिक वायदे की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सरकार की राजनैतिक दृढ़ इच्छा है जो आगामी कार्यक्रम निर्धारित करेगी।

चूंकि निजीकरण के प्रश्न पर विवाद हो गया है अतः मैं कहता हूं कि यह आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि उत्पादन के स्तर में वृद्धि हो चाहे यह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में। इसके साथ-साथ श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई भी बागान यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता कि उनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार उन पर दबाव डाल सकती है। सरकार यह देख सकती है कि उत्पादन स्तर को बनाये रखा जाये। इसके लिए जिन आदानों और सुविधाओं की आवश्यकता होगी, वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी। परन्तु इसके साथ-साथ यह बात अधिक आवश्यक है कि श्रमिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा का संरक्षण किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत चाय कम्पनी (रुग्ण चाय एककों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। विधेयक में इसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। परन्तु अपना समर्थन देते समय मैं सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सरकार का विचार काफ़ी अच्छा है और इसमें कोई आशंका नहीं है। परन्तु सरकार प्रायः अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने में असफल रहती है। मेरा निवेदन है कि चाय उद्योग हमारे देश का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। हम चाय का निर्यात करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे पहले भी इस मुद्दे के प्रभारी मंत्री से बातचीत करने का अवसर मिला था और मैंने उन्हें लक्सन चाय बागान को देखने के लिए आमन्त्रित किया था। वे अपने आसाम दौरे के समय इस बागान का दौरा करने के लिए सहमत हो गए थे परन्तु वे अपने वायदे को पूरा नहीं कर सके तथा कारखाने में नहीं आ सके थे। तथापि, मैं बागानों को देखने के लिए उन्हें पुनः आमन्त्रित कर रहा हूं कि वे स्वयं बागानों की शोचनीय दशा और श्रमिकों की दयनीय दशा को आकर देख लें।

4.28 म. प.

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

वर्ष 1976 में केन्द्रीय सरकार ने कुछ अवांछित परिस्थितियों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के चार रुग्ण चाय बागानों लक्सन, पशोक, पोटांग और वाह-तुकवर का कार्यभार अपने अधिकार में ले लिया। इससे पूर्व कोई गैर-सरकारी कम्पनी उनका प्रबन्ध और संगठन संबंधी कार्य करती थी। अपने अधिकार में लेने के तुरन्त बाद सरकार ने उनकी देखभाल करने और उनका रख-रखाव करने के लिए

इन बागानों को भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंप दिया था। परन्तु भारतीय चाय व्यापार निगम इन बागानों का रख-रखाव करने में पूरी तरह से असफल रहा क्योंकि वह बागानों के विकास के लिये धन खर्च करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने केवल आवर्ती व्यय को पूरा किया जो बागान के उत्पादन के रख-रखाव के लिए जरूरी था।

इन बागानों की शोचनीय दशा तथा बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चाय कम्पनी (रुग्ण चाय एककों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया था। कानून के अधिनियमित हो जाने के तुरन्त बाद सरकार ने इन बागानों का राष्ट्रीयकरण किया और उनके विकास तथा प्रबन्ध के लिए उन्हें भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंप दिया। वह पुरानी मदीरा को नई बोतल में भरने जैसा है। भारतीय चाय व्यापार निगम को पुनः इन सभी बागानों का विकास तथा प्रबन्ध करने के लिए कहा गया है। उस समय इन रुग्ण बागानों के कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये सरकार ने एक आयुक्त की नियुक्ति की थी। यहां उस समय एक तुगलकी निर्णय लिया गया था कि 27 जून, 1989 के बाद इन बागानों के कर्मचारियों की ओर से किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप इस निर्णय के कारण एक करोड़ रुपये से भी अधिक के दावे अस्वीकृत हो रहे थे। दूसरी तरफ बागानों में सकल हानि में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। अब 1991 है वे सभी रुग्ण बागान और अधिक रुग्ण हो गए हैं तथा वे बंद होने की अवस्था में है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि एक ओर पड़ोस के सभी चाय बागान फल-फूल रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा प्रबंधित बागान दिन-प्रतिदिन भारी हानि उठा रहे है। मैं समझता हूं कि यह सब भारतीय चाय व्यापार निगम के उदासीन और कठोर रवैये के कारण है। भारतीय चाय व्यापार निगम मुख्य रूप से एक व्यापारिक संगठन है। उन्हें इन चाय बागानों के प्रबन्ध के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है तथा उनकी कोई अब संरचना नहीं है। अतः इन बागानों का सुधार करने के लिये भारतीय चाय व्यापार निगम को अपने दृष्टिकोण और रवैये में परिवर्तन करना होगा।

मुझे इन बागानों के श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ कठिनाईयों को उठाने का अवसर संसद के 4-9-91 को हुए सत्र के शून्य काल में प्राप्त हुआ था। इन बागानों में टाट के बोरों की आवश्यकता है, पेय जल सहित पानी की कमी है, ट्रेक्टरों की आवश्यकता, श्रमिकों को अनियमित भुगतान, भविष्य निधि का अनियमित रूप से जमा किया जाना तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा उपदान राशि का भुगतान न करना और दूसरे आस-पास के बागानों की तुलना में निम्न दर पर लाभांश का दिया जाना शामिल है। उचित प्रबन्ध के लिए तथा इन बागानों को जीवन-क्षम बनाने के लिए भारी पूंजी व्यय और पूंजी निवेश की आवश्यकता है। ये सभी बातें इन बागानों के श्रमिकों को एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रही हैं।

इनमें 60 प्रतिशत वृक्ष 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। अतः चाय के उत्पादन तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना इन रूग्ण बागानों द्वारा सम्भव नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन सभी बागानों में नये वृक्ष लगाने तथा इनके विस्तार कार्यक्रम को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

जैसा मैंने इससे पूर्व कहा है, भारतीय चाय व्यापार निगम को अपने रवैये में परिवर्तन करना

[श्री जितेन्द्र नाथ दास]

होगा। मैं समझता हूं कि इन रुग्ण बागानों को सुधारने की समस्या का समाधान इन कर्मचारियों के केवल श्रेणी-] के दावों पर विचार करने से ही नहीं होगा परन्तु इन बागानों के श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। इस सभी पर विचार करने के साथ-साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले की ओर ध्यान दे तथा मामले की गहराई तक जाये। इन सभी बागानों को बचाने के लिए सरकार और भारतीय चाय व्यापार निगम को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए जो कि बन्द होने के कगार पर हैं।

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अधिक विरोध या समर्थन किया जाए। परन्तु औद्योगिक इकाई हो या चाय बागान हो, रुग्णता एक निरन्तर प्रक्रिया बन गई है। इसलिए यह केवल चाय इकाइयों के प्रबन्धग्रहण या अंतरण का प्रश्न नहीं है बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रश्न है कि चाय इकाइयों की रुग्णता के विस्तृत कारणों का पता लगाया जाए। इसीलिए, मैंने रुग्णता के विस्तृत कारणों का पता लगाया है और यह पाया है कि ऐसी रुग्णता के कुछ कारण हैं जो कुछ तो मानव निर्मित हैं और कुछ कृत्रिम और कुछ सीमा तक वे सही भी हैं।

चाय इकाइयों और चाय बागानों में रुग्णता का पहला कारण यह है कि उनकी देखभाल अधिक सावधानी से नहीं की जाती और इसीलिए ऐसी समस्याये पैदा हो रही हैं। इकाइयों की रुग्णता का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सम्पूर्ण प्रबन्ध तंत्र असक्षम, अनियंत्रणीय और दुर्वह बन गया है। इसलिए ऐसी रुग्ण इकाइयों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के अर्जन या अंतरण करने की बजाय प्रबन्धकों की असक्षमता और कमियों को बताना अधिक बेहतर है। चाय इकाइयों की रुग्णता के लिए उत्तरदाई तीसरा कारण यह है कि कल्याण उपायों और सामाजिक सुरक्षा उपायों को भी चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार चाय इकाइयों और चाय बागानों में रुग्णता के लिए अंशतः यह भी जिम्मेदार है तथा ऐसी इकाइयों की रुग्णता के लिए जिम्मेदार एक अन्य मुख्य कारण यह है कि आमतौर पर इस प्रकार के चाय बागानों और बागानों की धनराशि को आय अर्जित करने वाले अन्य स्रोतों में लगा दिया जाता है। यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक है और सभी प्रयास करके इसे रोकना चाहिए।

इसी प्रकार, देश के कुछ भागों में कुछ सामाजिक और राजनीतिक अशांति भी है। विशेषकर असम में राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक तथा सामाजिक अशांति है। इससे भी उद्यमियों या चाय उत्पादक इकाइयों में लगे व्यक्तियों के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो रही है। ये कुछ कारण हैं जो चाय इकाइयों की रुग्णता के लिए जिम्मेदार है।

अब मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी रुग्ण इकाइयों के परिसमापन से पूर्व यह बेहतर होगा कि ऐसी चाय इकाइयों की रुग्णता के लिए जिम्मेदार कारणों पर विचार किया जाए क्योंकि ये चाय इकाइयां न केवल घरेलू उद्योग है बल्कि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा विदेशों से काफी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यदि एक बार ऐसी चाय इकाइयों की रुग्णता की प्रक्रिया चलने दी गई तो उसका विदेशी मुद्रा के अर्जन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे दूसरी इकाइयां भी रुग्णता की शिकार

होंगी। इसलिए ऐसी रुग्ण इकाइयों के परिसमापन से पूर्व मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को ऐसी रुग्ण इकाइयों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के अर्जन या अंतरण या प्रबन्ध ग्रहण करने से पूर्व इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा करने से जो हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे उन्हें विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त और समुचित रूप से रोजगार प्रदान किया जाए। यह रोजगार का भी प्रश्न है। हम सभा में सदैव यह कहते रहते हैं कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। परन्तु जब ऐसी रुग्ण इकाइयों को केवल रुग्णता के बहाने बंद कर दिया जाता है तो उन इकाइयों के बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार भी हो जाते हैं।

मेरा सुझाव है कि जब एक बार सरकार ऐसी इकाइयों का प्रबन्ध ग्रहण कर लेती है या उन्हें समाप्त कर देती है या विलय कर देती है, तो उन इकाइयों के कर्मचारियों का भाग्य अधर में नहीं लटकना चाहिए। जिन कर्मचारियों के बेरोजगार होने की सम्भावना हो उन्हें कहीं अन्यत्र खपाना चाहिए या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, यदि कोई अवसर या संभावना हो तो इस प्रकार की रुग्ण इकाइयों को शीघ्र पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और ऐसे उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि वे इकाइयां बड़ी संख्या में लोगों को अधिकाधिक रोजगार प्रदान कर सके।

इसी प्रकार ऐसे अधिग्रहण या अंतरण से उन अन्य चाय इकाइयों को प्रेरणा या प्रलोभन नहीं मिलना चाहिये जो किसी न किसी बहाने से रुग्ण होने को उत्सुक हैं।

अंत में, ऐसी इकाइयों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का अंतरण करते समय इन इकाइयों के केवल लाभ-हानि का लेखा या तुलन पत्र पर ही विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी इकाइयों का अधिग्रहण और अंतरण करते समय उनके सामाजिक पहलुओं या सामाजिक जिम्मेदारियों या सामाजिक उद्देश्यों पर भी विचार करना चाहिए।

संबंधित मंत्री महोदय को ये मेरे विनम्र सुझाव हैं।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : सभापति महोदय मैं चाय कम्पनियां (रुग्ण चाय इकाइयों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1985 के संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि, संशोधन की विषय वस्तु काफी सीमित है फिर भी यह एक व्यापक मुद्दे से सम्बन्धित है। यह चाय कम्पनी अधिनियम, 1985 चार चाय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इससे पूर्व 1976 में सरकार ने चाय इकाइयों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। उस समय इसकी प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की देनदारी 1.65 करोड़ रुपए थी और इसकी ऋण राशि एक करोड़ रुपए थी। इन चार कम्पनियों का प्रबन्ध तंत्र बिल्कुल अपर्याप्त था और ये कम्पनियां कुप्रबन्ध का शिकार होकर घाटे में जा रही थीं। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस समय 3,000 कर्मचारियों का भविष्य अधर में था। तथापि, जब चाय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय सरकार का इन्हें फिर से सक्षम बनाने हेतु भारी निवेश करने का विचार था। परन्तु, वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। इन चाय कम्पनियों के बुनियादी ढांचे की दशा और भी खराब हो गई है। इन कम्पनियों का 1985 में राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् छह वर्ष बीत जाने पर भी 3,000 श्रमिकों की समस्या नहीं सुलझ पाई है।

इन चाय कम्पनियों के श्रमिक मूलतः पिछड़े समुदायों और जनजातियों के हैं और उनकी

[श्री सुधीर सावंत]

दशा अत्यन्त खराब है। चाय कम्पनियों के श्रमिकों का युगों से परम्परागत शोषण होता आ रहा है और इसलिए कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके वे नियुक्त किए गए इन श्रमिकों से न्याय नहीं कर पाए हैं। एक मौलिक कारण यह है कि इन चाय कम्पनियों को टी. टी. सी. आई. को दिया गया जो कि एक व्यापारिक संस्थान है न कि प्रबन्धकीय संस्थान। मूल रूप से उन्हें चाय कम्पनियों के प्रबन्ध का कोई अनुभव नहीं है और इसीलिए चाय कम्पनियां पूर्णतः कुप्रबन्ध का शिकार बनीं। अब 1985 से 1991 तक छह वर्ष बीत चुके हैं और स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और यदि हम स्थिति को सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति तथा "निर्यात या विलुप्त" की नीति के परिपेक्ष्य में देखें तो इस अधिनियम का भविष्य क्या है? प्रश्न यह है। क्या हम राष्ट्रीयकरण की नीति जारी रखेंगे या क्या सरकार कोई दूसरी योजनाये बना रही है जिससे कि रूग्ण चाय कम्पनियों को पुनर्जीवित किया जा सके और इन चाय कम्पनियों में नियुक्त कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : पुनः निजीकरण। पुनः पुरानी बात पर आ गये।

श्री सुधीर सावन्त : मैंने अभी तक निजिकरण का सुझाव नहीं दिया है। परन्तु सच्चाई यह है कि यह नीति अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाते की सरकार की नीति से सम्बन्धित हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि चाय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उत्पादों में से एक है और इसलिए चाय केवल उत्तर या दक्षिण का मुद्दा नहीं है जहां कि यह पैदा होती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसलिए हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

चाय के उत्पादन में भारी कमी आयी है। यर्ष 1990 के दौरान देश में 67 किलोग्राम चाय उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 71 करोड़ 60 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था।

गत पांच वर्षो के दौरान चाय का निर्यात स्तर 20 करोड़ किलोग्राम पर ही स्थिर हो गया है जबकि आज इसका लक्ष्य 28 करोड़ 50 लाख किलोग्राम चाय का है।

वास्तव में उद्योग ने चाय के आयात की मांग की है ताकि हम उसका निर्यात कर सकें।

प्रश्न घरेलू खपत का है जो लगभग 60 करोड़ चाय कप प्रतिदिन है। घरेलु खपत 4.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है जबकि चाय उत्पादन की विकास दर लगभग 3.8 प्रतिशत तक ही सीमित हो गयी है। इसलिए कल यह प्रश्न उठेगा कि क्या हम चाय का निर्यात कर भी सकते हैं। चूंकि चाय सर्बाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले दस उत्पादों में से एक है इसलिए कल ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम घरेलु खपत के कारण चाय का बिल्कुल निर्यात न कर पायें और इसलिए तुरन्त कोई कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

एक अन्य कारण चाय का निर्यात है। यह पिछले समय से कम होता जा रहा है। आपको पता है भारत प्रमुख चाय उत्पादकों और चाय निर्यातक देशों में से एक था परन्तु अब यह स्थिति नहीं रही।

1980 में अन्तर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में हमारे चाय निर्यात की प्रतिशतता 26 प्रतिशत है।

1985 में यह कम होकर 22 प्रतिशत हो गई।

1990 में यह और भी कम होकर 18 प्रतिशत रह गई जबकि यदि आप चीन को देखें जो कि हमारी तुलना में 80 प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है परन्तु फिर भी उसने 1990 में 20 करोड़ 90 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया जो कि हम से 90 लाख किलोग्राम अधिक है। अफ्रीका की तुलना में भी हमारी स्थिति में गिरावट आयी है। अफ्रीका की चाय अब ब्रिटेन को भी निर्यात की जाती है और वहां पसन्द की जाती है। हमें इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि श्रीलंका की स्थिति में भी इस मामले में गिरावट आयी है। इस बारे में भी कुछ करना होगा इसलिए सोचने के लिए अधिक समय नहीं है। घरेलु खपत और उत्पादन की विकास दर की खाई पाटने के लिए कुछ करना होगा। इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

महोदय इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि दो वर्ष पूर्व चाय बोर्ड ने एक स्टेटस पत्र तैयार किया था जिसमें वर्तमान स्थिति के कारणों का उल्लेख किया गया था तथा जिसका हम इस समय सामना कर रहे हैं। चाय वोर्ड द्वारा यताये गये कारण कई थे। एक कारण था प्रबन्ध की खामियां, जो कि सही है। आज रूग्ण पड़ी अधिकांश चाय कम्पनियां प्रबन्ध खामियों या आक्रामक मजदूर संघवाद का परिणाम हैं। इसलिए हमें स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ करना होगा।

अगला कारण वित्तीय कमी का है क्योंकि चाय में भारी निवेश की आवश्यकता है और अभी तक अपेक्षित विवेश नहीं किया गया है। तीसरा कारण तकनीकी जानकारी का अभाव है। इस समय देश में प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन लगभग 16.50 किलोग्राम हो सकता है 17 किलोग्राम है, हो सकता है मैं गलत हूं। परन्तु उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा हम चाय का उत्पादन निश्चित रूप से लगभग 3000 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं। यह एक बात है जिस पर हमें ध्यान देना है। इस बारे में वे क्या कर रहे हैं ? अगला कारण बाढ़ और भूमि कटाव है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में स्वामित्व सम्बन्धी मामले और अन्य मामले हैं जिन्हें सुलझाना होगा। इनसे भी बढ़कर विकास कार्यों का अभाव है। ये कुछ कारण हैं जो चाय बोर्ड ने चाय उद्योग की निरन्तर रुग्णता और चाय के उत्पादन में गिरावट के लिए बताये हैं। इसकी तुलना में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है तो सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। एक कदम यह उठाया गया है कि केन्द्र ने चाय बोर्डों को कहा है कि वह रुग्ण चाय इकाइयों के स्वामियों को अपनी कम्पनियां चाय एस्टेटों या उन कम्पनियों को देने के लिए राजी करें जो भलीभांति चल रही हैं। यह एक अच्छा सुझाव है। परन्तु मुख्य समस्या को बिल्कुल नहीं छुआ गया है। मुख्य समस्या कराधान की दर हैं। चाय की घरेलू खपत में वृद्धि होने के कारण चाय भारत में जीवन की एक आवश्यकता बन गयी है। उपभोक्ता को भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और चाय उद्योग भी कराधान के कारण रूग्ण हैं। कर प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ताकि चाय का उत्पादन बढ़ सके और घरेलू उपभोक्ता भी उसे खरीद सकने की स्थिति में हों। क्या इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भाग बनाया जायेगा ? आज हमें इस पर भी विचार करना है।

दूसरा पहलू यह है कि हमें अधिक भूमि पर चाय उगानी चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें धन लगाना होगा। हमें निवेश, प्रोद्योगिकी और विशेषज्ञता का सहारा लेना होगा ताकि अधिक भूमि पर चाय उगाई जा सके। बाढ़ नियन्त्रण के लिए भू-संरक्षण उपाय किए जाने चाहिए। यह कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो हमें करने होंगे।

इसके अतिरिक्त चाय उद्योग में विकास धन लगाने में विलम्ब हो रहा है। चाय कम्पनियां

[श्री श्रीकांत जेना]

भारी मुनाफा कमा रही हैं और यह मुनाफा पुनः चाय एस्टेटों के विकास में नहीं लगाया जाता तथा चाय उद्योग और चाय एस्टेटों की रुग्णता का यह भी एक कारण है।

अब मैं अपने भाषण के अन्त में आ रहा हूं। परन्तु यह देखना होगा कि चाय के कारोबार से जो कुछ भी मुनाफा होता है उसे चाय एस्टेटों में पुनः निवेश करना चाहिए। इसके लिए पुनः आपको कुछ कर सुधार करने होंगे ताकि इस धन का उचित निवेश किया जा सके।

महोदय, मंत्री महोदय श्री सलमान खुर्शीद ने अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में इन सब मुद्दों पर सहायता देने की पेशकश की है। मुझे विश्वास है कि सरकार को इस समस्या की जानकारी है और वह इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। कुछ उपाय हैं जिन पर हमें सोचना है और इस सम्बन्ध में नीति लागू करनी है। एक उपाय यह है कि अधिक भूमि पर चाय की खेती की जाये। हमें ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगाना होगा जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा इस देश के कुछ अन्य भाग जैसे परंपरागत क्षेत्र नहीं है जहां चाय उगाई जा सके। उनको चाय की खेती के लायक बनाना होगा। कृषि मंत्रालय को अब ऐसे क्षेत्रों में चाय उगाने के लिए सोचना होगा जहां अभी भी चाय की खेती नहीं की गयी। परन्तु वहां इसके लिए स्थिति उपयुक्त होनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न चाय की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाना है। तीसरा प्रश्न हमें कर सुधार करने होंगे ताकि हम इस उद्योग को बढ़ावा दे सकें। और उसके पश्चात हमें भारी निवेश की आवश्यकता है।

हमारे यहां अनेक रुग्ण चाय कम्पनियां हैं। हम उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं? यह एक अन्य प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना होगा कि क्या हम इन चार चाय कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से संतुष्ट हैं या हम उनका निजीकरण करेंगे। आज का प्रश्न यही है और मुझे विश्वास है कि सरकार इसका उत्तर देगी।

हमें यह देखना चाहिए कि चाय बगानों में नियुक्त श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जाये और किसी भी स्थिति में चाय एस्टेटों या चाय बागानों को बंद न किया जाये। हमें उनकी स्थिति सुदृढ़ बनानी चाहिए ताकि चाय का उत्पाद बढ़ सके। हम कुछ चाय घरेलू खपत के लिए और कुछ अधिकतम निर्यात के लिए रख सकते हैं।

इसके साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि संसद में मिलने वाली चाय की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह पूरी स्थिति की जानकारी लें और कड़ी कार्रवाही करे ताकि चाय उद्योग में पुनः जीवन का संचार हो और हम अधिकतम विदेशी मुद्रा कमायें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, इस चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कर्मकारों के बकाया के भुगतान के लिए समय बढ़ाना पड़ा था। यह एक साधारण विधेयक है। लेकिन हम अभी भी भारतीय चाय व्यापार निगम के अनेक पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है ओर इसका गठन मुख्य रूप से चाय के निर्यात के लिए किया गया था। इस कम्पनी ने संयुक्त उद्यम में

भारी हानि उठाई और उस समय कम्पनी के चेयरमेन ने लीबिया, ईरान और अन्य देशों की विदेशी चाय कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किया। और जब कम्पनी के तत्कालिक चेयरमेन ने कम्पनी छोड़ी तो विदेशी अनुबन्ध के कारण कम्पनी को 9 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की हानि उठानी पड़ी।

इन चार रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण करके ये बागान इस कम्पनी को सौंप दिए थे। लेकिन उस समय कम्पनी के पास चाय बागानों का प्रबन्ध करने के लिए विशेषज्ञ नहीं थे। बाद में, 1985 में यह अधिनियम बनाया गया और इन बागानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इन सभी चाय बागानों को भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंप दिया था।

5.00 म. प.

पिछले कई वर्षों से यह कम्पनी हानि उठा रही है। यह बागानों के कुप्रबन्ध के कारण नहीं अपितु यह इस बात का एक सुस्पष्ट उदाहरण है कि एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को किस प्रकार जानबूझकर रुग्ण बनाया गया है। रूग्ण बागान भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंप दिये गये लेकिन इन बागानों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या किया गया और इन बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए जो कदम उठाये जाने थे वे उस समय नहीं उठाये गये। यहां तक कि निवेश भी नहीं किया गया।

मैंने टी. ई. एस. ओ. के एक बागान का दौरा किया था। उस बागान की चाय की किस्म बहुत बढ़िया है। हमने भारतीय चाय व्यापार निगम से 'माया' और 'ऐनिमल बार चाय' भी खरीदी थी। यह बहुत अच्छी किस्म की चाय है। यदि आप बागान का दौरा करें तो आपको भारतीय चाय व्यापार निगम के बागान और बिड़ला के बागानों के बीच अन्तर का पता चल जायेगा। ये दोनों बाग पास-पास हैं। यह वास्तव में देखने योग्य बात है कि बिड़ला किस प्रकार अपने चाय बागानों पर निवेश करता है और उनका किस प्रकार रख रखाव करता है। लेकिन भारतीय चाय व्यापार निगम के बागानों में टूटी फूटी मशीनों को भी नहीं बदला जाता है।

भारतीय चाय व्यापार निगम ने इन बागानों की हालत में सुधार करने के लिए इस वर्ष के आरम्भ में एक कार्ययोजना इस मंत्रालय को भेजी थी। चाय बागानों के अन्तर्गत नये क्षेत्रों को लाने और मशीनों को बदलने के लिए कुछ सुझाव दिये गये थे। मैंने देखा है कि इन पुरानी मशीनों को और टी. ई. एस. ओ. के चाय बागान में किस प्रकार चाय तैयार की जाती है देखा है। उन बागानों में अभी भी पुराने तरीके अपनाये जा रहे हैं। अतः उन मशीनों को बदलने के लिए सुझाव दिए गए थे। मंत्रालय ने भी एक सुझाव दिया था। चूंकि धनराशि उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि धन कहां से आएगा। इसलिए मंत्रालय ने प्रबन्धकों से कहा कि मशीनों को बदलने और बागान की हालत में सुधार करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक बागान को बेच दिया जाए।

यह मामला उच्चतम न्यायालय में है क्योंकि पहले वाला मालिक अपना मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में ले गया था। सभी मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निजी मालिकों के हक में विनिर्णय दिया है। उस मामले में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुराने मालिक को बाग वापस लौटाये जाने के बारे में विनिर्णय दिया और कम्पनी को उच्चतम न्यायालय में आना पड़ा। मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक पत्र है जिससे पता चलता है कि मंत्रिपरिषद का एक सदस्य मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्य को किस प्रकार बागानों को बेचने या उन्हें पुराने मालिक को सौंपने के लिए सिफारिश करते हुए लिखता है। विद्युत और गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने उस

[श्री बसुदेव आचार्य]

प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को एक पत्र लिखा है। वह पत्र मेरे पास है और मैं इसे प्रमाणित भी कर सकता हूं।

श्री पी. सी. थामस (मुवलु पुजा) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यदि सदस्य, किसी मंत्री के विरूद्ध जो इस सभा के सदस्य हैं, आरोप लगा रहे हैं तो यह नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आरोप नहीं है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं; उस मामले को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे एक मंत्री दूसरे मंत्री को सिफारिश करते हुए पत्र लिखता हैं कि यह बागान पुराने मालिक को दे दिया जाये।

श्री पी. सी. थामस : यदि यह आरोप नहीं है तो हम इसे उनके अपने विचार मान सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा कहना है कि सरकार न तो इस कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठा रही है और न ही बागान के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि दे रही है। यद्यपि यह सच है कि जब बागान का प्रबन्ध भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंपा गया था उस समय इसके पास आधारभूत सुविधायें नहीं थीं, यदि उस समय भी उचित कदम उठा लिये जाते और यदि प्रबन्धकों द्वारा कार्य योजना में दिए गए सभी सुझावों को मान लिया जाता तो इन बागानों को अर्थक्षम बनाया जा सकता था। पश्चिम बंगाल में मेरे जिले पुरूलिया में और उड़ीसा में कोइनझार में भी चाय बागानों में उत्तम प्रकार की चाय का उत्पादन होता हैं। पश्चिम दिनाजपुर और कूच बिहार में भी अनेक क्षेत्र चाय बागान के अन्तर्गत अब शामिल किये जा रहे हैं। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि इस कम्पनी को हानि क्यों उठानी चाहिए। कई वर्षों से वहां कोई चैयरमेन या प्रबन्ध निदेशक नहीं था। वहां केवल एक अंशकालिक प्रबन्ध निदेशक था। चाय बोर्ड का वाइस चैयरमैन भारतीय चाय व्यापार निगम के कार्य को देखता था। चाय बोर्ड के वाइस चैयरमेन को अंशकालिक कार्य के रूप में भारतीय चाय व्यापार निगम का कार्य भार सौंपा गया था। कम्पनी का कोई पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक या चैयरमेन नहीं था। जब तक प्रबन्ध सुदृढ़ न हो तो यह किस प्रकार कार्य कर सकती हैं। अब आप सरकारी क्षेत्र की कम्पनी पर यह दोष लगा रहे हैं कि यह हानि उठा रही है और बागान को पुराने मालिक को सौंप दिया जाना चाहिए। और अब एक मंत्री दूसरे मंत्री को यह लिख रहा है कि वह बागान को पुराने मालिक को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करें चूंकि भारतीय चाय व्यापार निगम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता।

अन्य राष्ट्रीयकृत बागान भी हैं। अत: इन सभी बागानों को एक छत के नीचे क्यों नहीं लाया जाता ? इन सभी राष्ट्रीयकृत बागानों को एक ही संगठन के अन्तर्गत लाया जाया चाहिए। पश्चिम बंगाल में पूर्व मालिकों द्वारा त्याग दिए गए चाय के रुग्ण बागानों को राज्य सरकार—चाय विकास निगम ने अपने हाथ में ले लिया था। तत्पश्चात् चाय विकास निगम का गठन हुआ। यदि पश्चिम बंगाल का चाय विकास निगम लाभ कमा सकता है तो भारतीय चाय व्यापार निगम लाभ क्यों नहीं कमा सकता ? मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर सोचें और हमें उन

प्रस्तावों के बारे में बतायें जिन्हें सरकार उन बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाना चाहेगी ? क्या सरकार उसी ढंग से सोच रही है या एक बागान को बेचने की सोच रही है ?

सभापति महोदय : आचार्य जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : बिड़ला और टाटा इन बागानों के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि चाय का व्यवसाय आजकल अत्यन्त लाभकारी व्यवसाय है । सभी चाय का व्यवसाय करना चाहते हैं । अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें । मुझे आशा है कि वे हमारे मुद्दों का उत्तर देंगे तथा इन बागानों को पुनर्जीवित, उनका जीर्णोद्धार करने तथा भारतीय चाय व्यापार निगम को एक अर्थक्षम कम्पनी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में इस सभा को बतायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं ।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : चाय कम्पनी विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

इस विधेयक का आशय चार रुग्ण चाय एककों को सरकार द्वारा लिए जाने के फलस्वरूप दावेदारों द्वारा मुआवजे के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाना है । नैसर्गिक न्याय के हित में यह आवश्यक है । अन्ना द्रमुक की ओर से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

इस अवसर पर मैं देश में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में थोड़ा कुछ और बोलना चाहूंगा । खुद मैंने अपनी आंखों से पेरियाकुलम निर्वाचन क्षेत्र के उत्ताम्पालायाम तालुक के मेघामलाई क्षेत्र में चाय बागान मजदूरों की दशा देखी है । मुझे बताया गया है कि असम तथा अन्य क्षेत्रों में दशा और भी खराब है ।

उन्हें उनकी कानूनी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती । उनकी मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए तथा उन्हें ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाया जाना चाहिए । ये ठेकेदार गरीब चाय-पत्ती-चुनने वाले लोगों का शोषण करते हैं । सभी प्रकार की ठेका-मजदूर प्रणालियों का उन्मूलन किया जाना चाहिए तथा यह देखने के लिये कि कहीं भी ठेका-मजदूर न रहे श्रम आयुक्त हर सप्ताह चाय बागानों का निरीक्षण करें । अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए । चाय बागानों तथा चाय कम्पनियों में गत तीन वर्षों से अधिक कार्य करने वाले सभी नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना चाहिए ।

वर्तमान में चाय कंम्पनियां अपने कर्मचारियों को केवल लाभांश देती हैं । चाय बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कुछ नहीं दिया जा रहा । चाय उत्पादन में वे बुनियादी कार्य करने वाले मजदूर हैं । इसीलिए सभी चाय कम्पनियों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा अनुग्रह राशि के रूप में बागान मजदूरों के लिये निर्धारित कर देना चाहिए । चाय बागानों में अधिकांशतः महिलाएं ही कार्य करती हैं । गर्भावस्था तथा स्तनपान अवधि के दौरान उन्हें मजदूरी सहित चार महीने की छुट्टी दी जानी चाहिए । बच्चे जब तक बड़े न हों उनके लिए शिशु-गृह खोलने के लिये बागान मालिकों को मजबूर किया जाना चाहिये ।

मैंने देखा है कि बागान मजदूरों के बच्चे सबसे अधिक उपेक्षित हैं । बागान क्षेत्रों में कोई स्कूल नहीं है जिसके कारण शिक्षा के प्रसार में बाधा आती है । सभी चाय बागानों के निकट स्कूल खोलने के लिए अनिवार्य रूप से कदम उठाए जाने चाहिए ।

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

चाय की धूल से सांस की बीमारियां दो जाती हैं। सभी बागानों में विशेष देखमाल के लिए अस्पताल खोले जाने चाहिए ताकि चाय बागानों में कार्य करने वाले सभी मजदूरों की स्वास्थ्य चिकित्सा का लगातार ध्यान रखा जा सके।

महोदय मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत ही कम है। चाय के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सरकार को चाय बागान मजदूरों के लिए सस्ते मकानों की विशेष योजना तैयार करने तथा उसे लागू करने के लिए एक निधि का गठन करना चाहिए।

चाय बागान मजदूरों को चूंकि कुछ विशेष प्रकार के रोग प्रायः लग जाते हैं केन्द्रीय सरकार को उन सभी के लिए एक बीमा योजना लागू करनी चाहिए ताकि उनके परिवारों को कुछ वित्तीय लाभ मिल सके।

मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी उपरोक्त सुझावों पर विचार करेंगे तथा उनका उत्तर देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रामासामी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं तथा मुझे पूरी आशा है कि मन्त्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे। श्री अमर राय प्रधान।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, यह एक बहुत ही सामान्य विधेयक है। मैं इसे अपना पूरा समर्थन देता हूं। जहां तक श्रमिक वर्ग को देय राशि की बात है, यह लगभग रुपये एक करोड़ 26 लाख है। मुमकिन है यह एकदम अभी अदा नहीं की जा सकती। यदि आप इसकी ओर ध्यान दें तो मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से अन्य चाय बागानों की स्थिति के बारे में पता करना चाहूंगा। चाय बागानों में स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। यदि चाय बागानों में प्रशासन इस प्रकार का ही रहा तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में अधिकांश चाय बागान रूग्ण हो जायेंगे। पहली बात तो यह है कि सरकार इन चाय बागानों की ओर ध्यान ही नहीं देती। चाय हम निर्यात करते हैं तथा प्रतिवर्ष हमें इससे लगभग 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फिर भी यह अकेले वाणिज्य मन्त्रालय के ही अधीन है। यह एक कृषि-उद्योग है। यद्यपि यह एक कृषि उद्योग है फिर भी यह न तो कृषि में है और न ही उद्योग में। यह वाणिज्य विभाग में इसलिए है क्योंकि यह केवल व्यापार में ही विश्वास रखते हैं। इस व्यापार विभाग को विभिन्न प्रकार की चाय की पत्तियों तथा दो पत्तियों और कलि में अन्तर तक नहीं पता। दार्जिलिंग चाय इतनी मशहूर है। रूस, लन्दन तथा कुछ अन्य देशों को हम इतनी चाय निर्यात कर रहे है फिर भी इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसके कारण केन्या या श्रीलंका से हमें चाय आयात करने की सम्भावना लग रही है। ऐसा क्यों है ? यह इसलिए है कि वाणिज्य विभाग चाय की झाड़ियों का कोई ध्यान नहीं रखता। वे केवल अधिक पत्ते तथा अधिक वजन के पीछे प्रड़े हैं। वे केन्या तथा श्रीलंका से चाय का आयात करते हैं तथा दार्जिलिंग चाय का निर्यात करते हैं ताकि वे अधिक धन कमा सकें। यदि आप चाय की झाड़ियों को इस दशा में छोड़ेंगे तो अन्ततः आप बिल्कुल

भारी हानि उठाई और उस समय कम्पनी के चेयरमेन ने लीबिया, ईरान और अन्य देशों की विदेशी चाय कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किया। और जब कम्पनी के तत्कालिक चेयरमेन ने कम्पनी छोड़ी तो विदेशी अनुबन्ध के कारण कम्पनी को 9 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की हानि उठानी पड़ी।

इन चार रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण करके ये बागान इस कम्पनी को सौंप दिए थे। लेकिन उस समय कम्पनी के पास चाय बागानों का प्रबन्ध करने के लिए विशेषज्ञ नहीं थे। बाद में, 1985 में यह अधिनियम बनाया गया और इन बागानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इन सभी चाय बागानों को भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंप दिया था।

5.00 म. प.

पिछले कई वर्षों से यह कम्पनी हानि उठा रही है। यह बागानों के कुप्रबन्ध के कारण नहीं अपितु यह इस बात का एक सुस्पष्ट उदाहरण है कि एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को किस प्रकार जानबूझकर रुग्ण बनाया गया है। रुग्ण बागान भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंप दिये गये लेकिन इन बागानों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या किया गया और इन बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए जो कदम उठाये जाने थे वे उस समय नहीं उठाये गये। यहां तक कि निवेश भी नहीं किया गया।

मैंने टी. ई. एस. ओ. के एक बागान का दौरा किया था। उस बागान की चाय की किस्म बहुत बढ़िया है। हमने भारतीय चाय व्यापार निगम से 'माया' और 'ऐनिमल बार चाय' भी खरीदी थी। यह बहुत अच्छी किस्म की चाय है। यदि आप बागान का दौरा करें तो आपको भारतीय चाय व्यापार निगम के बागान और बिड़ला के बागानों के बीच अन्तर का पता चल जायेगा। ये दोनों बाग पास-पास हैं। यह वास्तव में देखने योग्य बात है कि बिड़ला किस प्रकार अपने चाय बागानों पर निवेश करता है और उनका किस प्रकार रख रखाव करता है। लेकिन भारतीय चाय व्यापार निगम के बागानों में टूटी फूटी मशीनों को भी नहीं बदला जाता है।

भारतीय चाय व्यापार निगम ने इन बागानों की हालत में सुधार करने के लिए इस वर्ष के आरम्भ में एक कार्ययोजना इस मंत्रालय को भेजी थी। चाय बागानों के अन्तर्गत नये क्षेत्रों को लाने और मशीनों को बदलने के लिए कुछ सुझाव दिये गये थे। मैंने देखा है कि इन पुरानी मशीनों को और टी. ई. एस. ओ. के चाय बागान में किस प्रकार चाय तैयार की जाती है देखा है। उन बागानों में अभी भी पुराने तरीके अपनाये जा रहे हैं। अतः उन मशीनों को बदलने के लिए सुझाव दिए गए थे। मंत्रालय ने भी एक सुझाव दिया था। चूंकि धनराशि उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि धन कहां से आएगा। इसलिए मंत्रालय ने प्रबन्धकों से कहा कि मशीनों को बदलने और बागान की हालत में सुधार करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक बागान को बेच दिया जाए।

यह मामला उच्चतम न्यायालय में है क्योंकि पहले वाला मालिक अपना मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में ले गया था। सभी मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निजी मालिकों के हक में विनिर्णय दिया है। उस मामले में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुराने मालिक को बाग वापस लौटाये जाने के बारे में विनिर्णय दिया और कम्पनी को उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा। मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक पत्र है जिससे पता चलता है कि मंत्रिपरिषद का एक सदस्य मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्य को किस प्रकार बागानों को बेचने या उन्हें पुराने मालिक को सौंपने के लिए सिफारिश करते हुए लिखता है। विद्युत और गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने उस

[श्री बसुदेव आचार्य]

प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को एक पत्र लिखा है। वह पत्र मेरे पास है और मैं इसे प्रमाणित भी कर सकता हूं।

श्री पी. सी. थामस (मुवलु पुजा) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यदि सदस्य, किसी मंत्री के विरुद्ध जो इस सभा के सदस्य हैं, आरोप लगा रहे हैं तो यह नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आरोप नहीं है, मैं केबल उदाहरण दे रहा हूं; उस मामले को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे एक मंत्री दूसरे मंत्री को सिफारिश करते हुए पत्र लिखता हैं कि यह बागान पुराने मालिक को दे दिया जाये।

श्री पी. सी. थामस : यदि यह आरोप नहीं है तो हम इसे उनके अपने विचार मान सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा कहना है कि सरकार न तो इस कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठा रही है और न ही बागान के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि दे रही है। यद्यपि यह सच है कि जब बागान का प्रबन्ध भारतीय चाय व्यापार निगम को सौंपा गया था उस समय इसके पास आधारभूत सुविधायें नहीं थीं, यदि उस समय भी उचित कदम उठा लिये जाते और यदि प्रबन्धकों द्वारा कार्य योजना में दिए गए सभी सुझावों को मान लिया जाता तो इन बागानों को अर्थक्षम बनाया जा सकता था। पश्चिम बंगाल में मेरे जिले पुरूलिया में और उड़ीसा में कोइनझार में भी चाय बागानों में उत्तम प्रकार की चाय का उत्पादन होता हैं। पश्चिम दिनाजपुर और कूच बिहार में भी अनेक क्षेत्र चाय बागान के अन्तर्गत अब शामिल किये जा रहे हैं। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि इस कम्पनी को हानि क्यों उठानी चाहिए। कई वर्षों से वहां कोई चैयरमेन या प्रबन्ध निदेशक नहीं था। वहां केवल एक अंशकालिक प्रबन्ध निदेशक था। चाय बोर्ड का वाइस चैयरमैन भारतीय चाय व्यापार निगम के कार्य को देखता था। चाय बोर्ड के वाइस चैयरमेन को अंशकालिक कार्य के रूप में भारतीय चाय व्यापार निगम का कार्य भार सौंपा गया था। कम्पनी का कोई पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक या चैयरमेन नहीं था। जब तक प्रबन्ध सुदृढ़ न हो तो यह किस प्रकार कार्य कर सकती हैं। अब आप सरकारी क्षेत्र की कम्पनी पर यह दोष लगा रहे हैं कि यह हानि उठा रही है और बागान को पुराने मालिक को सौंप दिया जाना चाहिए। और अब एक मंत्री दूसरे मंत्री को यह लिख रहा है कि वह बागान को पुराने मालिक को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करें चूंकि भारतीय चाय व्यापार निगम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता।

अन्य राष्ट्रीयकृत बागान भी हैं। अतः इन सभी बागानों को एक छत के नीचे क्यों नहीं लाया जाता? इन सभी राष्ट्रीयकृत बागानों को एक ही संगठन के अन्तर्गत लाया जाया चाहिए। पश्चिम बंगाल में पूर्व मालिकों द्वारा त्याग दिए गए चाय के रुग्ण बागानों को राज्य सरकार—चाय विकास निगम ने अपने हाथ में ले लिया था। तत्पश्चात् चाय विकास निगम का गठन हुआ। यदि पश्चिम बंगाल का चाय विकास निगम लाभ कमा सकता है तो भारतीय चाय व्यापार निगम लाभ क्यों नहीं कमा सकता? मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर सोचें और हमें उन

प्रस्तावों के बारे में बतायें जिन्हें सरकार उन बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाना चाहेगी ? क्या सरकार उसी ढंग से सोच रही है या एक बागान को बेचने की सोच रही है ?

सभापति महोदय : आचार्य जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : बिड़ला और टाटा इन बागानों के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि चाय का व्यवसाय आजकल अत्यन्त लाभकारी व्यवसाय है। सभी चाय का व्यवसाय करना चाहते हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें। मुझे आशा है कि वे हमारे मुद्दों का उत्तर देंगे तथा इन बागानों को पुनर्जीवित, उनका जीर्णोद्धार करने तथा भारतीय चाय व्यापार निगम को एक अर्थक्षम कम्पनी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में इस सभा को बतायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : चाय कम्पनी विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक का आशय चार रुग्ण चाय एककों को सरकार द्वारा लिए जाने के फलस्वरूप दावेदारों द्वारा मुआवजे के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाना है। नैसर्गिक न्याय के हित में यह आवश्यक है। अन्ना द्रमुक की ओर से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस अवसर पर मैं देश में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में थोड़ा कुछ और बोलना चाहूंगा। खुद मैंने अपनी आंखों से पेरियाकुलम निर्वाचन क्षेत्र के उत्ताम्पालायाम तालुक के मेघामलाई क्षेत्र में चाय बागान मजदूरों की दशा देखी है। मुझे बताया गया है कि असम तथा अन्य क्षेत्रों में दशा और भी खराब है।

उन्हें उनकी कानूनी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए तथा उन्हें ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाया जाना चाहिए। ये ठेकेदार गरीब चाय-पत्ती-चुनने वाले लोगों का शोषण करते हैं। सभी प्रकार की ठेका-मजदूर प्रणालियों का उन्मूलन किया जाना चाहिए तथा यह देखने के लिये कि कहीं भी ठेका-मजदूर न रहे श्रम आयुक्त हर सप्ताह चाय बागानों का निरीक्षण करें। अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। चाय बागानों तथा चाय कम्पनियों में गत तीन वर्षों से अधिक कार्य करने वाले सभी नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना चाहिए।

वर्तमान में चाय कम्पनियां अपने कर्मचारियों को केवल लाभांश देती हैं। चाय बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों को कुछ नहीं दिया जा रहा। चाय उत्पादन में वे बुनियादी कार्य करने वाले मजदूर हैं। इसीलिए सभी चाय कम्पनियों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा अनुग्रह राशि के रूप में बागान मजदूरों के लिये निर्धारित कर देना चाहिए। चाय बागानों में अधिकांशतः महिलाएं ही कार्य करती हैं। गर्भावस्था तथा स्तनपान अवधि के दौरान उन्हें मजदूरी सहित चार महीने की छुट्टी दी जानी चाहिए। बच्चे जब तक बड़े न हों उनके लिए शिशु-गृह खोलने के लिये बागान मालिकों को मजबूर किया जाना चाहिये।

मैंने देखा है कि बागान मजदूरों के बच्चे सबसे अधिक उपेक्षित हैं। बागान क्षेत्रों में कोई स्कूल नहीं है जिसके कारण शिक्षा के प्रसार में बाधा आती है। सभी चाय बागानों के निकट स्कूल खोलने के लिए अनिवार्य रूप से कदम उठाए जाने चाहिएं।

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

चाय की धूल से सांस की बीमारियां दो जाती हैं। सभी बागानों में विशेष देखभाल के लिए अस्पताल खोले जाने चाहिए ताकि चाय बागानों में कार्य करने वाले सभी मजदूरों की स्वास्थ्य चिकित्सा का लगातार ध्यान रखा जा सके।

महोदय मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत ही कम है। चाय के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सरकार को चाय बागान मजदूरों के लिए सस्ते मकानों की विशेष योजना तैयार करने तथा उसे लागु करने के लिए एक निधि का गठन करना चाहिए।

चाय बागान मजदूरों को चूंकि कुछ विशेष प्रकार के रोग प्राय: लग जाते हैं केन्द्रीय सरकार को उन सभी के लिए एक बीमा योजना लागू करनी चाहिए ताकि उनके परिवारों को कुछ वित्तीय लाभ मिल सके।

मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी उपरोक्त सुझावों पर विचार करेंगे तथा उनका उत्तर देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रामासामी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं तथा मुझे पूरी आशा है कि मन्त्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे। श्री अमर राय प्रधान।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, यह एक बहुत ही सामान्य विधेयक है। मैं इसे अपना पूरा समर्थन देता हूं। जहां तक श्रमिक वर्ग को देय राशि की बात है, यह लगभग रुपये एक करोड़ 26 लाख है। मुमकिन है यह एकदम अभी अदा नहीं की जा सकती। यदि आप इसकी ओर ध्यान दें तो मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से अन्य चाय बागानों की स्थिति के बारे में पता करना चाहूंगा। चाय बागानों में स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। यदि चाय बागानों में प्रशासन इस प्रकार का ही रहा तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में अधिकांश चाय बागान रूग्ण हो जायेंगे। पहली बात तो यह है कि सरकार इन चाय बागानों की ओर ध्यान ही नहीं देती। चाय हम निर्यात करते हैं तथा प्रतिवर्ष हमें इससे लगभग 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फिर भी यह अकेले वाणिज्य मन्त्रालय के ही अधीन है। यह एक कृषि-उद्योग है। यद्यपि यह एक कृषि उद्योग है फिर भी यह न तो कृषि में है और न ही उद्योग में। यह वाणिज्य विभाग में इसलिए है क्योंकि यह केवल व्यापार में ही विश्वास रखते हैं। इस व्यापार विभाग को विभिन्न प्रकार की चाय की पत्तियों तथा दो पत्तियों और कलि में अन्तर तक नहीं पता। दार्जिलिंग चाय इतनी मशहूर है। रूस, लन्दन तथा कुछ अन्य देशों को हम इतनी चाय निर्यात कर रहे है फिर भी इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसके कारण केन्या या श्रीलंका से हमें चाय आयात करने की सम्भावना लग रही है। ऐसा क्यों है ? यह इसलिए है कि वाणिज्य विभाग चाय की झाड़ियों का कोई ध्यान नहीं रखता। वे केवल अधिक पत्ते तथा अधिक वजन के पीछे प्रड़े हैं। वे केन्या तथा श्रीलंका से चाय का आयात करते हैं तथा दार्जिलिंग चाय का निर्यात करते हैं ताकि वे अधिक धन कमा सकें। यदि आप चाय की झाड़ियों को इस दशा में छोडेंगे तो अन्तत: आप बिल्कुल

भी विदेशी मुद्रा नहीं कमा सकेंगे। क्या आपने कभी रिकार्ड देखा है कि दार्जिलिंग चाय के नाम पर कितनी चाय बेची जाती है तथा कितनी चाय वास्तव में दार्जिलिंग के चाय बागानों में पैदा की जाती है? दार्जिलिंग चाय की काफी साख है। किन्तु यदि इसका दुरपयोग किया जाएगा तो यह साख समाप्त हो जाएगी और निर्यात के पूरे व्यापार को भारी हानि होगी।

महोदय, हमारे पास अपना उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। विश्व बाजार में अपनी स्थिति सुधारने के लिए हम काफी कुछ कर सकते हैं। हम 6.85 लाख मीटरिक टन का उत्पादन कर रहे हैं तथा हमारा उत्पादन प्रति हैक्टेयर औसतन 5.92 लाख मीटरिक टन है। जबकि दूसरी ओर चीन में उत्पादन 5·92 लाख मीटरिक टन है किन्तु उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन केवल 428 है। अधिक उत्पादन करने के लिए वे काफी प्रयास कर रहे हैं। औसतन भारत 28 से 29 प्रतिशत पैदा कर रहा है तथा चीन 23 प्रतिशत। चीन के बाद श्रीलंका 8.36 प्रतिशत, केन्या 7.31 प्रतिशत तथा सोवियत संघ 5.78 प्रतिशत उत्पादन करता है। फिर भी यदि हम केवल कुछ खास ध्यान रखें तो अधिक उत्पादन करने की काफी गुंजाइश है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन केवल 428 है। किन्तु वे भी अधिक उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु भारत में कुछ उल्टा ही है। यहां गुंजाइश होते हुए भी हम अधिक उत्पादन नहीं कर पा रहे।

यदि आप रिपोर्टें देखेंगे तो आपको सचाई पता लगेगी। जैसाकि श्री बसुदेव आचार्य ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थी हैं जो चाय उत्पादन के गैर-परम्परागत तरीकों को सफल नहीं होने दे रहे। इन गैर-परम्परागत तरीकों से उड़ीसा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल की अयोध्या पहाड़ियों पर चाय उत्पादित करने की काफी गुंजाइश है। परन्तु चाय बोर्ड किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दे रहा। आपका तन्त्र केवल चाय बोर्ड तथा टी. सी. सी. आई. के माध्यम से कार्य करता है जो मेरी राय में बहुत खर्चीला है। यदि आप देश में चाय उत्पादन में वृद्धि करने में वास्तव में ही रुचि रखते हैं तो आपको कुछ ठोस उपाय करने पड़ेंगे न कि उन प्रस्तावों से जो आपने टी. सी. सी. आई. को भेजे हैं।

सभापति महोदय : कृपया माइक के निकट आ जायें क्योंकि सदस्यों को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा।

श्री अमर राय प्रधान : मुझे आश्चर्य है कि मेरी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई। यद्यपि मैं वृद्ध हूं किन्तु दिल से मैं जवान तथा बलवान हूं।

सभापति महोदय : मैं समझता हुं कि ऐसा दार्जिलिंग चाय के कारण है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं बता रहा था कि श्री बसुदेव आचार्य ने कहा है कि एक लॉबी ऐसी है जो गैर-परम्परागत चाय उत्पादक क्षेत्रों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। यह गैर-परम्परागत तरीके उड़ीसा और मेघालय में आरम्भ हो चुके हैं। यह पश्चिम बंगाल के सुदूर पश्चिम में, बिहार राज्य के साथ पुरुलिया के जिले में अयोध्या हिल्स में, भी आरम्भ हो चुका है। इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि चाय उत्पादन के गैर परम्परागत साधनों की काफी गुंजाइश है। इन सभी क्षेत्रों में बेहतर चाय उत्पादन की अच्छी संभावनाएं है। हमें इससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। हम इस विदेशी मुद्रा से सोना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केवल चाय बोर्ड और टी. टी. सी. आई. पर निर्भर न रहकर कोई, कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करें। मेरा यह अनुरोध है कि आप परम्परागत क्षेत्रों को ही न लें बल्कि गैर-

[श्री अमरराय प्रधान]

परम्परागत क्षेत्रों को भी लें क्योंकि यदि आप अधिक क्षेत्र में उत्पादन करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा। इस प्रकार निर्यात की अधिक संभावना होगी और हम अधिक विदेशी मुद्रा कमाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) :सभापति महोदय,मैं इस विधेयक का समर्थन करने में प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि सदन के दोनों ओर के वक्ताओं ने बताया। इस बिधेयक के बारे में कोई भी विवाद नहीं है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यह विधेयक सरकार के श्रम समर्थक रवैये का सबूत है। यह विधेयक अपने आप में उस विपक्ष को माकूल जवाब है जो अभी कल तण सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि सरकार निलम्बित कर्मचारियों के प्रति उदासीन है। वे सरकार पर श्रम विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। किन्तु मैं इस बात पर जोर दूंगा कि यह विधेयक अपने आप में माकूल जवाब है। जिन चाय बगानों का अधिग्रहण 1985 में हुआ उनके कर्मचारियों के दावों के निपटान के लिए अन्तिम तारीख 28 अप्रैल तक थी।

श्री अमर राय प्रधान : आपने इसका प्रचार नहीं किया। (व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कुप्रबन्ध और भारी पैमाने पर अनुपस्थिति जैसे कुछ कारण हैं। और यदि अमर बाबू ऐसा कहते हैं तो मैं कहूंगा कि कुछ सीमा तक यह जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को समय पर अपने पत्र दायर करने के बारे में बताएं।

खैर, 3285 मामले अभी भी लम्बित हैं।

श्री अमरराय प्रधान : महोदय, मैं नहीं जानता कि इस बारे में जन प्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमारा दायित्व प्रत्येक क्षेत्र में है। कई बार हम देखते हैं कि एक दशक के बाद भी मामले लम्बित है। जैसा कि मैं उड़ीसा में चौकीदार उन्मूलन के बारे में कह सकता हूं।

इस प्रकार मैं कह रहा था कि लगभग 3200 मामले अभी भी लम्बित है जिनमें 12833622.000 रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। इसलिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि देर से ही सही उन्होंने इसे अनुभव किया है और यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

बेशक, निजीकरण के बारे में काफी बातचीत चल रही है। किन्तु यह एक ऐसा बिधेयक है जो रुग्ण एककों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नही और इसे सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त है। हम सभी कर्मचारियों की मदद करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ चाय उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्वकता है। इससे चिन्ता हो रही है। बल्कि मुझे यह जानकर बड़ी परेशानी हुई कि एक समय हमारा देश विश्व का प्रमुख चाय उत्पादक देश था। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली 10 प्रमुख मदों में एक है। हम मात्रा, गुणवत्ता और निर्यात के मामले में विश्व में पहले स्थान पर थे। किन्तु आज हमारी वह स्थिति नहीं है, अब श्रीलंका पहले

स्थान पर है । और अब हमारे पड़ौसी देश चीन ने हमारे निर्यात लक्ष्य से अधिक उत्पादन करके हमें दूसरे से तीसरे स्थान पर धकेल दिया हैं । हम इस समय 2000 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात कर रहे हैं । चीन हमसे बढ़त ले गया है और वह 2050 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात कर रहा है । यह चिन्ता का विषय है ।

---

29 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रव्यापी बंद

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं सदन के नेता का ध्यान एक अत्यंत गम्भीर मामले की ओर आर्कषित करना चाहता हूं । सदन के नेता इस समय यहां मौजूद हैं ।

कल के बंद के संबंध में मैंने अभी कुछ समाचार पत्रों से सम्पर्क स्थापित किया है । कल कार्यालय बंद रहेंगे । राष्ट्रव्यापी बंद होगा । लोग अहने कार्यालयों से पहले ही जा चुके हैं । हम सम्पूर्ण स्थिति के बारे में चिन्तित हैं । मैं सदन के नेता से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? कल हमारी बैठक है हमें नहीं मालूम कि हम कल कैसे आएंगे । सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी ? इस देश का क्या होने वाला है ? हमारे लिए परिवहन व्यवस्था क्या होगी ? अब समय आ गया है । जब सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए । देश भर में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे क्या में सोचा है ?

सभापति महोदय : क्या आप सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं ?

श्री ए. चार्ल्स : मैं केवल सुरक्षा के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य बातों के बारे में भी चिन्तित हूं । उन्होंने बताया है कि राष्ट्रव्यापी बंद से देश का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अमर राय प्रधान : यह एक शान्तिपूर्ण बंद होगा । देश भरु में शान्तिपूर्ण हड़ताल होगी ।

श्री ए. चार्ल्स : क्या आपको ऐसी कोई सूचना मिली है कि कल सारे देश में बंद रहेगा । पूरे देश में हड़ताल रहेगी । हमें सम्पूर्ण स्थिति के बारे में चिन्ता है । क्या आपको कोई सूचना मिली है और यदि मिली है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कारवाई की है ?

क्या ट्रेड यूनियनों के साथ कोई बातचीत हो रही है । और क्या ट्रेड यूनियन ऐसी बातचीत में भाग ले रही हैं । सभा के नेता यहां उपस्थित हैं । आपकी अनुमति से मैं उनसे इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या आप यह जानना चाहते हैं कि इस बात की सरकार को सूचना मिली है या नहीं और क्या कल हड़ताल होगी या नहीं ।

श्री ए चार्ल्स : यदि सरकार को इसकी सूचना है तो क्या शाम को वे इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाको (त्रिचूर) : यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है बल्कि जनता विरोधी मामला भी है । यह हड़ताल विपक्ष के ट्रेड यूनियन नेताओं की सहायता से की जा रही है जो देश को दांव पर लगा रहे हैं ।

श्री अमर राय प्रधान : ऐसा नहीं है। यह शांतिपूर्ण हड़ताल है। **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाको : बिना किसी औचित्य के यह हड़ताल की जा रही है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह हड़ताल राजनीति से प्रेरित है।

श्री अमर राय प्रधान : कल सम्पूर्ण देश में शांतिपूर्ण हड़ताल रहेगी। यहां सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : क्या सभा को ऐसी सूचना मिली है कि कल हड़ताल होगी। यदि सभा के नेता उचित समझें तो वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय सभापति, सरकार को इस बात की सूचना है कि कुछ ट्रेड यूनियन कल हड़ताल करना चाहती हैं। मैं किसी ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को नहीं नकारता, उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति के संबंध में जो इस सभा में रखी गयी और उस पर चर्चा हुई तथा जिसे सभा का अनुमोदन प्राप्त हुआ, बेशक कुछ लोगों का मत इसके विरोध में था. संसद के पिछले सत्र में, उक्त चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार श्रमिक वर्ग के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी क्योंकि यह सरकार देश के श्रमिक वर्ग के मूल हितों की अनदेखी कभी नहीं कर सकती।

दूसरे, कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है। जिन्हें सही ढंग से देखना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी है ताकि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह के बारे में बैठ कर चर्चा की जा सके और उसका हल निकाला जा सके। मेरे साथी श्री पी. ए. संगमा उस समिति के सभापति हैं। इस महीने की 17 तारीख को एक बैठक हुई थी अगली बैठक 20 दिसम्बर को होगी। जहां तक सम्बन्धित मामलों की बात है मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अगले सप्ताह सभा में इस सम्पूर्ण मुद्दे पर, इस सभा में तथा राज्य सभा में, चर्चा होनी है। इन परिस्थितियों में केवल यह कहना चाहता हूं कि जो लोग भी हड़ताल करना चाहते हैं उन सबसे मेरी अपील है कि वे जिन प्रश्नों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है उन प्रश्नों पर प्रधान मंत्री ने पहले ही श्रमिक वर्ग के पक्ष में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है। फिर भी यदि किसी बात पर चर्चा की आवश्यकता है तो ऐसी चर्चा के लिए मंच मौजूद है। इस सभा में इस पर चर्चा होगी। अतः इस समय हड़ताल करना उचित नहीं लगता। मैं उन सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करना चाहता हूं जिन्होंने यह निर्णय किया है और मैं निर्णय करने के उनके अधिकार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन मुझे उनसे यह अपील करने का अधिकार है कि सम्भवतः इस हड़ताल से उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उनका उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब वे दूसरे ढग से इस पर सोचें जिसके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।

सभापति महोदय : त्रिपक्षीय समिति में कौन-कौन शामिल हैं।

श्री अर्जुन सिंह : ये सभी ट्रेड यूनियनें, सरकार और उद्योग के प्रतिनिधि।

श्री बसुदेव आचार्य : (बांकुरा) 29 नवम्बर, 1991 को सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय एक सम्मेलन में लिया गया था जो दो महीने पहले हुआ था और जिसमें सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, इनटक के प्रतिनिधि सहित, उपस्थित थे।

सभापति महोदय : कृपया वास्तविक प्रश्न पर आ जाये। सभा के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे ट्रेड यूनियनों के हड़ताल पर जाने के अधिकारों से इंकार नहीं करते लेकिन उन्हें ट्रेड यूनियनों से अपील करने का अधिकार है। जैसाकि उन्होंने किया है।

[हिन्दी]

आपका क्या प्वांयट है ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : एक तरफ तो सरकार अपील कर रही है, और दूसरी तरफ वे इन औद्योगिक इकाईयों को बंद करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में कई इकाईयों को तो पहले ही बंद किया जा चुका है। हल्दिया उर्वरक कारखाने को बंद कर दिया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें। जैसा कि सभा के नेता ने कहा है प्रधानमंत्री पहले ही इस बात से सहमत हो चुके हैं कि इस प्रश्न पर चर्चा की जाये जिसमें नई औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो और मुझे विश्वास है कि इसमें इकाईयों के बंद करने के प्रश्न पर भी चर्चा की जाएगी। श्री चार्ल्स ने केवल यही प्रश्न उठाया था और सभा के नेता ने इसका समुचित उत्तर दे दिया है।

अब श्री पाणिग्रही अपना भाषण जारी रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा के नेता को यह अवश्य कहना चाहिए कि सरकार अपनी नीति को वापिस लेगी या नहीं।

सभापति महोदय : सभा के नेता द्वारा इस प्रकार का वायदा करने के लिए यह उचित स्थान नहीं है। अब यह मामला यहीं समाप्त होता है और अब इस सम्बन्ध में कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि इस प्रश्न पर सभा के नेता से आश्वासन लेने का यह उचित समय नहीं है। हमें नियमों के अनुसार चलने दीजिए। आप इस समय उनसे यह आशा कैसे करते हैं कि वह यह आश्वासन दें कि नीति को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा ? मुझे खेद है।

श्री चार्ल्स, कृपया बैठ जायें।

श्री पाणिग्राही, क्या आप अपना भाषण जारी रखेंगे ? अब आप इसे समाप्त कीजिए।

5.42 म. प.

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक (जारी)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैं कह रहा था कि भारत में, जोकि चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला देश है, इस प्रकार की स्थिति कैसे उत्पन्न कर दी गई है।

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आपने इस बारे में पहले ही काफी कुछ कह लिया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हमारा घरेलू उत्पादन प्रतिवर्ष 4.8 प्रतिशत से अधिक की दर से धीरे-धीरे बढ़ रहा है। परन्तु उत्पादन की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत ही है। भारत में प्रतिदिन लगभग 60 करोड़ कप चाय का उपभोग होता है जबकि चीन में स्थिति इससे भिन्न है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, क्या प्रधानमंत्री वापस आ गये हैं? प्रधानमंत्री के स्थान पर कोई बैठा हुआ है। मैं यह सोच रहा था कि क्या प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं?

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, मुझे बताया गया है कि किसी को भी प्रधान मंत्री के स्थान पर बैठने की अनुमति नहीं है। वास्तव में, मैं इस नियम के प्रति गंभीर नहीं हूं परन्तु मुझे बताया गया है कि किसी को भी वहां बैठने की अनुमति नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : सदन की यह परम्परा रही है कि किसी अन्य व्यक्ति को प्रधान मंत्री के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि जब आप उस स्थान पर बैठने की स्थिति में हों तो आप वहां बैठ सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : चीन में, जहां चाय का उत्पादन हमारे देश के चाय उत्पादन की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत है, चाय के अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में उसकी स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। यह 1980 में 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 1985 में 14.27 प्रतिशत तथा 1990 में 16.17 प्रतिशत हो गया है। भारत का चाय निर्यात जो 1980 में 26 प्रतिशत था 1985 में घटकर 22 प्रतिशत तथा 1990 में और भी कम होकर 18 प्रतिशत रह गया है। और जैसा कि मुझे मालूम है, यह अब केवल 14 प्रतिशत है।

अतः उत्पादन और उत्पादकता, दोनों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? हमें अपने बागान क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी। और इसके साथ साथ हमें और अधिक उन्नत प्रोद्योगिकी तथा प्रबन्ध के तरीकों को अपनाना होगा।

हमारे देश के कुल 13,570 चाय एस्टेटों में से लगभग 145 इकाइयां कमजोर और रूग्ण हैं तथा हमने केवल चार अथवा इससे कम इकाइयों का प्रबन्ध ग्रहण किया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल चाय के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। जब पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था तो मेरे मस्तिष्क में एक बात आई थी कि वे इस मामले को राज्य सरकार के सामने क्यों नहीं उठाते ताकि वे स्वयं भी कुछ चाय एस्टेटों को विकसित कर सकें। इसमें क्या हानि है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) पश्चिम बंगाल में चाय विकास निगम है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने चाय बागान और चाय बागान क्षेत्र के बारे में कहा है··· (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : आप इन बागानों को पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम को सौंप दें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा सुझाव है। यदि वे रूग्ण इकाइयों को अपने हाथ में लेने को इच्छुक हैं तो इस सम्बन्ध में बातचीत की जानी चाहिए। (**व्यवधान**) आप उन्हें अपने हाथ में ले लें और उन्हें फिर से क्रियाशील बनायें। इसमें नुकसान क्या है ? (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल सरकार के चाय विकास निगम के अन्तर्गत रूग्ण चाय बागान आते हैं। इन चाय बागानों को भी लिये जाने का प्रस्ताव है। यदि केन्द्रीय सरकार इन बागानों को चाय विकास निगम को सौंप देती है तो पश्चिम बंगाल सरकार इनकी व्यवस्था कर सकती है··· (**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वह राज्य सरकार की ओर से किस अधिकार से यह सुझाव दे रहे हैं। निस्संदेह, उनके मुख्य मंत्री इधर उधर जा रहे हैं। वह निजी उद्यमियों को धन लगाने के लिए भी आमन्त्रित करने हेतु विदेश जा रहे हैं। कुछ भी हो मैं यह कहूंगा कि यदि सम्बन्धित राज्य सरकारें रुग्ण इकाइयों/चाय बागानों को अपने हाथ में लेने को इच्छुक हैं तो इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

इस वर्ष हमारा चाय के उत्पादन का लक्ष्य लगभग 7350 लाख किलोग्राम था। लेकिन सही अर्थों में मुझे यह बताया गया है कि उत्पादन 7260 लाख किलोग्राम होगा। जैसा कि मैंने कहा है इसका केवल यही उत्तर है कि हमें अपना उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करनी होगी। इसका अर्थ यह है कि नये क्षेत्रों को जोड़ना होगा और ये क्षेत्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारतीय चाय व्यापार निगम के कार्यकलापों तथा अन्यों पर भी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।

सरकार को एक अत्यन्त तर्कसंगत तथा अत्यन्त संवेदनशील नीति बनानी चाहिए जो अन्य बातों के साथ साथ उत्तम चाय के उत्पादन तथा विश्व में निर्यातक देश के रूप में भारत की छवि पुनः प्रतिष्ठित करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य अत्यन्त सीमित है। निस्संदेह जब कोई विधेयक अपने उद्देश्य से हटकर होता है तो इससे सामान्य चर्चा का अवसर मिल जाता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह देश में चाय उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए दिए गए सुझावों का लाभ उठायें।

श्री द्वारिका नाथ दास (करीमगंज) : मैं अपना भाषण चाय कंपनी संशोधन बिधेयक, 1991 तक ही सीमित रखूंगा। निस्संदेह, सिद्धान्ततः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन इस विधेयक की व्याप्ति और उद्देश्य इतने संकीर्ण हैं कि समस्या के बारे में कहने की बात तो दूर इसने समस्या को छूआ तक नहीं।

यह एक गभीर चिंता का विषय है कि असम के चाय बागान धीरे धीरे पहले से कम उत्पादन-कारी हो गये हैं। इसकी बजह एक तरफ तो कुप्रबन्ध और दूसरी तरफ सरकार की ओर से पर्यवेक्षण की कमी है। यह देखा गया है कि पिछले तीन दशकों से श्रीलंका और यहां तक कि अफ्रीका में चाय बागानों में व्यापक रूप से वृद्धि हो रही है और मुझे आशंका है कि आने वाले दशकों में उक्त देश चाय उत्पादन में भारत के उत्पादन के मुकाबले आगे निकल सकते हैं। चाय विदेशी मुद्रा अर्जित

[श्री द्वारिका नाथ दास]

करने का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन निकट भविष्य में हम इस स्थिति को बनाये नहीं रख सकते हैं। हमें प्रशासन में हर कहीं खामियां नजर आती है। चाय उद्योग इसका अपवाद नहीं हैं।

चाय उद्योग के बारे में सैकड़ों साहित्य हैं लेकिन वास्तव में चाय बागान क्षेत्रों के कार्यकरण के सुधार के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। केन्द्र द्वारा दूसरों पर जिम्मेदारी डालने से इस उद्योग को क्षति पहुंची है। कुछ समय के पश्चात यह उदासीनता बर्बादी सिद्ध होगी। चाय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक श्रमिक संघ है लेकिन वे मालिकों के हाथों में खेलते हैं अन्यथा असम चाय बागान क्षेत्र की वर्तमान स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। बरक घाटी के अधिकांश बागानों मैं मैंने यह देखा है कि वहां बच्चों के लिये पर्याप्त स्कूली सुविधायें नहीं हैं और न ही वहां हस्पताल, विद्युतीकरण, जल-पूर्ति, पहुंच मार्गों आदि की भी पर्याप्त सुविधायें हैं। श्रमिका जीविका स्तर से भी नीचे जीने को मजबूर हैं। इस संबंध मैं मैं एक दुःखद कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरे करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में मैंने दो चाय बागानों—सिछलाचेरा चाय बागान क्षेत्र और मगुराचेरा चाय बागान क्षेत्र का दौरा किया। जब मैंने वहां का दौरा किया तब मैंने इन दोनों बागानों को स्वामित्व विवाद के फलस्वरूप विषेधाज्ञा के तहत पाया। लेकिन इस स्वामित्व विवाद से मुझे कुछ सरोकार नहीं, आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके फलस्वरूप महीनों तक पत्तियों को तोड़ने से रोक दिया गया। मैं अनुभव करता हूं, तथा आप मुझसे सहमत भी होंगे, कि यह अपव्यय है तथा राष्ट्रीय नुकसान है। साथ ही, इन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भूखा मरना पड़ता है। इस तरह की बातें बिना किसी रोक-टोक के जारी हैं।

कुछ मामलों में निश्चय ही रोपाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। किन्तु मजदूरों को काम पर लगाने में कमी आई हैं। अर्थात् आदान का प्रयोग करके ज्यादा काम लिया जाना और अधिक उत्पादन करना। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की छंटनी होती है और कई श्रमिकों को चाय बागान के काम से हटना पड़ता है। हर दृष्टिकोण से उनका दुर्भाग्य ही होता है क्योंकि न तो वे भूमि जोतने वाले होतें हैं और न ही वे बागान के मजदूर होते हैं। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि उनके लिए एक कल्याण कारी योजना आरम्भ की जानी चाहिए जिससे कि इन लोगों को भूखे मरने से बचाया जा सके तथा उन्हें अमानवीय दशा से निकाला जा सके।

जहां तक रुग्ण चाय बागानों का संबंध है तो सीमावर्ती जिले करीमनगर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये बागान घुसपेठियों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान है ओर यहां वे न केवल बुरे काम तथा करते करते हैं अपितु गैर-कानूनी ढंग से रहते भी हैं। उनका ये गैर-कानुनी ढंग से रहना संकुचित राजनीतिक भावनाओं के कारण जारी है निकट भविष्य में यह हैरानी की बात नहीं होगी कि कुछ समृद्धशाली चाय बागान क्षेत्र अपना अस्तित्व खो बैठे और अवांक्षित लोग वहां रहने लग जाये।

असम राज्य सरकार ऐसे रुग्ण बागानों या मजदूरों की उचित देखभाल करने में वहां व्याप्त अशांत स्थिति से बचाने की दशा में बिल्कुल असफल है। मेरे विचार से असम के, विशेषकर करीमगंज जिले के रुग्ण चाय बागानों को पुर्नजीवित करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की जानी चाहिए तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए जिससे कि सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग अपनी सम्पन्नता को बनाये रख सके।

6.00

इस संबंध में केवल केन्द्रीय सरकार ही आगे आकर इसको इस दशा से उभार सकती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उदासीनता बरतने तथा राज्य द्वारा अक्षमता जताने के फलस्वरूप विश्व बाजार में असम चाय का एकाधिकार गिर रहा है, मेरे कहने का तात्पर्य असम से है। इस विशालकाय समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक यथार्थवादी पहल की शीघ्र अपेक्षा है।

इन शब्दों के साथ ही, मैं इस उम्मीद से अपना भाषण समाप्त करता हूं कि केन्द्र असम के रुग्ण चाय बागानों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भरसक प्रयत्न करेगा। धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : श्री पीयूष तीरकी।

चक माननीय सदस्य : महोदय, अब छः बजे हैं। जब तक सभा का समय नहीं बढ़ाया जाता तब तक वह कैसे बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : उन्हें शुरू करने दीजिए जिससे वह अपने भाषण को कल जारी रख सकें।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, यह बड़ी दुखद घटना है यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मजदूरों की भलाई के संबध में कुछ कहा गया है और उनको पेमेंट दिए जाने के बारे में सरकार सोच रही है।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11. म. पू. तक के लिए स्थागित की जाती है। श्री तीरकी का भाषण जारी हैं तथा सभा कल जब इस मुद्दे पर आगे अपनी बहस आरम्भ करेगी तो वह इससे आगे बोलेंगे।

6.01 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1991)
8 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।